

सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	<u>प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप</u>	3—8
1.	आपदाएं	9—10
2.	आपदा तैयारी — संसाधनों की उपलब्धता	11—13
3.	आपदा तैयारी — दुर्घटना राहत चिकित्सा यान/दुर्घटना राहत गाड़ी	14—20
4.	आपदा तैयारी — संसाधनों का उपयोग (ट्रेन में उपलब्ध)	21—22
5.	आपदा अनुक्रिया — ओवरव्यू	23—26
6.	आपदा अनुक्रिया — तात्कालिक कार्रवाई दल	27—35
7.	आपदा अनुक्रिया — प्रथम जवाबदेह	36—40
8.	आपदा अनुक्रिया — मंडल एवं मुख्यालय पर अधिकारीगण	41—53
9.	आपदा अनुक्रिया — समन्वय केन्द्र	54—59
10.	आपदा अनुक्रिया — निकटवर्ती जोनों से सहायता	60—61
11.	कार्य स्थल प्रबंधन योजना — I	62—69
12.	कार्य स्थल प्रबंधन योजना — II	70—85
13.	कार्य स्थल प्रबंधन योजना — III	86—93
14.	यात्री देखभाल	94—98
15.	मीडिया प्रबंधन योजना	99—103
16.	अग्नि और अन्य दुर्घटनाएं	104—112
17.	प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल	113—114
18.	प्राकृतिक आपदा और तोड़फोड़	115—120

अनुलग्नक 1—38

1.	यूसीसी/सीएसी/एलसीसी का संक्षिप्त योजना विवरण	121
2.	यूसीसी का संक्षिप्त योजना विवरण	122
3.	सीएसी का संक्षिप्त योजना विवरण	123
4.	उत्तर प्रदेश सरकार के दूरभाष नम्बर	124—129
5.	(अ) आई.ओ.सी. बाद के दूरभाष नम्बर	130
	(ब) अन्य राज्यों एवं शहरों के प्रमुख दूरभाष नम्बर	131
6.	राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार के दूरभाष नम्बर	132
7.	हरियाणा सरकार के दूरभाष नम्बर	133—134
8.	सेना और वायु सेना अधिकारियों के दूरभाष नम्बर (आगरा/दिल्ली)	135
9.	रेलवे बोर्ड एवं 'सीआरएस' के दूरभाष नम्बर	136—137
10.	आपातकालीन सेलों एवं सहायता केन्द्रों का ई-मेल आई.डी.	138
11.	आगरा मंडल के रेलवे/बीएसएनएल/मोबाइल दूरभाष नम्बर	139—142

12.	रेलवे/बीएसएनएल दूरभाष नम्बर (आगराफोर्ट-बाँदीकुई जं०, धौलपुर जं०-आगराकैंट, आगराकैंट-पलवल, आगराफोर्ट-टुण्डला जं०, टूण्डला-बयाना जं०, भाण्डई-उदी जं०, धौलपुर जं०-तांतपुर-सिरमथुरा और मथुरा जं०-अलवर जं० सेक्शन)	143-148
13.	बुलडोजर/क्रेन/जेसीबी के संबंध में सूचना	149
14.	टैक्सियों के संबंध में सूचना	150
15.	बसों के संबंध में सूचना	151-152
16.	सिविल प्रशासन के संबंध में सूचना	153-163
17.	ऑक्सीजन सिलेन्डर/गैस कटर के संबंध में सूचना	164
18.	सामाजिक संस्थानों की सूची	165-166
19.	होटलों/ढाबों के संबंध में सूचना	167-168
20.	टेंट हाउस के संबंध में सूचना	169-170
21.	अग्निशमन केन्द्रों के संबंध में सूचना	171
22.	ठेकेदारों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में सूचना	172
23.	ब्लड बैंकों की सूची	173
24.	नागरिक सुरक्षा से संबंधित सूचना	174
25.	एनसीसी/स्काउट एंड गाइड के संबंध में सूचना	175-176
26.	शवयान वाहन के संबंध में सूचना	177
27.	स्टेशन से पास के गांव के संबंध में सूचना	178-180
28.	फोटोग्राफरों/वीडियोग्राफरों से संबंधित सूचना	181-183
29.	वाटर टैंकरों से संबंधित सूचना	184-185
30.	न्यूज पेपर/एजेंसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूची	186-190
31.	स्टेशन के पास उपलब्ध हॉस्पिटल/डॉक्टरों की सूची	191-197
32.	टावर वैगनों/रेल सह सड़क वाहनों/वाहनों की सूची	198-199
33.	आगरा मंडल में खान-पान सेवा	200-201
34.	उत्तर मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण सीयूजी/टेलीफोन नम्बर	202-205
35.	एआरटी/एआरएमवी से संबंधित सूचना	206
36.	नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ)	207-210
37.	आगरा मंडल पर समपार फाटकों की सेक्शन वार सूची	211-219
38.	आगरा मंडल के समपार फाटको से रोड कनेक्टिविटी एवं सिस्टम मैप	220-228

प्रयोग किये गये संक्षिप्त रूप

1एसी
2एसी
3एसी
एसी
एडीजी
एडीएमओ
एडीआरएम/इन्फ्रा.
एडीआरएम/ओपी
एडीएसओ
एडीईएन
डीएचओ
एमआईए
जेजे
बीएचए
एजीसी
आरकेएम
बीएफपी
आरएनकेए
केएक्सएम
एफएआर
डीडीडीएम
बीएडी
एमटीजे
बीटीएसआर
वीआरबीडी
एजेएच
सीएचजे
केएसवी
एचडीएल
बीएनसीआर
एसएचएलके
आरडीई
पीडब्लूएल
बीएक्सएन
बीआर
बीआईक्यू
आरबीएस
एफटीएस
केएलबी
एमआईक्यू
पीटीएलआई
आईडीएच
एएफ
जेएबी
सीएचएलआर
केबीपी
ईटीयूई
टीडीएल
एजीए

प्रथम वातानुकूलित सवारी डिब्बा
द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित सवारी डिब्बा
तृतीय श्रेणी वातानुकूलित सवारी डिब्बा
वातानुकूलित
अपर महानिदेशक
सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी
अपर मंडल रेल प्रबंधक/इन्फ्रा.
अपर मंडल रेल प्रबंधक/परिचालन
सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी
सहायक मंडल इंजीनियर
धौलपुर के लिए स्टेशन कोड
मनिया के लिए स्टेशन कोड
जाजऊ के लिए स्टेशन कोड
भाण्डई के लिए स्टेशन कोड
आगरा छावनी के लिए स्टेशन कोड
राजा की मंडी के लिए स्टेशन कोड
बिल्लोचपुरा के लिए स्टेशन कोड
रुनकता के लिए स्टेशन कोड
कीथम के लिए स्टेशन कोड
फराह के लिए स्टेशन कोड
दीनदयाल धाम के लिए हॉल्ट स्टेशन कोड
बाद के लिए स्टेशन कोड
मथुरा जं० के लिए स्टेशन कोड
भूतेश्वर के लिए स्टेशन कोड
वृंदावन रोड के लिए स्टेशन कोड
अझई के लिए स्टेशन कोड
छाता के लिए स्टेशन कोड
कोसीकलां के लिए स्टेशन कोड
होडल के लिए स्टेशन कोड
बनचारी के लिए स्टेशन कोड
शोलाका के लिए स्टेशन कोड
रुंधी के लिए स्टेशन कोड
पलवल के लिए स्टेशन कोड
बयाना के लिए स्टेशन कोड
बंधबरेठा के लिए स्टेशन कोड
बंसी पहाड़पुर के लिए स्टेशन कोड
रूपबास के लिए स्टेशन कोड
फतेहपुर सीकरी के लिए स्टेशन कोड
किरावली के लिए स्टेशन कोड
मिढाकुर के लिए स्टेशन कोड
पथौली के लिए स्टेशन कोड
ईदगाह आगरा के लिए स्टेशन कोड
आगरा फोर्ट के लिए स्टेशन कोड
यमुना ब्रिज के लिए स्टेशन कोड
छलेसर के लिए स्टेशन कोड
कुबेरपुर के लिए स्टेशन कोड
एत्मादपुर के लिए स्टेशन कोड
टुण्डला जं० के लिए स्टेशन कोड
आगरा सिटी के लिए स्टेशन कोड

एमआरओए
 जीडीओ
 बीईएचजे
 डीईईजी
 बीईडीएम
 बीआईएनआर
 जीवीएच
 जेबीएस
 आरएएच
 ओटीडी
 एडब्लूआर
 आरएआई
 एएच
 बीएसए
 पीआरके
 बीटीई
 आईके
 एचके
 पीपीईए
 एनबीआई
 केएल
 जीओएस
 एमयूआरडी
 केपीओ
 बीडब्लू
 बीकेआई
 बीसीपी
 एजीएम
 एएच
 एसएसडीटी
 एफएबी
 एचएबी
 यूडीएमआर
 ईटीडब्लू
 एएलडी
 एमएचएफ
 एसआरएमटी
 टीपीओ
 एडीएमई
 एआरएमई
 एआरएमवी
 एआरटी
 अस्सिस्टेंट
 एडीएसटीई
 डीएलआई
 सीएनबी
 जीजीसी
 जेएचएस
 जेपी
 बीसीएक्स
 बीडी स्पेशल

मोरा के लिए स्टेशन कोड
 गोवर्धन के लिए स्टेशन कोड
 वेहज के लिए स्टेशन कोड
 डीग के लिए स्टेशन कोड
 बेडम के लिए स्टेशन कोड
 ब्रिजनगर के लिए स्टेशन कोड
 गोविन्द गढ़ के लिए स्टेशन कोड
 जाडौली का बास के लिए स्टेशन कोड
 रामगढ़ के लिए स्टेशन कोड
 ऊटबाड के लिए स्टेशन कोड
 अलवर के लिए स्टेशन कोड
 रायभा के लिए स्टेशन कोड
 अछनेरा का स्टेशन कोड
 भैसा का स्टेशन कोड
 परखम का स्टेशन कोड
 भरतपुर स्टेशन का कोड
 ईकरन स्टेशन का कोड
 हेलक स्टेशन का कोड
 पपरेरा स्टेशन का कोड
 नदबई स्टेशन का कोड
 खेडली स्टेशन का कोड
 घोसराना स्टेशन का कोड
 मन्डावर महुआ रोड स्टेशन का कोड
 करनपुरा स्टेशन का कोड
 बिवाई स्टेशन का कोड
 बाँदीकुई स्टेशन का कोड
 बिचपुरी स्टेशन का कोड
 उप महाप्रबंधक
 अछनेरा का स्टेशन कोड
 शमशाबाद का स्टेशन कोड
 फतेहाबाद का स्टेशन कोड
 बाह का स्टेशन कोड
 ऊदी मोड का स्टेशन कोड
 इटावा का स्टेशन कोड
 इलाहाबाद का स्टेशन कोड
 मोहारी का स्टेशन कोड
 सरमुथरा का स्टेशन कोड
 तांतपुर का स्टेशन कोड
 सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर
 दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण
 दुर्घटना राहत चिकित्सा यान
 दुर्घटना राहत गाड़ी
 सहायक
 सहायक मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर
 दिल्ली स्टेशन का कोड
 कानपुर स्टेशन का कोड
 गंगापुर सिटी स्टेशन का कोड
 झाँसी स्टेशन का कोड
 जयपुर स्टेशन का कोड
 8 पहिया कवर्ड वैक्यूम ब्रेक माल डिब्बा
 ब्रेक डाउन स्पेशल

बीएफआर
 बीआरएन
 बीएसएनएल
 सी एण्ड डब्ल्यू
 सीएसी
 सीबीई
 सीसीएम
 सीसीएम (पीएस)
 सीसीएम (एफएम)
 सीसीआरएस
 सीईई
 सीईई (ओपी)
 सीएफटीएम
 सीएचसी
 सीएचओडी
 सीएमडी
 सीएमई
 सीएमआई
 सीएमएम
 सीएमपीई (डीजल)
 सीएमएस
 सीओएम
 सीओएस
 सीपीओ
 सीपीआरओ
 सीपीटीएम
 सीआरबी
 सीआरएस
 सीआरएसई
 सीएससी
 सीएसई
 सीएसओ
 सीएसटीई
 सीटीई
 सीडब्ल्यूई
 सीडब्ल्यूआई
 सीडब्ल्यूएस
 डीएफएम
 डीसीएम
 डीसीओएस
 डीईई
 डीईएन
 डीजी
 डीएम
 डीएम
 डीएमई
 डीएमएम
 डीएमओ
 डीएमटी
 डीएमयू
 डीओएम

8 पहिया ओपन प्लेट वैक्यूम ब्रेक माल डिब्बा
 8 पहिया ओपन प्लेट एअर ब्रेक माल डिब्बा
 भारत संचार निगम लिमिटेड
 सवारी एवं माल डिब्बा
 संयुक्त सहायक केन्द्र
 मुख्य ब्रिज इंजीनियर
 मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
 मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीएस)
 मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (एफएम)
 मुख्य आयुक्त रेलवे संरक्षा
 मुख्य विद्युत इंजीनियर
 मुख्य विद्युत इंजीनियर (परिचालन)
 मुख्य माल परिवहन प्रबंधक
 मुख्य नियंत्रक
 विभागाध्यक्ष
 मुख्य चिकित्सा निदेशक
 मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
 मुख्य वाणिज्य निरीक्षक
 मुख्य सामग्री प्रबंधक
 मुख्य प्रेरक शक्ति इंजीनियर (डीजल)
 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
 मुख्य परिचालन प्रबंधक
 भंडार नियंत्रक
 मुख्य कार्मिक अधिकारी
 मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
 मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक
 अध्यक्ष रेलवे बोर्ड
 आयुक्त रेल संरक्षा
 मुख्य चल स्टॉक इंजीनियर
 मुख्य सुरक्षा आयुक्त
 मुख्य सिगनल इंजीनियर
 मुख्य संरक्षा अधिकारी
 मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर
 मुख्य रेल पथ इंजीनियर
 मुख्य कारखाना इंजीनियर
 मुख्य वैगन निरीक्षक
 मुख्य कैरिज एवं वैगन अधीक्षक
 मंडल वित्त प्रबंधक
 मंडल वाणिज्य प्रबंधक
 मंडल भंडार नियंत्रक
 मंडल विद्युत इंजीनियर
 मंडल इंजीनियर
 महा निदेशक
 आपदा प्रबंधन
 जिला मजिस्ट्रेट
 मंडल यांत्रिक इंजीनियर
 मंडल सामग्री प्रबंधक
 मंडल चिकित्सा अधिकारी
 आपदा प्रबंधन टीम
 डीजल बहुप्रयोजन इकाई
 मंडल परिचालन प्रबंधक

डीओटी
 डीपीओ
 डीआर
 डीआरएम
 डीएससी
 डीएसई
 डीएसओ
 डीएसटीई
 डीओएम
 डिप्टी सीसीएम
 डिप्टी सीओएम
 डिप्टी सीएसओ
 ई-मेल
 ईसी
 ईसी (सॉफ्ट)
 ईडी
 ईएमयू
 ईएनजीजी
 ईटीएल
 एफए
 एफए एण्ड सीएओ
 एफआर
 (जी)
 जी.एण्ड एस.आर
 जीएम
 जीआरपी
 एचओडी
 एचओअ
 एचक्यू
 एचआरई
 एचआरडी
 आईएएफ
 आईएआई
 आईजी
 आईआर
 आईआरसीएम
 आईआरसीटीसी
 आईआरएमएम
 आईओसी
 आईएसडी
 आईटी
 जेए
 जेसीबी
 जेई
 एलसी
 एलसीसी
 एलआई
 एलकेओ
 एलपीजी
 एलआर
 एमजी

टेलीकॉम विभाग
 मंडल कार्मिक अधिकारी
 आपदा अनुक्रिया
 मंडल रेल प्रबंधक
 मंडल सुरक्षा आयुक्त
 मंडल अधीक्षक इंजीनियर
 मंडल संरक्षा अधिकारी
 मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर
 मंडल परिचालन प्रबंधक
 उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
 उप मुख्य परिचालन प्रबंधक
 उप मुख्य संरक्षा अधिकारी
 इलेक्ट्रॉनिक मेल
 आपातकालीन नियंत्रक
 आपातकालीन नियंत्रक सॉफ्ट
 कार्यकारी निदेशक
 विद्युत बहुप्रयोजन इकाई
 इंजीनियरिंग
 आपातकालीन ट्रेन लाइटिंग
 प्राथमिक उपचार
 वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
 प्रथम जवाबदेह
 सामान्य
 सामान्य एवं सहायक नियमवाली
 महाप्रबंधक
 राजकीय रेलवे पुलिस
 विभागाध्यक्ष
 उच्च अधिकारिक अध्यायन
 मुख्यालय
 हाइड्रोलिक रिरेलिंग उपकरण
 हाइड्रोलिक बचाव उपाय
 भारतीय वायु सेना
 तात्कालिक कार्रवाई समूह
 पुलिस महानिदेशक
 भारतीय रेल
 भारतीय रेलवे वाणिज्य नियमावली
 भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम लिमिटेड
 भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली
 भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन
 अन्तराष्ट्रीय अभिदाता डायलिंग
 सूचना तकनीकी
 कनिष्ठ प्रशासनिक
 जैक सह बुलडोजर
 कनिष्ठ इंजीनियर
 समपार फाटक
 स्थानीय कमांड केन्द्र
 लोको निरीक्षक
 लखनऊ स्टेशन का कोड
 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
 लीव रिजर्व
 मीटर गेज

एमओआर	रेल मंत्रालय
एमओएसआर	रेल राज्य मंत्री
एमपी	मध्य प्रदेश
एमआर	रेल मंत्री
एमआरवी	चिकित्सा राहत यान
एनजी	नैरो गेज
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआर	उत्तर रेलवे
एनडब्ल्यूआर	उत्तर पश्चिम रेलवे
एनबीआई	नदबई स्टेशन का कोड
ओएचई	उपरी उपस्कर
पीसी	पर्सनल कंप्यूटर
पीसीई	प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पीओएल	पैट्रोलियम, ऑयल एवं लुब्रीकेन्ट
पी.आर	जनसंपर्क
पी.सीओ.आर	शक्ति नियंत्रक
पीआरओ	जनसंपर्क अधिकारी
पीएसयू	राजकीय क्षेत्र उपक्रम
पी.वे	रेलपथ
पीडब्ल्यूआई	रेलपथ निरीक्षक
आरसीटी	रेल दावा अधिकरण
आरई	रेलवे विद्युतीकरण
आरजी	रेस्ट गिवर
आरएमएस	रेलवे मेल सर्विस
आरपीएफ	रेल सुरक्षा बल
आरएसओ	चल स्टाक संगठन
एस एण्ड टी	सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर
एसडीजीएम	वरि. उप महाप्रबंधक
एसई	सेक्शन इंजीनियर
एसएचओ	स्टेशन हाउस ऑफीसर
एसआई	उप निरीक्षक
एसएलआर	द्वितीय श्रेणी सह-सामान सह ब्रेक यान सवारी डिब्बा
एसएम	स्टेशन मैनेजर
एसपीएआरएमवी	स्वचालित दुर्घटना राहत चिकित्सा यान
एसपीएआरटी	स्वचालित दुर्घटना राहत गाड़ी
एसओएस	संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय कॉल (जीवन की रक्षा करें)
सीनियर डीसीएम	वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
सीनियर डीईई	वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर
सीनियर डीईएन	वरिष्ठ मंडल इंजीनियर
सीनियर डीएफएम	वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक
सीनियर डीएमई	वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर
सीनियर डीओएम	वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक
सीनियर डीपीओ	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
सीनियर डीएससी	वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त
सीनियर डीएसओ	वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी
सीनियर डीएसटीई	वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर
एसएसई	सीनियर सेक्शन इंजीनियर
एसटीडी	सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग
एसटीएम	वरिष्ठ परिवहन प्रबंधक
एसएस	स्टेशन अधीक्षक
टीसीएम	दूरसंचार अनुरक्षक

टीसीआई
टीआई
टीआरडी
टीएस
टीटीई
टीएक्सआर
यूसीसी
यू.पी.
वीएचएफ
वीपीयू
डब्ल्यूसीआर
डब्ल्यूएलआई
डब्ल्यूटीटी

दूरसंचार निरीक्षक
यातायात निरीक्षक
कर्षण वितरण
गाड़ी अधीक्षक
चल टिकट निरीक्षक
गाड़ी परीक्षक
यूनीफाइड कमांड सेन्टर
उत्तर प्रदेश
बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी
वाहन पार्सल यान
पश्चिम मध्य रेलवे
कल्याण निरीक्षक
कार्य समय सारणी

अध्याय—1

आपदाएँ

(क) परिभाषा

आपदा निम्नलिखित लक्षणों से युक्त एक असामान्य घटना है —

- i) अचानक हुई तबाही जिससे बहुत बड़े स्तर पर भौतिक विध्वंस, क्षति और कष्ट पहुंचा हो।
- ii) कोई गंभीर रेल दुर्घटना या रेलवे क्षेत्र या रेलवे गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र में कोई गंभीर प्रकृति की अवांछित घटना, जो प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से हुई हो तथा जिससे कई जीवन की क्षति/बड़ी संख्या में गंभीर घायल होने और/या यातायात के संचालन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो गयी हो, जिसमें दूसरे सरकारी/गैर-सरकारी एवं प्राइवेट संस्थाओं से मदद की आवश्यकता पड़ती है, रेलवे आपदा कही जायगी। **“Railway Disaster is a serious train accident or an untoward event of grave nature, either on railway premises or arising out of railway activity, due to natural or man-made causes, that may lead to loss of many lives and/or grievous injuries to a large number of people, and/or severe disruption of traffic etc, necessitating large scale help from other Government/Non-government and Private Organizations.” (Disaster Management Act of Rly Board year 2009)**

(ख) रेल सेवा बाधित करने वाली भिन्न-भिन्न प्रकार की आपदाएं :-

मानवीय भूल/उपकरण की विफलता

मानवीय भूल/उपकरण की विफलता के कारण निम्नलिखित आपदाएं/दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इनके कारण गाड़ी संचालन प्रभावित हो सकता है और जान और माल दोनों की हानि हो सकती है।

- टक्कर
- गाड़ी का पटरी से उतर जाना
- मानवयुक्त/मानवरहित/समपार पर होने वाली दुर्घटनाएँ
- गाड़ी में आग लगना

प्राकृतिक आपदाएँ

प्राकृतिक आपदाओं से यातायात में गंभीर अवरोध पैदा हो सकता है जिससे जानमाल की क्षति पहुंच सकती है।

- भूस्खलन
- भूकम्प
- बाढ़
- आंधी/चक्रवात/बवंडर

तोड़फोड़

- ऐसी तोड़फोड़ जिसमें जान और माल अथवा दोनों को जानबूझकर क्षति पहुँचायी जाए।
- ट्रेन/रेल संस्थापनाओं और रेल सम्पत्ति में आग लगाना।
- बम विस्फोट
- रेलवे लाइन पर कोई वस्तु डाल देना जिससे यातायात बाधित हो जाए।
- दुर्घटना करने के उद्देश्य से रेल उपकरणों से छेड़छाड़।

(ग) रेल सेवा बाधित करने वाली आपदाओं का स्तर –

रेल दुर्घटनाओं को निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

रेल दुर्घटना जिनका प्रबंधन संबंधित मंडलीय अधिकारियों के स्तर पर किया जा सके

– ऐसी दुर्घटनाएं जिनका प्रबंधन संबंधित मंडलीय अधिकारियों के स्तर पर किया जा सके।

– ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें निकटवर्ती मंडलों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है किन्तु जिनका प्रबंधन संबंधित रेलवे जोन द्वारा किया जा सके।

– वे दुर्घटनाएं जो इतनी गंभीर हो अथवा जिनमें हताहतों की संख्या इतनी हो कि केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय) की कई एजेन्सीयों की सक्रिय सहायता की आवश्यकता पड़े।

(घ) रेल दुर्घटना को आपदा की श्रेणी में वर्गीकरण

रेलवे के संदर्भ में आपदा से अभिप्राय ऐसी बड़ी रेल दुर्घटना से है जिसमें हताहतों के गंभीर मामले हों और रेल यातायात लम्बे समय तक बाधित हो जाए। अनुदेशों का यह सार संग्रह उपरोक्त बड़ी रेल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए तैयार किया गया है न कि साधारण रेल दुर्घटनाओं के लिए। कोई गंभीर दुर्घटना होने पर प्रशासन को यह निर्णय लेना होगा कि कोई दुर्घटना आपदा की श्रेणी में है अथवा नहीं।

किसी रेल दुर्घटना को आपदा घोषित करने के लिए महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में मुख्य संरक्षा अधिकारी अधिकृत हैं। महाप्रबंधक के अनुमोदन से इस प्रकार की घोषणा से सर्व संबंधित को अवगत कराया जायेगा। यदि किसी रेल दुर्घटना को आपदा घोषित कर दिया जाता है तो इस आपदा प्रबंधन कार्य योजना में उल्लिखित अनुदेश स्वतः लागू हो जाएंगे और सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी इस पुस्तक में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्य करेंगे।

(ङ) उत्तर मध्य रेलवे में भीड़ प्रबंधन (एकीकृत संरक्षा प्रणाली)

स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रणाली के अंतर्गत स्टेशन परिसर में यात्रियों, वाहनों एवं उनके सामानों की बहुस्तरीय निगरानी की जा सकेगी।

इस प्रणाली में मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं :

– उन्नत वीडियो विश्लेषण सहित इंटरनेट प्रोटोकाल आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली।

– प्रवेश नियंत्रण

– यात्री एवं उनके सामानों की स्क्रीनिंग सिस्टम

– बम खोजी एवं डिस्पोजल सिस्टम

शीघ्र ही उ.म.रे. के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इस प्रणाली को लगाए जाने की योजना है।

भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन

एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में उन्नत वीडियो विश्लेषण शामिल किया गया है जो स्टेशन परिसर में निर्धारित सीमा से अधिक भीड़ बढ़ जाने पर अत्यधिक भीड़ का सिगनल देगा। जब स्टेशन परिसर में भारी भीड़ जमा हो जाती है तब इस प्रणाली द्वारा रेल सुरक्षा बल कार्मिकों एवं रेलवे प्राधिकारियों को समय से सूचना मिल जाती है और उसके प्रबंधन के लिये समय रहते कार्य योजना तैयार कर ली जाती है। सीसीटीवी प्रणाली में स्टोर हुए चित्रों से अपराधी की पहचान करने में सहायता मिलेगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। तथापि जिला अधिकारी (उप आयुक्त) या सिविल पुलिस (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) द्वारा अत्यधिक भीड़ होने की संभावना वाले दिन तथा भीड़ की यात्रा (जिसमें विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या) और 1-2 घंटे के स्लाट और प्रत्येक स्लाट में आने वाली भीड़ की संख्या के बारे में रेलवे (मंडल रेल प्रबंधक) को सूचना अवश्य दी जानी चाहिए।

अध्याय – 2

आपदा तैयारी-संसाधनों की उपलब्धता

रेलवे सामान्यतः दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों एवं दुर्घटना राहत गाड़ियों सहित सुसंगठित होने के परिणाम स्वरूप बचाव एवं राहत कार्यों के लिए स्वयं सक्षम है। फिर भी गंभीर हताहतों युक्त दूर दराज के क्षेत्रों में बड़ी दुर्घटना या दुष्कर क्षेत्रों या विषम मौसम परिस्थितियों में प्रभावी रूप से प्रबंधन गैर रेलवे स्रोतों के उपयोग से ही संभव है।

रेलवे में उच्च स्तर पर तैयारी करके उपलब्ध सभी साधनों को अच्छी स्थिति में (उच्च स्तर पर) तैयार रख कर यांत्रिकीय आपदा प्रबंधन मैनेज किया जा सकता है। साधनों में रेलवे एवं गैर रेलवे के व्यक्ति एवं सामग्री चिकित्सा कर्मचारियों सहित, परिवहन स्वयं सेवक एवं पुलिस एवं अग्निशमन सेवाएं शामिल होंगी। इन साधनों का विवरण और उनसे संपर्क स्थापित करने के नम्बर एवं पहचान किए गए अन्य विवरण सहित एक 'डाटा बैंक' में रखा गया है। यह डाटा बैंक आगरा मंडल के आपदा प्रबंधन योजना में उपलब्ध है। इसे उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट (www.ncr.railways.gov.in) पर भी सुगमता हेतु अपलोड किया गया है।

बड़ी दुर्घटना के मामले में उपलब्ध साधनों को 4 अलग-अलग यूनिटों में विभाजित किया जा सकता है। दुर्घटना के बाद उपलब्ध साधनों एवं आवंटित समय पर आधारित है। ये निम्नानुसार हैं:-

1. साधन यूनिट I – आस-पास (नजदीकी) क्षेत्र में एवं गाड़ी में उपलब्ध रेलवे एवं गैर रेलवे साधन।
2. साधन यूनिट II – मंडल के अन्दर अन्य कहीं एवं दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन/दुर्घटना राहत गाड़ी डिपो में उपलब्ध रेलवे साधन।
3. साधन यूनिट III – अन्य कहीं निकटस्थ जोन (जोनों) एवं मंडलों पर एवं दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन/दुर्घटना राहत गाड़ी डिपो में उपलब्ध रेलवे साधन।
4. साधन यूनिट IV – मंडल के अन्दर या बाहर के गैर रेलवे साधन।

1. साधन यूनिट

(क) यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी में निम्नलिखित साधन उपलब्ध हैं :

- i) गार्ड के पास उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स
- ii) पैन्ट्रीकार एवं गाड़ी में उपलब्ध गाड़ी अधीक्षक के पास प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स।
- iii) ब्रेकवान में आग बुझाने वाले यंत्र, पोर्टेबल टेलीफोन।
- iv) पैन्ट्री कार में आग बुझाने वाले यंत्र।
- v) इंजन में पोर्टेबल टेलीफोन एवं आग बुझाने वाले यंत्र।
- vi) एम.टी.आर.सी. फोन।
- vii) ड्राइवर एवं गार्ड के पास वॉकी-टॉकी सेट्स।
- viii) यात्रियों के सेलफोन/मोबाइल संचार व्यवस्था।
- ix) गाड़ी में यात्रा कर रहे मेडीकल प्रैक्टीशनर के बारे में गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक द्वारा एकत्रित की गई सूचना।
- x) गाड़ी में यात्रा कर रहे रेलवे अधिकारियों के बारे में गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक द्वारा एकत्रित की गई सूचना।
- xi) गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों की भाँति, अवकाश पर रहने वाले या ड्यूटी करने वाले रेल कर्मचारी।
- xii) गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री जो कि बचाव एवं राहत कार्य के लिए उनकी सहायता के लिए स्वयं सेवक।

(ख) निकट में उपलब्ध गैर रेलवे साधन :

- i) नजदीकी शहरों और गाँवों से स्वयंसेवक
- ii) समपार फाटकों के निकट पासिंग थ्रू या साईट पर उपलब्ध यातायात सुविधा।
- iii) दुर्घटना स्थल पर प्रकाश व्यवस्था एवं परिवहन के उद्देश्य अर्थात् दोनों के लिए नजदीकी गाँवों से ट्रॉली युक्त ट्रैक्टरों की व्यवस्था।

- iv) रेलवे की अपनी बचाव एवं राहत टीम पहुँचने से पहले स्टेशन स्टाफ एवं स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा गैर रेलवे साधनों को सहायता के लिए मँगवाना चाहिए।
- v) ऐसे स्थानीय नेटवर्क इस हड़बड़ी में तुरन्त सहायता हेतु अधिक प्रभावी है विशेषकर इस संबंध में, जैसे कि –
- चिकित्सा सहायता
 - अतिरिक्त मैन पावर (जनशक्ति)
 - बचाव उपकरण
 - प्रकाश करने की व्यवस्थाएं
 - आग बुझाने के (यंत्र) उपकरण इत्यादि

(ग) निकट में उपलब्ध रेलवे साधन :

- i) इंजीनियरिंग गैंग
- ii) उपलब्ध सिगनल स्टाफ एवं ओ.एच.ई. स्टाफ।
- iii) अन्य साधन जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं, संचार सुविधाएं।

(घ) निकटवर्ती स्टेशनों पर :

- i) समीपवर्ती या नजदीकी स्टेशनों पर उपलब्ध स्टाफ।
- ii) रेलवे के साधन जैसा कि आपदा प्रबंधन योजना में दिए गए हैं।
- iii) गैर-रेलवे साधन जैसा कि आपदा प्रबंधन योजना में दिए गए हैं।
- iv) जैसा कि आपदा प्रबंधन योजना में दिया गया है, चिकित्सा दल को अल्पकालीन सूचना पर भेजकर साधनों को गतिशील किया जाए।

2. यूनिट II के साधन

- i) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन, दुर्घटना राहत गाड़ी 140 टन क्रेन नामित स्टेशनों पर स्थित हैं, उनकी लोकेशन अध्याय-3 में दी जा रही है।
- ii) रेलवे चिकित्सा एवं विभागीय साधन।

3. यूनिट III के साधन

- i) निकटवर्ती क्षेत्रों (जोनों) मंडलों पर आधारित दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों, दुर्घटना राहत गाड़ियों सहित 140 टन क्रेन की स्थिति अध्याय-3 में दी गई है।
- ii) निकटवर्ती क्षेत्रों (जोनों)/मंडलों से मंगाई जाने वाली दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन/दुर्घटना राहत गाड़ियों की सेक्शन वाइज सूची दी गई।
- iii) निकटवर्ती जोनों/मंडलों पर उपलब्ध स्टाफ एवं सामग्री की जानकारी उनके डाटा बैंक एवं इस जोन/मंडल के आपदा प्रबंधन योजना में दी गई है।
- iv) निकटवर्ती मंडलों के आपदा प्रबंधन योजना की प्रतिलिपि की प्रति मंडल नियंत्रण कार्यालयों में उपलब्ध रहनी चाहिए।

4. यूनिट IV के साधन

- i) मंडल पर उपलब्ध गैर-रेलवे साधन डाटा बैंक में दिए गए हैं।
- ii) बाहरी मंडलों पर उपलब्ध गैर-रेलवे साधन जैसा कि डाटा बैंक एवं निकटवर्ती जोनों/मंडलों के आपदा प्रबंधन योजना में शामिल हैं।

5. आगरा मंडल के सेक्शनों की स्थिति

- i) धौलपुर-आगरा छावनी
- ii) आगरा छावनी-मथुरा जं.
- iii) मथुरा जं.-पलवल
- मथुरा जं.-अलवर

- iv) मथुरा जं.-अछनेरा
- v) मथुरा जं.-वृन्दावन (मीटर गेज)
- vi) आगरा फोर्ट-टूण्डला जं.
- vii) आगरा फोर्ट-बांदीकुई
- viii) आगरा फोर्ट-बयाना जं.
- ix) आगरा छावनी-ईदगाह आगरा
- x) राजा की मंडी-यमुनाब्रिज
- xi) भाण्डई-ऊदी जं.
- xii) धौलपुर-सरमथुरा (नैरोगेज)
- xiii) मोहारी जं.-तांतपुर (नैरोगेज)

आपदा तैयारी – दुर्घटना राहत चिकित्सा यान/दुर्घटना राहत गाड़ी

(क) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन :

1. दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-1 – अलग साइडिंग में खड़ी विशेष चिकित्सा राहत वाहनों में रखे उपकरण :

- दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-1 की स्थिति नीचे पैरा संख्या-क-2 एवं क-3 में दी गई है।
- उपलब्ध वाहन की चाबी दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के चिकित्सा प्रभारी के पास उपलब्ध है।
- दवाएँ एवं उपकरण रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार प्रदान किए गए हैं।
- दुर्घटना राहत चिकित्सा गाड़ी के भीतर (अन्दर) के सभी तालों की दोहरी चाबियाँ भी हैं चाबियों का एक सैट दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के पास है एवं दूसरा सैट दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के अन्दर ग्लास फ्रॉन्टेड केस में है।
- दुर्घटना राहत चिकित्सा गाड़ी के प्रस्थान होने का समय दिन में 20 मिनट एवं रात में 30 मिनट है।

2. दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-1 की स्थिति (लोकेशन) :

आगरा मंडल पर स्केल-1 – दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों की स्थिति निम्नानुसार है :

- आगरा कैंन्ट

3. निकटवर्ती जोनों/मंडलों पर दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-1 की स्थिति :

- टूण्डला – (इलाहाबाद मंडल, उत्तर मध्य रेलवे)
- कानपुर – (इलाहाबाद मंडल, उत्तर मध्य रेलवे)
- झाँसी – (झाँसी मंडल, उत्तर मध्य रेलवे)
- दिल्ली – (दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे)
- रेवाड़ी – (जयपुर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे)
- जयपुर – (जयपुर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे)
- गंगापुर सिटी – (कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे)

4. निकटवर्ती जोनों/मंडलों के दोनों सिरे से दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों का सेक्शन वाइज मांग चार्ट :

		प्रथम सिरा	दूसरा सिरा	2 अतिरिक्त दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन
i)	आगरा कैंन्ट-पलवल	आगरा कैंन्ट	दिल्ली (दिल्ली उ.रे.)	झाँसी, टूण्डला
ii)	आगरा कैंन्ट-धौलपुर	आगरा कैंन्ट	झाँसी	दिल्ली, टूण्डला
iii)	आगरा कैंन्ट-टूण्डला	आगरा कैंन्ट	टूण्डला	झाँसी, कानपुर
iv)	आगरा कैंन्ट-बयाना	आगरा कैंन्ट	कोटा (कोटा/प.म.रे)	टूण्डला, रेवाड़ी (जयपुर/उ.प.रे.)
v)	मथुरा-अलवर	आगरा कैंन्ट	रेवाड़ी (जयपुर/उ.प.रे.)	दिल्ली, जयपुर (जयपुर उ.प.रे.)
vi)	आगरा किला-बाँदीकुई	आगरा कैंन्ट	जयपुर (जयपुर/उ.प.रे.)	टूण्डला, रेवाड़ी (जयपुर उ.प.रे.)
vii)	मथुरा-अछनेरा	आगरा कैंन्ट	टूण्डला	झाँसी, दिल्ली (दिल्ली/उ.रे.)

5. दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-II – स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्पेशल रूम में रखे हुए बक्सों में एकत्रित उपकरण :

- i) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-II की स्थिति नीचे (क-6) में दी गई है।
- ii) चिकित्सीय उपकरणों को बिना किसी लॉक के सील रखा गया है।
- iii) स्केल-II रूम में डुप्लीकेट चाबियाँ रखी गई हैं।
- iv) स्केल-II दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरणों की चाबी मंडल चिकित्सा अधिकारी एवं स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध हैं।
- v) इन्हें शीघ्रतापूर्वक निकाला जाना है तथा दुर्घटना स्थल पर किसी ट्रेन या उपलब्ध सड़क वाहन द्वारा अविलम्ब पहुँचाना होता है।

6. आगरा मंडल पर दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन स्केल-II की स्थिति – ईदगाह, मथुरा, धौलपुर पर :

(ख) दुर्घटना राहत गाड़ी :

1. दुर्घटना राहत गाड़ी :

- i) दुर्घटना राहत गाड़ी की स्थिति नीचे (ख-2) में दी गई है।
- ii) दुर्घटना राहत गाड़ी को पूरी तरह से तैयार एवं एक अलग साइडिंग में खड़ा करने व दोनों ओर से तेजी से प्रवेश एवं बाहर निकालने हेतु दोहरे प्रवेश मार्ग का निर्माण किया गया है।
- iii) रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार बचाव एवं पुनः स्थापन के उपकरण रखे गए हैं।
- iv) ब्रेक डाउन स्पेशल की चाबियाँ निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों के पास उपलब्ध है
– इंजीनियरिंग टूल वाहन – सीनियर सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर/रेल पथ
– मैडीकल टूल वाहन – वरि. सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर/यांत्रिक
– ऊपरी उपष्कर टूल वाहन – वरि. सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर/ओ.एच.ई./टीआरडी (ओ.एच.ई.)
- v) क्रेन पर्यवेक्षक हर समय (प्रत्येक समय) तेल एवं पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- vi) आपातकालीन बुलावा आने पर क्रेन पर्यवेक्षक यह जांच एवं सुनिश्चित करेगा कि :-
– साइट की अपेक्षानुसार (आवश्यकतानुसार) 140 T डीजल क्रेन की ठीक मार्शलिंग।
– स्टैण्ड वाई (तैयार) 140 T डीजल क्रेन के ऑपरेटर को सावधान करना।
- vii) सड़क मार्ग द्वारा अति शीघ्रता होने के मामले में रि-रेलिंग उपकरणों को सड़क मार्ग द्वारा ट्रक से जैसा अपेक्षित हो भेजा जा सकता है।
- viii) आदेश मिलने पर शेड से निकलने तक दुर्घटना राहत गाड़ी के लिए दिन में 30" और रात्रि के दौरान 45" समय का लक्ष्य है।

2. आगरा मंडल पर दुर्घटना राहत गाड़ियों की स्थिति :

- i) आगरा कैंट (क श्रेणी)
- ii) सेल्फ प्रपोल्ड दुर्घटना राहत गाड़ी आगरा कैंट
- iii) धौलपुर दुर्घटना राहत गाड़ी स्केल-3 (नैरो गेज)

3. निकटवर्ती परिक्षेत्रों/मंडलों पर 140 T क्रेन सहित दुर्घटना राहत गाड़ियों की स्थिति :

- i) झाँसी (क श्रेणी 140 T क्रेन)
- ii) कानपुर (क श्रेणी 140 T क्रेन, बुलडोजर)
- iii) दिल्ली (दिल्ली मंडल, उ.रे.), क श्रेणी 140 T क्रेन
- iv) जयपुर (जयपुर मंडल, उ.प.रे.)
- v) कोटा (कोटा मंडल, प.म.रे)
- vi) गंगापुर सिटी (कोटा मंडल, प.म.रे)

Beat Of ARTs/ARMVs of AGC Division

Station/Division	ARTs, Class	Beat (ART/ARMV)	Distance in Kms.	Rly.
AGC/AGC Assisted By one Hydraulic Equipment Re-railling Van at MTJ	A	1)AGC-PWL	137	NCR
		2)AGC-JAB- BXN	86	NCR
		3)AGC-MTJ-AWR	54+123=177	NCR
		4)AGC-BTE-BKI	54+97=151	NCR
		5)AGC-GWL	118	NCR
		6)AGC-BHA-UDMR (Excl.)	11+114=125	NCR
			Total Km = 794	
DHO/AGC (NG)	C (Only jacks)	1)DHO-MHF-SRMT	71	NCR
		2)DHO-MHF-TPO	59	NCR
			Total Km = 130	

Beat Of NCR 140 ton Break Down Crane of AGC Division

Station/Division	Section	Kms.	Rly.
40T DSL BD Crane/AGC	1)AGC-PWL (Excl)	137	NCR
	2)AGC-GWL (Excl)	119	NCR
	3)AGC-TDL-ETW (Incl)	27+92=119	NCR
	4)AGC-TDL-SKB-FKD	27+36+105=168	NCR
	5)AGC-TDL-KRJ (Incl)	27+121=148	NCR
	6)AGC-TDL-BRN-ETH	24+14+59=97	NCR
	7)AGC-TDL-HRS-HRF	27+48+9=84	NCR
	8)AGC-TDL-ALJN-RG	27+78+49=154	NCR
	9)AGC-JAB-BXN	6+80=86	NCR
	10)AGC-MTJ-AWR	54+123=177	NCR
	11)AGC-BKI	151	NCR
	12)AGC-KSJ via AH-MTJ	100	NCR
	13)AGC-BHA-UDMR (Excl.)	11+114=125	NCR
		Total Km = 1668	

4. निकटवर्ती परिक्षेत्रों पर ब्रेक डाउन स्पेशल (दुर्घटना राहत गाड़ी बिना क्रैन के) की स्थिति

i) टूण्डला (इलाहाबाद मंडल/उ.म.रे.)

5. आगरा मंडल के दूसरे सिरे से निकटवर्ती परिक्षेत्रों/मंडलों से 140 T क्रैन सहित दुर्घटना राहत गाड़ियों की मांग का सेक्शन वाइज चार्ट :

	क्रैन	दोनों सिरे (ओर) से	क्रैन सहित/बिना क्रैन अतिरिक्त 2 अतिरिक्त ब्रेक डाउन स्पेशल
i)	आगरा कैन्ट-पलवल	झाँसी, दिल्ली	आगरा, टूण्डला
ii)	आगरा कैन्ट-धौलपुर	झाँसी, दिल्ली	आगरा, टूण्डला
iii)	आगरा कैन्ट-टूण्डला	झाँसी, कानपुर	आगरा, टूण्डला
iv)	आगरा कैन्ट-बयाना	झाँसी कोटा (कोटा/प.म.रे.)	आगरा, टूण्डला
v)	मथुरा-अलवर	झाँसी जयपुर (जयपुर/उ.प.रे.)	आगरा,
vi)	आगराकिला-बाँदीकुई	झाँसी दिल्ली (दिल्ली उ.रे.) जयपुर (जयपुर/उ.प.रे.)	आगरा,
vii)	मथुरा-अछनेरा	झाँसी दिल्ली (दिल्ली उ.रे.)	आगरा,

(ग) दुर्घटना चेतावनी संकेतों का प्रयोग –इंजन की सीटी/हूटर/स्टेशन घंटी (बेल) :

1. लम्बी रेन्ज का विद्युत सायरन :

- आगरा कैन्ट की चालक लॉबी (ड्राइवर लॉबी) में लम्बी रेन्ज का सायरन लगा हुआ है।
- आपातकालीन मामले में जब मंडल नियंत्रक कार्यालय से दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन/दुर्घटना राहत गाड़ी के आदेश प्राप्त होते हैं तो सी.एच.सी.(पी)/आगरा कैन्ट से आदेश मिलने के बाद ऑन ड्यूटी सहायक लोको फोरमैन/शेडमैन स्विच को ऑपरेट करके हूटर/सायरन बजाएगा।
- यदि विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न हो या चालक लॉबी के हूटर/सायरन खराब होने की स्थिति में ऑन ड्यूटी ए.एल.एफ./शेडमैन ड्यूटी पर तैनात पावर कंट्रोलर को इसकी सूचना देगा तब ड्यूटी वाला पावर कंट्रोलर अपने केबिन में लगे स्विच को ऑपरेट करके हूटर/सायरन बजाएगा।
- दुर्घटना चेतावनी की साइडिंग, सायरन/हूटर के लिए निम्नलिखित कोड निर्धारित किए हैं :-

कोड

परिस्थितियाँ

- प्रत्येक 45 सेकेण्ड के दौरान 5 सेकेण्ड के अंतराल से दो लम्बे ब्लास्ट। –केवल लोको शेडों/होम स्टेशनों पर ट्रैफिक यार्डों की दुर्घटनाओं के लिए ब्रेक डाउन आवश्यक है।
- प्रत्येक 45 सेकेण्ड के दौरान 5 सेकेण्ड के अंतराल से तीन (03) लम्बे ब्लास्ट। –केवल होम स्टेशनों के बाहर की दुर्घटना के लिए ब्रेक डाउन गाड़ी आवश्यक है।
- प्रत्येक 45 सेकेण्ड के दौरान 5 सेकेण्ड के अंतराल से चार लम्बे ब्लास्ट। –होम स्टेशनों की दुर्घटनाओं के लिए चिकित्सा वाहन एवं ब्रेक डाउन ट्रेन दोनों की आवश्यकता है।
- प्रत्येक 45 सेकेण्ड के दौरान 5 सेकेण्ड के अंतराल से पाँच लम्बे ब्लास्ट। –होम स्टेशन से बाहर की दुर्घटना के लिए चिकित्सा वाहन एवं ब्रेक डाउन गाड़ी दोनों अपेक्षित हैं।

5. 90 सेकेण्ड की अवधि के दौरान एक –चिकित्सा वाहन/ब्रेक डाउन गाड़ी के लम्बा ब्लास्ट।
रद्दीकरण के लिए।
 - v) दुर्घटना चेतावनी सायरन/हूटर की आवाज सुनने के तुरन्त बाद नामित सभी स्टाफ दुर्घटना स्थल पर जाने के लिए दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन/दुर्घटना राहत गाड़ी पर रिपोर्ट करेगा।
3. जिन स्टेशनों पर इलैक्ट्रिक सायरन प्रदान नहीं किए हैं या इलैक्ट्रिक सायरन विफल हैं :
- i) यदि इंजन उपलब्ध हो तो एक (1) मिनट अवधि की प्रत्येक 5 सीटी/हूटिंग या
 - ii) कॉलें बजाएं तथा दो सफल सीटी/हूटिंग के मध्य आधा मिनट का अंतराल रखें। इसे 3 मिनट के अंतराल पर दुहराया जाएगा।
 - iii) यदि स्टेशन पर इंजन उपलब्ध न हो तो स्टेशन की घंटी को निरंतर बजाना होगा।
 - iv) स्टेशन मास्टर को चिकित्सा, यांत्रिक, विद्युत, इंजीनियरिंग एवं अन्य स्टाफ को पहुँचाने की सूचना दी जाएगी।
4. दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी को पहुँचाने के आदेश देने वाले प्राधिकारी :
- i) हताहतों से युक्त गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों और दुर्घटना राहत गाड़ियों को अविलम्ब आदेश दिए जाएंगे।
 - ii) यह निर्णय ऑन ड्यूटी डिप्टी मुख्य नियंत्रक/समय पालन द्वारा लिया जाएगा और अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा आदेश देना अपेक्षित नहीं है।
 - iii) सायरन के बाद निर्धारित समय में ही दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी को भेजना होगा।

Beat Of NCR ARTs/ARMVs

Ref: NCR/Safety/ART/63/2017 Dtd. 05.10.2017

Annexure-I

Station/Division	ART's Class	Beat(ART/ARMV)	Distance in Kms.	Rly.
MGS/ECR	ART/ARMV	1)MGS-JHG 2)CAR-CPU	55 103	NCR
ALD/ALD	B	1)ALD-FTP(Incl.) 2)ALD-PFM-JNH-ZBD(Excl.) 3)ALD-PFM-PBH(Excl.) 4)ALD-PFM-KHNM(Excl.) 5)ALD-JHG 6)ALD-PRG-Prayag Ghat 7)ALD-MKP(Excl.)	117 13+47+48=108 13+47=60 13+42=55 98 8 101	NCR NR NR NR NCR NR NCR
Total kms.			547	
CNB/ALD	A	1)CNB-BNT(Incl.) 2)CNB-ON-AJ 3)CNB-ON-UNC(Excl.) 4)CNB-ON-MAH 5)CNB-DMW-DYP(Excl.) 6)CNB-FTP(Excl.) 7)CNB-CPA-FKD 8)CNB-BZM-ORAI(Incl.)	117 18+15=33 18+112=130 18+77=95 98+25=123 77 140 106	NCR NR NR NR NR NCR NER NCR
Total kms.			821	
TDL/ALD	B	1)TDL-JAB(Incl.) 2)TDL-SKB-FKD 3)TDL-HRS-HRF(Incl.) 4)TDL-KRJ(Incl.) 5)TDL-BRN-ETH(Incl.) 6)TDL-BNT(Excl.) 7)TDL-AIJN-RG(Excl.) 8)ETW-MNQ 9)TEW-UDMR(Incl.)	21 37+106=143 48+9=57 122 15+59=74 112 78+49=117 103 12	NCR NCR NCR NCR NCR NCR NR NCR NCR
Total kms.			761	
DLI/NR	ART/ARMV	DLI-GZB-KRJ(Excl.)	16+63=79	NR/NCR
JHS/JHS Assisted one BG Tool Van and Hydraulic Re- railing Equipment Van at GWL	A	1)JHS-BINA 2)JHS-GWL-BIX-UDMR(Excl.) 3)JHS-MBA(Excl.) 4)JHS-AIT-KNH 5)JHS-AIT-ORAI(Excl.) 6)LAR-TKMG	152 97+82+24=203 89+14=103 114 52 138	NCR NCR NCR NCR NCR
Total kms.			762	
GWL/JHS(NG)	B	1)GWL-SEO(Sheopurkalan)	200	NCR

BNDA/JHS	SP/ART (B)	1)BNDA-BZM(Excl.)	130	NCR
		2)BNDA-MKP(Incl.)	100	NCR
		3)BNDA-MBA-KURJ	119	NCR
		4)KURJ-TKMG	116	NCR
Total kms.			465	

Beat Of NCR 140 T Break Down Crane

Ref: NCR/Safety/ART/63/2017 Dtd. 05.10.2017

Annexure-II

Station/Division	Section	Km	Rly.
MGS/ECR 140T DSL BD Crane	1)MGS-JHG	55	NCR
	2)car-cpu	103	
DLI/NR 140 T DSL BD Crane	1)DLI-GZB-KRJ(Excl.)	16+63=79	NCR
CNB/ALD 140 T BD Crane	1)CNB-ALD-MKP	194+101=295	NCR
	2)CNB-ALD-JHG	194+98=292	NCR
	3)CNB-ETW(Excl.)	137	NCR
	4)CNB-ON-AJ(Incl.)	18+15=33	NR
	5)CNB-ON-MAH(Excl.)	18+77=95	NR
	6)CNB-ON-UCR	18+112=130	NR
	7)CNB-DMW-DYP(Excl.)	98+25=123	NR
	8)CNB-ALD-PFM-JNH(Excl.)	194+13+47=254	NR
	9)CNB-ALD-PFM-ZBD(Incl.)	194+13+95=302	NR
	10)CNB-ALD-PFM-KHNM(Incl.)	194+13+42=249	NR
	11)CNB-ALD-PFM-PBH(Excl.)	194+13+46=253	NR
	12)CNB-ALD-PRG-Prayag Ghat	194+6+2=202	NR
	13)CNB-CPA-FKD-KSJ	247	NER
	14)CNB-GOY-BZM(Incl.)	3+11=14	NCR
	15)ETW-MNQ	103	NCR
	16)ETW-UDMR(Incl.)	12	NCR
Total kms.		2741	
JHS/JHS 140 T BD Crane	1)JHS-BINA	152	NCR
	2)JHS-GWL(Incl.)	97	NCR
	3)JHS-BZM(Excl.)	206	NCR
	4)JHS-BNDA-BZM(Excl.)	192+108=300	NCR
	5)JHS-BNDA-MKP	192+100=292	NCR
	6)JHS-AIT-Konch	89+14=103	NCR
	7)JHS-GWL-BIX-UDMR(Excl.)	97+82+179+24=203	NCR
	8)LAR-TKMG-KURJ	52+116=168	NCR
Total kms.		1724	

आपदा तैयारी – बोर्ड पर संसाधनों का उपयोग

(क) पोर्टेबल टेलीफोन :

1. पोर्टेबल टेलीफोनों का प्रकार :

- i) सवारी गाड़ियों के ब्रेकवान में पोर्टेबल टेलीफोन उपलब्ध है।
- ii) वर्तमान में 4 वायर/2 वायर प्रकार के पोर्टेबल टेलीफोन प्रयोग में हैं, ऊपरी उपस्कर संचार व्यवस्था वाले क्षेत्रों के दूरस्थ एरिया (क्षेत्रों) में प्रयोग किए जा सकते हैं।
- iii) यहाँ दो प्रकार के पोर्टेबल टेलीफोन हैं :
– लैण्ड लाइन टाइप (ओवर हैड टेलीफोन ट्रान्समीशन)
– सॉकिट टाइप (भूमिगत केबल ट्रान्समीशन)
- iv) ओवर हैड क्षेत्रों में गार्ड और ड्राइवरों द्वारा ब्रेकवान में अतिरिक्त पोल (खम्बे) ले जाए गए हैं और ओवर हैड लाइन से फोन को जोड़ने (कनेक्ट) के लिए लोको उपकरण भी भेजे गए हैं।

2. पोर्टेबल टेलीफोन का प्रयोग कैसे करें :

(क) ओवर हैड टाइप :

- i) पोल्स (खम्बों) पर 'Y' ब्रेकिट को फिक्स करें।
- ii) उपलब्ध खम्बों के अपेक्षित नम्बरों का प्रयोग करें।
- iii) फोन टर्मिनल से दो तारों को कनेक्ट करें।
- iv) लाल रंग ब्रेकिट के सक्रिट पर साइड में सेक्शन कंट्रोलर टेलीफोन लाइन से जोड़े।
- v) हरे रंग के ब्रेकिट सक्रिट पर साइड में उप मुख्य नियंत्रक टेलीफोन लाइन से जोड़े।
- vi) सक्रिट पर 'Y' ब्रेकिट लिंक हरे (जोड़े) और वार्तालाप चालू करने के लिए इसमें घर्षण करें।

(ख) भूमिगत केबिल :

- i) ओवर हैड उपकरण/लोकेशन पोस्ट पर सॉकिट की स्थिति के लिए रिसीवर पर तीर (→) का चिन्ह देखें और तीर के प्वाइंट की दिशा में चलें।
- ii) आपातकालीन सॉकिट के लोकेशन पर पहुँचने के बाद जहाँ अपेक्षित हो, फोन बॉक्स में रखी चाबी के प्रयोग से सॉकिट को खोलें।
- iii) वार्तालाप करने के लिए फोन टर्मिनल में प्लग को ठीक तरह से लगाएं।
- iv) विद्युतीकृत सेक्शन में इस फोन को ट्रेक्शन पावर कंट्रोलर से कनेक्ट करें, वह सेक्शन कंट्रोलर से लिंक (जोड़ेगा) करेगा।

(ख) वॉकी-टॉकी :

- i) सैट का चार्ज होना सुनिश्चित करें।
- ii) जाँच करें कि वार्तालाप के लिए उचित चैनल चुना गया है।
- iii) जब चैनल व्यस्त हो तो उसमें हस्तक्षेप न करें।
- iv) जब तक वास्तविक आपात स्थिति न हो तब तक वॉकी-टॉकी में लगे एस.ओ.एस. बटन को न दवाएं। आपातकाल में इस एस.ओ.एस. बटन को वार्तालाप जारी रहने पर भी दबाया जा सकता है।

(ग) बी.एस.एन.एल./सेलफोन/मोबाइल फोनो का प्रयोग :

- i) मंडल में स्टेशनों के लिए बी.एस.एन.एल. नम्बर कोड सहित संचालन समय सारिणी में दिए गए हैं।
- ii) संचालन समय सारिणी गार्ड, ड्राइवर, सहायक गार्ड के पास उपलब्ध है।
- iii) नजदीकी स्टेशन कॉन्टैक्ट (संपर्क) नम्बर के लिए संचालन समय सारणी देखें।
- iv) महत्वपूर्ण स्टेशनों के बी.एस.एन.एल. नम्बर सार्वजनिक टाइम टेबल में उपलब्ध।

(घ) आपातकालीन गाड़ी प्रकाश बॉक्स :

- i) यह बॉक्स यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों में उपलब्ध है।
- ii) सील को तोड़कर बॉक्स को खोलें।
- iii) हैंड टार्च (हाथ की टार्च) के क्रोकोडायल क्लिप को पॉवर कोच सप्लाय टर्मिनल से जोड़े और तलाश एवं खोज के लिए इसका प्रयोग करें।
- iv) फ्लड लाइट को त्रिपाद स्टैंड से फिक्स करें और इसे कनेक्ट करके क्रोकोडायल क्लिप को पावर सप्लाय टर्मिनल से जोड़ें।

आपदा अनुक्रिया – ओवरव्यू

1. गोल्डन आवर (स्वर्णिम घंटा) :

यदि किसी मानसिक आघात (ट्रॉमा) मरीज को दुर्घटना होने से एक घंटे के अन्दर मेडीकल केयर नहीं दिया गया तो उसके बाद उत्तम मेडिकल अटेंशन देने पर भी स्वास्थ्य लाभ में भयंकर कमी होने की संभावना रहती है। इसीलिए मानसिक आघात लगने के प्रथम एक घंटे को स्वर्णिम घंटा माना गया है जिसमें दिये गए मेडिकल केयर से मानसिक आघात मरीज के शीघ्र स्वास्थ्य होने की संभावना बहुत अधिक होती है।

इस स्वर्णिम घंटे के दौरान हर संभव प्रयत्न करने चाहिए :

- i) वरियत: योग्य मेडीकल प्रैक्टिशनरों द्वारा प्रचलित सुनिश्चित मेडीकल केयर दी जाए।
- ii) खून निकलने को रोका जाए और ब्लड प्रेशर ठीक किया जाए।
- iii) शॉक लगे व्यक्ति को अविलम्ब शॉक मुक्त किया जाए।
- iv) घायलों को नजदीकी चिकित्सालयों में भेजा जाए ताकि स्वर्णिम घंटे की अवधि के अन्दर चिकित्सालय पहुँच सकें। किसी भी आपदा प्रबंधन पद्धति को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक क्रिटिकल मरीजों को ठीक करने हेतु जितना संभव हो उन्हें इस अवधि के अन्दर ही शीघ्रता पूर्वक चिकित्सालय भेजना होता है।

2. आपदा लक्षण :

पीड़ितों की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के अनुसार निम्नलिखित 03 अवस्थाएँ हैं सदमा की अवस्था, परामर्शग्राही अवस्था, स्वास्थ्य लाभ अवस्था। इन प्रारम्भिक प्रतिक्रियाओं को आपदा लक्षण कहा जाता है।

i)	सदमा अवस्था –	इस अवस्था में पीड़ाग्रस्त व्यक्ति स्तम्भित (अचेत), जड़वत भावहीन शून्य होता है।
ii)	परामर्शग्राही अवस्था –	इस अवस्था में पीड़ाग्रस्त व्यक्ति आपदा के कारण निष्क्रिय हो जाता है किंतु बचाव कामगारों व अन्य के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों एवं सुझावों को समझने की कोशिश करता है।
iii)	स्वास्थ्य लाभ अवस्था–	इस अवस्था में व्यक्ति तनाव और बोधमय और गतिशील चिंतित दिखाई पड़ सकता है।

3. आपदा प्रतिक्रिया की तीन विभिन्न अवस्थाएँ :

रेलवे दुर्घटना के मामले में आपदा प्रबंधन की तीन अवस्थाएँ होती हैं। ये तीनों अवस्थाएँ दो बातों से निर्धारित होती हैं पहला समय और दूसरा उपलब्ध विशेष सहायता। प्रथम यह दुर्घटना के समय गाड़ी में उपलब्ध व्यक्तियों की स्वतः प्रवर्तित प्रतिक्रिया के साथ प्रारम्भ होती है उसके बाद दुर्घटना स्थल के पास के क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री एवं व्यक्तियों के सहयोग के साथ दूसरा फेज निरंतर चलता है। तीसरा और बड़ा फेज आपदा प्रबंधन की प्रशिक्षित टीम द्वारा सतर्कता से आयोजित प्लान शामिल है जो कि दुर्घटना स्थल पर पहुँचकर बचाव एवं राहत कार्यों का संचालन करती है।

पहला फेज (प्रथम चरण) जो कि कम से कम अवधि का लगभग पहले आधा घंटे का होता है। यह एक अदक्ष, कम साधनों से सज्जित प्रयास है फिर भी यह महत्वपूर्ण फेज है। अधिकांश मामलों में गोल्डन घंटे के बड़े पार्ट के लिए उपलब्ध सहायता है।

दूसरा फेज (द्वितीय चरण) जो कि 2-3 घंटे का होता है और यह दक्ष और उत्तम प्रकार की सुविधाओं से युक्त होता है। इसका सहयोग बहुत व्यापक है क्योंकि गोल्डन घंटे समाप्त होने पर इस ग्रुप का कार्य संचालित हो जाता है।

यह ग्रुप दक्षता पर आधारित होता है कि बुरी तरह से घायल कितने व्यक्तियों को अंतिम रूप से बचाया जा सकता है।

आपदा प्रक्रिया अंतिम और फाइनल कार्रवाई रेलवे की आपदा प्रबंधन टीम द्वारा निरंतर कुछ दिनों तक चलती है। यह प्रक्रिया ट्रैफिक के पुनः बहाली तक ही नहीं बल्कि उनके खास रिश्तेदारों एवं नजदीकी व्यक्तियों को दुर्घटना स्थल से भेजने एवं शवों के निस्तारण तक चलती है। कुछ दुखद घायल जिन्हें लम्बी अवधि तक निरंतर चिकित्सालय में रहना होता है उनकी जिम्मेदारी अकेले रेलवे के चिकित्सा विभाग की होती है।

उपरोक्त दृश्य लेख को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि जान एवं माल को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ एवं शीघ्र निर्णय लिया जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रेलवे के पास उत्तम परिभाषित कार्य योजना है जिसमें विभिन्न समूहों के समन्वय से सामूहिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। विभिन्न समूह निम्नवत् हैं –

- i) तात्कालिक कार्रवाई दल (टीम) (आई.ए.टी.)
- ii) प्रथम उत्तरदायी (ए.आर.)
- iii) आपदा प्रबंधन टीम (डीएमटी)

4. आपातकाल में प्राथमिक चिकित्सा

(क) घायल यात्रियों की सहायता और चिकित्सा के लिए वरीयता का क्रम निम्नानुसार होना चाहिए :

- बेहोश
- अधिक खून बहना
- श्वास लेने में परेशानी
- दुःखद घायल
- सदमे की स्थिति में
- हड्डियों का टूटना
- साधारण घायल

(ख) घायल या जख्मों के निर्धारण और चिकित्सा के लिए एक्रोनिम शब्द 'DR ABC' का अनुसरण किया जाए

i) डी-डेंजर/खतरा

खतरे को देखें। सुनिश्चित करें कि किसी मरीज को प्राथमिक चिकित्सा दाता अथवा दोनों के लिए आगे कोई खतरा (संकट) नहीं है।

ii) आर-रिएक्शन/प्रतिक्रिया

बेहोशी की जांच के लिए उसका नाम लेकर बुलाएं थपथपाएं चिहुंटी भरें एवं नम्रता पूर्वक हिलाएं। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो इसका तात्पर्य है कि मरीज बेहोश है।

iii) ए-एयरवे (श्वास नली)

श्वास नली को साफ करें। यदि मरीज बेहोश है तो श्वास नली संकुचित हो सकती है या बंद होकर श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके बहुत से अन्य कारण हो सकते हैं।

श्वास नली में भोजन (खाद्य पदार्थ) एकत्रित हो जाने या इसमें फॉरन बॉडी का फंस जाने या जीभ के पीछे मुड़ जाने से श्वास नली बंद हो सकती है।

श्वास नली को खोलने के लिए एक हाथ की उंगलियों से ठोड़ी को आगे उठाकर दूसरे हाथ माथे पर पीछे की ओर (तरफ) दबाव देने पर जीभ बाहर आ

जाएगी और श्वास मार्ग खुल जाएगा। दूसरे तरीके से मुँह को दबाकर जबड़े पर दबाव देकर अपनी ऊंगलियों को मुँह के अन्दर डालने या साफ कपड़े को मुँह में डालने से वस्तु साफ हो जाएगी और अब श्वास नली साफ हो जायेगी।

iv) बी-ब्रीथिंग / श्वास

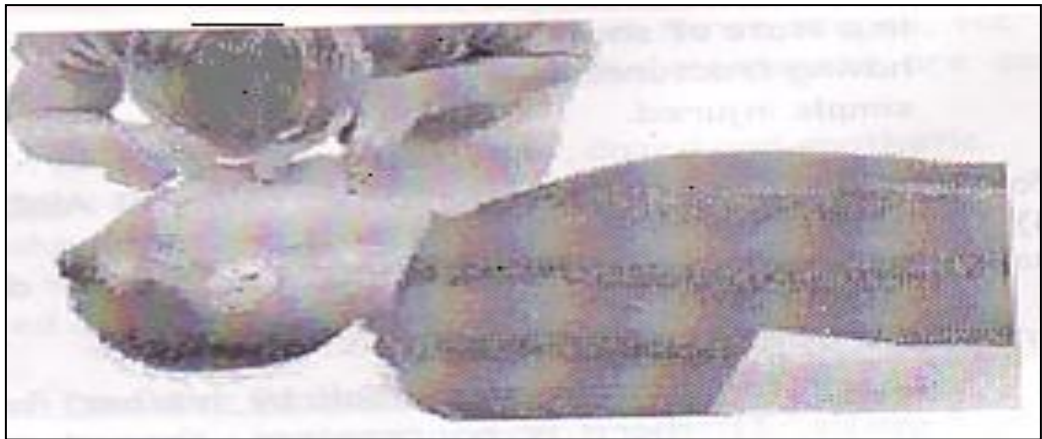
श्वास की जांच के लिए मरीज की नाक के पास अपनी ऊंगलियों को उल्टा रखें। आप गर्म हवा महसूस करेंगे या छाती के मूवमेन्ट (संचालन) के लिए अपने कान को नाक के पास रखें, नाक से गर्म हवा तथा गले की आवाज महसूस होगी।

v) सी- सर्कुलेशन

नाड़ी की जांच करें। सामान्यतः हम नाड़ी की जांच कलाई से करते हैं फिर भी कभी-कभी अधिक खून बहने के कारण महसूस नहीं होता है इसलिए गर्दन पर नब्ज की जांच (गले की धड़कन) करना उत्तम है।

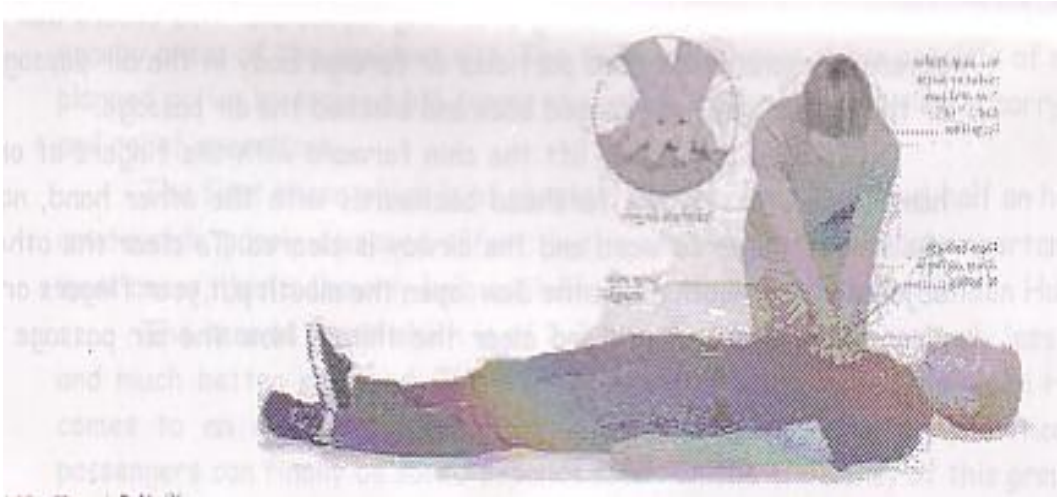
डी.आर. एबीसी जांच के उपरान्त 02 (दो) संभावनाएँ हो सकती हैं :

- i) यदि मरीज सर्कुलेशन के अनुसार श्वास ले रहा हो परन्तु बेहोशी की स्थिति में हो तो उसे तुरन्त स्वास्थ्य लाभ की दिशा में बदलें और चिकित्सालय पहुँचाएं।
- ii) यदि मरीज श्वास संचार व्यवस्था में विफल हो तो अविलम्ब महत्वपूर्ण जीवन बचाने की तकनीकी सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रेसपिरेशन) में प्राथमिक चिकित्सा प्रारम्भ करें।



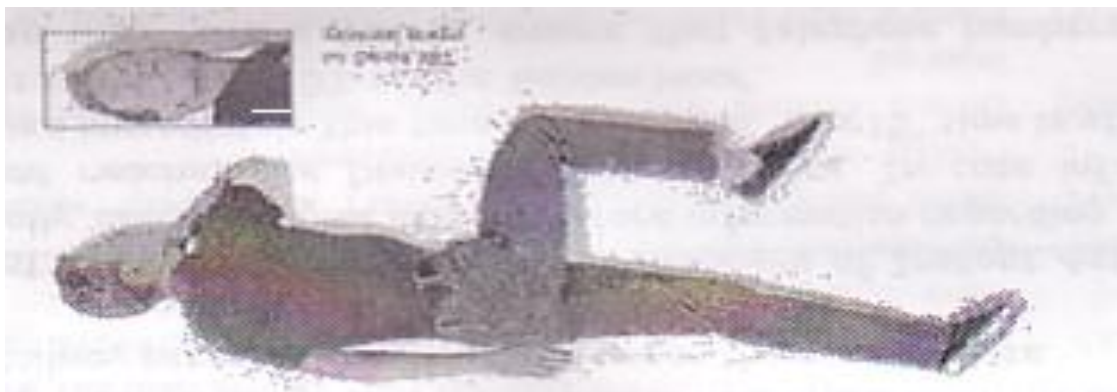
फेफड़ों को पुनर्जीवित (पुनसंचालित) करने के लिए मुँह प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम सांस दें। एक हाथ से ठोढ़ी को ऊपर उठाकर आगे की ओर करें और जबड़ों पर दबाव देकर मुँह को खोलें और दूसरे हाथ से नाक बन्द करें तथा हताहत (घायल) के मुँह पर अपना मुँह रखें और फूँक मारें।

हृदय को पुनर्जीवित रखने के लिए आपको वक्ष पर दबाव देना है। सख्त धरातल पर मरीज को सीधा लिटा देना चाहिए। वक्ष (सीना) पर हथेली की हील को रखकर इससे उस पर दूसरे हाथ से दबाव देना चाहिए।



स्वास्थ्य लाभ स्थिति

बेहोश मरीज के लिए स्वास्थ्य लाभ की स्थिति एक सुरक्षित स्थिति है। सामान्यतः हम मरीज को चित अवस्था (ऊपर मुँह करके) रखते हैं। फिर भी बेहोश मरीज के मामले में यह बहुत खतरनाक स्थिति होती है क्योंकि जीभ वापस मुड़कर श्वास नली को बंद कर सकती है या अन्य स्रावण भी श्वास नली को बंद कर सकता है। इससे बचने के लिए मरीज को स्वास्थ्य लाभ की ठीक दशा में बदलें एवं चिकित्सालय में पहुँचाएं।



कभी-कभी तनाव की स्थिति के कारण आप प्राथमिक चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कम से कम स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में हताहत को बदलें, जिससे बहुमूल्य जीवन को बचाने में सहायता मिलेगी।

आपदा अनुक्रिया – तात्कालिक कार्रवाई दल

तात्कालिक कार्यदल :

1. तात्कालिक कार्यदल में निम्न सम्मिलित होते हैं :—

- i) गार्ड, क्रू (चालक कार्यदल) गाड़ी अधीक्षक, गाड़ी चल परीक्षक, वातानुकूलित कोच अटेंडेन्ट, सहायक गार्ड, रेलवे सुरक्षा बल और दुर्घटना में शामिल गाड़ी पर ऑन ड्यूटी अन्य स्टाफ।
- ii) गाड़ी में यात्रा करता ड्यूटी पर तैनात राजकीय रेलवे पुलिस स्टाफ।
- iii) दुर्घटना में शामिल गाड़ी में अवकाश पर यात्रा करता हुआ रेलवे स्टाफ या गाड़ी में तैनात रेलवे स्टाफ।
- iv) गाड़ी में यात्रा करते हुए चिकित्सक।
- v) गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री जो कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए स्वयं सेवक हैं।
- vi) दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध या दुर्घटना स्थल के पास उपलब्ध गैर रेलवे व्यक्तिगण।

2. तात्कालिक कार्यदल के लिए तैयार की गई दुर्घटना पूर्व जांच सूची :—

- i) सामान्यतः मंडल नियंत्रण कार्यालय में किसी दुर्घटना के होने की सूचना पहुँचने में लगभग 15 मिनट व्यतीत हो जाते हैं। सूचना अविलम्ब पहुँचने के मामले में यह समय बचाया जा सकता है। यह 15 मिनट का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह स्वर्णिम घंटे का 25% (एक चौथाई) समय होता है।
- ii) उनके पास मोबाइल उपलब्ध होने के मामले में, मंडल नियंत्रण कार्यालय एवं सभी संबंधित स्टाफ के टेलीफोन नम्बर सुनिश्चित करें आपातकाल में अविलम्ब प्रयोग के लिए मोबाइल में स्थाई रूप से नम्बरों को फीड करके रखें।
- iii) ये महत्वपूर्ण नम्बर उन सभी सेक्शनों के होने चाहिए जहाँ अपने मंडल या समीपी मंडलों में या गाड़ियों में कार्य करना अपेक्षित है।
- iv) इस प्रकार के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर जिनकी आपातकाल में आवश्यकता होती है, मंडल आपदा प्रबंधन योजना के परिशिष्ट सं. 10 से 13 तक में दिए जा रहे हैं।
- v) जब भी तात्कालिक कार्यदल रात्रि के समय में यात्रा करें तो उनके पास उन्हें हाथ की टॉर्च रखनी चाहिए और इसे हर तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि सूटकेस से टॉर्च को बाहर नहीं निकाला जा सके या बहुत बड़े धक्के के कारण गिर जाने से इसका पता नहीं कर सकें तो आवश्यकता होने पर आपातकाल में इस टॉर्च का कोई उपयोग नहीं हो पाता है।

3. गार्ड, लोको पायलट और अन्य वाणिज्य स्टाफ की ड्यूटियां :—

क्षेत्रीय रेलवे की दुर्घटना नियमावली में गार्ड और लोको पायलट की ड्यूटी लिस्ट दी जा रही है। कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं :

(क) गार्ड

- i) दुर्घटना का समय और स्थिति नोट करें।
- ii) अम्बर लाइट को जलाएं (ऑन करें) यदि उपलब्ध हो तो, ब्रेकवान के पिछले टेल लेम्प को फ्लेशिंग अवस्था में करें।
- iii) वॉकी-टॉकी सेट के माध्यम से चालक को सूचित करें।
- iv) यदि संभव हो तो वॉकी-टॉकी पर स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- v) सामान्य एवं सहायक नियम 6.03 के अनुसार जिस लाइन पर दुर्घटना हुई है उसके समीप की लाइन/लाइनों को सुरक्षित करें यदि अपेक्षित हो तो।
- vi) गाड़ी को सुरक्षित करें तथा डिटेच होकर भागते हुए वाहनों को रोकें।
- vii) दुर्घटना की स्थिति का शीघ्र सर्वे करें और हताहतों एवं क्षति का लगभग निर्धारण करें और अपेक्षित सहायता करें।

- viii) त्वरित साधन द्वारा नियंत्रण कार्यालय को सूचना दें और ब्लॉक सेक्शन के दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर्स को सूचित करें। इस उद्देश्य के लिए कि –
 - (a) स्टेशनों पर प्रदान की गई वॉकी-टॉकी संचार व्यवस्था अविलम्ब प्रयोग में आनी चाहिए।
 - (b) अन्यथा फील्ड टेलीफोन प्रयोग करना चाहिए।
 - (c) यदि दूसरी लाइन बन्द न हो उस पर गाड़ी आती है तो उसे रोका जाना चाहिए और चालक के माध्यम से सूचना भेजी जाए।
 - (d) सहायक चालक या सहायक गार्ड को अगले स्टेशन पर दुर्घटना की सूचना देने भेजा जाए।
 - (e) यदि उपरोक्त सभी विफल हो तो गाड़ी पर तैनात रेलवे स्टाफ को नजदीकी स्टेशन पर सूचना देने हेतु पैदल भेजा जाना चाहिए।
- ix) चिकित्सीय सहायता की सुविधा के लिए आपातकालीन ट्रेन लाइटिंग बॉक्स का उपयोग करना।
- x) जीवन बचाएं और प्राथमिक चिकित्सा दें।
- xi) चिकित्सक को बुलाएं और उसकी सहायता लें।
- xii) गाड़ी में फँसे यात्रियों या घायलों के बचाव के लिए रेलवे स्टाफ और अन्य स्वयं सेवकों की सहायता की तलाश करना।
- xiii) घायलों को अटैण्ड करने के लिए गाड़ी द्वारा रेलवे स्टाफ और अन्य स्वयं सेवकों को भेजना।
- xiv) फील्ड टेलीफोन पर निरंतर रेलवे स्टाफ का रहना सुनिश्चित करें।
- xv) राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल, गाड़ी पर स्वयं सेवकों, रेलवे स्टाफ की सहायता से यात्रियों से संबंधित सम्पत्ति और रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबंध करना।
- xvi) समीपी लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों को रोका जाए और उन गाड़ियों के साधनों का उपयोग करें।
- xvii) विद्युतीकृत सेक्शन में यदि ओ.एच.ई. प्रभावित हो तो ओ.एच.ई. आपूर्ति का स्विच ऑफ करें।
- xviii) घायलों को चिकित्सालय पहुँचाने के लिए परिवहन (वाहनों) का प्रबंध करें।
- xix) यात्रियों द्वारा दिए गए बयानों (स्टेटमेन्ट) यदि कोई हों, लिखित में दर्ज किया जाए।
- xx) दुर्घटना से संबंधित सभी सुराग एवं साक्ष्यों (प्रमाणों) को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें बिगाड़ा नहीं जाए।
- xxi) अपनी गतिविधियों को दर्ज किया जाए, जब तक आपको सक्षम अथोरिटी द्वारा रिलीव नहीं किया जाए तब तक (दुर्घटना) स्थल को नहीं छोड़ें।

(ख) लोको पायलट

- i) दुर्घटना की लोकेशन एवं समय नोट करें।
- ii) लोकोमोटिव की फ्लैशर लाइट स्विच ऑन करें और 4 बार शॉर्ट सीटी बजाएं।
- iii) वॉकी-टॉकी सेट द्वारा गार्ड को सूचित करें।
- iv) यदि आवश्यक हो तो फ्यूजी फायर को जलाएं।
- v) यदि संभव हो तो, वॉकी-टॉकी फोन पर स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- vi) यदि अपेक्षित हो तो समीपी लाइन को सुरक्षित करें और सामने वाली गाड़ी को सामान्य एवं सहायक नियम 6.03 के अनुसार सुरक्षित करें।
- vii) लोको को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
- viii) वैगनों/व्हीकल/इंजन को रोल डाउन (लुढ़कने) से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

- ix) दुर्घटना के विस्तार का शीघ्र सर्वे करें और घायलों एवं क्षति का अनुमानित निर्धारण करके अपेक्षित सहायता करें।
- x) नियंत्रण कार्यालय को तीव्रगामी साधनों द्वारा सूचित करें और इस उद्देश्य के लिए ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों को सूचित करें।
- (a) स्टेशनों पर दिए गए वॉकी-टॉकी संचार व्यवस्था का अविलम्ब प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (b) इसके अलावा फील्ड टेलीफोन का प्रयोग करना चाहिए।
- (c) जो लाइन बन्द नहीं है उस दूसरी लाइन पर आने वाली गाड़ी को रोका जाए और ड्राइवर के माध्यम से सूचना भेजी जाए।
- (d) दुर्घटना की सूचना अगले स्टेशन पर देने के लिए सहायक ड्राइवर या सहायक गार्ड को भेजा जा सकता है।
- (e) यदि उपरोक्त सभी विफल हों तो गाड़ी पर तैनात किसी एक रेल कर्मचारी को पैदल ही नजदीक स्टेशन पर सूचना देने भेजना चाहिए।
- xi) गार्ड को सभी संभव सहायता प्रदान करें।
- xii) दुर्घटना से संबंधित सभी सुरागों और प्रमाणों को संभवतः सुरक्षित रखें और बिगाड़े नहीं।
- xiii) अपनी गतिविधियों को दर्ज करें, जब तक आपको किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाए तब तक दुर्घटना स्थल को छोड़े नहीं।
- xiv) यदि आवश्यक हो तो इंजन को अलग करें और स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (ग) गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक**
 - i) यात्रा करने वाले यात्रियों के नाम सहित और बर्थ नम्बर सहित प्रत्येक कोच के आरक्षण चार्टों को सुरक्षित रखें।
 - ii) गाड़ी में यात्रा कर रहे चिकित्सकों की सेवाएं प्राप्त करें और उन्हें चिकित्सीय सहायता के लिए लगाएं।
 - iii) घायलों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करें।
 - iv) गाड़ी के इंजन से ब्रेकवान तक कोचों में घायल यात्रियों की सही स्थिति दर्शाते हुए एक सूची तैयार करें और घायल यात्रियों का विवरण एकत्रित करें। दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के (साइट पर पहुँचने) पर इसे रेलवे चिकित्सक को सौंपें।
 - v) यदि उपलब्ध हो तो टिकट विवरण और पते सहित मृतक यात्रियों की सूची अलग से तैयार करें।
 - vi) साइट पर स्थानीय जनता और अन्य स्वयं सेवकों से सहायता लें।
 - vii) सड़क वाहन उपलब्ध हो तो घायल यात्रियों को नजदीकी चिकित्सालय पहुँचाएं।
 - viii) असहाय यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन प्रबंध के बारे में सूचित करें।
 - ix) दुर्घटना स्थल पर यात्रियों/अन्यों के द्वारा दिए गए बयान या साक्ष्यों को दर्ज करें।
- (घ) वातानुकूलित मैकेनिक/अटेन्डेन्ट**
 - i) शार्ट सर्किट से बचने के लिए पावर सप्लाय का स्विच ऑफ करें।
 - ii) दुर्घटना स्थल पर गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षकों के कार्यों में सहायता करें।
- (ङ) रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय पुलिस स्टाफ**
 - i) दुर्घटना में शामिल कोचों में जितना संभव हो अधिक से अधिक यात्रियों को बचाने का प्रयत्न करें।
 - ii) घायलों को प्राथमिक सहायता प्रदान करना।

- iii) नजदीकी चिकित्सालयों में घायल व्यक्ति को शिफ्ट करने का प्रबंध करना।
- iv) रेलवे सम्पत्ति एवं यात्रियों के सामान की सुरक्षा करना।
- v) दुर्घटना के सभी कारणों, सभी साक्ष्यों और सुरागों को यथासंभव सुरक्षित रखना और उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए।

4. दुर्घटना प्रभावित गाड़ी में यात्रा करता हुआ रेलवे स्टाफ :-

- i) जब भी कोई गाड़ी यात्रियों के हताहत/घायलों सहित गंभीर दुर्घटना में शामिल हो तथा उस गाड़ी में यात्रा करने वाला सभी रेलवे स्टाफ चाहे वह अवकाश लेकर यात्रा कर रहा हो या उस गाड़ी में ड्यूटी पर हो सभी स्टाफ तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर माना जाएगा।
- ii) किसी भी परिस्थिति में उनमें से किसी को भी दुर्घटना स्थल नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मंडल के अधिकारी साइट पर न पहुँच जाएं तथा बचाव एवं राहत कार्य को अपने हाथ में न ले लें और उन्हें जब तक साइट छोड़ने के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाए।
- iii) गाड़ी पर या दुर्घटना स्थल पर तैनात रेलवे स्टाफ, स्वयं सेवक होंगे और सहायता प्रदान करेंगे एवं गाड़ी के गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक/गार्ड को रिपोर्ट करेंगे।
- iv) गाड़ी में यात्रा करने वाला वरिष्ठतम अधिकारी, दुर्घटना स्थल का प्रभारी माना जाएगा।
- v) सामान्यतया वरिष्ठतम अधिकारी या तो प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या द्वितीय वातानुकूलित कोच में और मुख्यतः कोच के एच.ओ.आर. कोटा सेक्शन में यात्रा कर रहे होते हैं। द्वितीय वातानुकूलित एच.ओ.आर. सेक्शन मुख्यतः कोच में मध्य में (बर्थ नं. 19 से 22 तक) होता है। किसी भी मामले में या घटना होने या गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक ज्ञात करेंगे कि प्रथम वातानुकूलित या द्वितीय वातानुकूलित कोच में कौन से रेलवे अधिकारी यात्रा कर रहे हैं।
- vi) उसी तरह वातानुकूलित तृतीय टीयर कोच में रेलवे स्टाफ यात्रा कर रहा होगा और मुख्यतः कोच के एच.ओ.आर. सेक्शन में होंगे, तृतीय टीयर वातानुकूलित कोच के मध्य (बर्थ नं. 25 से 30 तक एच.ओ.आर. सेक्शन) भी होता है।
- vii) उसी तरह रेलवे का ग्रुप-डी स्टाफ स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा होगा और मुख्यतः स्टाफ कोच के एच.ओ.आर. सेक्शन स्लीपर कोच में मध्य में (बर्थ नं. 33 से 40 तक) स्थित है।
- viii) किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में गाड़ी अधीक्षक या वरिष्ठतम चल टिकट परीक्षक/गार्ड, दुर्घटना स्थल प्रभारी अधिकारी की ड्यूटी करने के लिए क्रमवार होंगे।

5. दुर्घटना के तुरन्त बाद में अधिकारी/प्रभारी साइट की ड्यूटियाँ :-

- i) दुर्घटना का समय नोट करें।
- ii) गार्ड और ड्राइवर द्वारा ट्रैफिक को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।
- iii) दुर्घटना की रिपोर्ट नजदीकी स्टेशन/नियंत्रण कक्ष को देना सुनिश्चित करें।
- iv) वर्तमान क्षति एवं घायलों की अनुमानित संख्या का निर्धारण करें।
- v) विभिन्न समूहों से और यात्रियों में से रेलवे स्टाफ एवं स्वयं सेवक एकत्रित करें। नीचे दी गई मद संख्या 6 के विवरण के अनुसार इनमें से प्रत्येक ग्रुप का कार्य निर्धारण किया जाए।
- vi) प्रत्येक घटना को दर्ज करें।
- vii) मंडल अधिकारियों के दुर्घटना स्थल पर पहुँचने और स्थिति का चार्ज लेने तक निरंतर अधिकारी प्रभारी साइट का कार्य करते रहें।
- viii) मंडल के अधिकारियों के पहुँचने के बाद पूरा संक्षिप्त विवरण मंडल रेल प्रबंधक को देना चाहिए और उन्हें चार्ज सौंप देना चाहिए।

- ix) दुर्घटना स्थल प्रभारी अधिकारी स्थल छोड़ने से पहले निम्नलिखित सूचनाओं सहित विस्तृत संदेश जारी करना चाहिए।
- दुर्घटना की तारीख/समय
 - स्टेशनों के मध्य/लोकेशन/कि.मी.
 - गाड़ी संख्या और विवरण
 - दुर्घटना का प्रकार
 - मृतकों एवं घायलों की अनुमानित संख्या
 - वर्तमान क्षति
 - अपेक्षित सहायता
 - समीपी लाइन की स्थिति, यदि कोई हो
 - क्या ओ.एच.ई. (ऊपरी उपस्कर उपकरण) शामिल हैं ?

- x) दुर्घटना में शामिल मंडल (डिवीजन) का मंडल रेल प्रबंधक दुर्घटना स्थल प्रभारी अधिकारी की हैसियत से चार्ज लेंगे।

6. त्वरित कार्यदल के सदस्यों को शामिल करते हुए ग्रुपों का गठन करना :-

- i) अधिकारी प्रभारी साईट गाड़ी/साइट के सभी रेलवे स्टाफ में से अविलम्ब अलग-अलग ग्रुपों का गठन करेगा।
- ii) उसी गाड़ी में यात्रा करने वाले जो यात्री स्वयं सेवक हैं बचाव एवं राहत कार्य के लिए इन ग्रुपों में उन्हें भी शामिल किया जाए।
- iii) कोच से संबंधित यात्रियों को उनके उन्हीं कोचों की तरफ भेजा जाए।
- iv) जो यात्री दुर्घटना से प्रभावित नहीं हैं उन कोचों से यात्रियों को दुर्घटना प्रभावित अन्य कोचों में विभक्त किया जा सकता है।
- v) अधिकारी प्रभारी की अनुपस्थिति में गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षकों को इस प्रकार के ग्रुपों का गठन करेंगे।
- vi) गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षक की अनुपस्थिति में गार्ड/सहायक गार्ड इन ग्रुपों का गठन करेंगे।
- vii) दुर्घटना में शामिल कोचों के आधार पर 5 या 6 ग्रुपों का गठन करना चाहिए।
- viii) आदर्शतः प्रत्येक कोच के कार्य के लिए एक टीम गठित करनी चाहिए।
- ix) पर्याप्त मात्रा में अधिकारी उपलब्ध होने के मामले में प्रत्येक ग्रुप का एक अधिकारी इंचार्ज बनाना चाहिए।
- x) अन्यथा, दुर्घटना में शामिल गाड़ी में यात्रा कर रहे वरि. पर्यवेक्षक को इस कार्य की सहायता के लिए इंचार्ज नामित करना चाहिए।
- xi) वरि. पर्यवेक्षकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के मामले में इस कार्य की सहायता के लिए एक चल टिकट परीक्षक को इंचार्ज की हैसियत प्रत्येक ग्रुप का इंचार्ज नामित करना चाहिए।
- xii) प्रत्येक ग्रुप को घायल यात्रियों एवं फंसे यात्रियों का बचाव करना चाहिए।

7. दुर्घटना के तुरन्त बाद ऑन बोर्ड रेलवे स्टाफ की ड्यूटियाँ :-

- i) भयभीत नहीं होना चाहिए। एक बार दुर्घटना पहले ही हो चुकी है और गाड़ी निष्क्रिय होकर खड़ी हो चुकी है पुनः कोई घटना घटित नहीं हो सकती है।
- ii) आपके पास मोबाइल होने के मामले में और यह चालू अवस्था में हो तो दुर्घटना के बारे में अविलम्ब नियंत्रण कार्यालय को सूचित करें।
- iii) जिस स्थिति में आपका कोच ठहरा है उस स्थिति का परीक्षण करें या तो यह ऊपर सीधा खड़ा है और ऊपर से नीचे की तरफ घूम गया है या अपनी साइड में लेटा हुआ है।

- iv) कोशिश करें और देखें क्या आपका कोच ब्रिज (पुल) पर खड़ा है ? या दोनों तरफ समतल जमीन है।
- v) कोच ब्रिज (पुल) पर होने के मामले में या बहुत ऊँचे बाँध या तेज वर्षा होने के मामले में अच्छा होगा कि कुछ समय के लिए प्रतीक्षा (इंतजार) करें, क्योंकि बहुत बड़ी आपत्ति में फंस सकते हो।
- vi) अपनी टॉर्च के द्वारा अपने कोच की तलाश करें और सामान्य स्थिति का पता लगाएं।
- vii) देखें कि यात्री भयभीत तो नहीं हैं, यात्रीगण कभी-कभी इस संकटकालीन समय में अफवाह के कारण भयभीत होते हैं। उन्हें शान्त करने की कोशिश करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं।
- viii) सुनिश्चित करें क्या यात्री घायल हैं या नहीं ? और या उनमें से कोई यात्री फंसा तो नहीं है और कोई मलवे में तो नहीं दबा है।
- ix) ऊँचे स्वर में पुकारें और कोई चिकित्सक वहां हो तो पता लगाएं।
- x) जो चिकित्सक कोच में यात्रा कर रहे हों वे भी अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए घोषणा करें, ताकि वे घायल यात्रियों और रेलवे स्टाफ का पता लगाएं यदि उसमें यात्रा कर रहे हों तो।
- xi) ऊँचे स्वर में घोषणा करें और रेलवे स्टाफ का पता लगाएं यदि उसमें यात्रा कर रहे हों तो।
- xii) दुर्घटना गाड़ी के कोच में यात्रा कर रहे रेलवे स्टाफ को अपनी उपस्थिति की घोषणा करानी चाहिए ताकि वे अटेंड कर सकें तथा अन्य यात्रियों की सहायता कर सकें।
- xiii) प्रत्येक कोच के लिए उसी कोच के अप्रभावित (अन-इंजर्ड) 3 या 4 यात्रियों और चिकित्सक तथा उपलब्ध रेलवे स्टाफ को शामिल करते हुए एक कोर टीम का गठन करें। पूरी कोर टीम को दोनों इंजर्ड एवं अन-इंजर्ड यात्रियों की सहायता के लिए अगुआई करनी चाहिए।

8. मंडल के अधिकारियों के आने तक तात्कालिक कार्यदल की ड्यूटियाँ :-

- i) यदि किसी व्यक्ति का खून निकल रहा है और शिथिल हो रहा है या वह बेहोश है तब उस मामले में आपको शीघ्रता से कार्य करना है। स्वर्णिम घंटे को ध्यान में रखना चाहिए। यह एक घंटे का समय आपके हाथ में खास (अधिक) महत्वपूर्ण हो सकता है।
- ii) ऐसे मामलों में घायलों के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सहायता का प्रबंध करके भविष्य में खून की क्षति को रोकना चाहिए।
- iii) प्राथमिक चिकित्सा में दक्ष व्यक्तियों द्वारा "कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन" चिकित्सा दी जा सकती है। इससे अनेकों जीवन बच सकते हैं।
- iv) यदि दरवाजा खुला हुआ है और आसानी से निकलने योग्य है तो अप्रभावित यात्रियों को उस दरवाजे से बाहर निकल कर सहायता करनी चाहिए।
- v) वातानुकूलित कोचों की विन्डो (खिड़की) के कांचों को इस तरह तोड़ा जाना चाहिए ताकि शुद्ध हवा मिल सके और उसके बाद उन्हें बाहर निकालना चाहिए।
- vi) गैर वातानुकूलित कोचों में दोनों तरफ एक आपातकालीन खिड़की होती है। कोच के अन्दर खिड़कियों की फेसिंग लाइन में 5वीं आपातकालीन खिड़की होती है। ये बर्थ नं. 23 और 57 के अपोजिट में लगी होती है। यदि दरवाजा बन्द और जाम हो तो इन खिड़कियों को खोलने की कोशिश करें ताकि बिना घायल (अप्रभावित) कुछ यात्रियों को इन आपातकालीन निकास द्वारा बाहर निकाला जा सके।

- vii) बुजुर्गों, दुर्बल एवं बच्चों को बाहर निकालते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और इन्हें इस क्रम में निकाला जाए ताकि वे अपने पारिवारिक सदस्यों से अलग न हों।
- viii) जहां तक संभव हो नाजुक घायलों को चिकित्सीय देखरेख के अधीन निकाला जाना चाहिए।
- ix) चिकित्सीय पर्यवेक्षण उपलब्ध न होने के मामले में नाजुक घायल को बेड शीट पर लिटाना चाहिए और उसके बाद चारों कोनों को चार व्यक्तियों द्वारा पकड़ कर बाहर निकालना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे कोई क्षति नहीं हो (बेड शीट वातानुकूलित कोचों में उपलब्ध रहती है।)
- x) जिन यात्रियों का खुले हुए कट से खून बह रहा हो तथा खून रुक नहीं रहा हो तो क्लॉथ स्ट्रिप से बांध देना चाहिए ताकि खून बहना कम हो सके।
- xi) यह दो कारणों से ठीक होगा कि प्रथमतः लगेज को कोच से बाहर न निकाला जाए, पहला यह है कि इस निकास प्रक्रिया में हताहत एवं अन-इंजर्ड यात्रियों को वरीयता देनी चाहिए। दूसरा यह कि लगेज को अन्दर ही छोड़ने से चोरी एवं उठाई-गिरी की संभावना कम होगी तथा लगेज सुरक्षित रहेगा।
- xii) सभी यात्रियों के बाहर निकल जाने के बाद में पानी एवं खाद्य पदार्थों को क्रमशः (धीरे-धीरे) बाहर निकाला जाए।
- xiii) आपके कोच से सभी यात्रियों को निकालने के बाद आरक्षण चार्ट से क्रास चैक किया जाए और प्रत्येक यात्रियों के नाम के सामने हताहत है या नहीं लिखा जाए।
- xiv) यात्रियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए उचित सलाह एक महत्वपूर्ण उपाय है।
- xv) आपके कोच से सभी यात्रियों को निकालने में सहायता करने के बाद अनारक्षित कोच में जाएं और इसी प्रकार की सहायता उन यात्रियों की भी करें।
- xvi) मंडल मुख्यालय से दुर्घटना स्थल की दूरी के आधार पर मंडल मुख्यालय से दुर्घटना स्थल पर रेलवे कर्मचारी/अधिकारी सामान्यतः 2 से 3 घंटे के अन्दर पहुँचते हैं। उनके आने की प्रतीक्षा और आगे का प्रबंध करें।
- xvii) गंभीर घायल यात्रियों को जो कि बेहोश हैं उन्हें तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाना आवश्यक है। उसी समय कुछ स्थानीय लोगों के पहुंचने पर गंभीर घायलों को नजदीकी चिकित्सालयों में शिफ्ट कराने के लिए उनकी सहायता लेनी चाहिए।
- xviii) आपकी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर यदि आपका कोच अवपथित (डिरेल) न हुआ हो और आपके कोच के यात्री घायल न होने पर आपको अनारक्षित कोचों पर जाना चाहिए एवं ऊपर सूची में दी गई ड्यूटियों का निर्वहन करना चाहिए।

9. आग लगने के मामले में त्वरित कार्यदल की ड्यूटियाँ :

- i) आग लगने के मामले में अलार्म चेन को खींचें और तुरन्त गाड़ी रोकें।
- ii) आग के अधिक धधकने (बढ़ने) से पहले कम्बल या पानी दोनों के प्रयोग से आग को बुझाएं।
- iii) वास्तविक आग के बजाय घुटन (दम बंदी) के कारण अधिक लोग प्रभावित होते हैं।
- iv) यात्रियों को सलाह दें कि वे अपने पीने के पानी से कपड़ा भिगो कर अपनी नाक के नथुनों को ढकें अर्थात् अपनी नाक को ढकें।
- v) यात्रियों को निर्देश दें कि वे कोच के दूसरे सिरे पर चले जाएं जो कि आग से दूर हो और यदि संभव हो तो प्रकोष्ठ के माध्यम से अगले कोच में निकल जाएं।

- vi) यात्रियों से अनुरोध करें कि पहले वे अपने को सुरक्षित करें और अपने सामान के बारे में चिन्तित न हों उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है।
- vii) यह सुनिश्चित करें कि कोई यात्री दरवाजे के पास तो नहीं लेटा है।
- viii) गाड़ी रुकने के तुरन्त बाद यात्रियों को कोच से तुरन्त नीचे उतर जाना चाहिए।
- ix) उचित परामर्श के द्वारा यात्रियों का साहस बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

10. मंडल के अधिकारियों के पहुंचने तक —अधिकारी प्रभारी साइट की ड्यूटियाँ :-

यात्रियों में उपलब्ध स्वयं सेवकों और गाड़ी में उपलब्ध रेलवे स्टाफ को शामिल करते हुए विभिन्न ग्रुप गठित (बनाएं) जाएं तथा महत्वपूर्ण राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। यह संपूर्ण कार्य 30 मिनट के अन्दर पूरा करना होगा। सतत् कार्यदल द्वारा राहत एवं बचाव कार्य एक बार शुरू करने के बाद प्रभारी अधिकारी को अपना ध्यान प्रथम उत्तरदायी (रिस्पोंडर) से संपर्क करने में लगाया जाना चाहिए।

(क) नजदीकी गाँवों का पता लगाना :-

- i) वहाँ पर कुछ गाँव दृश्य या अदृश्य होंगे।
- ii) कुछ खास मामलों में गाँववाले आपदा की आवाज सुनकर स्वयं ही आ जाते हैं।
- iii) अन्यथा किसी लाइट या अन्य निशान के द्वारा गाँवों को देखने की कोशिश करें।
- iv) उपरोक्त के संभव न होने पर नियंत्रण कार्यालय या नजदीकी स्टेशन से नजदीक के गाँवों की स्थिति तथा उनकी दिशा का पता लगाएं।
- v) मंडल की आपदा प्रबंधन योजना में नजदीकी गांव की स्थिति और दिशा भी उपलब्ध होगी।
- vi) नजदीकी के गाँवों की सामान्य स्थिति सुनिश्चित होने पर गांव वालों को सूचना देने और उनकी सहायता के लिए संदेश वाहकों (वरीयता रेलवे कर्मचारियों) को भेजें।

(ख) नजदीकी मानवयुक्त समपार फाटक का पता लगाना :-

- i) दोनों दिशाओं के नजदीकी मानवयुक्त समपार फाटक की स्थिति की सूचना के लिए गाड़ी चालक उत्तम एवं त्वरित साधन है।
- ii) फाटक वाले से संपर्क करने के लिए एक संदेश वाहक (वरीयतः रेलवे स्टाफ) को गेट पर भेजें।
- iii) मुख्यतः नजदीकी फाटकवाला (पास के) गांवों की स्थिति बताने में समर्थ होगा।
- iv) तब संदेश वाहक गुजरने (पास होने) वाले व्हीकल को रोकने की कोशिश करेगा और नजदीकी गांव में जाकर सूचना देगा तथा उनकी सहायता मांगेगा।

(ग) नजदीकी गाँवों में उपलब्ध स्थानीय लोगों को सहायता के लिए संगठित करना :-

- i) गाँव के लोगों से कहना चाहिए कि वे ध्वनि निस्तरण यंत्रों लाउड स्पीकरों द्वारा (जो कि सामान्यतः स्थानीय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि में उपलब्ध हैं) अन्य लोगों को दुर्घटना के बारे में सूचित करें।
- ii) प्रत्येक से कहा जाए कि वे निम्नलिखित साधनों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दुर्घटना स्थल पर पहुँचें।
 - ट्रैक्टर ट्रालियाँ (परिवहन के लिए तथा सामान्य लाइट व्यवस्था के लिए भी)
 - बहुत से कटिंग उपकरण, हथौड़े, छैनी इत्यादि जितने उपलब्ध हों।

- रस्सियाँ
- सीढ़ियाँ (लैंडर)

- iii) यदि चिकित्सक या पैरा मैडीकल स्टाफ गाँव में उपलब्ध है तो उन्हें भी दुर्घटना स्थल पर पहुँचाना चाहिए।
- iv) संदेश वाहकों को वापस आ जाना चाहिए और घायल/हताहत यात्रियों की शरण के लिए एक बड़ी बिल्डिंग (वरीयतः एक स्कूल) खुलवाने का प्रबंध करना चाहिए।

(क) प्रथम रैस्पॉन्डर्स की ड्यूटियाँ – स्थानीय लोग (व्यक्ति) :

1. दुर्घटना स्थल पर :

- i) जो ट्रैक्टर साइट (दुर्घटना स्थल) पर पहुँचें हैं, उन्हें दुर्घटना स्थल पर ट्रैक की ओर मुँह करके उनकी हेड लाइट जलाकर दुर्घटना स्थल पर प्रकाश हेतु एक लाइन (पंक्ति) में खड़ा करना चाहिए।
- ii) ट्रैक्टरों में इतना अन्तर (फांसला) रखना चाहिए ताकि संपूर्ण दुर्घटना स्थल पर प्रकाश हो सके, यह अन्तर दुर्घटना स्थल पर पहुँचने वाले ट्रैक्टरों की संख्या पर आधारित होगा।
- iii) अब उपलब्ध लाइट में बचाव एवं राहत कार्य की तैयारी की जानी चाहिए।
- iv) गाँव वाले के बचाव एवं राहत कार्य के लिए पहुँचने पर अलग-अलग कोचों में कार्य करने के लिए अलग ग्रुपों का गठन करना चाहिए।
- v) तत्काल कार्यदल के ग्रुप लीडर जिन्होंने पहले ही बचाव एवं राहत कार्य प्रारम्भ कर दिया है उन्हें स्थानीय लोगों के साथ समन्वय करना चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए।
- vi) कोचों से निकाले गए गंभीर घायल यात्रियों को ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा नजदीकी चिकित्सालयों में भेज देना चाहिए।
- vii) जो यात्री मामूली (कम) हताहत या बिल्कुल हताहत नहीं हुए हैं उन्हें रेलवे आपदा प्रबंधन की टीम के साइट पर आने तक साइट पर ही ठहरना और उनका इंतजार करना चाहिए क्योंकि वह टीम उनका चार्ज लेगी।
- viii) व्यावहारिक नियम के अनुसार किसी घायल को 48 घंटे से अधिक चिकित्सालय में रखना अपेक्षित है तो वह गंभीर घायल हैं और 48 घंटे से कम चिकित्सालय में रखने वाले यात्री सामान्य घायल और जिन्हें चिकित्सालय में रखना अपेक्षित नहीं है, वे मामूली घायल होते हैं।
- ix) इस प्रकार के गंभीर घायल यात्रियों को भेजने में निम्नलिखित वरीयता का अनुपालन किया जाए।

– बेहोश	– अधिक खून बहने वाले
– श्वास लेने में परेशानी वाले	– दुःखद हताहत
– सदमे की अवस्था वाले	
– फ्रेक्चर वाले	
– साधारण हताहत	
- x) यदि शवों को निकाला गया है तो उन्हें सुरक्षित रखने हेतु भेजने से पहले उसी कोच के सामने लेकिन ट्रैक से दूर उचित टैग (पर्ची) लगाकर रखा जाए।
- xi) इसके अलावा कोचों के अनुसार अलग-अलग स्थान पर शवों को रखा जाए ताकि मिक्स (मिलें नहीं) न हो जाएं।
- xii) यदि संभव हो तो शवों पर टैगिंग के द्वारा कोच नम्बर और केबिन नम्बर, शयिका का भी उल्लेख करना चाहिए। (उदाहरण के लिए उत्तर मध्य रेलवे 98127, केबिन नम्बर, कन्टेनिंग बर्थ-9-16)

गाँव व शहर में :

- i) एक बड़ी बिल्डिंग वरीयतः एक स्कूल बिल्डिंग खाली करा लेना चाहिए और यात्रियों के बिना दावा वाले सामान और शवों को रखने के लिए उस बिल्डिंग को तैयार रखना चाहिए।
- ii) उनसे दुर्घटना स्थल पर गाड़ी के यात्रियों के लिए निम्नलिखित सामान लाने के लिए कहना चाहिए।
 - चाय और अल्पाहार।
 - यदि अपेक्षित हो तो गर्म कपड़े।
- iii) जो हताहत यात्री गाँव भेजे जा रहे हैं उनकी देखभाल करना।
- iv) इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध परिवहन के साधनों जैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा हाई-वे से गुजरने वाले ट्रकों को भी हताहत यात्रियों को नजदीकी चिकित्सालय में भेजने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ख) प्रथम रैस्पॉन्डर्स की ड्यूटियाँ – रेलवे स्टाफ :

1. गैंग स्टाफ

- i) डबल/मल्टीपल लाइन पर दुर्घटना क्षेत्र की ओर (तरफ) आने वाली अन्य गाड़ी को हैण्ड डेन्जर सिगनल दिखाकर रोकें।
- ii) सुनिश्चित करें कि लाइन सीधी है या लाइन डिस्टर्ब नहीं है।
- iii) अधिकारी प्रभारी साइट को रिपोर्ट करें और बचाव एवं राहत कार्य में सहायता करें।
- iv) हताहत यात्रियों को कोचों से बाहर निकालने में सहायता करें।
- v) उन्हें नजदीकी चिकित्सालय पहुँचाने में सहायता करें।

2. गेट मैन

- i) यदि गाड़ी ने गेट को पास नहीं किया है तो फाटक को बन्द रखें।
- ii) डबल/मल्टीपल सेक्शन में दुर्घटना क्षेत्र की ओर (तरफ) आने वाली अन्य किसी गाड़ी को “हाथ” डेन्जर सिगनल द्वारा रोकें।
- iii) स्टेशन प्रबंधक को अविलम्ब सूचना देने का प्रबंध करें।
- iv) इण्टर लॉकिंग में हस्तक्षेप न करें।
- v) समपार फाटक पर से गुजरने के लिए प्रतीक्षा करने वाले सड़क वाहनों की सेवा लें।
- vi) दुर्घटना के बारे में नजदीकी गाँव में सूचना भेजें।
- vii) व्यक्तियों को एवं नजदीक में उपलब्ध सामान को एकत्रित करें और उन्हें साइट पर भेजें।

3. नजदीकी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर :

(क) सूचना भेजना :

- i) सभी सिगनलों को “ऑन” स्थिति में रखकर ट्रैफिक के लिए सुरक्षा प्रदान करना।
- ii) दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को दुर्घटना की रिपोर्ट देना। उससे कहा जाए कि वे ड्यूटी से ऑफ सभी स्टाफ को स्टेशन पर बुलाएं और उन्हें दुर्घटना स्थल पर भेजें।
- iii) दुर्घटना की रिपोर्ट सेक्शन कंट्रोलर को दें
- iv) कन्ट्रोल को सूचित किया जाए जैसे कि –
 - दुर्घटना का समय और प्रकार
 - दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण
 - नजदीकी लाइन क्लियर है या नहीं

- रोलिंग स्टॉक की क्षति
- टेलीग्राफ पोस्ट के बारे में ट्रैक की क्षति
- ओ.एच.ई. मास्ट (खम्बे) क्षतिग्रस्त हैं या नहीं और वर्तमान क्षति
- गाड़ी अधीक्षक/चल टिकट परीक्षकों से मृत एवं घायलों की अनुमानित संख्या ली जाए (दुःखद एवं साधारण)
- v) निम्नलिखित अधिकारियों/पदाधिकारियों को दुर्घटना के संबंध में सूचना देनी चाहिए।
 - उस स्टेशन पर पदस्थ सभी ऑन ड्यूटी रेलवे स्टाफ
 - दोनों ओर (सिरे) के जंक्शन स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक
 - यातायात निरीक्षक/सी.एम.आई.
 - रेल पथ पर्यवेक्षक–सीनियर सेक्शन इंजी./जूनियर इंजी. इत्यादि
 - टीआरडी पर्यवेक्षक–सीनियर सेक्शन इंजी./जूनियर इंजी. इत्यादि
 - कैरिज एवं वैगन पर्यवेक्षक– सीनियर सेक्शन इंजी./जूनियर इंजी. इत्यादि
 - सिगनल एवं टेलीकॉम पर्यवेक्षक– सीनियर सेक्शन इंजी./जूनियर इंजी. इत्यादि
 - उप निरीक्षक/रेलवे सुरक्षा बल– एस.एच.ओ./जी.आर.पी.
 - नजदीकी अग्निशमन स्टेशन
- vi) नागरिक प्राधिकारियों गाँव/कस्बा/शहर के प्रतिनिधियों और संभव राहत सहायता के लिए स्वयं सेवकों को सूचित करें।
- vii) नजदीकी जंक्शन स्टेशन के पर्यवेक्षकीय स्टेशन प्रबंधक दुर्घटना स्थल पर पहुँचेंगे।

(ख) चिकित्सीय सहायता :

- i) स्थानीय चिकित्सकों, सेंट जॉन्स एम्बुलेन्स ब्रिगेड, नागरिक एवं सैनिक चिकित्सालयों के चिकित्सकों को सहायता के लिए बुलाया जाए।
- ii) पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक सहायता चिकित्सा बॉक्स एवं स्ट्रेचरों का प्रबंध किया जाए।
- iii) गतिशील स्थानीय चिकित्सा दल को संगठित करके उन्हें घायलों की प्राथमिक सहायता हेतु दुर्घटना स्थल पर भेजें।
- iv) दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण स्केल-।। को शीघ्रता पूर्वक भेजें।

(ग) यात्री सहायता :

- i) पीने का पानी, पेय पदार्थ और अल्पाहार का प्रबंध अल्पाहार कक्ष या स्थानीय स्रोतों से किया जाए।
- ii) असहाय यात्रियों के लिए अल्पाहार और पेय पदार्थ निःशुल्क दिया जाए।
- iii) एक आपातकालीन काउण्टर खोला जाए और उसमें आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं।
- iv) आरक्षण चार्टों को लेकर उन्हें प्रदर्शित किया जाए।
- v) मृत एवं हताहत की सूचनाएं (विवरण) एकत्रित करें और जब पूछा जाए तो सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- vi) गाड़ियों की सुवाओं के नियमितीकरण, रद्दीकरण, रूट परिवर्तन के बारे में निरंतर घोषणाएँ की जाएँ।
- vii) वर्तमान नियमानुसार किराए की वापसी का प्रबंध करें।

(घ) परिवहन सहायता :

- i) यदि संभव हो तो स्थानीय स्रोतों से हताहत यात्रियों को तीव्रगामी साधनों द्वारा नजदीकी चिकित्सालय में शिफ्ट करने के लिए प्रबंध करें।

- ii) ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा इस उद्देश्य के लिए हाई-वे से गुजरने वाले ट्रकों का उपयोग किया जा सकता है।
- iii) असहाय यात्रियों को दुर्घटना स्थल से स्थानान्तरण करके गाड़ी द्वारा या किराए के सड़क वाहनों द्वारा ले जाया जाए।

(ड़) सुरक्षा सहायता :

- i) यात्रियों एवं उनसे संबंधित सामान की सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस/राज्य पुलिस को सूचना दी जाए।
- ii) उनसे बचाव एवं राहत कार्य में सहायता करने के लिए भी कहा जाए।

(च) संचार व्यवस्था सहायता :

- i) यात्रियों को नजदीकी उपलब्ध पी.सी.ओ. (PCO) बूथ पर भेजें।
- ii) मृतक/हताहतों के रिश्तेदारों को एस.टी.डी. फोन उपलब्ध कराएं और उनके लिए निःशुल्क स्पीड पोस्ट जारी करें।

(छ) श्रमिकों को दुर्घटना स्थल पर भेजना :

- i) दुर्घटना स्थल पर तीव्रगामी साधनों द्वारा आवश्यक उपकरण, लैम्प, वेण्डर्स, कुली तथा ट्रॉलियाँ भेजें।
- ii) बचाव/राहत कार्यों को तब तक जारी रखें जब तक कि यातायात निरीक्षक या मंडल अधिकारियों द्वारा रिलीव न कर दिए जाएं।

(ज) सुरागों और प्रमाणों को सुरक्षित रखना :

- i) दुर्घटना स्थल पर पहले पहुँचने वाले यातायात निरीक्षक/स्टेशन प्रबंधक को प्रमाण एवं सुरागों को सुरक्षित करना होगा।
- ii) दुर्घटना से संबंधित अभिलेखों को केबिन/स्टेशन पर सुरक्षित रखें।
- iii) यदि दुर्घटना स्टेशन सीमा में हुई है तो स्लाइड, लीवरों, नोक्स को सील करें।

4. **लोको निरीक्षक/यातायात निरीक्षक/सेक्शन इंजी. (एसएण्डटी) सीनियर सेक्शन इंजी/ रेल पथ की ड्यूटियां :**

(क) श्रमिकों एवं सामग्री सहित दुर्घटना स्थल पर शीघ्रता पूर्वक जाना :

- i) दुर्घटना स्थल पर जाने से पूर्व दुर्घटना स्थल जाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में व्यक्तियों (श्रमिकों) को उनके उपकरणों सहित संगठित करें।
- ii) उपलब्ध तीव्रगामी साधनों से दुर्घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँचें।

(ख) राहत बचाव कार्य :

- i) सुनिश्चित करें कि बाधित लाइन सुरक्षित है।
- ii) अपने अधीन कार्यरत सभी स्टाफ को बचाव एवं राहत में सहायता के लिए भेजें।
- iii) उन सबको दुर्घटना स्थल प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए।
- iv) हताहतों की सहायता करें और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें।
- v) घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करें।

(ग) संयुक्त मापन तथा सुरागों और प्रमाणों को सुरक्षित रखना :

- i) दुर्घटना से संबंधित सभी अभिलेखों को एकत्रित और दर्ज किया जाए जैसे कि टूट-फूट का कोई संकेत और पॉइण्ट का चिपकना और टूटना, सुपर एलीवेशन, क्रॉस लेवल, पंक्तिबद्ध लाइन विशेष विवरण सहित ट्रैक की स्थिति।
 - ब्रेकिंग गीयर और ब्रेक पावर के संदर्भ सहित रोलिंग स्टॉक की स्थिति।
 - स्लीपरों, रेलों, लोकोमोटिव्स एवं व्हीकल्स पर सभी निशान विशेषकर सुरागों के लिए सुरक्षित।

- अवपथन (डिरेल) हुए व्हीकलों की स्थिति।
- दुर्घटना का प्रथम दृष्ट्या कारण।
- ii) ट्रेन सिगनल रजिस्टर, लॉग बुक, व्यक्तिगत नम्बर बुक, लाइन एडमीशन बुक, स्पीड रिकार्डर चार्ट एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को जब्त एवं सील करना।
- iii) पैनल स्विच संकेतों की स्थिति, ब्लॉक उपकरण, रिले रूम की स्थिति, डाटा लॉगर का स्तर इत्यादि की स्थिति नोट करना।
- iv) स्विचों की स्थिति ग्राउण्ड कनेक्शनों, पॉइण्ट लॉकिंग, ट्रैक सक्रिट आक्युपेंसी, आउट डोर सिगनलों/पॉइण्ट की क्षति के विवरण को नोट किया जाना चाहिए।
- v) लोको मोटिव के मरम्मत की लॉग बुक और अन्य सभी रजिस्ट्रों और स्पीड दर्ज करने का ग्राफ जब्त और सील किया जाए।
- vi) प्रारूप के अनुसार रोलिंग स्टॉक की अन्य आकृतियों और ब्रेक पॉवर के विवरणों को दर्ज किया जाए।
- vii) रोलिंग स्टॉक की संयुक्त माप ली जाए। यदि शेड में रीडिंग लेने का प्रबंध संभव न हो तो लोको इत्यादि की माप, प्रेक्षण नोट किया जाए।
- viii) उपलब्धता के अनुसार इन्हें वीडिओ और डिजिटल कैमरा द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है।
- ix) सभी रीडिंग्स के विवरण और सभी उपकरणों की स्थिति नोट की जाए तथा दुर्घटना स्थल पर सभी विभागों के पर्यवेक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने चाहिए।
- x) दुर्घटना में शामिल स्टाफ के बयान प्राप्त किए जाएं।
- xi) मुख्य रेल पथ निरीक्षक रोलिंग स्टॉक की स्थिति दर्शाते हुए एक स्केच (खाका) तैयार करेगा।
- xii) रेल पथ निरीक्षक ऊपरी उपस्कर खम्बों, पॉइण्टों के नम्बर, ड्राप पॉइण्ट, पॉइण्टों के चढ़ने इत्यादि एलाइनमेन्ट सहित ट्रैक की स्थिति को दर्शाते हुए एक फाइनल स्केच तैयार करेगा।
- xiii) स्थिति का निरीक्षण करना अपेक्षित सहायता निर्धारण करना और मंडल नियंत्रण कार्यालय को सूचना जारी करना (भेजना)।
- xiv) अपने स्वयं से संबंधिक स्थिति का चार्ज लेना और मंडल अधिकारियों के आने तक दुर्घटना स्थल पर ठहरना।

आपदा अनुक्रिया –मंडल एवं मुख्यालय पर अधिकारीगण

(क) सामान्य :

1. मंडल नियंत्रण कार्यालय को दुर्घटना की सूचना देना :

- i) सेक्शन नियंत्रक अथवा कर्षण शक्ति नियंत्रक द्वारा सामान्यतौर पर दोनों में से मंडल नियंत्रक कार्यालय को दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए।
- ii) मुख्य मामलों में प्रथम सूचना रपट में फंसे हुए कोचों की लगभग संख्या और संभावित हताहतों की संख्या कच्चे तौर पर अनुमान लगाकर सूचना देनी चाहिए।
- iii) दुर्घटना में सम्मिलित सवारियों को ले जाने वाली सवारी गाड़ी की प्रथम सूचना मिलने पर वहां अपेक्षित भारी हताहतों को जैसा कि डिजास्टर के अनुसार प्रथम दृष्टि में प्रस्तुत करना चाहिए।
- iv) मंडल नियंत्रक कार्यालय में ड्यूटी पर कार्यरत उप सी.एच.सी. (पी)/उप सी.एच.सी. (गुड्स) को दुर्घटना में सम्मिलित यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी के बारे में संचालन की सूचना देना चाहिए।
- v) सभी ड्यूटी पर कार्यरत कार्यकर्ता के बाद जन समूह के चारों ओर सेक्शन नियंत्रण बोर्ड होना चाहिए। वे दुर्घटना के विषय में संक्षेप में सूचना देंगे।
- vi) प्रत्येक कार्यकर्ता इसके बाद उसकी स्थिति पुनः आरंभ करेगा और अपेक्षित गतिविधियों/प्रस्ताव के बारे में उचित कदम उठाएगा।
- vii) यदि ओ.एच.ई. ट्रिप नहीं हुई है तो कर्षण पावर नियंत्रक स्विच ऑफ करेगा। यदि निकटवर्ती लाइन पर ओ.एच.ई. पुनः स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि साइट से पुष्टि प्राप्त होने पर ही कि वह निकटवर्ती लाइन अवरुद्ध नहीं है और ओ.एच.ई. सब ठीक है।
- viii) पावर नियंत्रक प्राथमिकता आदेश की लिखित में निम्नलिखित कार्रवाई करने का जिम्मा लेगा:
 - (क) लोको अग्रजन दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी के लिए साइरन बजाने के लिए लिखित में आदेश देगा।
 - (ख) निकटवर्ती मंडलों से पावर नियंत्रक सहायक रेलवे चिकित्सीय वाहन, सेल्फ प्रोपेल्ड सहायक दुर्घटना गाड़ी और सहायक दुर्घटना गाड़ी (140 टी क्रेन के साथ) दुर्घटना स्थल की ओर पहुँचने के लिए संचालन के भी आदेश करेगा। अंत में अन्य विवरण अध्याय 3 के (क-4) और (ख-5) में दिया गया है।
 - (ग) इसके बाद वह विभागीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को सूचित करेगा।
- ix) उप सी.एच.सी.(कोचिंग) हताहतों की प्रथम सूचना अस्पताल में देगा। इसके बाद वह नीचे दिए गए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को सूचित करेगा।
- x) प्रत्येक विभागीय कार्यकर्ता नीचे दिए हुए विवरण में दुर्घटना के विषय में मंडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों और विभाग को सूचित करेगा। दुर्घटना की चारों ओर का विवरण नीचे दिया गया है—

कार्यकर्ता

उप सी.एच.सी.(पी)

उप सी.एच.सी.(कोचिंग)

कर्षण पावर नियंत्रक

पावर नियंत्रक

अधिकारी और पर्यवेक्षक

परिचालन एवं संरक्षा

अस्पताल मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक, चिकित्सा

बिजली

यांत्रिक

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| इंजीनियरिंग नियंत्रण | इंजीनियरिंग, कार्मिक, लेखा |
| एस एंड टी नियंत्रण कक्ष | सिगनल एवं दूर संचार, भण्डार |
| वाणिज्य नियंत्रक | वणिज्य, जनसंपर्क |
| सुरक्षा नियंत्रक | रेल सुरक्षा बल |
- xii) इस उद्देश्य के लिए मंडल नियंत्रक कार्यालय में लगाए गए सभी कार्यकर्ता उनके विभाग के सभी अधिकारी और पर्यवेक्षक (रेलवे, बी.एस.एन.एल. और मोबाइल) टेलीफोन नम्बरों की सूची तैयार करेंगे।
- xiii) बाद में सी.एच.सी./कोचिंग हताहतों की सूचना अस्पताल, मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक और चिकित्सीय डाक्टरों को देगा इसके बाद वह उप सी.एच.सी./कोचिंग अथवा उप सी.एच.सी./ओपी मुख्यालय के आपातकालीन नियंत्रण को दुर्घटना के बारे में सूचित करेगा।

2. रेलवे डाक्टरों को दुर्घटना की सूचना देना :

उप सी.एच.सी./कोचिंग दुर्घटना का पूर्ण विवरण रेलवे के आपातकालीन अस्पताल को सूचित करेगा आपातकालीन ड्यूटी में रेलवे डाक्टर निम्नलिखित भार अपने ऊपर लेंगे –

- संदेश प्राप्ति का समय नोट करना।
- चिकित्सा अधीक्षक अन्य डाक्टरों और पैरा चिकित्सा कर्मचारियों और राहत रेलवे चिकित्सीय वाहन पर पहुँचने के लिए निर्देश देगा।
- अस्पताल में आवश्यक चिकित्सीय टीम एकत्रित करना।
- राहत रेलवे चिकित्सीय वाहन के संचालन के बारे में मुख्य चिकित्सा निदेशक को सूचित करना।
- एस.जे.ए.बी. खून दाताओं को सतर्क करना।
- मात्र न्यूनतम चिकित्सक टीम को अस्पताल में रहना चाहिए और दुर्घटना स्थल पर जल्दी से चिकित्सकों को आराम देना चाहिए।
- ए.आर.एम.ई. स्केल-11/सेल्फ प्रोपेल्ड सहायक दुर्घटना गाड़ी स्थल से दुर्घटना स्थल की तरफ भेजने की आपातकालीन बक्सों की व्यवस्था करनी चाहिए।

3. गैर रेलवे अधिकारियों को सूचना देना :

- उप सी.एच.सी. के द्वारा दुर्घटना की सूचना जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को घटित दुर्घटना की सूचना देनी चाहिए।
- अपर मंडल रेल प्रबंधक निम्नलिखित को दुर्घटना के बारे में बताएगा
आई.जी. जी.आर.पी., ए.डी.जी. जी.आर.पी.
मंडलीय आयुक्त, गृह सचिव
- पी.ओ.एल. रिक के मामले में सम्मिलित आई.ओ.सी./बी.पी.सी./एच.पी.सी. के अधिकारियों को भी सूचित होना चाहिए।
- दुर्घटना में सम्मिलित आर.एम.एस. के डाक थैला के मामले में पोस्टल अधिकारियों को भी सूचित करना चाहिए।
- इस मंडलीय डी.एम. प्लान में (संलग्नक 4 से 6.10, 16 एवं 31) मंडल के सभी आयुक्तों और सभी पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के टेलीफोन नम्बर होने चाहिए।
- मंडलीय डी.एम. प्लान (पेज 130) में आई.ओ.सी. के अधिकारियों के भी टेलीफोन नम्बर उपलब्ध होने चाहिए।
- ए.डी.जी./जी.आर.पी., आई.जी./जी.आर.पी., गृह सचिव इत्यादि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के संलग्नक 4, 6 एवं 7 में टेलीफोन नम्बर दिए गए हैं।

4 अपेक्षित मंडलीय अधिकारियों का स्थल पर जाना

- i) प्रथमतः राहत रेलवे चिकित्सीय वाहन के द्वारा दुर्घटना स्थल पर सभी अपेक्षित मंडलीय अधिकारियों को जाना चाहिए।
- ii) सड़क वाहनों को दुर्घटना स्थल पर अलग से भेजना चाहिए मंडलीय मुख्यालय से सड़क वाहनों की अधिकतम संख्या दुर्घटना स्थल पर होनी चाहिए।
- iii) राहत रेलवे चिकित्सीय वाहन को 15 मिनट से जहां डबल निकास उपलब्ध होना चाहिए और साइरन की आवाज के बाद जहां 20 मिनट इकहरे निकास पर उपलब्ध होना चाहिए।
- iv) मंडल रेल प्रबंधक को दुर्घटना स्थल पर पहुँचना चाहिए और अपर मंडल रेल प्रबंधक को समन्वयन कार्य के लिए मंडलीय मुख्यालय पर रुकने के लिए वापस जाना चाहिए।
- v) इस उद्देश्य के लिए सभी शाखा अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर जाना चाहिए। उदाहरण के लिए विद्युत विभाग (कर्षण वितरण) और सामान्य के भिन्न शाखाओं के अधिकारियों को ध्यान रखना होगा कि एक ही विभाग के अधिकारियों को ही नहीं जाना चाहिए। अलग और दोनों को आवश्यकता के अनुसार स्थल पर जाना चाहिए।
- vi) प्रत्येक शाखा के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को मंडलीय मुख्यालय को वापस होना चाहिए।
- vii प्रत्येक शाखा से अधिकारियों (बड़े और छोटे दोनों अधिकारियों) को दुर्घटना स्थल पर होना चाहिए।
- vii एक बार यह स्पष्ट होने पर कि दुर्घटना एक घोर विपत्ति है। तब 80/120 के नियमों का पालन करना होगा।
 - (क) 80% सभी अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर जाना चाहिए और केवल 20% को मुख्यालय वापस होना चाहिए।
 - (ख) समान रूप से 80% सभी पर्यवेक्षक कर्मचारियों को दुर्घटना स्थल पर होना चाहिए और 20% को मुख्यालय वापस होना चाहिए।
- ix) विभागीय अधिकारियों के पदनाम जो स्थल पर जाएंगे और जो मुख्यालय वापस जाएंगे उनकी सूची दी गई है।

विभाग	दुर्घटना स्थल	मुख्यालय
चिकित्सा	मु.चि.अधी./ व.मं.चि.अधि./ चि.अधी.	वरि.मं.चि.अ. / आ.छा. / ईदगाह
वाणिज्य	वरि.मं.वाणि.प्रबंधक / सहा.मं.वाणि.प्रबंधक	मंडल वाणिज्य प्रबंधक
यांत्रिक	वरि.मं.यां.इंजी./ सहा.यां.इंजी./ आ.छा.	मं.यां.इंजी./ आ.छा.
सिविल	वरि.मं.इंजी./ सम./ सहा.इंजी.	मंडल इंजीनियर
विद्युत/ओ.पी.	वरि.मं.वि.इंजी./ ओ.पी.	सहा.वि.इंजी./ ओ.पी./ आ.छा.
विद्युत/ सामान्य	वरि.मं.वि.इंजी./ सामान्य	सहा.वि.इंजी./ सा./ आ.छा.
विद्युत/ क.वि.	वरि.मं.वि.इंजी./ सहा.वि.इंजी., मथुरा	
सिग.एवं दूर संचार	वरि.मं.सिग.एवं दूर.सं.इंजी./ अनु.	मं.सिग.एवं.दूर.सं.इंजी./ कार्य
परिचालन	मंडल परिचालन प्रबंधक	वरि.मं.परि.प्रबंधक
संरक्षा	वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी	मं.संरक्षा अधिकारी
सुरक्षा	वरि.मं.सु.आयुक्त	सहा.सु.आयुक्त
कार्मिक	वरि.मं.कार्मिक अधिकारी	मं.कार्मिक अधिकारी
लेखा	वरि.मं.लेखा प्रबंधक	मंडल लेखा प्रबंधक
स्टोर	वरि.मंडल सामग्री प्रबंधक	मंडल सामग्री प्रबंधक

- x) प्रत्येक विभाग के पर्यवेक्षकों को दुर्घटना स्थल पर जाना आवश्यक है और नीचे दिए गए पर्यवेक्षक को मुख्यालय में वापस जाना अपेक्षित है—

<u>विभाग</u>	<u>दुर्घटना स्थल</u>	<u>मुख्यालय</u>
चिकित्सा	स्वास्थ्य निरीक्षक, आ.छा./फार्मा.	स्वास्थ्य निरी.,मथुरा जं. /फार्मा.
वाणिज्य	मं.मु.टिकट निरी./मं.वाणि.निरी	मु.टिकट निरी./मु.वाणि.निरी
यांत्रिक	वरि.सेक्शन इंजीनियर	जूनियर इंजीनियर
सिविल	वरि.सेक्शन इंजीनियर	सेक्शन.इंजी./अवर इंजी.
विद्युत/ओ.पी.	वरि.लाइन निरी./मुख्यालय	वरि.लाइन निरीक्षक
विद्युत/सामान्य	वरि.सेक्शन इंजीनियर	जूनियर इंजीनियर
विद्युत/क.वि.	वरि.सेक्शन इंजीनियर	जूनियर इंजीनियर
सिग. एवं दूर संचार	वरि.सेक्शन इंजीनियर	जूनियर इंजीनियर
परिचालन	सी.एम.वी.आई.	एम.वी.आई./गुड्स
संरक्षा	खण्ड यातायात निरीक्षक/ संरक्षा सलाहकार (इंजी. /लोको/एसएण्डटी /कै.वै./टीआरडी)	यातायात निरीक्षक/मुख्यालय
सुरक्षा	निरीक्षक, रेल सुरक्षा बल/ उप निरीक्षक, रे.सु.बल	उप निरीक्षक, रे.सु.बल
कार्मिक	कल्याण निरीक्षक	कार्मिक निरीक्षक
लेखा	वरि.सेक्शन अधिकारी	सेक्शन अधिकारी
स्टोर	डी.एस.के.	—
टिप्पणी—	सभी शाखा अधिकारियों को उपर्युक्त के विषय में पर्यवेक्षकों के आधार पर स्थानीय निर्देश जारी करने चाहिए जो दुर्घटना के स्थल पर अवश्य जाना होगा।	

(ख) परिचालन विभाग

मुख्यालय के अध्याय 9 के शीर्षक के अंतर्गत विपदा के समन्वय उत्तरदायित्व के समय परिचालन विभाग के कर्तव्य।

(ग) संरक्षा विभाग

वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी को दुर्घटना स्थल पर संरक्षा शाखा के पर्यवेक्षकों के साथ पहुँचना चाहिए। संरक्षा विभाग की दुर्घटना स्थल पर ड्यूटी अध्याय 11 के शीर्षक मेनेजमेन्ट प्लान एक के अन्तर्गत सूची दी गई है।

(घ) जनसंपर्क

मीडिया मेनेजमेन्ट प्लान 1 के अध्याय 15 के शीर्षक के अंतर्गत जनसंपर्क विभाग की ड्यूटी दी गई है।

(ङ) चिकित्सा विभाग

1. दो टीम बनाना

- दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर वहां हताहतों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक और सभी अन्य डॉक्टरों को संबंधित गैर चिकित्सीय कर्मचारियों को सूचित करना।
- डॉक्टर और गैर चिकित्सीय कर्मचारियों की 'क' और 'ख' दो टीम बनाई जाएंगी।
- टीम (क)** —प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक सहायक रेलवे मेडीकल वाहन के द्वारा तुरन्त जल्दी से दुर्घटना स्थल पर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों व नॉन मेडीकल कर्मचारियों के साथ पहुँचेंगे।
- टीम (ख)** —वरि. मंडल चिकित्सा अधिकारी वापस होकर मंडल हॉस्पिटल पर रुकेंगे और नीचे दी गई ड्यूटी का निष्पादन करेंगे।

2. टीम क की ड्यूटी

इनकी सूची प्रबंधन योजना II के शीर्षक के अध्याय 12 के अंतर्गत पूर्ण विवरण दिया गया है।

3. टीम ख की ड्यूटी

- i) रेलवे अस्पताल में हताहतों का आपातकालीन प्रकोष्ठ की व्यवस्था टीम 'ख' करेगी।
- ii) निकटवर्ती मंडलों से संपर्क और दो या इसके अधिक राहत रेलवे चिकित्सक वैन दुर्घटना स्थल के लिए संचालन के लिए संगठित करेंगे प्रत्येक की सीमा का विवरण खण्ड (क-4) के अध्याय 3 में दिया गया है।
- iii) दुर्घटना स्थल के नजदीक रेलवे/सरकारी/प्राइवेट अस्पताल से स्थानीय संपर्क करके और जल्दी से चर्चा करके सड़क से एम्बुलेन्स के साथ आवश्यक चिकित्सीय टीम के साथ तुरन्त दुर्घटना स्थल पर पहुँचना।
- iv) दुर्घटना स्थल के नजदीक (रेलवे/सरकारी/प्राइवेट) अस्पतालों से स्थानीय संपर्क करके देखरेख की तैयारी में रहेंगे और घायल सवारियों की चिकित्सीय इलाज की व्यवस्था करायेंगे।
- v) आपातकालीन रेलवे अस्पताल में मंडल डी.एम. योजना की छाया प्रति उपलब्ध रहेगी।
- vi) प्रत्येक सिरे से दुर्घटना स्थल पर दूसरी और तीसरी विशेष गाड़ियों द्वारा बैक अप लोजिस्टिक सपोर्ट के लिए निम्नलिखित को ले जाने की व्यवस्था की गई है।
 - यथा संभव अधिक से अधिक चिकित्सीय टीम।
 - सफाई वालों की समुचित संख्या और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी।
 - एसजेएवी के स्काउट के सदस्य और व्यक्तिगत नागरिक सुरक्षा।
- vii) निकटवर्ती मंडलों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक समन्वय के साथ और बात करके चिकित्सा टीम को दुर्घटना स्थल पर भेजना।
- viii) ये चिकित्सीय टीम दुर्घटना स्थल पर गाड़ी/रोड अथवा गाड़ी संयोजन से या सड़क साधन के अनुसार भेजी जाएगी। इस मामले में उचित रेलवे वाहन उपलब्ध नहीं हो तो इस उद्देश्य के लिए किराए की टैक्सी से पहुँचाना चाहिए।
- ix) निम्नलिखित मदों को पर्याप्त संख्या में व्यवस्थित करना और दुर्घटना स्थल पर भेजना/मृत शरीरों को हैंडलिंग करने के उद्देश्य के लिए
 - कफन
 - मृत शरीरों के लिए पोलीथिन कवर
 - लकड़ी की शव पेटी
 - सूखी बर्फ
- x) यू.सी.सी. के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ में एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए और दुर्घटना स्थल पर चिकित्सीय टीम होनी चाहिए। दवाईयों की मांग दुर्घटना स्थल पर दोनों तरफ के विभिन्न अस्पतालों में अपेक्षित दवाईयों की मांग पूरी करनी चाहिए। जहां पर मरीज भर्ती हैं और अपेक्षित मांग के अनुसार इंतजाम करना चाहिए।
- xi) जब वे घटना स्थल से वापस आएंगे वैसे ही रेलवे अस्पताल को लेने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए और घायल सवारियों के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए।
- xii) सर्प विषरोधी की चार वायल एवं अन्य सामग्री शीत श्रृंखला डिब्बा में रखकर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(च) वाणिज्य विभाग

- i) वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक एक मंडल वाणिज्य प्रबंधक को छोड़कर अन्य अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुँचेंगे। मंडल नियंत्रक कार्यालय में मंडल वाणिज्य प्रबंधक उनके पीछे समर्थन में प्रबंध करेंगे।
- ii) स्थल पर कार्यवाही करने से पहले पर्याप्त धन निकालने के लिए प्राधिकृत पर्यवेक्षक नामित किए गए हैं।

1. दुर्घटना स्थल पर परिवहन से सामग्री ले जाने के साधन

- i) जैसे ही जल्दी से जल्दी राहत चिकित्सीय वाहन/दुर्घटना राहत रेलवे गाड़ी में साइरन साउण्ड के साथ 50 टी.टी.ई./टी.सी. और 50 लाइसेंस पोर्टर्स को वर्दी में इकट्ठा करके साथ-साथ दुर्घटना राहत गाड़ी में जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुँचेंगे।
- ii) स्टेशन ड्यूटी पर कार्यरत वाणिज्य पर्यवेक्षक को स्वयं दुर्घटना राहत गाड़ी के द्वारा स्थल पर पहुँचने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए और पीछे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए यदि 50 की संख्या में प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो जो भी संख्या में उपलब्ध हैं उन्हें दुर्घटना राहत गाड़ी के द्वारा दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए।
- iii) प्रत्येक सिरे से अधिकाधिक टी.टी.ई./टी.सी. द्वितीय और तीसरी स्पेशल गाड़ियों से दुर्घटना स्थल पर (लोजिस्टिक सपोर्ट) कानूनी मदद/नियमानुसार मदद के लिए भेजे जाएंगे इस उद्देश्य के लिए मंडल स्काउट्स एवं टी.टी.ई./टी.सी. का भी उपयोग करना चाहिए।
- iv) दुर्घटना राहत गाड़ी में कर्मचारियों का प्रथम बैच दुर्घटना स्थल पर पहुँचाने के बाद वाणिज्य विभाग के (सभी कर्मचारी) को भेजने के लिए द्वितीय और तृतीय विशेष गाड़ी से भेजने के लिए आदेश पारित करेंगे जो प्रत्येक सिरे से दुर्घटना स्थल पर (नियमानुसार सपोर्ट करेंगे) इस उद्देश्य के लिए समस्त मंडल रेलवे से 80 प्रतिशत टी.टी.ई./टी.सी. भेजे जाएंगे।
- v) द्वितीय एवं तीसरी विशेष गाड़ियों में निम्नलिखित भेजा जाएगा।
2 गैस स्टोव, 4 गैस सिलिण्डर, 1000 मिनरल वाटर की बोतल और पूड़ी बनाने के लिए, सब्जियाँ, चाय इत्यादि दुर्घटना स्थल पर शीघ्र ही भेजी जानी चाहिए। आवश्यकतानुसार इसमें बाद में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसकी व्यवस्था प्रमाणित मंडल करेंगे और ये खानपान विभाग या आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- vi) मंडल वाणिज्य प्रबंधक सेक्शन के अनुसार खानपान ऐजेन्सी/प्राइवेट दोनों विभाग शीघ्र किसी भी स्थल पर भेजने के लिए नामित करेंगे।
यह परिशिष्ट क्र. 33 में डी.एम. योजना में उपलब्ध है।

2. स्टेशन पर हैल्प लाइन इन्क्वारी बूथ

2.1 सामान्य :

- i) आगरा मंडल के अन्दर हैल्प लाइन बूथ निम्नानुसार खोले जाएंगे।
 - मंडल दुर्घटना में सम्मिलित गाड़ी के प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन
 - मंडल के सभी जंक्शन/स्टेशन
 - मंडल मुख्यालय
- ii) आगरा छा. और मथुरा और अन्य कोई स्टेशन जो दुर्घटना में सम्मिलित गाड़ी के मार्ग पर निर्भर होगा निश्चित किया जाएगा।
- iii) सभी हैल्प लाइन इन्क्वारी बूथों पर एस.टी.डी. सहित डी.ओ.टी. के टेलीफोन एस.टी.डी. सहित रेलवे टेलीफोन फ़ैक्स मशीन फोटो कॉपीयर और पी.सी. इन्टरनेट कनेक्शन के साथ होगा।
- iv) सभी टेलीफोन बूथों का संचालन पूरे समय कंप्यूटर शिक्षित वरि. पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा।
- v) हैल्प लाइन इन्क्वारी बूथ दुर्घटना प्रभावित सेक्शन के अन्दर मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ के संपर्क में रहेगा।
- vi) मंडलीय आपातकालीन प्रकोष्ठ यू.सी.सी. से अद्यतन सूचना एकत्रित करके उसी समय भेजेंगे।
 - मंडल के अंतर्गत सभी हैल्प लाइन पूछताछ बूथ
 - उत्तर मध्य रेलवे के दूसरे मंडल के सहायता प्रकोष्ठ
 - मुख्यालय आपातकालीन प्रकोष्ठ

- vi) यू.सी.सी. द्वारा ये सूचना ई-मेल द्वारा प्राप्त की जाएगी और ई-मेल द्वारा सभी संबंधितों को प्रसारित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए हैल्प लाइन इन्क्वारी बूथों पर इंटरनेट कनेक्शन के साथ पी.सी. उपलब्ध कराए जाएंगे हैल्प लाइन इन्क्वारी बूथों के ई-मेल पते परिशिष्ट-10 में दिए गए हैं।
- vii) इन्क्वारी बूथों को दुर्घटना स्थल अथवा यू.सी.सी. से सीधे संपर्क नहीं करना चाहिए।

2.2 उपलब्ध कराए जाने वाला दुर्घटना विवरण :

- i) दुर्घटना विवरण में मरे हुए एवं घायलों की संख्या सम्मिलित होगी।
- ii) घायलों के प्रकार, टूट-फूट जैसे- गंभीर, साधारण इत्यादि।
- iii) घायल सवारियों की विभिन्न अस्पतालों में भेजना।
- iv) घायल सवारियों का नाम।
- v) नोटिस बोर्ड पर हैल्प लाइन इन्क्वारी के कार्यालय प्रभारी घायल (सवारियों) की सूची प्रदर्शित करेंगे।
- vi) इस उद्देश्य के लिए प्राप्त ई-मेल के कंप्यूटर द्वारा प्रिन्ट आउट निकाले जाएंगे और स्टेशन के कई स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- vii) सामान्यतः घायल सवारियों की सूची शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है क्योंकि अधिकतर घायल यात्री होश में रहते हैं तथा अपने नाम तथा पते इत्यादि का विवरण देने की स्थिति में रहते हैं।
- viii) मृत व्यक्तियों की पहचान में अधिक समय लगता है क्योंकि वे अकेले यात्रा कर रहे होते हैं अथवा उनके साथी घायल होते हैं और उनकी पहचानने की स्थिति नहीं होती है उनके साथी मर जाते हैं।
- ix) इन स्थितियों में जब उनके सगे संबंधी गांव या शहर से आते हैं तभी मृत व्यक्तियों की पहचान संभव हो पाती है।
- x) मृत व्यक्तियों की पहचान और पहचान में होने वाली देर के कारणों की स्थिति जनता को समझानी चाहिए।
- xi) पहचाने हुए मृत व्यक्तियों की संख्या और उनके नाम उपलब्ध होने चाहिए।
- xii) प्रत्येक 3 घंटे के बाद यह सूचना अद्यतन रहनी चाहिए और लगातार अगले 4 या 5 दिन तक उपलब्ध रहनी चाहिए।

2.3 चलने वाली गाड़ियों की सूचना :

- i) दुर्घटना में सम्मिलित गाड़ी के भाग का अप्रभावी प्रस्थान और उसके गंतव्य पर पहुँचने की संख्या।
- ii) दुर्घटना में सम्मिलित गाड़ी के अप्रभावित पिछले भाग को दूसरे मार्ग से भेजना और उसके गंतव्य पर पहुँचने का अनुमानित समय।
- iii) दुर्घटना में सम्मिलित गाड़ी गंतव्य स्टेशनों और प्रारंभ से विशेष अपेक्षित का प्रारम्भिक अनुमानित तारीख और समय इसका इन मार्गों पर रुकने और मध्यवर्ती स्टेशन पर पहुँचने का अनुमानित समय।
- iv) मृत (मरे हुए) व्यक्तियों के रिश्तेदारों और घायलों को घटना स्थल पर जाने के लिए निःशुल्क पास देना, ये पास कल्याण निरीक्षक द्वारा जारी किए जाएंगे जिनका ब्योरा हैल्प लाइन पूछताछ बूथों पर है।
- v) दुर्घटना प्रभावित सेक्शन पर अन्य संचालित गाड़ियों, जिनका शेड्यूल प्रभावित हुआ है, उनका विवरण निम्नानुसार है :
 देरी (डिलेड)
 नियंत्रित (रेगुलेटेड)
 दूसरे मार्ग से भेजना (डाइवर्टेड)
 पुनः शेड्यूल बनाना (रि-शेड्यूल)
 लघु समाप्ति (शॉर्ट टर्मिनेटेड)
 रद्द (कैंसेल्ड)

- vi) चलती गाड़ियों की उपर्युक्त सूचना केवल प्रारम्भिक 24 घंटे में देना आवश्यक है। इसके बाद संचालित गाड़ियों की पूछताछ के बारे में संख्या बहुत कम और बिरले ही होगी।

2.4 धन वापसी :

- बड़ी संख्या में यात्रियों की धन वापसी के लिए स्टेशन पर बुकिंग काउण्टर बढ़ाए जाने चाहिए जो दोनों ओर अयोग्य पूर्ण होने चाहिए अथवा दुर्घटना के परिणाम के अनुसार यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए जो कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अपनी यात्रा या तो पूर्ण करने में या प्रारम्भ करने में असमर्थ रहे हैं।
- निम्न गाड़ियों के लिए धन वापसी की अनुमति होनी चाहिए।
छेरी
नियंत्रित
दूसरे मार्ग से भेजना
पुनः शेड्यूल
अल्प समाप्ति
रद्द
- ऐसी परिस्थितियों में धन वापसी करने वाले काउण्टरों पर कार्य करने वाले स्टाफ को धन वापसी के नियमों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए।
- इस उद्देश्य के लिए इन काउण्टरों पर पर्याप्त नकद धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए।

मंडल वाणिज्य नियंत्रण

	रेलवे टेलीफोन	फैक्स
दिल्ली	030-26240, 22427, 23491 9717633779	030-22882 011-23744156
इलाहाबाद	035-22067, 22068, 9794837343	0532-2407977 0355-22575
कानपुर सेन्ट्रल	035-2000, 2009, 3500	0353-2011 0512-2326826
झाँसी	037-55141, 55133, 55123 9794831208	037-55899 0510-2449826
आगरा	22112, 22111, 9760537860	0562-2421026

छ) यांत्रिक विभाग :

- वरि. मंडल यांत्रिक इंजी. दुर्घटना स्थल पर जाएंगे और मंडल यांत्रिक इंजी., मंडल नियंत्रक कार्यालय में पीछे के समर्थन के लिए रहेंगे।
- उसी तरह पर्यवेक्षक दुर्घटना स्थल पर जाएंगे जैसा कि उपरोक्त सेक्शन (क-4) में विवरण दिया गया है।

1. स्टाफ व सामग्री का साइट पर भेजना

- दुर्घटना राहत गाड़ी 140 टी. क्रैन के साथ तथा सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना गाड़ी दुर्घटना स्थल पर प्रत्येक सिरे से एक भेजी जाएगी। इसका विवरण अध्याय 3 के खण्ड (ख-5) में दिया गया है।
- उपरोक्त के अलावा उत्तर मध्य रेल के अन्य स्टेशनों से ब्रेक डाउन स्पेशल भेजना चाहिए ताकि अतिरिक्त बचाव के उपकरण कटर, स्प्रेडर्स, द्रव चालित जैक इत्यादि उपलब्ध हो सकें।
- निकटवर्ती मंडलों से भी बिना क्रैन के बी.डी. स्पेशल की मांग करनी चाहिए ताकि अलग से बचाव के उपकरण जैसे कटर, स्प्रेडर्स, द्रव चालित जैक, जैनरेटर,

प्रकाश उपकरणों इत्यादि उपलब्ध हो सकें। इसका विवरण खण्ड 3 के (क-4) में दिया गया है।

- iv) यह लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दुर्घटना राहत गाड़ी 140 टी. क्रेन के साथ एक बी.डी. स्पेशल दुर्घटना स्थल के प्रत्येक सिरे पर होनी चाहिए।
- v) क्रेन चालक द्वारा प्रत्येक दुर्घटना राहत गाड़ी के स्थल पर खड़े होने की सुलभता बनानी चाहिए कि इस प्रकार की दुर्घटना राहत गाड़ी 24 घंटे कार्य कर सके।
- vi) पर्याप्त क्षमता की सड़क क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए जो इस प्रकार क्रेन को जल्दी से चालू करके मध्य में 140 टी. क्रेन दोनों सिरे पर लगातार कार्य कर सके।
- vii) दुर्घटनाग्रस्त कोचों के नजदीक बी.डी. उपकरणों को ले जाने के लिए ट्रक की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दुर्घटना स्थल के मध्य जाने के लिए और बीच से अधिक कार्य करने के लिए एक साथ कार्य के केन्द्र खोले जा सकें।

(ज) सुरक्षा विभाग

- i) वरि. मंडल सुरक्षा आयुक्त को दुर्घटना स्थल पर पहुँचना चाहिए और सहायक सुरक्षा आयुक्त को मंडल मुख्यालय पर वापस आकर रुकना चाहिए।
- ii) इसी प्रकार पर्यवेक्षक दुर्घटना स्थल पर पहुँचेंगे इस संबंध में उपर्युक्त विवरण खण्ड (क-4) में दिया गया है।

1. स्टाफ व सामग्री का साइट पर भेजना :

- i) प्रथम सूचना प्राप्त होने पर नजदीकी रेल सुरक्षा बल उपलब्ध अधिकतम जन-शक्ति के साथ यथासंभव कम से कम समय में प्रस्थान करेंगे और वे उपलब्ध शीघ्रगामी साधन से दुर्घटना स्थल पर पहुँचेंगे।
- ii) इसी प्रकार पोस्ट/आउट पोस्ट के प्रभारी निकटवर्ती रेल सुरक्षा बल पोस्टों से अतिरिक्त जनशक्ति की मांग करेंगे।
- iii) वह स्थानीय पुलिस और पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थानीय फायर स्टेशन को भी शीघ्र सूचित करेंगे।
- iv) फायर ब्रिगेड/स्थानीय अस्पतालों एवं स्वयं सेवी संगठनों को भी त्वरित सूचित करेंगे।
- v) पड़ोसी पोस्टों/आउट पोस्टों से मंडल सुरक्षा नियंत्रण से और बल प्राप्त होने पर मंडल में रिजर्व अथवा जोनल में रिजर्व कंपनी को दुर्घटना राहत गाड़ी से उनको भेजेंगे। यदि वे दुर्घटना राहत गाड़ी के द्वारा नहीं जा पाते हैं तो वे दुर्घटना स्थल पर प्रत्येक सिरे से जाने वाली द्वितीय, तृतीय विशेष गाड़ियों जो लॉजस्टिक समर्थन के लिए जा रही है। उनके द्वारा उनको निश्चित रूप से भेज देना चाहिए।
- vi) आर.पी.एस.एफ. बटालियन अथवा कंपनी नजदीक में स्थित होने के मामले में व्यक्तियों की मांग के लिए वहां से संपर्क किया जाए ऐसी आपाती हालत को डील करने के लिए जब तक अन्य स्त्रोतों से अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध न हो जाए।
- vii) क्षेत्रीय मुख्यालय की अतिरिक्त आर.पी.एफ. कार्यकर्ताओं को आदेश देने चाहिए और दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए।
- viii) उपलब्ध अतिरिक्त आर.पी.एफ. कर्मचारीगण मंडल में पूर्णतया सतर्क रहने चाहिए और द्वितीय, तृतीय विशेष गाड़ियां जो प्रत्येक सिरे से व्यक्तियों की लॉजस्टिक समर्थन और सामग्री को ले जा रही है उनके द्वारा उनको दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए।
- ix) सुरक्षा, बचाव के लिए कुछ ही देर में अपेक्षित आवश्यक उपकरण भेजने के लिए मंडल सुरक्षा नियंत्रण कार्यालय सुनिश्चित करेगा और घटना स्थल की सुरक्षा बशर्ते इस प्रकार की जाएगी :
 - प्रत्येक व्यक्ति पर एक टॉर्च और अन्य प्रकाश की व्यवस्थाएं।
 - प्रभावित क्षेत्र को पृथक करने के लिए नाइलोन की 1 कि.मी. लम्बी रस्सी और खम्बे
 - उद्घोषणाओं के लिए 4 लाउड स्पीकर
 - 10 स्ट्रैचर और प्रथम उपचार उपकरण

- घटना स्थल (नगेटिव और स्लाइड फिल्म दोनों पर) पर फोटोग्राफी के लिए डिजिटल कैमरा
- बचाव की वीडियो रिकार्डिंग बचाव परिचालन और सम्भावित प्रशासनिक व्यवस्थाएं

2. स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय (तालमेल) :

आई.जी./जी.आर.पी. तथा अपर महानिदेशक आर.पी.एफ. निम्नलिखित के साथ निरंतर संपर्क बनाएंगे :

- i) दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध सभी राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए।
- ii) भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य के लिए स्थानीय पुलिस से अतिरिक्त जनशक्ति प्राप्त करना।
- iii) कार्य को चालू करने के लिए और शीघ्र भीड़ निकासी के लिए स्थानीय पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
- iv) मृतकों की शव परीक्षा की औपचारिकता के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से आवश्यक निर्देश जारी कराएंगे।

(झ) विद्युत विभाग :

- i) मंडल विद्युत इंजी. (सा.) दुर्घटना स्थल पर जाएंगे और सहायक विद्युत इंजी. (सा.) बैंक अप समर्थन की व्यवस्था के लिए नियंत्रण कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
- ii) वरि. मंडल विद्युत इंजी./क.वि., सहायक विद्युत इंजी./क.वि. मथुरा जं. के साथ दुर्घटना स्थल पर जाएंगे, मंडल विद्युत इंजी. (क.वि.) बैंक अप समर्थन की व्यवस्था के लिए मंडल नियंत्रण कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
- iii) उसी तरह (क.वि.) के वरि. सेक्शन इंजी. दुर्घटना स्थल पर जाएंगे, उपर्युक्त विवरण खण्ड (क-4) पर दिया गया है।
- iv) विद्युत विभाग की मुख्य जिम्मेदारी स्थल पर प्रकाश व्यवस्था और ओ.एच.ई. की होगी।
- v) विद्युत उपकरण को लगाने और संचालित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में विद्युत विभाग के कर्मचारियों को द्वितीय और तृतीय विशेष गाड़ी के द्वारा भेज देना चाहिए।
- vi) जो अधिकारी मंडल मुख्यालय पर वापस आकर ठहरेंगे वे दुर्घटना स्थल से निरंतर संपर्क बनाए रखेंगे और अपेक्षित स्टाफ एवं सामग्री की अपेक्षित मात्रा का पता लगाते रहेंगे।
- vii) दुर्घटना स्थल के दोनों ओर से अपेक्षित सहायता होनी चाहिए :
 - मंडल में उपलब्ध रेलवे संसाधन या
 - समीप के मंडलों और मुख्यालयों के रेलवे संसाधनों से या
 - मंडल सहित गैर रेलवे साधनों से

(ज) सिगनल एवं दूर संचार विभाग

- i) वरि. मंडल दूर संचार इंजी. के अलावा मंडल सिगनल दूरसंचार इंजी. दुर्घटना स्थल पर जाएंगे बैंक सपोर्ट प्रदान करने के लिए मंडल सिगनल दूर संचार इंजी. (डब्ल्यू) स्थल मंडल नियंत्रण कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
- ii) इसी प्रकार सिगनल एवं दूर संचार विभाग के वरि. सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजी. दुर्घटना स्थल पर पहुँचेंगे उपर्युक्त सेक्शन (क-4) में विवरण दिया गया है।
- iii) दूर संचार के प्रभावी और पर्याप्त साधनों के लिए सिगनल एवं दूर संचार विभाग की मुख्य जिम्मेदारी होगी।

1. स्टाफ व सामग्री :

- i) वरि.मंडल दूर संचार इंजी., सहायक मंडल सिगनल दूर संचार इंजी. के साथ दुर्घटना स्थल पर निम्नलिखित सामान लेकर जाएंगे :
 - सैटलाइट फोन
 - फैक्स कम प्रिन्टर
 - दो 25 डब्ल्यू व्ही.एच.एफ. सैट एन्टीना और बैटरी के साथ
 - 10 नम्बर 5 डब्ल्यू वॉकी-टॉकी सैट
- ii) उनके साथ-साथ कम से कम दो दूर संचार निरीक्षक और टी.सी.एम. भी जाएंगे।
- iii) टेलीफोन उपकरणों को परिचालित और लगाने के लिए सेक्शन में 6 टी.सी.आई. /टी.सी.एम. और सिगनल निरीक्षक और अधिक संख्या में सिगनल विभाग के कर्मचारी भेजने चाहिए। उन्हें प्रत्येक सिरे से दुर्घटना स्थल के दोनों ओर दुर्घटना राहत गाड़ी द्वारा या द्वितीय और तृतीय विशेष गाड़ियों द्वारा लॉजस्टिक सहायता भेजने वाली गाड़ियों से भेजा जाए।
- iv) मंडल में उपलब्ध सभी मोबाइल फोनों को भी चार्जर सहित दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन उपयोग के लिए ले जाना चाहिए।
- v) इन मोबाइलों के लिए दुर्घटना स्थल पर पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त बैटरियों और चार्ज बैटरी भी ले जानी चाहिए।

2. स्थल पर दूर संचार व्यवस्था :

- i) मंडल दूर संचार इंजी. मंडल नियंत्रण कार्यालय में तुरन्त आएंगे और सभी अपेक्षित संचार व्यवस्था का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।
- ii) मंडल दूर संचार इंजी. सहायता पूछताछ बूथों पर लगे टेलीफोनों और दुर्घटना स्थल पर लगे हुए इमरजेंसी सैट फोनों, बी.एस.एन.एल. टेलीफोनों तथा रेलवे टेलीफोनों की संख्याओं का रिकार्ड रखेंगे। इस सूचना को मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ में भेजेंगे।
- iii) वह क्षेत्र के बी.एस.एन.एल. कार्यालयों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे और दुर्घटना स्थल और नजदीकी स्टेशन पर अतिरिक्त बी.एस.एन.एल. टेलीफोन/हॉट लाइन की व्यवस्था करेंगे।
- iv) पर्याप्त सैलफोन किराए पर लेने चाहिए और उन्हें दुर्घटना स्थल पर भेज देना चाहिए।
- v) अन्य मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय पर स्थित आपातकालीन प्रकोष्ठ और ई-मेल पते होने चाहिए।

मंडलों के नजदीक उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे पर निम्नलिखित सैटलाइट टेलीफोन की व्यवस्था उपलब्ध है –

मंडल	वॉइस	फैक्स	डाटा
आगरा- I	I- 764128414 II- 764128417	764128415	764128416
आगरा- II	I- 764128418 II- 764128421	764128419	764128420
झाँसी- I	762834328 762834331	762834329	762834330
झाँसी- II	I- 764128388 II- 764128391	764128389	764128390
ग्वालियर	I- 764128396 II- 764128399	764128397	764128398

इलाहाबाद— I	I— 763095682 II— 763095685	763095683	763095684
इलाहाबाद— II	I— 764128515 II— 764128518	764128516	764128517
कानपुर	I— 764128519 II— 764128522	764128520	764128521
टूण्डला	I— 763096551 II— 763096554	763096552	763096553
दिल्ली	I— 761603287 II— 761603290	761603288	761603289

3. मुख्यालय के दूर संचार और मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ :

- मंडल नियंत्रण कार्यालय पर अपेक्षित दूर संचार का प्रबंध करना।
- मंडल नियंत्रण कार्यालय में 2 बी.एस.एन.एल. टेलीफोन एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा सहित उपलब्ध होने चाहिए।
- नियंत्रण कार्यालय में प्रभारी अधिकारी के प्रयोग के लिए दूसरे चार बी.एस.एन.एल. टेलीफोन नम्बर अलग से होने चाहिए (2 एसटीडी सुविधा) ये अधिकारियों के चैम्बर से अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित हो जाने चाहिए।
- एक बी.एस.एन.एल. टेलीफोन पर 1 फैक्स मशीन का प्रबंध होना चाहिए।
- 2 रेलवे टेलीफोन नम्बर एस.टी.डी. सुविधा सहित उपलब्ध होने चाहिए।
- मंडल नियंत्रण कार्यालय में 2 मोबाइल टेलीफोन भी उपलब्ध होने चाहिए।

4. हैल्प लाइन पूछताछ बूथों पर दूर संचार :

- सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हैल्प लाइन पूछताछ बूथ खुली होनी चाहिए।
- ये हैल्प लाइन इन्क्वारी बूथों की स्थिति यहां के स्टेशनों के प्लेटफार्म क्रं. 1 पर क्रमशः होनी चाहिए।
- 2 बी.एस.एन.एल. टेलीफोन प्रमाणित होने चाहिए और सहायता पूछताछ केन्द्रों पर तार खुले रखने चाहिए ताकि इसका संचार शीघ्र हो सके।
- एक फैक्स मशीन फोटो कॉपी और पी.सी. के साथ इंटरनेट से जुड़ी होनी चाहिए और सहायता केन्द्रों पर तार खुले रखने चाहिए ताकि इसका संचार शॉर्ट नोटिस पर हो सके।
- सभी सूचनाओं से संबंधित पी.सी. के ई-मेल पत्तों का प्रबंध होना चाहिए पी.सी. ई-मेल पते के साथ समानुरूप होने चाहिए जैसा कि संलग्नक-9 में दिया गया है।

आगरा मंडल पर आपातकालीन सहायता पूछताछ केन्द्र की व्यवस्था की गई है :

स्टेशन	रेलवे नं.	बी.एस.एन.एल.
आगरा छावनी	1072 (2लाइन), 2929, 2119	2421041, 2421036
आगरा फोर्ट	1072	2464042, 2462543
मथुरा जं.	051072 (2लाइन), 44111	0565-2402008, 2402009

(ट) इंजीनियरिंग विभाग

1. मनुष्यों की भीड़ और दुर्घटना स्थल पर सामग्री

दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के द्वारा वरि. मंडल इंजी.(सम.) और सेक्शन सहायक मंडल इंजी. दुर्घटना स्थल पर जाएंगे। वरि. मंडल इंजीनियर (सम.) की अनुपस्थिति में मंडल का अगला वरि. इंजीनियर अधिकारी संबंधित इंजीनियरिंग विभाग के साथ जाएगा। सेक्शन के मंडल इंजीनियर की अनुपस्थिति में निकटवर्ती सेक्शन के मंडल इंजीनियर/सहायक इंजीनियर दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के द्वारा जाएंगे।

यह अपेक्षित है कि सेक्शन के सहायक मंडल इंजीनियर और रेल पथ निरीक्षक दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन से पहले से ही पहुँच चुके हैं। इन मामलों में जहाँ रेल पथ निरीक्षक और सहायक मंडल इंजीनियर मंडल मुख्यालयों पर आधारित हैं उन्हें कर्मचारियों के साथ दुर्घटना राहत वाहन से जाना चाहिए।

अंत में 2 वरि. सेक्शन इंजीनियर (कार्य) और वरि. सेक्शन इंजीनियर (ब्रिज) दुर्घटना राहत वाहन के द्वारा उन्हें कर्मचारियों के साथ जाना चाहिए।

2. कार्य बल का सैन्य संघटन :

- i) दुर्घटना स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पहुँचने चाहिए। मंडल इंजीनियर नियंत्रण को झाँसी की ओर से विशेष गाड़ी से आने वाली लेबर को भेजने का निर्णय करेगा।
- ii) कार्य की मरम्मत के लिए यदि अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो झाँसी, इलाहाबाद और दिल्ली से मांग करनी चाहिए। जो दुर्घटना स्थल के निकटतम हो।
- iii) इस उद्देश्य के लिए 10 रेल पथ निरीक्षक, 10 लुहारों के साथ 500 कार्यकर्ताओं का प्रबंध मंडल द्वारा किया जाएगा।
- iv) रेल स्लीपरों एवं फिटिंग का ½ कि.मी. और 12 में 1 का सैट और 8½ टर्न आउट में 1 सैट दुर्घटना राहत गाड़ी में उपलब्ध रहते हैं। मैकेनिकल एवं परिचालन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्घटना राहत गाड़ी का पार्ट-सी. (अतिरिक्त इंजीनियरिंग सामग्री सहित वैगन) दुर्घटना राहत गाड़ी के पीछे लगा है। मंडल की ट्रैक डिपो में ½ कि.मी. का मैचिंग मैटेरियल और 8½ में 1 का सैट और 12 टर्न आउट में 1 की अतिरिक्त सामग्री रखी जाएगी। इस सामग्री को लादने के लिए ट्रैक डिपो में 2 बी. एफ.आर. और 2 बी.सी.एक्स. वैगन अविलम्ब भेजने चाहिए। इस सामग्री के 03 घंटे के अन्दर लाद कर दुर्घटना स्थल पर अविलम्ब भेजना चाहिए। यह सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) ट्रैक डिपो और मंडल इंजीनियरिंग नियंत्रण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- v) बैलास्ट डिपो में कम से कम 2 जे.सी.वी. उपलब्ध होना चाहिए और ठेकेदार अविलम्ब मूव करेगा।
- vi) यदि आवश्यक हो तो कानपुर दुर्घटना राहत गाड़ी में उपलब्ध बुलडोर को इलाहाबाद मंडल द्वारा प्रबंध करके विशेष गाड़ी से भेजा जाएगा।
- vii) वरि. मंडल इंजीनियर—।/मंडल इंजीनियर बुलडोजर/मिट्टी हटाने वाली मशीन के लिए संबंधित प्राधिकारी (आर्मी/राज्य सरकार के विभाग) से अनुरोध करेंगे।

अध्याय – 9
आपदा अनुक्रिया –समन्वय केन्द्र

1. दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना गाड़ियों का दुर्घटना स्थल पर शीघ्रता से पहुँचना:

- i) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी को आदेश मिलने के बाद ये राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी के लिए पावर नियंत्रक को दुर्घटना स्थल तक डीजल पावर की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ii) उपलब्ध डीजल पावर को पहले नामित करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो चलती मेल एक्सप्रेस गाड़ी के पावर को अस्थायी तौर पर काटकर भेज देना चाहिए।
- iii) यदि डीजल पावर तैयार उपलब्ध नहीं है और ओ.एच.ई. सेक्शन स्टेशन तक कार्य कर रही है तब विद्युत इंजन के द्वारा दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन/दुर्घटना राहत गाड़ी को आगे भेज देना चाहिए और डीजल पावर का मार्ग बदलना चाहिए।
- iv) मंडल पर डीजल पावर उपलब्ध नहीं होने के मामले में तब निकटवर्ती मंडलों से मांग करनी चाहिए।
- v) निम्नलिखित सेक्शनों से प्राथमिकता के आधार पर डीजल पावर की मांग करनी चाहिए।

आगरा मंडल

- आगरा मंडल की मुख्य लाइन धौलपुर—पलवल सेक्शन
 - आगरा—बाँदीकुई सेक्शन
 - टूंडला—बयाना सेक्शन
 - मथुरा—अलवर सेक्शन
 - अछनेरा—मथुरा सेक्शन
 - आगरा—ऊदी सेक्शन
 - आगरा मंडल का अन्य सेक्शन
 - झाँसी मंडल
 - दिल्ली मंडल (उ.रे.)
 - जयपुर मंडल (उ.प.रे.)
- vi) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी का संचालन मिलकर कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन गाड़ी को पहले चलाना चाहिए और उसे तेज संचालन के लिए अलग से पहले भेजना चाहिए।
 - vii) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी जिसमें डॉक्टर और अधिकारी आते हैं को किसी भी खाते पर विलम्बित नहीं करना चाहिए। जो भी पीछे छूट गया है उनको महाप्रबंधक विशेष गाड़ी से या सड़क द्वारा ला सकते हैं।
 - viii) यदि आवश्यक हो तो तो दुर्घटना राहत चिकित्सीय वाहन को समय के भीतर भेज देना चाहिए। चाहे डॉक्टरों का पूरा कम्पलीमेन्ट न हो इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो अन्य डॉक्टर दुर्घटना चिकित्सा वाहन को स्थल पर पहुँचने के बाद उसका उपयोग कर सकते हैं।
 - ix) सभी अन्य गाड़ियों को पीछे छोड़कर दुर्घटना राहत चिकित्सीय वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी को आगे जाने के लिए परम अग्रता दी जानी चाहिए। गाड़ियों का रास्ते में कहीं भी ठहराव नहीं होना चाहिए।
 - x) 7 स्टेशनों के दोनों तरफ चालू लाइनों पर सभी गाड़ियों के लिए दुर्घटना प्रभावित ब्लॉक विलयर रखने चाहिए। किसी हाल में माल गाड़ियों को वहीं खड़ा कर देना चाहिए।
 - xi) दुर्घटना स्थल की ओर जाने वाली माल गाड़ियों को आरक्षित और वापस करना चाहिए।
 - xii) यदि कोई नई गाड़ी हो तो उन्हें 07 स्टेशनों के दोनों ओर रोकना चाहिए।
 - xiii) 7 स्टेशनों के परे गाड़ियों को खड़ा करने के लिए अप, डाउन और लूप लाइनों को एक ही स्टेशन पर ब्लॉक नहीं करना चाहिए।
 - xiv) 7 स्टेशनों के परे खड़े करने के लिए अप लूप और डाउन लूप अल्टरनेट स्टेशनों पर ब्लॉक करना चाहिए।

2. मेल/एक्सप्रेस/सवारी गाड़ियों का दिक् परिवर्तन, नियमितीकरण, शॉर्ट टर्मिनेशन और पुनः शेड्यूल बनाना :

- i) दुर्घटना सूचना प्राप्त होने पर दुर्घटना में शामिल सेक्शन की ओर जाने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को रोक देना चाहिए। उन्हें पिछले जंक्शन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जहाँ से कि उन्हें दिक् परिवर्तन किया जा सकता है।
- ii) उनके आगे से संचालन के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार उन्हें सुविधाजनक स्टेशनों पर अनुशासित किया जाना चाहिए। यह निर्णय सामान्यतः अगले एक घंटे के अन्दर लिया जाना चाहिए।
- iii) गाड़ियों को उन स्टेशनों पर ही नियमित किया जाना चाहिए जहाँ पर खाने की व्यवस्था हो सके।
- iv) यद्यपि दो गाड़ियों से अधिक गाड़ियों को एक ही साथ एक स्टेशन पर नियमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लॉ एण्ड आर्डर की परेशानी हो सकती है।
- v) यह अच्छा होगा कि उन्हें धीरे-धीरे चलाया जाए ताकि यात्री अधिक उत्तेजित न हों। ऐसे मामले में चालक को 30 मि.मी. प्रति घंटा से चलने के लिए सतर्कता आदेश दिए जाएं।
- vi) सवारी गाड़ी अगली सुविधाजनक लोकेशन पर जा सकती है और इसके बाद टर्मिनेट की जा सकती है ताकि उसके रैक उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकें।
- vii) रेल मुख्यालय आपातकालीन प्रकोष्ठ, निकटवर्ती रेलवे और रेलवे बोर्ड के सवारी डिब्बा निदेशक की सहमति से निम्न के विषय में निर्णय करेगा –
 - परिवर्तन
 - नियमितीकरण
 - शॉर्ट टर्मिनेशन
 - रद्दीकरण
 - पुनः शेड्यूल बनाना
- viii) दिक् परिवर्तन के संबंध में उपरोक्त निर्णय ए.आर.एम.वी., ए.आर.टी. और जी.एम. स्पेशल के छूटने के एक घंटे बाद लेना चाहिए और उस सूचना को प्रसारित कर देना चाहिए।
- ix) जहाँ तक संभव हो जो गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं उन्हें डायवर्ट कर देना चाहिए। उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे यात्रियों की तितर-बितर होने की समस्या उत्पन्न होगी।
- x) गाड़ी को अंतिम संभावित जं. स्टेशन से ही डायवर्ट करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक यात्री अपने गंतव्य स्टेशनों पर उतर सकें।
- xi) वरि. मंडल इंजी. (ओ.पी.) परिचालन विभाग के साथ आवश्यक मांग और चालक दल की उपलब्धता इत्यादि के समन्वय का इंचार्ज होगा।
- xii) वरि. मंडल इंजी. (ओ.पी.) दिक् परिवर्तन इत्यादि के कारण यातायात बदलने की मांग और उसके अनुसार चालक दल नियुक्त करने के लिए निर्णय लेगा।
- xiii) निकटवर्ती मंडलों को घूमकर जाने वाली गाड़ियों के बारे में सूचना देनी चाहिए ताकि इण्टरचेन्ज पाइण्टों के लिए अतिरिक्त कर्मिंदल भेज सकें।
- xiv) घूमकर जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और गाड़ों के लिए आवश्यक रोड जानकारी की व्यवस्था करनी चाहिए।
- xv) रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार घूमकर जाने वाली गाड़ियों के मेल एक्सप्रेस पर कार्य करने वाले नामित चालकों के नाम सूची में लिखना चाहिए।
- xvi) चालक दल को भी दुर्घटना स्थल पर डीजल इंजन से भेजने के लिए योजना बनानी चाहिए। दुर्घटना राहत गाड़ी, दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन अन्य विशेष गाड़ियों के लिए उन्हें वहाँ 2 या 3 दिनों तक रोक जा सकता है।
- xvii) किसी भी समय विभिन्न गाड़ियों पर दुर्घटना प्रभावित सेक्शन में लगभग 10 डीजल इंजनों को लगाया जाए।
- xviii) दुर्घटना स्थल पर प्रत्येक डीजल इंजन के लिए 3 सैट डीजल चालक दल के लगाने चाहिए।

xix) यदि आवश्यक हो तो निकटवर्ती मंडलों से भी डीजल कर्मीदल का प्रबंध करना चाहिए।

xx) वरि. मं.इ.(ओ.पी.) की अनुपस्थिति में सहा.इंजी.(ओ.पी.) आगरा यह कार्य करेगा।

3. विशेष गाड़ियों का संचालन :

निम्नलिखित स्पेशल गाड़ियां दिए गए आदेशों की प्राथमिकता के आधार पर चलानी होगी :

- i) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन
- ii) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन दूसरे सिरे से
- iii) प्रत्येक सिरे से एक निकटवर्ती मंडलों से दो अतिरिक्त दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन
- iv) दुर्घटना राहत गाड़ी/सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना गाड़ी
- v) दूसरे सिरे से दुर्घटना राहत गाड़ी
- vi) दो अतिरिक्त ब्रेक डाउन स्पेशल प्रत्येक सिरे से एक
- vii) प्रथम महाप्रबंधक विशेष गाड़ी
- viii) दुर्घटना में शामिल गाड़ी का अप्रभावित अगला भाग।
- ix) दुर्घटना में शामिल गाड़ी का अप्रभावित पिछला भाग।
- x) गाड़ी के अगले-पिछले भाग को न भेजे जाने की स्थिति में वह जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति में वहीं छोड़ देना चाहिए।
- xi) दुर्घटना में सम्मिलित गाड़ी के अप्रभावित यात्रियों के क्लियरेन्स के लिए दो खाली सवारी गाड़ी को एक दूसरे सिरे से भेजना चाहिए।
- xii) दुर्घटना स्थल के प्रत्येक सिरे से जंक्शन स्टेशनों से अतिरिक्त जनशक्ति और सामग्री, ताकिक सहायता के लिए ले जाने वाली दूसरी एवं तीसरी स्पेशल गाड़ियां। इन्हें दुर्घटना स्थल पर मंडल के अधिकारियों और मंडल रेल प्रबंधक को ले जाने वाली तथा दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के चलने के 2-3 घंटे बाद भेजना चाहिए।
- xiii) प्रत्येक सिरे से दूसरी और तीसरी स्पेशल गाड़ी चलने से पहले सभी स्टेशनों का रेलवे और इन गाड़ियों के मार्ग के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि सभी विभागों के पर्यवेक्षक जंक्शन स्टेशन से दुर्घटना स्थल पर जा सकें।
- xiv) दुर्घटना में शामिल ब्लॉक सेक्शन के दोनों तरफ दो लाइट इंजन खड़े किए जाएं, सेक्शन से गैंगमैन और इंजीनियरी सामान ले जाने वाली दो इंजी. विशेष गाड़ी प्रत्येक सिरे से एक।
- xv) सेक्शन से गैंगमैन और इंजीनियरी सामान ले जाने वाली दो इंजी. विशेष गाड़ी प्रत्येक सिरे से एक।
- xvi) दुर्घटना स्थल पर रिश्तेदारों को ले जाने के लिए 2 विशेष सवारी गाड़ी का संचालन। ये गाड़ियां दुर्घटना में शामिल स्टेशनों के गंतव्य और आरम्भिक स्टेशन से चालू होंगी और इन गाड़ियों को ठहराव उसी जगह दिया जाएगा ताकि दुर्घटना में शामिल यात्रियों के रिश्तेदारों को बैठाया जा सके। यह मुख्यालय आपातकाल प्रकोष्ठ द्वारा रेलवे बोर्ड से सलाह लेकर किया जाना है।
- xvii) सचिव, रेलवे बोर्ड और संरक्षा निदेशालय के समन्वय से दुर्घटना स्थल पर रेलमंत्री/एम.ओ.एस.आर./अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, और अन्य रेलवे बोर्ड के सदस्यों की दौरे के लिए प्रबंध किया जाएगा।
- xviii) 2 खाली सवारी डिब्बे प्रत्येक सिरे पर एक सुविधाजनक स्थिति पर खड़े करने चाहिए वहाँ पानी, चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये डिब्बे दुर्घटना स्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रहने के लिए उपयोग किए जाएंगे।

4. दुर्घटना प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में होकर दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ियों के संचालन का क्रम :

- i) दुर्घटना राहत ब्लॉक सेक्शन में होकर विभिन्न गाड़ियों को लेने व भेजने के लिए सावधानी पूर्वक क्रम बनाना चाहिए।

- ii) 140 टन क्रेन और इंजीनियरिंग स्पेशलों के अलावा अन्य सभी गाड़ियों को इंजन लीडिंग सहित ब्लॉक सेक्शन में होकर भेजा जाना चाहिए। ताकि वे शीघ्रता से पहुँच सकें।
- iii) यदि प्रभावित दुर्घटना ग्रस्त गाड़ी के अगले व पिछले भाग को खींचा जा सकता हो तो दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों के ब्लॉक सेक्शन में आने से पूर्व उन्हें निकाल देना चाहिए।
- iv) अप्रभावित अगले व पिछले भागों को बाहर निकाल लेने के बाद दोनों भागों को रास्तें पड़ने वाले प्रथम स्टेशन जं. पर अतिरिक्त कोचों से जोड़ देना चाहिए।
- v) अगले व पिछले भाग को न निकाले जाने के मामले में तब उन्हें उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए।
- vi) नजदीकी स्टेशनों के दोनों ओर से दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों का एक जोड़ा आने के बाद उन्हें ब्लॉक सेक्शन के दोनों सिरे पर एक-एक भेज देना चाहिए।
- vii) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन ब्लॉक सेक्शन में आने के बाद बिना क्रेन के ब्रेक डाउन स्पेशल को धकेल कर ब्लॉक सेक्शन में भेजना चाहिए, ताकि अतिरिक्त कटर, स्प्रेडर हाइड्रोलिक जैकों इत्यादि का प्रयोग किया जा सके।
- viii) दुर्घटना स्थल पर ब्रेक डाउन स्पेशल से सभी उपकरणों को और कर्मचारियों को उतरने के बाद दोनों ब्रेक डाउन स्पेशलों को वहां से निकाल लेना चाहिए और उन्हें 4 स्टेशन दूर रखा जाना चाहिए।
- ix) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों के दो जोड़ों के मांग भी उच्च वरीयता के आधार पर करनी चाहिए। ब्लॉक सेक्शन में पहले दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों के पहुँचने के बाद ब्रेक डाउन स्पेशल को वापस कर लेना चाहिए।
- x) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों के दोनों जोड़ों को ब्रेक डाउन से पहले पहुँच जाने पर तब मद संख्या (ix) से पहले मद संख्या (vii) और (viii) का पालन करना चाहिए।
- xi) 140 टन की दोनों दुर्घटना राहत गाड़ियों को कम से कम एक स्टेशन पहले नियंत्रित करना चाहिए। ताकि पास के स्टेशन पर कोलाहल न हो।
- xii) खाली कोचिंग रैक जो कि सुरक्षित यात्रियों को ले जाने के लिए भेजी गई है। उसे ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाए। उसके बाद दोनों दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों को वहीं ठहराया जाना चाहिए।
- xiii) बहांतरण किए गए दुर्घटना गाड़ी से बाहांतरण के बाद खाली सवारी गाड़ियों में बैठाकर यात्रियों को उनके मूल निवास तक पहुँचाना चाहिए।
- xiv) दुर्घटना राहत गाड़ियों का कार्य समाप्त होने के बाद उन सभी को हटा लेना चाहिए और वापस कर देना चाहिए।
- xv) दुर्घटना में शामिल गाड़ी के अगले और पिछले भाग को अब डीजल इंजन भेजकर ब्लॉक सेक्शन से हटा लेना चाहिए।
- xvi) अंत में दोनों दुर्घटना राहत गाड़ियों को 140 टन क्रेन सहित साइट की आवश्यक-तानुसार व्यवस्थित करना चाहिए और प्रत्येक सिरे पर क्रेन सहित ब्लॉक सेक्शन में भेजनी चाहिए।
- xvii) प्रत्येक सिरे से दुर्घटना राहत गाड़ी के पीछे टावर वैगन भेजी जानी चाहिए।

5. मंडल कार्यालय में आपातकालीन प्रकोष्ठ की सेटिंग करना :

- i) मंडल नियंत्रण कार्यालय पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ खोलना।
- ii) यह इकाई नियंत्रण समन्वय से कार्य करेगी और दुर्घटना स्थल पर अनुपूरक सहायता की व्यवस्था करेगी।

- iii) मंडल नियंत्रण कार्यालय में अलग से आपातकालीन प्रकोष्ठ की व्यवस्था होनी चाहिए जिसका संबंध मुख्यालय और दुर्घटना स्थल से हॉट लाइन के द्वारा होनी चाहिए ।
- iv) वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ का इंचार्ज रहेगा तथा राहत और बचाव कार्य के लिए मंडल स्तर पर मंडल आपातकालीन अधिकारी होगा ।
- v) किसी मामले में वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक उपलब्ध नहीं है तो मंडल परिचालन प्रबंधक आपातकालीन अधिकारी होंगे ।
- vi) किसी मामले में दोनों अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किसी अन्य अधिकारी को प्रभारी के रूप में नामित करेंगे ।
- vii) सभी विभाग की मांग और आदमी के संचालन के लिए और सामग्री को दुर्घटना स्थल पर सूचना के लिए मंडल आपातकालीन अधिकारी रहेगा जो इन संचालनों की व्यवस्था करेगा ।
- viii) दुर्घटना स्थल के प्रत्येक सिरे से लॉजस्टिक समर्थन और सभी संबंधितों को ले जाने वाली गाड़ी दूसरी और तीसरी विशेष स्पेशल गाड़ी की सूचना समय से पहले देनी होगी ।
- ix) मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ निम्न प्रकार से रख-रखाव करेगा
 - दुर्घटना स्थल के फैंक्स नं. एवं दूरभाष नम्बरों का रख-रखाव, मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ में एवं यूसीसी में उपलब्ध पदाधिकारियों के अनुसार होगी ।
 - उसी प्रकार मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ में सी.ए.सी. में उपलब्ध कार्यकर्ताओं के टेलीफोन, फैंक्स नम्बर उपलब्ध होने चाहिए ।
 - उसी तरह सी.सी.ए. के साथ भी टेलीफोन नम्बरों पर कार्यकर्ता उपलब्ध होने चाहिए ।
 - यू.सी.सी., सी.ए.सी., हैल्प लाइन इन्क्वायरी बूथों के ई-मेल पते और मुख्यालय आपातकालीन प्रकोष्ठ के ई-मेल पते संलग्नक 10 में दिए गए हैं ।
 - जहाँ पर घायलों को भर्ती किया गया है उन अस्पतालों के नाम व फोन नम्बर मरीजों की संख्या सहित ।
- x) मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ दुर्घटना स्थल की सभी स्थितियों की अद्यतन सूचनाओं का रिकार्ड संग्रह करेंगे और उसे ई-मेल अथवा टेलीफोन द्वारा भेजेंगे ।
 - मंडल के अन्दर सभी हैल्प लाइन इन्क्वायरी बूथ
 - मुख्यालय आपातकालीन प्रकोष्ठ
- xi) ड्यूटी पर तैनात मंडल आपातकालीन अधिकारी कालक्रमानुसार सभी सूचनाओं और निर्देशों को प्राप्त करेंगे या लॉग बुक में दर्ज करेंगे ।
- xii) यदि आवश्यक हो तो उसी तरह मुख्य आपातकालीन अधिकारी के निर्णय के अनुसार आपातकालीन प्रकोष्ठ अन्य बड़े टर्मिनलों पर खोले जाएंगे ।
- xiii) राहत, बचाव और पुनः स्थापन कार्य पूर्ण होने के बाद मंडल रेल प्रबंधक के निर्णय के अनुसार मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ का समापन किया जाएगा ।

6. शिफ्ट ड्यूटी में मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ की देखभाल :

- i) मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ की देखभाल अधिकारियों द्वारा चौबीसों घंटे करनी होगी ।
- ii) परिचालन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त यहां चौबीस घंटे मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ में इंजीनियरिंग, यांत्रिक, वाणिज्य, चिकित्सा, सुरक्षा और कार्मिक विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी होगी ।
- iii) मंडल आपातकालीन प्रकोष्ठ में सभी विभागों के सीनियर/जूनियर अधिकारियों की शिफ्ट ड्यूटी 24 घंटों में 12 घंटों होगी (दिन में 8 बजे से 20 बजे और रात्रि शिफ्ट में 20 बजे से 8 बजे तक होगी)

- iv) मंडल में उपलब्ध प्रत्येक विभाग के वरि. अधिकारी दिन की शिफ्ट के दौरान मंडल आपातकालीन सेल में ड्यूटी पर होंगे (8 बजे से 20 बजे)
- v) प्रत्येक विभाग के वरि. अधिकारी रात की शिफ्ट में स्वयं अपने विभाग के लिए 12 घंटे की रोस्टर जारी करेंगे (20 बजे से 8 बजे)
- vi) अधिकारियों और पर्यवेक्षकों दोनों को दिन-रात की 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी 24 घंटे में कवर करनी चाहिए।
- vii) उन्हीं अधिकारी और पर्यवेक्षकों की ड्यूटी बिना किसी परिवर्तन या रोटेशन के 4-5 दिनों की होगी।

7. अपर मंडल रेल प्रबंधक की ड्यूटी :

- i) सभी पर्यवेक्षक स्टाफ को दुर्घटना स्थल पर जाने के लिए लोकल टी.वी. चैनल और केबल नेटवर्क पर उद्घोषणा करना।
- ii) यह सुनिश्चित करना कि मंडल आपातकालीन कक्ष में ड्यूटी करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार ड्यूटी करना।
- iii) दूसरे मंडलों/जोनों से सहयोग की देखभाल करना।
- iv) राज्य सरकार के साथ समन्वय करना।
- v) रक्षा और पैरा मिलिट्री अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- vi) ट्रैक की मीडिया रिपोर्टिंग के विभिन्न महत्वपूर्ण चैनलों की देखभाल करना। यदि अपेक्षित हो तो उचित शुद्धीकरण/वर्गीकरण भी जारी किया जा सकता है।

आपदा अनुक्रिया-निकटवर्ती जोनों से सहायता

1. निकटवर्ती मंडलों/जोन्स से सहायता की आवश्यकताएं :

- i) कोई भी मंडल फिरोजाबाद या गैसल जैसी आपदाओं को हैण्डिल करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- ii) निकटवर्ती और मंडलों/जोनों से सहायता लेनी पड़ती है।
- iii) किसी भी मंडल से सामान्यतः दुर्घटना में शामिल 100 घायलों (गंभीर + साधारण) तक हैण्डिल करने की आशा की जा सकती है। घायलों के स्तर की सीमा दी गई है, क्योंकि प्रारम्भ में घायलों की संख्या का पता करना कठिन होता है।
- iv) जब कभी घायलों की संख्या 100 से अधिक हो तो निकटवर्ती मंडल/जोनों से सहायता लेनी चाहिए।
- v) यह समन्वय मुख्यालयों के आपातकालीन प्रकोष्ठ में मुख्य आपातकालीन अधिकारी द्वारा किया जाना है।

2. निकटवर्ती जोन/मंडलों से सहायता का निर्धारण :

- i) मंडल रेल प्रबंधक दुर्घटना स्थल पर पहुँचने के बाद तुरन्त संभावित घायलों का मूल्यांकन करेंगे।
- ii) शीघ्र निर्धारण सुनिश्चित करने के क्रम में निकटवर्ती मंडलों से कम से कम संभावित समय में सहायता ली जा सकती है।
- iii) मंडल रेल प्रबंधक द्वारा दुर्घटना में शामिल कोचों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए।
- iv) व्यवहारिक नियम के अनुसार जो कोच उलट गए हैं प्रत्येक कोच में 30 घायलों का अनुमान लगाना चाहिए।
- v) कुल घायलों की अनुमानित संख्या (कोचों की संख्या) × 30 होगी।
- vi) इसकी सूचना मुख्यालय आपातकालीन कक्ष में मुख्य आपातकालीन अधिकारी और मंडल आपातकालीन कक्ष और वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक को देनी चाहिए।
- vii) उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए और निकटवर्ती मंडल/जोन्स से सहायता लेनी चाहिए।

3. निकटवर्ती मंडलों/जोन्स से सहायता का परिमाण :

- i) प्रचलित नियमों के अनुसार 100 घायलों के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त 50 घायलों के लिए एक टीम निकटवर्ती मंडल से निर्धारण करना चाहिए।
- ii) सभी आपदाओं के मामलों में निम्नलिखित अनुमानित मार्गदर्शन सहायता के लिए अपेक्षित है।

थ्रेसहोल्ड लेवल	150 > घायल > 100	250 > घायल > 200
टीमों की सं	01	03
दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन	02	02+02
140 टी क्रेन	02	02+02 ब्रेकडाउन स्पेशल

- ii) नीचे दिए गए नियमानुसार निकटवर्ती मंडलों/क्षेत्रों से प्रत्येक टीम में कर्मचारियों की पूर्ण संख्या भेजी जाएगी :

— ऑफीसर इंचार्ज	वरि. स्केल
— चिकित्सक	05
— चिकित्सा कर्मचारी	10
— वाणिज्य अधिकारी	02
— वाणिज्य पर्यवेक्षक	10

— वाणिज्य कर्मचारी	20
— कार्मिक पर्यवेक्षक	05
— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20
— रेल सुरक्षा बल	01 कंपनी
iv) प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित मंडलों से सहायता लेनी चाहिए।	
मंडल का नाम	टीम की संख्या
— झाँसी (उ.म.रे.)	03
— इलाहाबाद (उ.म.रे.)	02
— दिल्ली (उ.रे.)	02
— कोटा (प.म.रे.)	01
— जयपुर (उ.प.रे.)	01
कुल	09

4. रक्षा और पैरा मिलिट्री बलों से सहायता :-

- निकटवर्ती सेना और पैरा मिलिट्री सेना संस्था से सहायता लेनी चाहिए।
- रेलवे कर्मचारी कितना भी वफादार और कर्तव्यनिष्ठ क्यों न हो, लेकिन उसे फंसे हुए शवों को निकालने, घायलों की सहायता करने में विशेषज्ञता नहीं होती है।
- सेना विशेषज्ञ होती है और वे युद्ध की स्थिति की तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं।
- इसलिए मंडल/क्षेत्रीय मुख्यालय को नजदीकी सेना कमांड के साथ संपर्क में रहना चाहिए और आवश्यक सहायता के लिए अनुरोध करना चाहिए।
- सेना और पैरा मिलिट्री के संस्था के चुने हुए टेलीफोन नम्बर अनुलग्नक 8 में दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय आपदा पर त्वरित एक्शन लेने के लिए गठित बल के आठवीं बटालियन के टेलीफोन नम्बर अनुलग्नक 36 में दिए हुए हैं।

5. निकटवर्ती मंडलों/क्षेत्रीय रेलवे से विभागीय सहायता :

(क) सिगनल एवं दूर संचार विभाग

- निकटवर्ती मंडलों के दुर्घटना राहत गाड़ी से चार्जर के साथ सेटेलाइट टेलीफोन।
- 5 निकटवर्ती मंडलों के प्रत्येक दुर्घटना राहत गाड़ी से 5 मोबाइल टेलीफोन चार्जर के साथ (सभी में 25 मोबाइल)

(ख) विद्युत विभाग

- निकटवर्ती मंडलों के दुर्घटना राहत गाड़ी से जनरेटर।
- निकटवर्ती मंडलों के दुर्घटना राहत गाड़ी से लाइटिंग उपकरण।
- पोर्टल और ओ.एच.ई. मास्ट।

(ग) सिविल इंजीनियरिंग

- 500 अतिरिक्त कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो निकटवर्ती मंडलों/क्षेत्रीय रेलों से आ सकते हैं।
- प्रत्येक ऐसे मंडलों की सहायता के लिए 250 व्यक्तियों को, 5 आर्टीजन और 5 रेल पथ निरीक्षकों के साथ भेजना चाहिए।
- प्रत्येक ऐसे मंडलों से दुर्घटना स्थल पर प्रत्येक को एक मंडल इंजीनियर और एक सहायक मंडल इंजीनियर को भेजना चाहिए।

अध्याय – 11
कार्य स्थल प्रबंध योजना– I

दुर्घटना स्थल पर आपदा प्रबंधन कार्य के लिए 2 पहलू हैं। पहला, बचाव, राहत और पुनः स्थापन जो एक कार्यदल के द्वारा तथा दूसरा, दुर्घटना में सम्मिलित यात्रियों के स्वास्थ्य लाभ, शवों का रख-रखाव और उनके रिश्तेदारों का ध्यान रखना इत्यादि कार्य दल के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त दो प्रकार के प्रबंधन दो अलग-अलग स्टेबलिस्मेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए। संक्षिप्त योजना की आउट लाइन अनुलग्नक 1 में दी गई है।

1. यूनीफाइड कमांड सेन्टर (यूसीसी) :

- i) दुर्घटना स्थल पर यूनीफाइड कमांड सेन्टर (यूसीसी) लगा होना चाहिए।
- ii) दुर्घटना स्थल के पास कुछ विशेष नियंत्रण कार्यालय स्थित रहेंगे।
- iii) इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे में बचाव, राहत और पुनः स्थापन कार्य के संचालन के लिए है।
- iv) यू.सी.सी. की संक्षिप्त योजना का विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है।
- v) यू.सी.सी. की देखभाल का भी कार्य निम्नलिखित विभाग करते हैं।
 - चिकित्सा
 - वाणिज्य
 - परिचालन
 - संरक्षा
 - सुरक्षा
 - जनसंपर्क
 - यांत्रिक
 - विद्युत
 - सिगनल एवं दूर संचार
 - सिविल
- vi) यू.सी.सी. एक नियंत्रण कार्यालय की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
- vii) यू.सी.सी. में जनरेटर के द्वारा पर्याप्त रोशनी का प्रबंध होना चाहिए।
- viii) पर्याप्त टेलीफोन नम्बरों को मंडल आपातकालीन कक्ष और मुख्यालय से जुड़ा होना चाहिए। आपातकालीन कक्ष को उपलब्ध कराना चाहिए। वरीयतः प्रत्येक विभाग के पास यू.सी.सी. में अलग नम्बर होना चाहिए।
- ix) यू.सी.सी. में सैट लाइट टेलीफोन लगाने चाहिए।
- x) यू.सी.सी. में फैक्स, फोटो कापी, पी.सी., लाउड स्पीकरों के साथ लगे होने चाहिए।
- xi) सभी संबंधितों को पूर्ण डिटेल विवरण भेजने के लिए मंडल आपातकालीन कक्ष, मुख्यालय आपातकालीन कक्ष और हैल्प लाइन इन्क्वायरी बूथों को ई-मेल करने के लिए पी.सी./लेप टॉप इण्टरनेट से जोड़ना चाहिए।
- xii) शमियाना के प्रवेश द्वार पर यूनीफाइड कमांड सेन्टर का बड़ा बैनर प्रदर्शित करना चाहिए।
- xiii) उसी तरह यू.सी.सी. की संपर्क सड़क पर रास्ते में पर्याप्त मात्रा के रास्ते को दर्शाने वाले चिन्ह लगाने चाहिए।
 - xiv) दुर्घटना स्थल पर यू.सी.सी. की देखभाल वरि. पर्यवेक्षकों की 12-12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी होगी।

- xv) यू.सी.सी. स्टेशनों में अधिकारी स्थायी तौर पर वहीं नहीं रहेंगे वे दुर्घटना स्थल पर पर्यवेक्षण के लिए जाएंगे और सेन्टर पर अलग-अलग गतिविधियों पर विभाग के कार्य का अनुवीक्षण करेंगे। फिर भी वे यू.सी.सी. में आकर समय-समय पर देखभाल करेंगे और यू.सी.सी. में वे विभागीय कार्यकर्ताओं के साथ देखभाल करेंगे।
- xvi) यदि उन्हें सहायता की आवश्यकता हो तो यू.सी.सी. पर विविध कार्यकर्ता मॉनीटरिंग करेंगे और इनके विभागों के सहयोजन में कार्य करेंगे।
- xvii) प्रत्येक कार्यकर्ता यू.सी.सी. पर लॉग बुक रखेगा आने व जाने वाली सूचनाओं का रिकार्ड अधिकारियों/कर्मचारियों का समय और नाम के साथ रिकार्ड रखेंगे जो संदेश में दिए गए हैं।
- xiviii) मंडल और मुख्यालय के सहयोग के साथ यू.सी.सी. मूल रूप से 2 एलसीसी के कार्य की देखरेख करेंगे।
- xix) एलसीसी विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं की यू.सी.सी. में कार्य प्रगति की प्रतिलिपि और अद्यतन सूचना का रिकार्ड होना चाहिए।
- xx) यह निम्नलिखित समय के अनुसार प्रत्येक 3 घंटे में अद्यतन सूचना होनी चाहिए
 - 1 घंटा
 - 4 घंटा
 - 7 घंटा
 - 10 घंटा
 - 13 घंटा
 - 16 घंटा
 - 19 घंटा
 - 22 घंटा

2. लोकल कमांड सेन्टर (एलसीसी) :

- i) लोकल कमांड सेन्टर का सेट अप भी दुर्घटना स्थल के आकार के अनुसार उसी पैटर्न पर होगा जैसा कि यू.सी.सी. का सेट अप है।
- ii) यदि दुर्घटना स्थल का आकार 300, 400 मीटर से अधिक हो तो 2 एल.सी.सी. सेट अप किया जाना चाहिए।
- iii) एलसीसी की संक्षिप्त योजना का विवरण यूसीसी के समान तथा अनुलग्नक 1 पर दिया जा रहा है।
- iv) यूसीसी के प्रतिनिधियों की तरह ही उसी विभाग के प्रतिनिधि एलसीसी में उपस्थित रहेंगे। फिर भी उनमें एक अथवा अधिक से अधिक 2 व्यक्ति प्रत्येक विभाग से होने चाहिए।
- v) एलसीसी समन्वय केन्द्र की तरह से विभिन्न दलों जो कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं उनके लिए कार्य करेगी।
- vi) दुर्घटना स्थल के एक सिरे पर आपदा प्रबंधन टीम कार्यरत है उनकी देखभाल करेगी।
- vii) प्रत्येक एल.सी.सी. का कार्य क्षेत्र दुर्घटना स्थल के एक सिरे पर दुर्घटना राहत गाड़ी और एक ब्रेक डाउन स्पेशल, 2 दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहनों से संबंधित सामग्री और सभी कार्यकर्ताओं तक होगा।

- viii) यांत्रिक विभाग का एक एसएजी ग्रेड का अधिकारी प्रत्येक एलसीसी का पूर्ण इंचार्ज रहेगा।
- ix) उद्घोषणा करने के लिए एलसीसी लाउड स्पीकर के साथ लगी होनी चाहिए
- x) एलसीसी सीधे टेलीफोन यूसीसी से जुड़ी होनी चाहिए।
- xi) तथापि, एलसीसी से सीधा संपर्क मंडल आपातकालीन कक्ष या मुख्यालय आपातकालीन सेल से नहीं होना चाहिए। इससे बाहरी दलों को टेलीफोनों का व्यवधान नहीं होगा जो कि वास्तव में दुर्घटना स्थल पर कार्य कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि दुर्घटना स्थल से बाहर भेजने वाली सूचना केवल यूसीसी द्वारा भेजी जाए।
- xii) एलसीसी पर उससे संबंधित प्रगति की सूचना जैसे कि पुनः स्थापन कार्य और राहत कार्य, दुर्घटना पर बचाव कार्य करने वाली विभिन्न टीमों के सदस्यों की सूचना पूर्ण होनी चाहिए।
- xiii) जैसा कि उपरोक्त विवरण 1 (xx) में दिया गया है यह सूचना प्रत्येक 3 घंटे में अद्यतन होनी चाहिए।

3. केन्द्रीय सहायता केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यकता :

- i) यात्रियों के रिश्तेदार जो पहले से ही दुर्घटना स्थल पहुँच गए हैं। दुःखद घटना के द्वारा उन्हें सदमा लगा है।
- ii) वे अपरिचित स्थिति पर पहुँचेंगे वहां उनके रुकने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, न ही कोई उनका मित्र या परिचित जो उन्हें बता सके।
- iii) चुनौतीपूर्ण परेशानी तब आती है जबकि उनके बहुत से रिश्तेदार और निकट संबंधी दूर दराज के राज्यों व क्षेत्रों से आते हैं।
- iv) कम पढ़े-लिखे और देश के विभिन्न भागों के होने के कारण तथा स्थानीय भाषा के जानकार न होने की वजह से उनसे वार्तालाप करना भी कठिन हो जाता है।
- v) उपर्युक्त के अलावा उनके निकट संबंधियों को डेड बॉडी सौंपने से पहले कानूनी औपचारिकताओं की जटिलता और अपेक्षित कागजी कार्रवाईयों की कठिनाईयां आती हैं।
- vi) यात्रियों के रिश्तेदारों की सुविधा के लिए संकट की घड़ी में उन्हें सुविधा प्रदान करने और उन्हें परामर्श देने के लिए कुछ विशेष प्रकार के सहायता केन्द्र बनाए जाएं।

4. यात्रियों के रिश्तेदारों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करना :

(क) घायल यात्रियों के रिश्तेदारों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने का क्रम (अनुक्रम)

- i) यात्रियों द्वारा आरक्षण कोचों में यात्रा करने के मामले में आरक्षण चार्ट में यात्रियों के नाम का पता लगाना।
- ii) घायल और मृतक यात्रियों की सूची में उनके नामों का पता लगाना।
- iii) सूची में नाम उपलब्ध न होने पर विभिन्न अस्पतालों में जा कर पता करना कि उनके रिश्तेदार बेहोशी की हालत में भर्ती तो नहीं हैं।

- iv) सामान्यतः अस्पताल अलग-अलग स्थानों पर होते हैं कभी-कभी विभिन्न शहरों में भी हो सकते हैं और उन्हें ढूँढने में कठिनाई हो सकती है।
- v) एक ही अस्पताल होने की स्थिति में उन्हें ढूँढने में कठिनाई होती है जैसा कि उन्हें भर्ती कराने के समय होता है।
- vi) रेलवे द्वारा भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि एकत्रित करना। घायल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने की कोशिश करना। इसके लिए उन्हें उस बिल्डिंग में जाना पड़ता है जहां पर बिना दावा किया हुआ सामान रखा हुआ है। घूमकर पता लगाना जहां सभी लावारिस सामान रखा हुआ है।
- vii) आगे उन्हें ठहराने के लिए स्थान का प्रबंध करना होगा।
- viii) दवाईयों/भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए और अस्पताल के भुगतान के लिए यदि कोई अपेक्षित हो तो।
- ix) इसके बाद वे अस्पताल में देखरेख के साथ रिश्तेदारों को छोड़ेंगे।

(ख) मरे हुए यात्रियों के रिश्तेदार द्वारा अतिरिक्त आवश्यक औपचारिकता पूरी करना

- i) यदि लापता यात्री किसी भी अस्पताल में नहीं मिलते हैं तब वे उस बिल्डिंग में जाएंगे जहां बिना पहचान के शव रखे हुए हैं।
- ii) विभिन्न कमरों में जाएंगे जहां शव रखे गए हैं। प्रत्येक शव का परीक्षण करेंगे और अपने नजदीकी और प्रिय का पता लगाने की कोशिश करेंगे।
- iii) यदि शव एक समान ही दिखाई देते हैं तो शव की पहचान करेंगे।
- iv) अन्यथा सभी शवों को बाहर निकाले जाने तक इंतजार करेंगे और संबंधित शवों को रिश्तेदार पहचानने का प्रयास करेंगे।
- v) शवों को न पहचानने के मामले में स्थल पर लिए गए शवों के फोटोग्राफ देखेंगे।
- vi) शव की पहचान के बाद में उन्हें अपने दावे के लिए अपनी रिश्तेदारी का प्रमाण रेलवे को प्रस्तुत करना होगा।
- vii) रेलवे चिकित्सकों से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- viii) सरकारी चिकित्सक जिसने शव का परीक्षण किया है उससे शव परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- ix) स्थानीय नगर पालिका से कार्यालयीन मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- x) रेलवे अनुग्रह राशि भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
- xi) आर.सी.टी. में दावे के लिए फार्म लेंगे।
- xii) स्थानीय पुलिस से शव को अपने हिरासत में लेंगे।
- xiii) परिस्थितियों के आधार पर अंतिम संस्कार उसी जगह पर करेंगे या अपने निवास स्थान के लिए शव को ले जाएंगे।
- xiv) उनके निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए प्रबंध करेंगे।

5. रिश्तेदारों द्वारा परेशानियों का सामना करना

- i) ये प्रत्येक औपचारिकताएं विभिन्न ऐजेन्सी या रेलवे या पुलिस अथवा सिविल प्रशासन अथवा स्थानीय प्रशासन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं।
- ii) ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न ऐजेन्सियों के बीच तालमेल का स्तर अधिक अपेक्षित है।
- iii) इन सभी दस्तावेजी औपचारिकताओं को कभी-कभी 48 घंटे से पूर्व भी पूरी की जा सकती हैं।

- iv) विशेष मामले में इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक सिरे से दूसरे तक दौड़ना पड़ता है और रेलवे की तरफ से उन्हें कटु अनुभव प्राप्त होता है।
- v) इस उद्देश्य के लिए रिश्तेदारों और निकट संबंधियों के लिए एकल खिड़की क्लीयरेन्स प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए।

6. सम्मिलित सहायता केन्द्र (सीएसी) :

- i) यूसीसी को यात्रियों एवं उनके रिश्तेदारों की सहायता के लिए ट्रैक से दूर तथा दुर्घटना स्थल के पास एक सम्मिलित केन्द्र (सीएसी) स्थापित (रखना) करना चाहिए। यूसीसी/सीएसी का एक योजनाबद्ध रेखाचित्र होना चाहिए जैसा कि अनुलग्नक 1 में दिया गया है।
- ii) यह यात्रियों एवं रिश्तेदारों/निकट संबंधियों बुनियादी कैटरिंग की सुविधा देना एवं सभी प्रकार की औपचारिकताओं के लिए सिंगल विन्डो क्लियरेन्स प्रदान करना है।
- iii) सम्मिलित सहायता केन्द्र यूसीसी से अलग होना चाहिए ताकि सामान्य बचाव एवं राहत कार्यों में हस्तक्षेप न हो सके।
- iv) सम्मिलित सहायता केन्द्र का योजनाबद्ध प्लान (सिस्टेमेटिक प्लान) अनुलग्नक 3 में दिया गया है।
- v) सम्मिलित सहायता केन्द्रों की देखभाल संबंधित विभागों के स्टाफ द्वारा की जाएगी जैसे कि –
 - चिकित्सा विभाग
 - वाणिज्य विभाग
 - परिचालन विभाग
 - सुरक्षा विभाग
 - कार्मिक विभाग
- vi) केवल एक ही ऐसा सम्मिलित सहायता केन्द्र होना चाहिए जिसमें सभी रेलवे पूल शामिल हों।
- vii) एलसीसी के चिन्हित स्थान के पास कोई छोटा सम्मिलित सहायता केन्द्र नहीं रखना चाहिए।
- viii) सम्मिलित सहायता केन्द्र के शामियाना के प्रवेश द्वार एवं मुख्य जगह पर एक बड़ा बैनर प्रदर्शित करना चाहिए।
- ix) इसी प्रकार संपर्क सड़क इत्यादि पर सम्मिलित सहायता केन्द्र को जाने वाले मार्ग पर पर्याप्त संख्या में संकेत लगाने चाहिए।
- x) रेलवे स्टाफ को रिश्तेदारों की भाषा समझाने एवं अपने दुभाषिए के कार्य करने में प्रवीण होना चाहिए।
- xi) पोस्टमार्टम की औपचारिकताओं को टालना चाहिए जिससे कि इस औपचारिकताओं की संख्या कम हो सके।
- xii) इन औपचारिकताओं के लिए क्रम से विभिन्न काउण्टर खोले जाने चाहिए ताकि सभी औपचारिकताएं लगभग एक घंटे में निष्पादित की जा सकें।

- xiii) लोकल म्यूनिसिपलिटी के संबंधित पदाधिकारी जो सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं वे सम्मिलित सहायता केन्द्र पर आकर बैठें ताकि ये प्रमाण पत्र बिना किसी विलम्ब के जारी हो सकें।
- xiv) सम्मिलित सहायता केन्द्र पर विविध उद्देश्यों के लिए विभिन्न काउण्टर नाम की स्थिति का पता करने के लिए रिजर्वेशन चार्ट निम्नलिखित क्रम में होने चाहिए।
 - (क) मृतक एवं घायलों की सूची अस्पतालों के नाम सहित शामिल यात्रियों के नामों की जांच मृतक एवं घायलों की सूची से की जाए यदि उपलब्ध हो तो और उनकी वर्तमान स्थिति की सूचना दी जाए।
 - (ख) रिश्तेदारों/संबंधियों के साथ अस्पतालों या शव गृहों पर साथ जाने हेतु वाहनों सहित वाणिज्य पर्यवेक्षक या कल्याण निरीक्षक उपलब्ध कराने हेतु काउण्टर।
 - (ग) चिकित्सा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु रेलवे चिकित्सक।
 - (घ) यदि आवश्यक हो तो पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजकीय चिकित्सक।
 - (ङ) सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी पदाधिकारी।
 - (च) शव (मृतक) हैण्ड ओवर करने के लिए अथोरिटी जारी करने हेतु स्थानीय पुलिस।
 - (छ) दावा काउण्टर अनुग्रह राशि का भुगतान एवं क्षतिपूर्ति दावों के फार्म जारी करना।
 - (ज) रिश्तेदारों द्वारा निश्चय किए जाने पर शव का अंतिम विधि-विधान से दाह संस्कार में सहायता करने हेतु काउण्टर।
 - (झ) वापसी यात्रा पास जारी करने के लिए पास काउण्टर।
 - (ञ) वापसी यात्रा के प्रबंध के लिए वापसी यात्रा सुविधा काउण्टर।

7. प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट :

- i) यू.सी.सी. एवं सम्मिलित सहायता केन्द्र अर्थात् दोनों में चिकित्सा पोस्ट (चौकी) प्रदान की जानी चाहिए।
- ii) घायल यात्रियों के मुक्त होने के बाद यू.सी.सी. चिकित्सा पोस्ट (चौकी) प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेगी। उनके जख्मों निर्धारण कर उन्हें नजदीकी चिकित्सालयों में भेजने का प्रबंध करेगी।
- iii) सम्मिलित सहायता केन्द्र में चिकित्सा पोस्ट मृतकों एवं हताहतों यात्रियों का सभी रिकार्ड रखेगी तथा जहां वे भर्ती हैं उस चिकित्सालय इत्यादि का नाम दर्ज रखेगी।
- iv) एल.सी.सी. में प्राथमिक चिकित्सा चौकियां प्रदान की जानी चाहिए।
- v) इनका कार्य यात्रियों को विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती के लिए भेजने से पहले हताहतों का वर्गीकरण करना होगा।

8. यू.सी.सी., एल.सी.सी. और सी.ए.सी. की सैटिंग :

- i) इन सभी सुविधाओं की सैटिंग के लिए एक सीनियर सेक्शन इंजी./कार्य उत्तरदायी होगा। उसका निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :
 - इन सुविधाओं की सैटिंग के लिए वह स्टाफ सहित कार्रवाई करेगा।

- दुर्घटना राहत गाड़ियों में उपलब्ध टेन्ट और शामियानों को लेने के बाद तम्बुओं का आवास अविलम्ब बनाना प्रारम्भ करेगा।
- इसके अलावा संविदा पर तम्बुओं के आवास बनाने वाली एजेन्सियों की मांग करेगा। इस तरह की एजेन्सियों का विवरण मंडल आपदा प्रबंधन योजना में दिया गया है।
- ii) ब्रिज लाइन/इंजीनियरिंग स्टाफ उपरोक्त सुविधाओं एवं टेन्टेज की सैटिंग में सहायता करेगा। ब्रिज के प्रभावित न होने के मामले में भी उप मुख्य इंजी./ ब्रिज का स्टाफ भी साइट पर पहुँचेगा और वह टेन्टेज के कार्य में पूरा प्रबंध करेगा।
- iii) ब्रिज यूनिट/इंजीनियरिंग स्टाफ अपने साथ में पर्याप्त मात्रा में मनीला रोप, वायर रोप, सर्वे उपकरण, दूरबीन, हैलमेट, लाइफ जैकेट, सीढ़ियां एवं अन्य उपकरण लेगा। कैम्पिंग एरिया और साइट की लम्बाई को सुनिश्चित करते हुए रोक लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नायलोन की रस्सी होनी चाहिए।
- iv) यदि साइट पर आवश्यक हो तो अस्थाई रूप से स्टेज/पाड़ बनाने की पर्याप्त सुविधा भी होनी चाहिए।
- v) 3 या 4 पर पेशाब घर के अलावा एक लोकेशन पर कुछ अस्थाई पेशाब घर होने चाहिए।
- vi) साइट पर पानी की आपूर्ति के लिए टैंकों की व्यवस्था की जाएगी और पीने के पानी का प्रबंध किया जाएगा।
- vii) टेन्टों/शामियानों अस्थाई किचिन की व्यवस्था की जाए ताकि कैटरिंग यूनिट, दुर्घटना साइट पर कार्य करने वाले स्टाफ को पका हुआ खाना उपलब्ध करा सके।
- viii) लगभग 100 फोल्डिंग कुर्सियों का भी प्रबंध किया जाना चाहिए।
- ix) ब्रिज लाइन, इंजीनियरिंग स्टाफ के पास गोता खोरों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि साइट (दुर्घटना स्थल) गहरे पानी में डूबा हुआ होने के आपातकालीन मामले में राहत एवं बचाव कार्य के लिए किराए पर बुलाया जा सकता है।
- x) यू.सी.सी. और सी.ए.सी. दोनों के लिए मुख्य स्थानों पर संकेत लगाने चाहिए।

9. सूचना का एकत्रीकरण एवं प्रसार – संचार व्यवस्था का पैनल

निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी और दोनों चैनलों हेतु सूचना का एकत्रीकरण और प्रसार भी करेंगे। ड्यूटी से ऑफ होने से पहले किए गए कार्य का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा।

एल.सी.सी. को यू.सी.सी. के संबंध में वर्तमान प्रगति को अद्यतन विवरण रखना चाहिए और इस अद्यतन प्रगति के विवरण की सूचना प्रत्येक 3 घंटे में मंडल आपातकालीन कक्ष में देनी होगी।

(क) मृत एवं हताहतों की संख्या – चिकित्सा विभाग :

- i) साइट पर स्थित चिकित्सा विभाग को मृतकों की संख्या सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ii) कोचों में कार्यरत विभिन्न टीमों के चिकित्सा प्रभारियों को प्रत्येक 3 घंटे में एल.सी.सी. के चिकित्सा काउण्टर में रिपोर्ट देनी चाहिए जोकि (एल.सी.सी.) यू.सी.सी. को सूचित करेगी।
- iii) (घायल) हताहत यात्रियों की संख्या।
- iv) हताहतों का प्रकार – या तो घोर सामान्य या नगण्य।
- v) हताहतों के नाम और जहां पर हताहत भेजे गए हैं उस चिकित्सालयों के नाम।

(ख) मृतकों की पहचान – वाणिज्य विभाग :

- i) हताहत के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान।
- ii) पहचान किए गए शवों (मृतकों) की संख्या।
- iii) मृतक पर अनुग्रह राशि का भुगतान।
- iv) रिश्तेदारों (संबंधियों) को दिए गए मृतकों की संख्या।

(ग) डील किए गए कोचों की संख्या :

- i) संपूर्ण सर्च (तलाश) किए गए कोचों की संख्या।
- ii) ट्रैक से अवपथित कोचों की संख्या।
- iii) अभी और डील किए जाने वाले कोचों की संख्या।

कार्य स्थल प्रबंध योजना-II

विभिन्न विभागों से नामित अधिकारी दुर्घटना चिकित्सा राहत वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ी से साइट पर पहुँचने वाले अधिकारी आपदा प्रबंधन टीम के ही पार्ट होते हैं। प्रत्येक विभाग को प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी/कर्मचारी उनके विभाग से संबंधित व निर्धारित ड्यूटी का सफलता पूर्वक निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक विभाग के वरि. अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी फंक्शनरी का कार्य अन्य विभागों के साथ मिलकर शीघ्र बचाव-राहत एवं पुनः स्थापना के लिए समकालिक प्रक्रिया है।

(क) आपदा प्रबंधन टीम के सदस्य :

1. आपदा प्रबंधन टीम में सामान्यतया निम्नलिखित विभागों के सदस्य शामिल हैं।

- i) चिकित्सा, वाणिज्य, संरक्षा, विद्युत, सिगनल एवं टेलीकॉम एवं यांत्रिक, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, कार्मिक एवं अन्य विभागों के प्रशिक्षित कर्मचारी।
- ii) अग्नि दुर्घटना के मामले में प्रशिक्षित अग्निशमन सेवा के कर्मचारी इसका पार्ट (अंग) होंगे।
- iii) पानी में दुर्घटना के मामले में गोताखोर एवं नेवल कैंडिट भी इस का अंग होगा।
- iv) तोड़-फोड़ एवं बम विस्फोट दुर्घटना के मामले में बम निस्तारण स्क्वेड और राजकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस भी इसमें शामिल होगी।
- v) विभिन्न बचाव यूनिटें दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन दुर्घटना राहत गाड़ी या सड़क मार्ग जिससे भी शीघ्र पहुँचना संभव हो पहुँचेगी।

2. साइट का प्रभारी अधिकारी :

दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन के दुर्घटना साईट पर पहुँचने पर दुर्घटना में इन्वाल्ड वरिष्ठतम अधिकारी से प्रभारी साईट का चार्ज लेंगे। पहले आने वाली विशेष गाड़ी से महाप्रबंधक एवं मुख्यालय के अन्य अधिकारियों के आने पर महाप्रबंधक साईट के प्रभारी अधिकारी होंगे। महाप्रबंधक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अधिकारी प्रभारी अधिकारी होगा। वह कोर ग्रुप गठित करने के लिए उत्तरदायी होगा और उन्हें आवश्यकतानुसार राहत, बचाव एवं पुनः स्थापना के अभियान हेतु भेजेगा।

3. बचाव, राहत एवं पुनः स्थापन प्रक्रिया :

आपदा प्रबंधन टीम दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन और दुर्घटना राहत गाड़ियों से पहुँचने पर निम्नलिखित कार्य करेगी :

- i) भीड़ नियंत्रण और विधि एवं व्यवस्था।
- ii) बचाव अभियान।
- iii) राहत अभियान।
- iv) दुर्घटना स्थल की वीडियो कवरेज।
- v) संचार नेटवर्क व्यवस्था।
- vi) अभियान (प्रक्रिया) के लिए स्टेट पुलिस से विलयरेंस।
- vii) सुराग एवं साक्ष्यों का परिरक्षण।
- viii) साईट पर मीडिया का प्रबंध।
- ix) साल्वेज ऑपरेशन।
- x) पुनः स्थापन अभियान।

4. फोटोग्राफी :

दुर्घटना स्थल पर पुनः स्थापन का कार्य प्रारम्भ करने से पहले वर्तमान संभाव्य उचित वीडियो फिल्म कवरेज करानी चाहिए। इसके स्पष्ट लाभ के लिए डिजिटल कैमरे द्वारा व्यापक रूप से पक्की फोटोग्राफी भी करा लेनी चाहिए। फोटोग्राफी उत्कर्ष प्वाइंट से की जानी चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों से की जाए ताकि सूक्ष्म दृष्टि में भी फोटोग्राफ आ सकें।

- i) इन फोटोग्राफ की गंभीरता
 - दुर्घटना की गंभीरता
 - रेल पथ, रोलिंग स्टॉक, सिगनल, ऊपरी उपस्कर उपकरण और अन्य की क्षति को स्पष्ट चित्रित करना।
 - ढांचा एवं उपकरण)
- ii) टूट-फूट के साक्ष्य एवं सुरागों के परिरक्षण के फोटोग्राफ, यदि संदेह हो तो।
- iii) बिना पहचाने वाले शवों का भी व्यापक रूप से फोटोग्राफ्स किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे E-11(xv) में विवरण दिया गया है।

(ख) सामान्य :

सफल आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां नियुक्त जिम्मेदार अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाएं। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की मुख्य ड्यूटी की सूची नीचे दी है।

1. प्रभारी अधिकारी साईट :

- i) यू.सी.सी., सी.ए.सी. की अविलम्ब सैटिंग सुनिश्चित करना।
- ii) आई.ए.टी. (इंस्टैंट एक्शन टीम) के प्रभारी अधिकारी से सूचना एकत्रित करना।
- iii) स्थिति को परखना और सफल बचाव अभियान हेतु योजना बनाना।
- iv) प्रत्येक विभाग से अपेक्षित सहायता की मात्रा का आकलन करना।
 - मंडल के अन्दर से।
 - उत्तर मध्य रेलवे के समीप के मंडलों से।
 - गैर रेलवे एजेंसियों से।
- v) उपलब्ध रेलवे के पूरक स्रोतों से स्थानीय स्रोत चैनलाइज करना।
- vi) मंडल अपदा प्रबंधन के अनुसार विभिन्न विभागों की फंक्शनरियों की ड्यूटियां सुनिश्चित करना।
- vii) सफल राहत, बचाव एवं पुनः स्थापन अभियान हेतु सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।
- viii) पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना।
- ix) तोड़-फोड़ के मामले में राज्य पुलिस से शीघ्र क्लियरेंस के लिए रेलवे सुरक्षा बल को भेजना।
- x) भयंकर विस्फोट एवं आग लगने के मामले में विस्फोटकों को नियंत्रक से अलग किया जाए।
- xi) अभियान चलाने का संभावित दिनांक और समय की घोषणा के साथ दुर्घटना के प्रथम दृष्टया कारण भी दिया जाए।
- xii) निम्नलिखित विवरण सहित बचाव, राहत एवं पुनः स्थापन प्रक्रिया की प्रगति के बारे में प्रत्येक तीन घंटे में समय से सूचना देना सुनिश्चित करना।
 - तलाश किए गए कोचों की संख्या
 - प्राप्त घायल यात्रियों की संख्या
 - यात्रियों के जख्मों का प्रकार

- प्राप्त शवों की संख्या
- पहचाने शवों की संख्या
- डील किए गए कोचों की संख्या
- पूरक सहायता यदि अपेक्षित हो

xiii) निम्नलिखित प्रत्येक गतिविधि पूरी होने के पूर्वानुमान को सुनिश्चित किया जाए।

- रि-रेलमेंट
- ट्रैक फिटनेस
- पॉइण्ट एवं इण्टरलॉकिंग
- ओ.एच.ई. फिटनेस
- सेक्शन का क्लियरेंस
- प्रथम गाड़ी का संचालन

2. मंडल रेल प्रबंधक की ड्यूटी (कार्य) :

- i) मंडल आपदा प्रबंधन एवं जोनल प्रबंधन योजना के विभिन्न शाखाओं की मशीनरियों के लिए निर्धारित उनके द्वारा उनकी ड्यूटियों का निर्वहन सुनिश्चित करना।
- ii) अपेक्षित सहायता के संबंध में मंडल आपत्ति कक्ष में समन्वय करना।
- iii) विशेषकर निम्नलिखित के बारे में सिविल अथॉरिटियों के साथ समन्वय करना।
 - राज्य परिवहन अथॉरिटियों से चालकों सहित बसों की चौबीसों घंटे के लिए मांग करना।
 - पोस्ट मार्टम औपचारिकताओं हेतु आग्रह नहीं करना।
 - सी.ए.सी. में म्यूनिसिपल कर्मचारियों से जारी किए सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्रों की जानकारी लेना।

3. चौबीस घंटे (रात एवं दिन) कार्य के लिए दुर्घटना साइट पर 2 टीमों का गठन :

- i) दुर्घटना साइट पर मुख्यालय एवं मंडल उपलब्ध विभागीय अधिकारी चौबीस घंटे के कार्य के लिए 2 शिफ्टों अर्थात् 8 बजे से 20 बजे और 20 बजे से 8 बजे 2 शिफ्टों में बाँटने (विभक्त) होंगे।
- ii) विभागाध्यक्षों को दिन के दौरान ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा।
- iii) विभागाध्यक्षों को अपने संबंधित विभाग की टीम संरचना के संबंध में तत्काल निर्णय लेना होगा। यह संरचना (गठन) सामान्यतः घटना साइट पर 3-4 दिनों तक स्थाई रहना चाहिए सामान्यतः बदली नहीं जानी चाहिए।
- iv) उसी तरह मुख्यालय और मंडलों से उपलब्ध पर्यवेक्षकों को भी दो टीमों में रखा जाएगा।

(ग) परिचालन विभाग की ड्यूटियां :

सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद :

- i) सेक्शन के सभी यातायात निरीक्षक और पर्यवेक्षक स्टेशन अधीक्षकों को प्रथम उपलब्ध साधन से दुर्घटना स्थल पर भेजा जाए।
- ii) इसी तरह सेक्शन से अतिरिक्त आर.जी./एल.आर. स्टाफ को दोनों तरफ तीन (3) स्टेशनों पर भेजा जाना चाहिए ताकि स्टेशन प्रबंधक दुर्घटना स्थल पर स्वतंत्र रूप से पहुँच सके।
- iii) क्योंकि समीप के स्टेशनों पर अपेक्षित शंटिंग निष्पादन करनी होती है इसलिए समीप के स्टेशन के दोनों तरफ प्रत्येक साइड पर 2 शिफ्टों में 2 यातायात निरीक्षक पदस्थ किए जाएं।

- iv) चैप्टर 9, सेक्शन 4 के अनुसार दुर्घटना से प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में विशेष गाड़ियां भेजना सुनिश्चित करना।
- v) दूसरे दुर्घटना स्थल के ब्लॉक सेक्शन में क्रेन भेजने के लिए उचित मार्शलिंग सुनिश्चित करना।
- vi) दुर्घटना स्थल के पास इंजी. वाहन की दुर्घटना सहायता गाड़ी का प्लेस होना सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य से दुर्घटना स्थल के पास इंजी. वाहन/वैगन को पुशिंग (धक्का देकर) कण्डीशन में भेजना।
- vii) दुर्घटना स्थल पर फंसे हुए लोगों को त्वरित कार्यवाई करके दुर्घटना स्थल से बाहर निकालना।
- viii) स्पेशल ट्रेनों के परिचालन संबंध में मंडल आपातकालीन कक्ष से टच में रखें और साईट की रिक्वायरमेन्ट दें।

(घ) संरक्षा विभाग की ड्यूटियां :

- i) दुर्घटना के संभाव्य कारणों के साक्ष्य एवं क्लू को सुरक्षित रखें और पुलिस के क्लियरेंस तक इन्हें बिगाड़े नहीं।
- ii) डिजिटल कैमरा से अपेक्षित वीडियो/स्थिर फोटोग्राफ्स लिए (खींचे) जाएं।
- iii) कार्य प्रारम्भ करने से पहले निर्धारित प्रोफार्मा में संयुक्त मेजरमेन्टों परिरक्षण का रिकार्ड रखा जाए।
- iv) अप्रभावित रोलिंग स्टॉक को साईट से दूर रखा जाए और इसके बाद उसे सुविधाजनक ऐसे स्थान पर खड़ा किया जाए ताकि आगे की दुर्घटना जांच के समय असुविधा न हो।
- v) ट्रेन स्टाफ, स्टेशन स्टाफ और पब्लिक के साक्ष्य तुरन्त स्थल (ऑन स्पॉट) दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।
- vi) बाद में बयान देने के इच्छुक यात्रियों के पते भी लिखे जाने चाहिए।
- vii) यह सुनिश्चित किया जाए कि अध्याय 9 की धारा 4 में दिए गए क्रम विवरण के अनुसार दुर्घटना प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियां भेजी जा रही हैं।

(ङ) चिकित्सा विभाग की ड्यूटियां :

1. मुख्य कार्य

चिकित्सा विभाग के मुख्य कार्यों का विस्तृत वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :

- (क) चिकित्सालयों का प्रारंभिक राउण्ड लेना और स्थिति का निर्धारण
- (ख) दुर्घटना में शामिल कोचों में से घायल यात्रियों को बाहर निकालना
- (ग) घायल यात्रियों को अटेण्ड करना और उन्हें प्राथमिक उपचार करना
- (घ) घायल यात्रियों की सूची तैयार करना
- (ङ) उनके घावों का वर्गीकरण करना
- (च) उन्हें चिकित्सालय पहुँचाना और उन्हें भर्ती कराना
- (छ) चिकित्सालय में घायल भर्ती व्यक्तियों की देखभाल करना
- (ज) शवों की डीलिंग करना
- (झ) शवों का रख रखाव करना

2. सामान्य :

- i) यदि आवश्यक हो तो गाड़ी के चालक दल का पेशाब, खून के नमूने एकत्रित करना।
- ii) दुर्घटना स्थल पर जहां तक संभव हो अधिक सड़क एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना।
- iii) दुर्घटना स्थल के पास अस्पतालों के अन्य विवरण और टेलीफोन नम्बर, नाम सहित मंडल आपातकालीन प्रबंधन योजना के द्वारा बैंक रखना। चिकित्सकों दल सहित रोड एम्बुलेन्स भेजने के लिए उनसे संपर्क करना चाहिए।
- iv) यात्रियों की सहायता के लिए यू.सी.सी. और सी.ए.सी. में चिकित्सा बूथ लगायी जाए।
- v) एल.सी.सी. में प्राथमिक चिकित्सा बूथ लगायी जाए।

3. स्थल पर प्रबंध :

- i) टीम 'क' का लीडर (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडल का प्रभारी) स्थल पर नियंत्रण करेगा, निम्न विवरण के अनुसार वह समन्वय रिलीफ मेजर्स एवं उपलब्ध चिकित्सकों के लिए ड्यूटी का वितरण करेगा।
- ii) उपरोक्त सेक्शन (ई-1) के विवरण के अनुसार विभिन्न प्रकार की ड्यूटी निष्पादन हेतु चिकित्सा विभाग की अलग टीम एवं ग्रुप बनाए जाएंगे। अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक टीम में 4-6 सदस्य शामिल होने चाहिए और प्रत्येक ग्रुप में 3-5 टीमों शामिल होनी चाहिए।
- iii) जहां पर (चिकित्सालय में) पहले से ही हताहत यात्रियों को भर्ती किया जा चुका है वहां विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सकों का एक ग्रुप विभिन्न चिकित्सालयों का दौरा करेगा (निम्न पैरा 4)
- iv) 4-5 टीमों के चिकित्सकों का एक ग्रुप एवं पैरा मैडिक्स दुर्घटना में फंसे कोचों से हताहत यात्रियों एवं शवों को निकालेगा।
- v) एक टीम हताहत यात्रियों को अटेंड करेगी और उनकी प्राथमिक चिकित्सा करेगी और अन्य मेडीकल उपचार करेगी। (निम्न पैरा 6)
- vi) एक टीम हताहत यात्रियों की सूची तैयार करेगी और उनकी चोटों को नोट तथा उनका वर्गीकरण करेगी।
- vii) एक टीम हताहत यात्रियों को चिकित्सालय पहुँचाने के लिए इंचार्ज होगी और उन्हें भर्ती कराएगी।
- viii) एक टीम भर्ती कराए गए हताहतों की देखभाल के लिए इंचार्ज होगी।
- ix) एक टीम कोचों से निकाले जाने के बाद शवों को डील करेगी और उनके परिरक्षण के लिए उनकी सूची तैयार करेगी। (निम्न पैरा 11 और 12)
- x) पर्याप्त संख्या में चिकित्सक उपलब्ध होने के मामले में बचाव अभियान के लिए और अधिक ग्रुपों का गठन करना चाहिए। (निम्न पैरा 5)

4. चिकित्सालयों में प्रारम्भिक राउण्ड लेना :

- i) जिन चिकित्सालयों में पहले ही हताहत यात्रियों को शिफ्ट किया जा चुका है उन प्रत्येक चिकित्सालयों की विजिट करने के लिए अलग चिकित्सकों को नियुक्त किया जाएगा।
- ii) चिकित्सकों के साथ एक वाणिज्य अधिकारी भी होगा और सामान्य निरीक्षण करेगा।
- iii) चिकित्सालय में उन्हें मृत/हताहत व्यक्तियों के बारे में तथा उनके नाम, आयु, लिंग, पते, टेलीफोन नम्बर, रिश्तेदारों/मित्रों के नाम और टेलीफोन, चोटों की स्थिति इत्यादि के बारे में सूचना एकत्रित करनी चाहिए।
- iv) इन सूचनाओं को दुर्घटना साईट पर चिकित्सा अधीक्षक को स्थानीय पी.सी.ओ./सेल फोन इत्यादि द्वारा अविलम्ब प्रसारित करनी चाहिए।

- v) मृत/हताहत व्यक्तियों की जो कि पहले से ही चिकित्सालयों में भर्ती हैं उनकी सूची कार्बन पेपर का प्रयोग करके तीन प्रतियों में तैयार करनी चाहिए।
- vi) इसी प्रकार तैयार की गई सूची पर हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। एक प्रति वाणिज्य विभाग को सौंपी जानी है।
- vii) दूसरी प्रति प्रभारी चिकित्सक के पास कार्यालय प्रति के रूप रखी जाए और तीसरी प्रति पैरा मैडीकल स्टाफ को मल्टी फोटो कॉपी कराने व आगे वितरण हेतु दी जाए।
- viii) सी.ए.सी. में प्रदान की गई पी.सी. अस्पष्ट होने पर एक प्रति सी.ए.सी. को भी भेजी जाए।
- ix) आरंभिक सूची को नियमित अंतराल पर अद्यतन तैयार करनी चाहिए, ज्यों ही उसमें परिवर्तन प्राप्त होता है या मिलता है।

5. हताहत यात्रियों को बाहर निकालना :

- i) इस कार्य (गतिविधि) के लिए अधिक से अधिक चिकित्सकों को तैनात करना चाहिए।
- ii) इस ग्रुप में कम से कम 4-5 टीमों शामिल होनी चाहिए। यदि संख्याओं की अनुमति हो तो और अधिक टीमों गठित की जाएं।
- iii) बचाव कार्य (अभियान) में शामिल टीमों को सभी हताहत यात्रियों को शीघ्रता पूर्वक निकालना सुनिश्चित करना चाहिए।
- iv) हताहत यात्रियों को निकालने में उन्हें यांत्रिक/इंजीनियरिंग/रे.सु.बल स्टाफ की सहायता लेनी चाहिए।
- v) प्रत्येक टीम यांत्रिक स्टाफ की टीम में सम्मिलित (शामिल) होगी जो कि कोचों में फंसे हताहत एवं मृत यात्रियों को भी निकालेगी।
- vi) एक दूसरे कोच के ऊपर चढ़े हुए या एक दूसरे में फंसे हुए कोचों के अलावा (छोड़कर) अधिक से अधिक कोचों को एक साथ टेकल करना चाहिए।
- vii) कोच को नष्ट करने/बन्द करने और आगे की खोज हेतु कोच छोड़ने व अगले कोच में जाने से पहले लेबोटरी और लॉबी सहित कोचों की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।

6. हताहत यात्रियों को अटेण्ड करना :

- i) हताहत यात्रियों को कोचों से निकालने के तुरन्त बाद ही एक टीम को चिकित्सीय इलाज करने को कहा जाएगा।
- ii) सड़क मार्ग भेजने से पहले पूर्व में निकाले गए हताहत यात्रियों की सुदृढ़ स्थिति सुनिश्चित करना।
- iii) मरीज की जटिल स्थिति सुदृढ़ होने के मामले में –
यदि स्थल पर संभव नहीं है तो उन्हें तुरन्त सड़क एम्बुलेन्स या दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन द्वारा भेजा जाना चाहिए।

7. यात्रियों की सूची तैयार करना :

- i) गाड़ी अधीक्षक/गाड़ी टिकट परीक्षकों द्वारा हताहत यात्रियों की सूची तैयार की जाए और स्थिति का निर्धारण किया जाए।
- ii) कोचों के अनुसार अलग-अलग सूची तैयार की जाए।
- iii) सूची में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :
– यदि होश में पाए गए हैं : नाम, लिंग, आयु, पहचान चिन्ह, पता, टिकट नम्बर, आरंभिक एवं गंतव्य स्टेशन
– यदि बेहोश पाए गए हैं : आयु लगभग (अनुमानित), लिंग, पहचान चिन्ह, टिकट नम्बर एवं अन्य विवरण यदि रिश्तेदार और अन्य मित्र उपलब्ध हैं तो।

- iv) हताहत यात्रियों की प्राथमिक सूची एक बार तैयार की गई है तथा प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और एक प्रति वाणिज्य विभाग को सौंपी जाए।
- v) हताहत यात्रियों की सूची इसके बाद आवधिक रूप से अद्यतन की जाएगी क्योंकि बचाव एवं राहत कार्य निरंतर जारी है।

8. हताहतों का वर्गीकरण :

- i) चोटों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :—
 - (क) गंभीर
 - (ख) सामान्य
 - (ग) नगण्य
- ii) भारतीय पैनल कोड की धारा 320 के अनुसार गंभीर चोटें निम्नानुसार हैं :—
 - (क) नपुंसकता
 - (ख) दोनों आँखों की दृश्यता का स्थाई अभाव
 - (ग) दोनों कानों से श्रवण शक्ति का स्थाई अभाव
 - (घ) किसी अंग या ज्वाइण्ट का अभाव या किसी अंग या ज्वाइण्ट का गायब हो जाना।
 - (ङ) किसी अंग या जोड़ (ज्वाइण्ट) की शक्ति की स्थाई क्षति
 - (च) सिर या चेहरा का स्थाई रूप से विरूपित होना
 - (छ) किसी हड्डी या दांतों का विकृत होना या टूटना
 - (ज) कोई जख्म (चोट) जीवन घातक या 20 दिनों के अन्तराल तक शरीर में असहनीय दर्द या सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करने में असक्षम।
- iii) जिन जख्मों को परिभाषित किया है उसके अलावा अन्य जख्मों को सामान्य चोट समझा जाए।
- iv) उपरोक्त परिभाषित जख्मों के अलावा ऐसे मामले भी हो सकते हैं जैसे — कोई यात्री या अनाधिकृत प्रवेश, केवल छोटी खरोंच—चोट। ये मामूली प्रवृत्ति की चोटें हैं इन्हें चोटों में नहीं लिया जाए।
- v) व्यवहारिक नियमानुसार यदि किसी चोट के कारण अधिक से अधिक 48 घंटे तक चिकित्सालय में भर्ती कराना अपेक्षित है तो वह सामान्य चोट और किसी चोट के कारण चिकित्सालय में भर्ती कराना अपेक्षित नहीं है तो वह पूरी तरह नगण्य चोट है।
- vi) हताहत यात्रियों को गहरी चोट या सामान्य चोट अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए।
- vii) अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रबंध के लिए वाणिज्य विभाग को सूचित किया जाए।

9. हताहतों यात्रियों को चिकित्सालयों में भेजना :

- i) हताहत यात्रियों को नजदीकी चिकित्सालयों में पहुँचाने के प्रबंध हेतु एक टीम से कहा जाए।
- ii) हताहत यात्रियों को अविलम्ब नजदीकी चिकित्सालयों में या दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन में ले जाया जाए।
- iii) जटिल रूप से घायल यात्रियों को सड़क एम्बुलेन्स और अन्य सामान्य सड़क वाहनों द्वारा ले जाना चाहिए।
- iv) वाणिज्य स्टाफ भी चिकित्सालयों में हताहत यात्रियों के साथ स्थानान्तरित होना चाहिए।

- v) चिकित्सालय ड्यूटी के लिए चिकित्सक एवं पर्यवेक्षकों को दुर्घटना स्थल छोड़ने से पहले, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक एवं अन्य चिकित्सकों से साइट पर शीघ्र वार्तालाप हेतु दुर्घटना स्थल के डी.ओ.टी. (DOT) एवं मोबाइल नम्बर लिख (नोट) लेने चाहिए।
- vi) विभिन्न चिकित्सालयों में जाने के लिए चिकित्सकों के पास अलग-अलग वाहन होने चाहिए।
- vii) पर्याप्त मात्रा में रेलवे वाहन उपलब्ध न होने के मामले में उन्हें अपने संचालन के लिए स्टेशन आमदनी से किराए पर टैक्सी लेनी चाहिए।

10. चिकित्सालय में प्रवेशाज्ञा देखभाल पोस्ट(चिकित्सालय में भर्तियों की देखभाल पोस्ट):

- i) प्रत्येक चिकित्सालय में 24 घंटे (दिन-रात) के लिए एक रेलवे चिकित्सक, एक वाणिज्य पर्यवेक्षक और एक कल्याण निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए।
- ii) सामान्यतः एक चिकित्सालय में एक वाणिज्य पर्यवेक्षक एवं एक कल्याण निरीक्षक सहित एक चिकित्सक रहता है।
- iii) यदि शामिल चिकित्सालयों की संख्या अधिक हो तो 2/3 चिकित्सालयों में एक चिकित्सक रखा जाए। ऐसे मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक/वरि.मंडल चिकित्सा अधिकारी ऐसे स्टेशन पर रहेंगे जहां पर अधिक संख्या में मरीज भर्ती हों और चिकित्सक उनके परामर्श में कार्य करेंगे।
- iv) पीड़ित यात्रियों की चोटों (घावों) के वर्गीकरण के अनुसार हताहत यात्रियों को हैण्डलिंग करने के आधार पर चिकित्सालयों की क्षमता का निर्धारण किया जाए। यह निश्चय किया जाए कि क्या मरीज को उत्तम सुविधाओं के लिए अन्य दूसरे चिकित्सालय में शिफ्ट करना आवश्यक है और तब मरीज को शिफ्ट करने के लिए प्रबंध किया जाए।
- v) यदि चिकित्सालय में कोई हताहत यात्री उसकी चोट के कारण मर जाता है तो उस चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सक को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी सी.ए.सी. के चिकित्सा काउण्टर पर देनी चाहिए।

11. शवों की डीलिंग (मृतकों की डीलिंग) :

- i) बचाव टीमों द्वारा शवों (मृतकों) की डीलिंग के बारे में कठिनाईयां होती हैं।
- ii) भारतीय रेलों पर यह स्पष्ट उल्लिखित नहीं है कि शवों की डीलिंग कौन करेगा।
- iii) दुर्घटना मैनुअल में स्पष्ट नहीं है, जैसा कि शवों को कोच से कौन निकालेगा और तब उन्हें चिकित्सालय या मोर्चरी कौन ले जाएगा।
- iv) यह केवल अनुमानित किया जा सकता है कि चिकित्सा विभाग यह कार्य करेगा।
- v) बड़ी आपदा के मामले में चिकित्सा विभाग का स्टाफ प्रायः शिकायत करता है कि कोई दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन इस कार्य के लिए आकार में उपयुक्त नहीं है।
- vi) इस उद्देश्य के संचालन के लिए सफाई वाले और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
- vii) प्रायः राहत एवं बचाव कार्य निरंतर चौबीसों घंटे से अधिक चलता है।
- viii) लावारिस शव दो दिन के बाद दुर्गन्ध देने लगते हैं ऐसी परिस्थितियों में इस कार्य को करने में वास्तव में परेशानी होती है।
- ix) सभी शवों को चौबीस घंटे के अन्दर निकालना चाहिए।
- x) शवों को कोच वाइज निकालना चाहिए अन्यथा विभिन्न कोचों से निकाले गए शव मिक्स हो जाते हैं।

- xi) संबंधित कोचों से निकाले गए शवों का उन्हीं कोचों के सामने ट्रैक से पर्याप्त दूरी पर अलग-अलग कोच वाइज चट्टा लगा देना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर कार्य की प्रगति धीमी हो सकती है तथा इस सही सिस्टम से अधिक देर तक कार्य चलने पर भी शव मिक्स नहीं हो सकते हैं।
- xii) कोचों से शवों को दुर्घटना स्थल पर नामित स्थान पर रखने के लिए साइट पर उपलब्ध गैर रेलवे स्टाफ, स्वयं सेवकों और दूसरी रेलवे के स्टाफ, नागरिक सुरक्षा कर्मी, स्काउट, एस.जे.ए.बी. एवं पैरा मैडीकल स्टाफ की सहायता लेना।
- xiii) शवों को कफन से ओढ़ाना सुनिश्चित करना।
- xiv) प्रत्येक शव की छाती (वक्ष) पर ठीक गर्दन के नीचे एक कपड़े का (12" x 9" आकार का कपड़े का लेवल जिस पर मार्कर पेन से लिखा जाए) लेबल लगाएं।
 - दिनांक.
 - शव का क्रमांक नम्बर.
 - आयु. लिंग.
 - कोच नम्बर. शायिका सं.
- xv) बिना पहचाने गए शवों के मामले में नाम के स्थान पर बिना पहचान-1/बिना पहचान-2 इत्यादि अनुमानित आयु दर्शाएं जैसे कि 35-45 वर्ष।
- xvi) प्रत्येक शव के वरीयतानुसार डिजिटल कैमरा से 5 फोटोग्राफ्स लेने चाहिए दो फोटोग्राफ्स चेहरा के सामने व साइड से खींचे जाएं तीसरा फोटो लेबल दिखता हुआ उपरोक्त मद संख्या के अनुसार और चौथा तथा पांचवा फोटो पूरी बॉडी (शरीर) का लिया होना चाहिए।
- xvii) यदि संभव हो तो प्रत्येक बॉडी की वीडियो फोटोग्राफ्स भी बनाई जाए।
- xviii) फोटोग्राफ्स लेने के बाद प्रत्येक शव को प्लास्टिक बैग में उचित जिप सहित लेबलिंग प्रणाली से रखा जाना चाहिए क्योंकि उसकी सूचना उपलब्ध भी करानी करानी होती है।
- xix) इसके बाद शवों को राजकीय रेलवे पुलिस या स्थानीय पुलिस को सुरक्षित हिरासत में रखने हेतु हस्तान्तरित किया जाएगा।
- xx) अस्वास्थ्यजनक स्थिति में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि ये शव सड़न एवं कटी फटी बॉडीज के हो सकते हैं।

12. शवों का रख रखाव :

- i) शवों के फोटोग्राफ्स की नम्बरिंग करनी चाहिए क्योंकि संबंधी शवों का दावा करते हैं।
- ii) अधिक से अधिक स्थाई लोकेशन का प्रबंध करना चाहिए क्योंकि उसी समय अगला संबंधी बॉडी के लिए दावा करता है।
- iii) इस प्रकार की सभी दुर्घटनाओं में यात्री अपने-अपने सह यात्रियों से अलग हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में उनके व्यक्तियों के पास कोई टिकट या पहचान नहीं रहती है।
- iv) यह परेशानी आगे अनारक्षित कोचों में भी होती है जहां कोई आरक्षण चार्ट उपलब्ध नहीं होते हैं।
- v) पहचानने की परेशानी अंग-भंग शवों की भी होती है। ऐसे मामलों में फोटोग्राफ्स पहचानने का उत्तम साधन है।
- vi) शवों को रखने के लिए एक जोड़ी बड़ा हॉल या किराए पर प्रबंध किया जाए।
- vii) कमरे वरीयतः एक ही स्थान पर होने चाहिए ताकि संबंधियों को शवगृह के चक्कर न लगाना पड़े।
- viii) नम्बरों से युक्त कमरों वाली बड़ी बिल्डिंग उन्हें रखने के लिए उपयुक्त होगी। अच्छा विकल्प होगा कि अस्थायी रूप से एक स्कूल की बिल्डिंग को लिया जाए।
- ix) नामित बिल्डिंग में शवों को रखने हेतु अस्थायी शवगृह का प्रबंध किया जाए।

- x) बॉडियों (शवों) पर उनके नम्बर स्थाई एवं साफ-साफ प्रदर्शित किए जाएं और कोच वाइज अलग-अलग कमरों में रखे जाएं।
- xi) बिल्डिंग के बाहर सूचना बोर्ड पर रूम नम्बर प्रदर्शित किए जाए तथा कोच वाइज अलग-अलग रूम रखे जाएं।
- xii) यही विवरण प्रत्येक रूम के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाए।
- xiii) अधिक अंग-भंग (छिन्न-भिन्न) के मामले में शवों को हस्तान्तरित करने के मामले में अनावश्यक रोक होगी।
- xiv) जिन शवों के लेने के लिए उनके संबंधी उपलब्ध न होने तथा देरी होने की प्रत्याशा में उन शवों के संरक्षण हेतु वर्फ का प्रबंध किया जाए।
- xv) शवों के रख रखाव के लिए स्थानीय बाजार से खरीदा (प्राप्त) किया जाए।
 - कफन
 - पोलीथिन बैग
 - ताबूत (शव पेटी)
 - सूखी वर्फ
- xvi) जब भी उनके संबंधी आते हैं उनके परामर्श हेतु बिल्डिंग के शव गृह में 4 (चार) वाणिज्य पर्यवेक्षकों की ड्यूटी चौबीसों घंटे रहनी चाहिए।

(च) वाणिज्य विभाग की ड्यूटियां :

1. मुख्य कार्य

वाणिज्य विभाग के मुख्य कार्यों को विस्तार से वर्गीकृत किया जा सकता है :

- (क) स्टेशन आमदनी से राशि निकालना।
- (ख) सड़क वाहनों को किराए पर लेना।
- (ग) चोट लगे और बिना चोट लगे यात्रियों को चाय-पान प्रदान करना।
- (घ) चिकित्सालयों में आरंभिक दौरा करना और स्थिति का मूल्यांकन करना।
- (ङ) हताहत यात्रियों की सूची बनाना।
- (च) उन्हें चिकित्सालय पहुँचाना और उन्हें भर्ती कराना।
- (छ) हताहत और मृतक के निकट संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान कराना।
- (ज) रिफण्ड एवं अनुकम्पा औपचारिकताएं पूर्ण करना।
- (झ) कन्साइनमेन्ट एवं लगेज का चार्ज लेना।
- (ञ) चिकित्सालय में भर्ती हताहतों की देखभाल करना।
- (त) संबंधियों की देख-रेख करना।

2. सामान्य :

- i) वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक के दुर्घटना स्थल पर पहुँचने से पहले उसे स्टेशन आमदनी से पर्याप्त मात्रा में राशि निकाल लेनी चाहिए। (नीचे पैरा – 3)
- ii) यू.सी.सी. और सी.ए.सी. काउण्टरों पर देखभाल के लिए दुर्घटना स्थल पर चुनिन्दा वाणिज्य पर्यवेक्षकों को तैनात करना चाहिए।
- iii) चेप्टर-11 सेक्शन 6(xiv) में दिए विवरण के अनुसार सी.ए.सी. के प्रत्येक वाणिज्यिक काउण्टर में एक ग्रुप द्वारा देखभाल की जाए।
- iv) उपरोक्त सेक्शन (F-1) के विवरण के अनुसार वाणिज्य विभाग की ड्यूटियों के लिए विभिन्न टीम एवं ग्रुपों का गठन होगा। आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक टीम में 4-6 सदस्य और प्रत्येक ग्रुप में 3-5 टीमें होंगी।
- v) निम्नलिखित विवरण के अनुसार अलग-अलग टीमों और ग्रुपों का गठन करना चाहिए, वाणिज्य अधिकारी द्वारा संचालित की जाएंगी।

- vi) एक टीम सड़क वाहनों का प्रबंध तथा दूसरी टीम अन्य गतिविधियों से संबंधित होगी। (नीचे पैरा 4 के अनुसार)
- vii) एक टीम घायल और बिना घायल यात्रियों को भी चाय-पान एवं भोजन दोनों का प्रबंध करेगी (नीचे पैरा-5 के अनुसार)
- viii) एक टीम चिकित्सकों के साथ चिकित्सालय में प्रारंभिक दौरा करेगी और स्थिति का मूल्यांकन करेगी (निम्न पैरा 6 के अनुसार)
- ix) एक गुप हताहत यात्रियों की, जिनका दुर्घटना स्थल से क्लियरेन्स होना है उनकी देखभाल करेगी (निम्न पैरा-6 के अनुसार)
- x) एक गुप हताहत यात्रियों की सूची बनाने में चिकित्सा विभाग की सहायता करेगा और उसकी सी.ए.सी. में पी.सी. इन्द्राज करेगा (उपरोक्त पैरा-7 एवं निम्न पैरा-7 के अनुसार)
- xi) एक गुप हताहत यात्रियों को चिकित्सालय में भर्ती कराने हेतु चिकित्सा विभाग की सहायता करेगी (उपरोक्त पैरा ई-9 के अनुसार)
- xii) एक गुप शवों की सूची तैयार करने के लिए चिकित्सा विभाग की सहायता करेगा और उनकी देख-रेख करेगा। (उपरोक्त पैरा ई-11 एवं ई-12)
- xiii) एक टीम मृतकों और हताहत यात्रियों के अगले नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह पूर्वक राशि का भुगतान करेगी।
- xiv) एक टीम रिफण्ड मामलों और अनुकम्पा दावों की औपचारिकता पूरी करेगी।
- xv) एक टीम बिना दावा किए हुए सामान का एवं अन्य कन्साइनमेन्ट का इंचार्ज होगी।
- xvi) एक गुप हताहतों की देखभाल चिकित्सालय में भर्ती किए गए हताहतों का प्रभारी रहेगा। चैप्टर-14 के विवरण के अनुसार उनके संबंधियों की देखभाल करेगा।

3. स्टेशन आमदनी से रोकड़ (राशि) निकालना :

- i) दुर्घटना से संबंधित व्यय के क्रम में वाणिज्यिक मैनुअल में समाविष्ट वॉल्यूम नियम नं. 2425 का अनुसरण करके अधिकारीगण स्टेशन आमदनी से नकदी निकाल सकते हैं :
- ii) यू.सी.सी. और सी.ए.सी. काउण्टरों पर देखभाल के लिए दुर्घटना स्थल पर चुनिन्दा वाणिज्य पर्यवेक्षकों को तैनात करना चाहिए।
- iii) परिणामतः जब भी अपेक्षित हो और अधिक राशि निकालनी चाहिए।
- iv) प्रक्रिया एवं लेखा-हिसाब के लिए निम्नलिखित विवरण का अनुसरण करना चाहिए (निम्न पैरा 11 एवं 12)
- v) इस उद्देश्य के लिए वाणिज्य पर्यवेक्षक नामित करना चाहिए और उसे 5 लाख रुपये निकालने चाहिए और इसे वह आर.पी.एफ. के दस्ता के साथ अपने पास रखें।

4. वाहनों का किराए पर लेना (किराए पर वाहन लेना) :

- i) दुर्घटना स्थल पर निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अधिक संख्या में सड़क वाहन रखना अपेक्षित है।
 - चिकित्सालयों में हताहत यात्रियों को ले जाना।
 - रेलवे कर्मचारी एवं चिकित्सकों को चिकित्सालयों में ले जाना।
 - बिना चोट लगे यात्रियों को क्लियरेन्स करना।
 - शव गृहों में शवों को भेजना।
 - दुर्घटना स्थल पर व्यक्ति एवं सामान इत्यादि को लाना।
 - बिना दावा किए हुए सामान को सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए लाना।
 - संबंधियों को शव गृहों एवं चिकित्सालयों में ले जाना।

— अन्य विविध कार्य।

- ii) इस उद्देश्य के लिए दूर से लाने के लिए रेलवे वाहन उपलब्ध न होने पर अतिरिक्त सड़क वाहन किराए पर लिए जाएं।
- iii) सभी सड़क वाहन चौबीसों घंटे ड्यूटी के लिए अतिरिक्त चालक सहित किराए पर लिए जाएं।
- iv) संबंधियों को शव गृह एवं चिकित्सालय भेजने के लिए कम से कम 10 सड़क वाहन सी.ए.सी. से अटेच रहने चाहिए।
- v) किराए के वाहन के प्रत्येक राउण्ड के लिए चौबीसों घंटे हेतु रेलवे स्टाफ को नामित किया जाए (चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही हों) ताकि वाहनों का सही उपयोग हो सके।
- vi) राज्य परिवहन प्राधिकरण से भी चौबीसों घंटे ड्यूटी के लिए अतिरिक्त चालकों सहित बसें मंगाई जाएं।
- vii) प्रत्येक बस के राउण्ड पर चौबीसों घंटे ड्यूटी के लिए एक रेलवे स्टाफ को इंचार्ज रखा जाए, जब वह बस समय से जाएगी और आएगी इसके साथ रहेगा।
- viii) चिकित्सालयों के विभिन्न शहरों में होने के मामले में संबंधियों को सी.ए.सी. से विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने और उन्हें वापस सी.ए.सी. लाने के लिए सड़क परिवहनों की बसों राउण्ड ट्रिप के समय का शेड्यूल निर्धारित किया जाए।
- ix) किराए पर मंगाए गए सभी वाहनों के सामने एवं विन्डस्क्रीन के पास यह लिखे हुए स्टीकर चिपकाए जाएं — “रेल दुर्घटना ड्यूटी”

5. खान-पान प्रबंध :

- i) केवल हताहत यात्रियों को ही नहीं बल्कि ट्रेन दुर्घटना में शामिल यात्रियों को भी भोजन एवं चाय-पान की आपूर्ति आसानी से कराई जाए।
- ii) खाना एवं चाय-पान की निःशुल्क आपूर्ति की जाए।
- iii) यह प्रबंध रेलवे साधनों या बाहरी साधनों से किया जा सकता है जैसा आवश्यक हो, आई.आर.सी.टी.सी. या उनके ठेकेदारों द्वारा भी किया जा सकता है।
- iv) रेलवे खान-पान की सुविधा के प्रबंध के लिए नजदीकी ढावा एवं होटलों को संविदा पर लेना चाहिए और साइट पर स्टॉल लगाकर प्रबंध किया जाना चाहिए।

6. बिना चोट लगे यात्रियों का क्लियरेंस :

- i) सर्वप्रथम बिना सवारी यात्रियों के लिए खाने एवं पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ii) सुरक्षित यात्रियों के नाम की घोषणा रजिस्ट्रिंग के लिए करनी चाहिए।
- iii) दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों का दुर्घटना स्थल से क्लियरेंस करने के लिए ऑपरेटिंग ब्रांच के साथ योजना बनानी चाहिए जो कि खाली कोचिंग रेक्स उपलब्ध कराएगी।
- iv) यात्रियों के संबंध में साइट से क्लियरेंस (जाने) की सूचना का पी.ए. सिस्टम द्वारा घोषणा करनी चाहिए।
 - दुर्घटना में शामिल ट्रेन के सामने के पोर्शन से।
 - दुर्घटना में शामिल ट्रेन के पिछले पोर्शन से।
 - खाली सवारी गाड़ी, जो कि दुर्घटना स्थल पर लाए गए हैं।
 - सड़क पुलों पर जिनका प्रबंध किया गया है।
- v) जब यात्रियों को किसी अन्य दूसरी गाड़ी में स्थानान्तरित करते समय लगेज को पहुँचाने के लिए पर्याप्त कुलियों का प्रबंध किया जाए।
- vi) असहाय यात्रियों को सड़क परिवहन रोड ब्रिजिंग व्यवस्था से क्लियर करने के मामले में भेजे गए यात्रियों का विवरण दर्ज किया जाए और उस विवरण को मंडल आपातकालीन कक्ष में रिले किया जाए।

- vii) साईट पर उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह प्रभावित यात्रियों को उपलब्ध परिवहनों के साधनों द्वारा उन्हें निःशुल्क भेजने का प्रबंध करेगा।

7. हताहत यात्रियों की सूची तैयार करना :

- i) गाड़ी अधीक्षक/गाड़ी टिकट परीक्षक द्वारा हताहत यात्रियों की सूची एकत्रित की जाए और चिकित्सा विभाग के साथ स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।
- ii) चिकित्सा विभाग द्वारा कोच वाइज अलग-अलग सूची बनाई जाए।
- iii) सूची में निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए।
 - यदि सचेत (होश) में पाए जाएं तो : नाम, आयु, पहचान चिन्ह, पता, यात्रा आरंभ करने और गंतव्य स्टेशन का नाम।
 - यदि बेहोश पाए जाएं तो : अनुमानित आयु, लिंग, पहचान चिन्ह, टिकट नम्बर और अन्य विवरण यदि संबंधी एवं मित्र उपलब्ध है।
- iv) एक बार हताहत यात्रियों की प्रारंभिक सूची तैयार की जाए और सूची पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए और एक प्रति वाणिज्य विभाग को दी जाए।
- v) सूची को सी.ए.सी. में उपलब्ध पी.सी. में इनपुट किया जाए।
- vi) मुख्यालय के आपातकालीन कक्ष एवं मंडल आपातकालीन कक्ष में भी सूची का ई-मेल किया जाए।
- vii) पी.सी. में हताहत एवं मृत यात्रियों की प्रारंभिक सूची को आवधिक रूप से अपडेट (अद्यतन) किया जाएगा क्योंकि बचाव एवं राहत कार्य निरंतर जारी है।

8. भुगतान योग्य अनुग्रह राशि :

- i) हताहत एवं मृतकों के आश्रितों को भुगतान योग्य अनुग्रह राशि (अनुभाग 124 के अनुसार) निम्नानुसार है :—

(क) मृत्यु के मामले में	— रुपये 50000/—
(ख) गंभीर चोट	— रुपये 25000/—
(ग) सामान्य चोट	— रुपये 5000/—
- ii) अप्रिय दुर्घटना (अनटू वार्ड एन्सीडेन्ट) (अनुभाग 124 के अनुसार) अनुग्रह राहत राशि रकम निम्नानुसार होगी:—

(क) मृत्यु के मामले में	— रुपये 15000/—
(ख) गंभीर चोट	— रुपये 5000/—
(ग) सामान्य चोट	— रुपये 500/—
- iii) साईट के चिकित्सक के द्वारा उनकी चोटों के किए गए वर्गीकरण के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान होगा।
- iv) मानव रहित समपार फाटकों पर रोड उपभोक्ता एवं ओ.एच.ई. द्वारा मृत अनाधिकार प्रवेश या अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को कोई भी अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- v) ड्यूटी के दौरान चलती गाड़ी से रेलवे स्टाफ को भी हताहत होने या मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, उदाहरण के लिए — यदि कोई गैंगमैन ट्रैक पर ड्यूटी करते समय गाड़ी से रन ओवर हो जाना।
- vi) अनुग्रह राशि का नकद भुगतान किया जाना है।
- vii) हताहत यात्रियों के मामले में, हताहत यात्री स्वयं या अधिक बीमार होने पर उनकी उपस्थिति में उनके संबंधियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करना चाहिए।

- viii) मृत्यु के मामले में जहां संबंधियों द्वारा पहचान एवं शव का दावा करते हैं उसमें निम्नानुसार सावधानियां बरतनी चाहिए :-
 - (क) शव के चेहरे (मुख) का सामने एवं साइड फोटोग्राफ्स
 - (ख) अनुग्रह राशि का भुगतान लेने वाले व्यक्ति का फोटोग्राफ्स
 - (ग) शव का दावा करने वाले व्यक्ति के प्रमाण के विवरण सहित उसका संबंध।
 - (घ) भारतीय रेल मंत्री द्वारा घोषित अनुग्रह राशि की वृद्धि के मामले में, वृद्धि की गई राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से लेखा विभाग द्वारा भुगतान किया जाए।
 - (ङ) अनुग्रह राशि के भुगतान को भुगतान योग्य कम्पनसेशन दावा के विरुद्ध समयोजित नहीं किया जाए जैसा कि परिणामतः आर.सी.टी. का निर्णय है।
- ix) जांच के बाद मं.रे.प्र. द्वारा नामित वरि. वेतनमान अधिकारी के द्वारा घटना स्थल पर ही भुगतान का प्रबंध करना चाहिए, ये जांच घटना स्थल पर हताहत व्यक्तियों की अविलम्ब आवश्यकता की जांच तर्कसंगत चिकित्सा उपस्थिति के आधार पर जहां हताहत भर्ती था, उसके अनुसार की जा सकती है।
- x) साइट पर अनुग्रह राशि का भुगतान करने और अन्य व्यय को चुकाने हेतु वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा अधिकृत एक वाणिज्य निरीक्षक नजदीकी रेलवे स्टेशन से स्टेशन आमदनी में से 5 लाख रुपये निकालेगा और रेलवे सुरक्षा बल के स्टाफ की निगरानी में साइट पर मौजूद रहेगा।
- xi) वरि. मंडल वित्त प्रबंधक/मंडल वित्त प्रबंधक पर्याप्त राशि की उपलब्धता या अनुग्रह राशि/धन वापसी सुनिश्चित करेंगे।

9. धन वापसी एवं क्षतिपूर्ति दावे :

- i) नियमानुसार यात्रा पूरी किए बिना किराए की वापसी सी.ए.सी. में की जाए।
- ii) हताहत एवं मृत यात्रियों के अगले संबंधी को दावा क्षतिपूर्ति का खाली (बिना भरा हुआ) फार्म के साथ दावा व्याख्या की पूरी प्रक्रिया की बुकलेट उपलब्ध कराई जाए।
- iii) दावा क्षतिपूर्ति खाली फार्म के साथ एक भरा हुआ फार्म भी उपलब्ध कराया जाए ताकि फार्म भरने में उन्हें सहायता मिल सके।

10. लगेज एवं प्रेषण :

- i) जब कभी बिना दावे का लगेज और पार्सल ब्लोगिंग कोचों से निकाला जाता है तो कोच वाइज सूची बनाई जाए और प्रत्येक आइटम को कोच नम्बर सहित बांध दिया जाए।
- ii) प्रत्येक मद की सूची विशेष पहचान चिन्ह सहित बनाई जाए।
- iii) यदि संभव हो तो कोच के अन्दर का केबिन भी प्रदर्शित किया जाए।
- iv) लगेज का दावा स्वामित्व का संतोषजनक प्रमाण मिलने पर ही देना चाहिए।
- v) हताहत/मृतक सवारियों से संबंधित बिना दावा किया गया लगेज सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहिए।
- vi) बिना दावा किए हुए (लावारिस) लगेज को वरीयतः उसी बिल्डिंग के एक भाग में सुरक्षित रखा जाए जिस स्कूल बिल्डिंग में शवों को रखा गया हो।
- vii) इसे अलग-अलग कमरों में कोच वाइज रखा जाए रिश्तेदारों द्वारा पहचानने में इसे आसानी हो सके।
- viii) जिस कमरे में लगेज रखा गया हो उस कमरे के बाहर कोच नम्बर प्रदर्शित करते हुए सूची प्रदर्शित की जाए।
- ix) सभी बिना दावा किए हुए सामान इत्यादि को चार्ज में लेने का उत्तरदायित्व वाणिज्य विभाग का है। इसका रेलवे सुरक्षा बल से चार्ज लिया जाए।

- x) एस.एल.आर., वी.पी.यू. इत्यादि में उपलब्ध बुक किए लगेज, पार्सल एवं प्रेषण को निकालना चाहिए और सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सड़क मार्ग द्वारा नजदीकी स्टेशन पर भेज देना चाहिए।
- xi) एस.एल.आर., वी.पी.यू. में उपलब्ध नाशवान बुक सामान को बाहर निकालना चाहिए और या तो उसे साइट पर ही नीलाम किया जाए या नीलामी करने के लिए सड़क मार्ग द्वारा नजदीकी स्टेशन पर भेज देना चाहिए।
- xii) गाड़ी के रेल डाक सेवा प्रेषण को पोस्टल अथॉरिटी के आने व उनके चार्ज में जाने तक स्कूल बिल्डिंग में सुरक्षित रखना चाहिए।

11. स्टेशन आमदनी से रकम निकालने (विदड़ोवल) की प्रक्रिया :

- i) दुर्घटना होने पर दुर्घटना से संबंधित व्यय के क्रम में वाणिज्य मैनुअल वॉल्यूम-11 नियम सं. 2425 निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों द्वारा स्टेशन आमदनी से राशि निकाली जा सकती है।
 - बाढ़, दुर्घटना या भूकंप इत्यादि द्वारा विभागीय व्यय आवश्यक है (8)
 - गाड़ी दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान (22)
- ii) संबंधित विभाग के नामित अकेला पर्यवेक्षक उक्त मद में निर्धारित आई.आर.सी.एम. के नियम 2425 के अनुसार मांग पत्र द्वारा स्टेशन आमदनी से राशि निकाल सकता है।
- iii) निम्नलिखित फार्म में इस प्रकार के विदड़ोवल बनाने वाले का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी एवं राशि निकालने का उद्देश्य का भी उल्लेख किया जाए।

से	तक
पर्यवेक्षक का नाम	स्टेशन मास्टर
पदनाम/स्टेशन	स्टेशन
कृपया स्टेशन आमदनी से रुपये के भुगतान की व्यवस्था करें।	
. (उद्देश्य का उल्लेख किया जाए)	

स्टेशन आमदनी से निकासी का प्राधिकृत एक मद है।

व्यय लेखा शीर्ष से चार्ज किया जाएगा।

लेखा शीर्ष अथॉरिटी

नियंत्रण अधिकारी

स्टेशन से किया भुगतान

रुपये

अर्जित राशि : स्टेशन आमदनी से।

स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन अधीक्षक हस्ताक्षर

पदनाम

- iv) मांग पत्र तीन प्रतियों में बनाना अपेक्षित है। पहली प्रति रिकार्ड में रखी जाए, दूसरी प्रति भुगतान का प्रबंध करने हेतु उचित पावती सहित स्टेशन प्रबंधक को दी जाए और तीसरी प्रति विभाग के अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर युक्त व्यक्तिगत रूप से वरि. मंडल वित्त प्रबंधक को दी जाए।
- v) पर्यवेक्षक स्टाफ द्वारा पैसा निकालने के उपरोक्त निर्देशों में विफल होने या अन्य अनियमितता होने पर वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और अपील नियम एवं अनुशासनात्मक कार्रवाही की जा सकती है।

12. स्टेशन आमदनी से निकासी-एकाउण्टल :

- i) संबंधित शाखा अधिकारी, स्टेशन से प्राप्त मांग पत्रों को रकम निकालने की आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मंडल लेखा अधिकारी कार्यालय में अग्रसारित करेंगे।
- ii) प्रति हस्ताक्षरित मांग पत्र के साथ संबंधित भुगतान किए गए वाउचरों को लगाया जाए। शाखा अधिकारी द्वारा समय से प्रस्तुत करने हेतु देखभाल की जाए ताकि निकासी तिथि से 15 दिन के अन्दर लेखा कार्यालय में पहुँच सके।
- iii) संबंधित कार्यकारी अधिकारी, निकाली गई राशि का पूरा विवरण, किए गए भुगतान का विवरण, भुगतान का कारण, भुगतान की दर एवं अवधि, भुगतान प्राप्त करने वाले के परिचय के साथ आवश्यक रसीदी टिकट जब भी वरि. मंडल वित्त प्रबंधक को देय हो, का पूरा विवरण तैयार करेगा।
- iv) वरि. मंडल वित्त प्रबंधक, विभिन्न कार्यकारियों से उनके डिवीजन से तथा संपूर्ण आगरा में निकाली गई राशि के मासिक स्टेटमेन्ट एकत्र करेगा और इसको भेजा जाए।
- v) कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अवधि में जारी मासिक रिटर्न लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करने चाहिए।

अध्याय – 13
कार्य स्थल प्रबंधन योजना—III

(क) यांत्रिक विभाग की ड्यूटियां

हताहत यात्रियों एवं शवों को कोचों से बाहर निकालने हेतु दोहरा उत्तरदायित्व निभाने और जिन कोचों की तलाश पूरी हो चुकी है उनके लिए प्रत्येक के अंत में “तलाश एवं बचाव” और कोचों के ऑफ ट्रैकिंग के उद्देश्य के लिए 02 अलग-अलग ग्रुप गठित किए जाएं।

जब कभी दुर्घटना स्थल के दोनों सिरे (ओर) से 4 दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन, 2 दुर्घटना राहत गाड़ी और 2 बी.डी. स्पेशल पहुँच चुकी हों सामान्यतया यांत्रिक उपकरण की कहीं से भी और अधिक अपेक्षा नहीं होगी। तब मुख्य कार्य इन्हीं साधनों के उपयोग से पर्याप्त रूप से सार्थक होगा।

यांत्रिक विभाग की दोहरी जिम्मेदारियों (उत्तरदायित्वों) के निर्वहन विभिन्न टीम एवं ग्रुपों का गठन होगा। आवश्यकतानुसार प्रत्येक टीम में 4-6 सदस्य और प्रत्येक ग्रुप में 3-5 टीमों शामिल होंगी।

साइट पर तलाश एवं बचाव अभियान संचालन हेतु प्रत्येक टीम का इंचार्ज एक वरि. पर्यवेक्षक होना चाहिए। ऐसे सभी “तलाश एवं बचाव ग्रुप” दुर्घटना स्थल के प्रत्येक सिरे पर ए.एम.ई. के निर्देशों से कार्य होगा।

इसी प्रकार साइट पर “ऑफ ट्रैकिंग कोचेज” पर कार्य करने के लिए एक वरि. पर्यवेक्षक प्रत्येक टीम का इंचार्ज होना चाहिए। दुर्घटना स्थल के प्रत्येक सिरे पर इस प्रकार के सभी “ऑफ ट्रैकिंग कोचेज” पर ग्रुप किसी दूसरी सहायक यांत्रिक इंजी./वरि. पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करेगा। संबंधित दूसरा सहायक यांत्रिक इंजी./वरि. पर्यवेक्षक उस सिरे पर क्रेन का भी इंचार्ज होगा।

- i) बचाव/राहत कार्य प्रारंभ करने से पहले यह पूर्व सावधानी बरती जाए कि विद्युतीकृत सेक्शन में आपूर्ति बन्द है।
- ii) आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे कि हाथ के दस्ताने, हेलमेट का प्रयोग करें।
- iii) यदि शीघ्र प्रज्ज्वलित पदार्थों के बिखरने का संदेह हो तो केवल कोल्ड कटिंग उपकरण ही प्रयोग में लाए जाएं।
- iv) तोड़-फोड़ (टूट-फूट) के मामले में सुरागों से कम से कम हस्तक्षेप करना सुनिश्चित किया जाए। यात्रियों के निकालने के बाद वीडियो एवं डिजिटल फोटोग्राफी की जानी चाहिए।
- v) बचाव यंत्र जैसे कि गैस कटर, कोल्ड कटर, स्प्रेडर, हाईड्रोलिक जैक के प्रयोग करने में सावधानी बरतें ताकि मलवे के अन्दर फंसे या दफन यात्रियों को चोट न पहुँचे।
- vi) दुर्घटना में शामिल ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना सहायता गाड़ी के पहुँचने से पूर्व अपेक्षित मार्शलिंग की जाए।
- vii) फंसे हुए यात्रियों को आसानी से निकालने के लिए चिकित्सा/इंजीनियरिंग विभाग की सहायता ली जाए।
- viii) प्रत्येक टीम में चिकित्सा टीम शामिल होगी जो कि कोचों से हताहत यात्रियों एवं शवों को भी निकालेगी।
- ix) एक दूसरे के ऊपर चढ़े या एक दूसरे में फंसे कोचों को छोड़कर एक साथ ही अधिक से अधिक कोचों को अटैण्ड किया जाए।

- x) पर्याप्त क्षमता वाली रोड क्रैनों का प्रबंध करना चाहिए ताकि ये क्रैनें मध्य भाग में काम करना प्रारम्भ कर सकें, जबकि 140 टी क्रैनें दोनों सिरे पर कार्य कर रही हैं।
- xi) दुर्घटना में शामिल कोचों के पास (नजदीक) फंसे बी.डी. उपकरण ले जाने के लिए ट्रकों का प्रबंध करना चाहिए ताकि अधिक कोचों में एक साथ काम किया जा सके एवं एप्रोच कार्य करने के अधिक केन्द्र खोले जा सकें।
- xii) अप्रभावित एवं रि-रेल्ड रोलिंग स्टॉक की जाँच की जाए एवं यह प्रमाणित किया जाए कि क्या यह आगे संचालन हेतु उपयुक्त है।

(ख) सुरक्षा विभाग की ड्यूटियां

सुरक्षा विभाग के मुख्य कार्यों को इस प्रकार विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- (क) राजकीय रेलवे पुलिस एवं स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय।
- (ख) भीड़ रोकने की व्यवस्था।
- (ग) सामान की सुरक्षा।
- (घ) रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा।

1. सिविल पुलिस के साथ संपर्क :

- i) तोड़-फोड़ के मामले में स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ संपर्क बनाए रखें और शीघ्र क्लियरेंस करें।
- ii) कार्य प्रारंभ एवं पुनः स्थापना का क्लियरेंस जितनी शीघ्रता पूर्वक हो करना चाहिए।
- iii) भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन से अतिरिक्त मैन पावर (जनशक्ति) मांगी जाए।
- iv) शव (मृतक) की शव विच्छेदन की औपचारिकताओं की मनाही के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक से छूट की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
- v) जब कभी अपेक्षित हो तो स्थानीय पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

2. भीड़ नियंत्रण प्रबंध :

दुर्घटना स्थल पर प्रथम परेशानी उमड़ती हुई भीड़ में किसी भी राहत एवं बचाव कार्य के संचालन को आगे बढ़ाने में होती है। रेलवे कर्मचारी जो किसी भी प्रकार का बचाव एवं राहत कार्य करते हैं वे उत्तेजित एवं उग्र भीड़ के शिकार हो जाते हैं।

- i) अनाधिकृत बाहरी व्यक्तियों को रोकने के लिए साइट को रस्सियों से कवर कर देना चाहिए।
- ii) दुर्घटना के क्षेत्र को अस्थाई बैनरों का प्रयोग करके नायलोन की रस्सी या अन्य साइट पर उपलब्ध उपायों द्वारा प्रथक (अलग) कर देना चाहिए ताकि बाहरी व्यक्ति साइट पर शीघ्र किए जाने वाले बचाव संचालन में बाधा न उत्पन्न करें।
- iii) ये बैरियर ट्रैक से पर्याप्त दूरी पर होने चाहिए ताकि यू.सी.सी., सी.ए.सी. के पास अधिक भीड़ न हो।
- iv) वी.आई.पी. की विजिट के दौरान रुकावट लगाई जाए एवं भीड़ नियंत्रण हेतु अतिरिक्त फोर्स (बल) लगाया जाए।

3. सामान की सुरक्षा :

- i) सामान को सुरक्षित रखने के लिए बिना दावा किए गए लगेज को वाणिज्य विभाग को सौंपे जाने से पहले सुरक्षा की जाए।
- ii) बिना दावा किए गए यात्रियों के सामान अलग किया जाए और जहां से प्राप्त हुआ हो कोच नम्बर सहित उचित लेबल दर्शाते हुए कोचों के अनुसार चट्टा लगाया जाए।
- iii) यदि संभव हो तो कोच के अन्दर की केबिन का नम्बर भी दर्शाया जाए।
- iv) इस प्रकार का बिना दावे के सामान को दावा करने वाले को वाणिज्य विभाग द्वारा अपने अधीन लेने तक सुरक्षित रखा जाए।
- v) बिना दावा किए हुए सामान को उसी सुरक्षित स्कूल बिल्डिंग हिस्से (भाग) में रखा जाए जिसे शव (मृतक) सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- vi) इसे कोच वाइज अलग-अलग कमरों में रखा जाए ताकि इसे पहचानने में संबंधियों को आसानी हो।

4. रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा :

- i) रेलवे प्रेषण/माल/पार्सल को वाणिज्य विभाग द्वारा अपने अधीन लेने और उचित निस्तारण हेतु नजदीकी रेलवे स्टेशन भेजने तक इनको सुरक्षित रखा जाए।
- ii) साइट पर इसकी नीलामी तक या नीलाम करने हेतु किसी नजदीकी स्टेशन पर भेजने तक इसकी सुरक्षा की जाए।
- iii) गाड़ी के रेल डाक सेवा प्रेषण को पोस्टल अथोरिटी के आने व उनकी हिरासत में जाने तक उसे स्कूल बिल्डिंग में सुरक्षित शिफ्ट किया जाए।
- iv) वाणिज्य विभाग द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान करने हेतु रकम निकालने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए।
- v) दुर्घटना से संबंधित सुरागों साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए और इन्हें बिगाड़ा (डिस्टर्ब) नहीं किया जाए।
- vi) सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी रेलवे कर्मचारी किसी ट्रैक फिटिंग या रोलिंग स्टॉक पार्टों से छेड़छाड़ नहीं करें।
- vii) यदि कोई संदेहास्पद स्थिति में घूमता पाया जाए तो उसकी जांच की जाए।
- viii) कोई भी रेलवे कर्मचारी दुर्घटना साइट पर टूल या उपकरणों के टुकड़ों के पास घूमता (टहलता) नहीं पाया जाए।

5. सामान्य :

- i) रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारी बचाव अभियान में फंसे व्यक्तियों की सहायता के लिए किसी बुलावे के लिए उत्तरदायी होंगे और उन्हें नजदीकी चिकित्सालय में ले जाएंगे।
- ii) दुर्घटना के दृश्य पर आर.पी.एफ. फंक्शनरी की यू.सी.सी. में वर्तमान स्थिति देते हुए फील्ड पर्सनल द्वारा 3-3 घंटे की अद्यतन स्ट्रिप बनानी चाहिए।
- iii) रेलवे सुरक्षा बल सहायता पोस्ट, सी.ए.सी. के साथ स्थापित की जाए ताकि आवश्यक ता पड़ने पर व्यक्ति रेलवे सुरक्षा बल से एप्रोच कर सकें।

(ग) बिजली विभाग की ड्यूटियां :

ओ.एच.ई. की देखभाल एवं साईट पर प्रकाश प्रदान कराने अर्थात् दोहरी ड्यूटी निष्पादन के लिए दुर्घटना स्थल के प्रत्येक भाग पर सामान्य शाखा के अधिकारियों एवं स्टाफ और टी.आर.डी. के अधिकारियों एवं स्टाफ को शामिल करते हुए दो अलग-अलग यूनिट बनेंगी (गठित होंगी)।

दुर्घटना स्थल के दोनों सिरों से एक बार में 4 दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन, 2 दुर्घटना राहत गाड़ी, 2 बी.डी. स्पेशल पहुँचती है सामान्यतः और अधिक विद्युत उपकरणों की कहीं से आवश्यकता नहीं होगी मुख्य कार्य इन्हीं साधनों के प्रयोग के द्वारा प्रभावपूर्ण एवं पर्याप्त रूप से होना शामिल है। विद्युत विभाग की विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों के निष्पादन हेतु विभिन्न टीमों का गठन होगा। अपेक्षित आवश्यकतानुसार प्रत्येक टीम में 4-6 सदस्यों एवं प्रत्येक ग्रुप में 3-5 टीमों शामिल करनी चाहिए।

1. साईट पर प्रकाश व्यवस्था :

- i) साईट पर कार्य करने वाली प्रत्येक ग्रुप का इंचार्ज एक वरिष्ठ पर्यवेक्षक होगा। दुर्घटना स्थल के प्रत्येक सिरे पर सामान्य शाखा की सभी टीमों मंडल विद्युत इंजीनियर/सामान्य के निर्देशन में कार्य करेंगी।
- ii) साईट के भौगोलिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए यू.सी.सी., एल.सी.सी., सी.ए.सी. एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का आकार रखना होगा।
- iii) इसके बाद वह दुर्घटना राहत गाड़ियों एवं दुर्घटना राहत चिकित्सा राहत वाहन में उपलब्ध इलैक्ट्रीकल फिटिंग और सेटों का निर्धारण करेगा।
- iv) दुर्घटना राहत चिकित्सा वाहन एवं दुर्घटना राहत गाड़ी में पर्याप्त उपलब्ध प्रकाश सुविधाएं एवं जनरेटर सेटों को क्रम से प्रयोग किया जाएगा।
- v) प्रकाश की प्रथम वरीयता दुर्घटना स्थल के साथ ट्रैक पर जहां बचाव, राहत एवं पुनः स्थापन कार्य किया जा रहा है के लिए होगा।
- vi) लाइटिंग की अगली प्राथमिकता यू.सी.सी., सी.ए.सी. और एल.सी.सी. में लगाने की होगी।
- vii) यदि जनरेटरों एवं लाइटिंग फिक्चर की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो मंडल सहित दूसरी रेलवे के साधनों से अविलम्ब मंगाया जाना चाहिए।
- viii) मंडल के साधनों के अपर्याप्त होने के मामले में अन्य मंडलों के साधनों को मंगवाया जाना चाहिए।
- ix) यदि अपेक्षित हो तो साईट पर मौजूद अधिकारियों द्वारा मांग के अनुसार उपलब्ध नजदीकी गैर रेलवे के साधनों से किराए पर अतिरिक्त जनरेटर सैट्स, लाइटिंग फिक्चर इत्यादि लेना चाहिए इस प्रकार के टेन्ट हाउस की सूची अनुलग्न 20 में दी जा रही है।
- x) एक बार ही जनरेटर एवं लाइटिंग फिक्चर सेट किए गए हैं, यदि नजदीक में साधन उपलब्ध हो तो टॉप डायरेक्ट पावर सप्लाई लगाई जाए।
- xi) नजदीक में बिजली आपूर्ति उपलब्ध न होने और निरंतर प्रकाश व्यवस्था के लिए जनरेटर से आपूर्ति करने के मामले में डीजल एवं पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में मंगाया जाए और स्टॉक में रखा जाए।

2. ओ.एच.ई. साइट :

साइट पर कार्य करने के लिए प्रत्येक का इंचार्ज एक वरि. पर्यवेक्षक होना चाहिए। दुर्घटना साइट के प्रत्येक सिरे पर टी.आर.डी. की सभी टीमें वरि. मंडल विद्युत इंजी./टी.आर.डी. के निर्देशन में कार्य करेंगी।

- i) ओ.एच.ई. को नीचे करने के मामले में उसे तुरन्त नीचे कर देना चाहिए ताकि ओ.एच.ई. के खाते से कोई रूकावट नहीं हो ।
- ii) किसी सेक्शन की आवश्यकता पूरी करने के लिए ओ.एच.ई. को घुमाने के मामले में उसे शीघ्रता पूर्वक किया जाए, ताकि ओ.एच.ई. के खाते में काम रूके नहीं।
- iii) वरि. मंडल विद्युत इंजी. को दुर्घटना स्थल पर पास के डिपो से दोनों ओर से सामग्री एवं व्यक्तियों सहित 6 टावर वैगनों का प्रबंध करना होगा।
- iv) टावर वैगनों की अधिक आवश्यकता होने पर सामग्री एवं व्यक्तियों सहित अन्य डिपो से टावर वैगन मंगानी चाहिए।
- v) ओ.एच.ई. के खम्बों (मास्ट) एवं अन्य उपकरणों की वर्तमान क्षति का निर्धारण किया जाए।
- vi) मंडल सहित अन्य रेलवे के साधनों से भी अतिरिक्त सामान की मांग की जाए यदि आवश्यक हो तो।
- vii) मंडल पर साधनों के अभाव में अन्य मंडलों से साधन मंगवाया जाए।
- viii) अन्य मंडलों पर भी साधनों के अभाव होने पर अन्य जोन (क्षेत्रों) से मंगवाया जाना चाहिए।
- ix) ओ.एच.ई. मास्ट्स की उपलब्धता का लॉग लीड आइटम है मास्टों की रिक्वायरमेंट शीघ्रतापूर्वक निकाली जाए ताकि अविलम्ब संचालित किया जा सके।
- x) अस्थाई पोर्टलों को अविलम्ब लगाना सुनिश्चित किया जाए।
- xi) ओ.एच.ई. व्यापक (अधिक) क्षति होने एवं वायरिंग ट्रेन (गाड़ी) को अधिक उपयुक्त होने के मामले में रेलवे विद्युतीकरण संगठन से बात-चीत करने के बाद अन्य दूसरे जोन से उसका प्रबंध किया जाना चाहिए।
- xii) ओ.एच.ई. के पास स्टाफ द्वारा कार्य करने से पहले सेक्शन का अर्थ होना सुनिश्चित किया जाए।
- xiii) जब तक सेक्शन से स्टाफ, टावर वैगन, क्रेन इत्यादि हटा ली जाएं तब तक ओ.एच.ई. को चार्ज न करें।

(घ) सिगनल एवं दूर संचार विभाग की ड्यूटिया :

दुर्घटना स्थल और अन्य कार्य स्थलों पर प्रदान किए गए पर्याप्त एवं विश्वसनीय संचार साधनों को शामिल करते हुए सिगनल एवं दूर संचार विभाग की ड्यूटियां :

1. संचार सुविधाओं के प्रकार :

- i) सैटेलाइट टेलीफोन
- ii) बी.एस.एन.एल. टेलीफोन
- iii) मोबाइल, क्षेत्र मोबाइल कवरेज के अधीन होने के मामले में
- iv) वॉकी-टॉकी सेट्स
- v) रेलवे टेलीफोन
- vi) पी.ए. सिस्टम

2. स्थितियां (स्थान) :

यह निम्नलिखित स्थानों पर लगाने चाहिए

- i) यू.सी.सी.
- ii) सी.ए.सी.
- iii) एल.सी.सी.
- iv) चिकित्सालय
- v) शव गृह
- vi) अन्य दूसरे स्थान जहां निश्चित किया हो।

3. प्रदान किए फोनो की संख्या :

- i) 5 सेटे लाइट फोन प्रदान किए गए हैं। 2 यू.सी.सी.+1 सी.ए.सी. में तथा 2 फोन यात्रियों के लिए हैं।
- ii) बी.एस.एन.एल. टेलीफोन – 2 यू.सी.सी. में, 3 सी.ए.सी. में और 1 प्रत्येक चिकित्सालय हेतु।
- iii) मोबाइल – यू.सी.सी. और सी.ए.सी. में जितने अधिकतम मोबाइलों का प्रबंध हो सके, उपरोक्त के अलावा प्रत्येक चिकित्सालय में 2 मोबाइल।
- iv) वॉकी-टॉकी सेट्स – प्रत्येक फंक्शनरी पर होना चाहिए।
- v) यू.सी.सी. में एक 25 W वी.एच.एफ. सेट भी प्रदान किया जाए।
- vi) सड़क वाहन में एक 25 W वी.एच.एफ. सेट लगाया जाएगा ताकि 15–20 कि.मी. तक मोबाइल कम्युनिकेशन हो सके।
- vii) रेलवे टेलीफोन – यू.सी.सी., एल.सी.सी. और सी.ए.सी. की प्रत्येक फंक्शनरी में होना चाहिए।
- viii) आर.ई. एरिया में दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन सॉकिटों का उपयोग किया जाएगा और गैर आर.ई. एरिया में जहां पर 6 क्वायर केबिल उपलब्ध है वहां पर संचार व्यवस्था प्रदान करने के लिए वहीं प्रयोग किया जाएगा।
- ix) पी.ए. सिस्टम – यू.सी.सी., सी.ए.सी. और एल.सी.सी. पर।

4. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली :

- i) पर्याप्त संख्या में पी.ए. सिस्टम, हैंड सैट्स प्रदान किए जाएं।
- ii) पी.ए. सिस्टम यू.सी.सी., सी.ए.सी., और एल.सी.सी. में प्रदान किए जाने चाहिए। ये (पी.ए. सिस्टम) यात्रियों के साथ बात करने और रेल कर्मचारियों को निर्देश देने के उपयोग के लिए हैं।
- iii) दुर्घटना स्थल की आवश्यकतानुसार इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पी.ए. सिस्टम की आवश्यकता हो सकती है।
- iv) दुर्घटना राहत गाड़ी में उपलब्ध मेगा माइक्स का भी उपयोग किया जाए।
- v) यू.सी.सी., सी.ए.सी. और एल.सी.सी. के पी.ए. सिस्टमों का वॉल्यूम (आवाज) इस प्रकार समायोजित की जाए ताकि उद्घोषणा केवल उस क्षेत्र तक पहुँचे जो कि क्षेत्राधिकार के अधीन हो। इससे दूसरे पी.ए. सिस्टम द्वारा की गई उद्घोषणा में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

5. सामान्य :

- i) आपदा प्रबंधन टेलीफोन डायरेक्टरी महत्वपूर्ण नम्बरों सहित, की उपलब्धता की जाए (अनुलग्नक 04-36)
- ii) यू.सी.सी., सी.ए.सी., और एल.सी.सी. में अतिरिक्त बैटरियों सहित पर्याप्त संख्या में मोबाइल बैटरी चार्जर प्रदान किए जाएं।

(ङ) इंजीनियरिंग विभाग की ड्यूटियाँ :

चैप्टर 11 सेक्शन 8 में कुछ ड्यूटियों का विवरण दिया गया है। अतिरिक्त ड्यूटियां निम्नानुसार हैं :

- i) सहायक इंजी./वरि. सेक्शन इंजी (रेल पथ/कार्य) व्यक्तियों, बचाव उपकरणों को एकत्रित करेंगे और जितना संभव हो तीव्रगामी साधनों से साईट पर पहुँचेंगे।
- ii) दुर्घटना स्थल पर यू.सी.सी., सी.ए.सी. की स्थापना करेंगे।
- iii) चिकित्सा/यांत्रिक विभाग बचाव कार्य में सहायता करेंगे।
- iv) यदि आवश्यक हो तो आर्मी/नेवी/एयर बेस से संपर्क करेंगे और अपेक्षित कर्मियों अर्थात् गोताखोर आदि को बचाव अभियान हेतु एकत्रित करेंगे।
- v) यदि आवश्यक हो तो प्राइवेट रोड क्रैन, बुल्डोजर अर्थ मूवर्स इत्यादि को किराए पर लेना चाहिए।
- vi) 2 इंजीनियरिंग स्पेशल सेक्शन के प्रत्येक सिरे से (दोनों सिरों से) इंजीनियरिंग के सामान एवं गैंगमैनों को लाएगी।
- vii) यदि किसी ट्रैक सामग्री की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसे उचित समय पर मंडल सहित अन्य रेलवे के साधनों से अविलम्ब मंगाया जाना चाहिए।
- viii) मंडल पर साधन अपर्याप्त होने के मामले में अन्य मंडलों के स्रोतों से साधन मंगवाना चाहिए।
- ix) ऐसे 500 अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता है जो कि समीप के मंडलों/जोनों से अपने हैं।
- x) प्रत्येक ऐसे मंडलों से सहायता के लिए 250 श्रमिकों सहित 05 आर्टीजन और 05 रेल पथ निरीक्षकों को भेजना चाहिए।
- xi) प्रत्येक मंडल से एक मंडल इंजीनियर और एक सहायक इंजीनियर को भी दुर्घटना स्थल पर रवाना होना पड़ेगा।
- xii) कर्षण वितरण और परिचालन कर्मियों के परामर्श के साथ शीघ्र बहाल करने के लिए कार्य समन्वय और ट्रैक मशीन के संचालन की योजना।

च. कार्मिक विभाग की ड्यूटी—

- 1. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को अपने सभी कल्याण निरीक्षकों के साथ दुर्घटना स्थल पर जाना होगा।
- 2. घायलों/मृतकों का विवरण एकत्र करके और उन्हें अस्पताल में भेजकर चिकित्सकों की मदद करना।
- 3. कल्याण निरीक्षकों को प्रत्येक अस्पताल में घायल व्यक्तियों के कल्याण कार्य को देखने के लिए शिफ्टों में 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा।
- 4. घायलों की सहायता के लिए उनके संबंधियों को आने और उन्हें वापस घर ले जाने के लिए मुफ्त यात्रा पास जारी करना।

5. हताहत सहायता केन्द्र में काउंटरों पर कार्मिक विभाग के कर्मचारी और आमने-सामने काउंटरों की सूची पर ड्यूटी को निभाना।

ग. लेखा विभाग की ड्यूटी—

1. आपातकालीन काम का सामना करने के लिए पर्याप्त नकद धनराशि उपलब्ध कराना।
2. स्थानीय बैंक में चालू खाता खोलने और ओवर ड्राफ्ट सुविधा की अनुमति लेना, ताकि दूर-दराज के स्टेशनों से भारी तादाद में नकद राशि लाने की जरूरत न पड़े। अधिकतम अनुग्रह राशियों के भुगतान के लिए चेक जारी करना। यदि माननीय रेलमंत्री द्वारा दुर्घटना स्थल पर ऐसी घोषणा की जाती है।

घ. स्टाफ मामले

1. पहली समस्या रेलवे कर्मचारियों की पहचान करनी है।
2. उन्हें दुर्घटना राहत चिकित्सा यान/दुर्घटना राहत गाड़ी में रखने के लिए नारंगी रंग का आर्मबैंड/बाजूबंद
3. दुर्घटना राहत मोटर यान/दुर्घटना राहत गाड़ी में भी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में आर्मबैंड दस्ताने और फेस मास्क।
4. भीड़ में रेल कर्मियों के साथ संचार स्थापित करना दूसरी समस्या है।
5. दुर्घटना राहत चिकित्सा यान/दुर्घटना राहत रेलगाड़ी में उपलब्ध माइक्रोफोन/लाउड स्पीकर भीड़ नियंत्रण और दुर्घटना स्थल पर कार्य करने के लिए रेलकर्मियों को निर्देश देने दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. बचाव कार्य एक बार शुरू हो जाने पर साइट पर कार्यरत रेलवे स्टाफ के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना।
7. स्टाफ को ठहरने के लिए जहां पानी और नहाने-धोने/चार्जिंग की सुविधा हो वहां के नजदीकी स्टेशनों पर अतिरिक्त कोच खड़े किए जाएं।

यात्री देखभाल

1. सामान्य-

- i) यात्रियों और उनके संबंधियों की तकलीफों को कुछ कम करने के लिए उन्हें रिलीव करने में सहायता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- ii) घायल यात्री और उनके संबंधी बहुत ही शिष्टाचार के पात्र हैं और उनके मानसिक आघात और पीड़ा को कम करने के लिए उनसे संपर्क करके उदारतापूर्वक मिलें।
- iii) देश के दूर-दराज के कोने-कोने से पहुंचने वाले उनके संबंधियों के साथ जहां से गाड़ी आरंभ होती है वहां की उनकी स्थानीय भाषा में स्वाभाविक रूप से बातचीत करें और जरूरत पड़ने पर दूरभाष का इस्तेमाल करना चाहिए।
- iv) वाणिज्य पर्यवेक्षक और कल्याण निरीक्षक घायल यात्रियों से बातचीत करके सुनिश्चित करें कि क्या वे अपने किसी संबंधी को बुलाने के लिए इच्छुक हैं।
- v) घायल यात्रियों को अपने संबंधियों से बातचीत करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें मोबाइल या भारत संचालन निगम लिमिटेड को एसटीडी फोन उपलब्ध कराएं।

2. घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराना-

- i) रेल दुर्घटना के मामले में जिसमें ऐसे हताहत हों, जिन्हें गाड़ी से उतारकर तत्काल रेलवे अस्पताल भेजना जरूरी है उन्हें समान नीति के अनुसार आवश्यक रूप से पहले भेजकर उनका इलाज कराना चाहिए।
- ii) नजदीक कोई रेलवे अस्पताल न होने पर उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।
- iii) निम्नलिखित मामलों में घायलों को निजी अस्पतालों में भर्ती किया जा सकता है। जब वहां दुर्घटना स्थल से 08 किमी की परिधि में कोई रेलवे या सरकारी अस्पताल न हो या उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर जब लिखित रूप में सत्यापित करें कि मरीज की इच्छानुसार प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज आवश्यक है। इसके अलावा यदि रेलवे डॉक्टर प्रमाणित करें कि ऐसा घायल यात्री जहां विभिन्न स्तर वाले आवास उपलब्ध है वहीं प्राइवेट अस्पतालों में निम्नतम श्रेणी का आवास सामान्यतः पाने का हकदार है। जब घायल व्यक्ति का परिवार उच्च श्रेणी का आवास उपलब्ध कराने का इच्छुक हो तब परिवार को अतिरिक्त लागत सीधे अस्पताल प्राधिकारियों के भुगतान करने के लिए लिखित रूप से देना होगा।
- iv) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक मंडल को क्षेत्रों में यदि आवश्यक हो तो ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के साथ उनकी सेवा देने के कार्य करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- v) बिना समय नष्ट किए ही किसी आपातकाल में जख्मी मामलों को संबंधित अस्पतालों में रेफर किया जा सके।
- vi) मामले को सुविधाजनक बनाने और संदेह का रोकथाम के लिए रेलवे और गैर रेलवे अस्पतालों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की सूची बना लेनी चाहिए।
- vii) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रत्येक श्रेणी के आवास के ऐसे मामलों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रभारों को निपटाना चाहिए।

viii) ऐसे अस्पतालों के बिलों को सीधे मुख्य चिकित्सा निदेशक को प्रस्तुत करना चाहिए जो वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक द्वारा भुगतान पास करने से पूर्व देय प्रभारों की सत्यता की जांच करेगा।

ix) इस पैरा के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान के लिए रेलवे द्वारा स्थानीय प्रबंध किया जा सकता है और रेल मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 701 (1) और 712 तथा भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल का 1421 और दिनांक 18.12.1954 रेल मंत्रालय का पत्रांक सं. एमएचएसए/एमईएस.96/चिकित्सा

xi) घायल को गैर रेलवे अस्पतालों में भर्ती कराए जाने पर उन अस्पतालों में उपलब्ध न रहने वाली अपेक्षित दवाईयों की आपूर्ति सहित आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु उन अस्पतालों में रेलवे डॉक्टर तैनात किए जाएं।

x) उन्हें घायल की स्थिति को ध्यानपूर्वक निगरानी करनी चाहिए और सभी विवरणों सहित अधतन सूची भी रखनी चाहिए।

3. अस्पताल में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं—

i) मरीज के पहुंचने वाले संबंधियों के साथ बातचीत करने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वार पर वाणिज्य पर्यवेक्षकों या कल्याण निरीक्षकों द्वारा अलग से बनाए गए स्वागत काउंटर पर कर्मचारी तैनात किए जाएं।

ii) दुर्घटनाग्रस्त मरीज जिस वार्ड में भर्ती कराए गए हैं उनके नाम, कोच नं. के अनुसार वार्ड संख्या का संकेत करते हुए उस स्वागत काउंटर पर एक चार्ट प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

iii) ऐसे प्रत्येक वार्ड के प्रवेश द्वार पर वार्ड के अंदर मरीज के नाम कोच सं और पलंग सं. वाली एक दूसरी सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए।

iv) अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात वाणिज्य स्टाफ और कल्याण निरीक्षक को मरीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उनके संबंधियों के नाम, पते और टेलीफोन नं संकेत करते हुए कि उन्हें सूचित कर दिया गया है या नहीं एक सूची रखनी चाहिए।

v) दुर्घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान के मामले में मरीज को जानने वाले दूसरे मित्रों या किसी संबंधी को परिचित के उनकी पहचान करने के लिए सूचित करने की व्यवस्था की जाए।

vi) ऐसे संबंधी के पहुंचने पर यात्री के नाम के आगे सूची में दर्ज करें।

vii) स्वागत काउंटर पर एसटीडी सुविधा के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड का टेलीफोन होना चाहिए।

viii) मरीजों के वार्ड के अंदर आउट गोइंग कॉल करने के लिए दो मोबाइल टेलीफोन होना चाहिए।

ix) मरीजों को अंतिम रूप से अस्पतालों से छुट्टी मिलने तक चिकित्सा प्रभार की व्यवस्था करने के साथ सभी यात्रियों का पूर्ण उपचार का ध्यान रखा जाए।

4. संचार—

i) अपने संबंधियों से बात करने के लिए यात्रियों को एसटीडी सुविधा के साथ टेलीफोन उपलब्ध कराना चाहिए।

ii) समीप के स्टेशनों/केबिनो/फाटकों पर उपलब्ध भारत संचार निगम लिमिटेड/रेलवे टेलीफोनो का दुर्घटना स्थल तक विस्तार किया जाए।

- iii) निकटवर्ती बस्तियों/गांवों/कस्बों के पीसीओ टेलीफोन और अन्य बीएसएनएल टेलीफोनों का विस्तार उन टेलीफोनों की निगरानी करने से यात्रियों के द्वारा दुर्घटना स्थल तक किया जाए।
- iv) ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों का भुगतान स्टेशन अर्जन से किया जाए।
- v) वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर को असहाय यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ मोबाइल फोन किराए पर लेना चाहिए। जहां सेलुलर फोन की सुविधा उपलब्ध हो। असहाय यात्रियों को निःशुल्क उन फोनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।
- vi) यात्रियों की संरक्षा की सूचना उनके मित्रों और रिश्तेदारों को देने के लिए इन कॉल फोनों का प्रयोग किया जाए।

5. संबंधियों का आगमन—

- i) कुछ ही घंटों के बाद मरीजों के अन्य संबंधी और घायल यात्रियों के संबंधी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने लगते हैं।
- ii) दुर्घटना स्थल पर लगाने के लिए दुर्घटना रेल मोबाइल यान/दुर्घटना राहत गाड़ी या पर्याप्त तादात में प्रदर्शन बोर्ड रखे जाएं।
- iii) इन प्रदर्शन बोर्डों पर सीएसी को दिशा-निर्देश संकेत करने वाली स्पष्ट और बड़े संकेत होने चाहिए।
- iv) ये संकेतक बोर्ड उन कोचों के निकट प्रदर्शित किया जाए जिधर से संबंधी आने वाले और प्रवेश करने वाले हों।
- v) उन्हें सीएसी का मार्गदर्शन कराने वाले उच्च क्षमता वाले लाउडस्पीकरों पर आवधिक उद्घोषणा की जाए।
- vi) सीएसी पर नीचे खंड 08 में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों के विभिन्न काउंटर होने चाहिए।

6. संबंधियों की देखभाल—

- i) विभिन्न अस्पतालों इत्यादि में आने वाले संबंधियों को लेने के उद्देश्य से सीएसी पर पर्याप्त संख्या में वाणिज्य पर्यवेक्षक और कल्याण निरीक्षक होने चाहिए।
- ii) संबंधियों के पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले आरक्षण चार्ट दिखाना चाहिए और यात्री का नाम पता करना चाहिए।
- iii) इसके बाद यदि जिस अस्पताल में यात्री दाखिल हैं उसके कल्याण निरीक्षकों को उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए।
- iv) उन्हें विभिन्न अस्पतालों और शवगृहों तक पहुंचाने के लिए किराए का वाहन उपलब्ध कराना चाहिए।
- v) वाणिज्य पर्यवेक्षक या कल्याण निरीक्षकों को संबंधी द्वारा घायल यात्री को तलाशने या उसके शव की पहचान करने तक उनके साथ ठहरना चाहिए।
- vi) इसके बाद सीएसी में समस्त औपचारिकता पूरी करने में उनकी मदद करनी चाहिए।

7. एकल खिड़की क्लियरेंस—

- i) कागजी कार्यों की समस्त विधि औपचारिकताएं और बहुउद्देश्यों के लिए सीएसी पर एकल खिड़की क्लियरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ii) सीएसी में व्यवस्थित काउंटर्स पर अनुलग्नक-3 में दर्शाए गए के अनुसार दिए गए क्रम में निम्नलिखित मदों का सुविधा होनी चाहिए —
क. नाम देखने के लिए आरक्षण चार्ट।

- ख. नाम और अस्पताल के साथ मृतक और घायलों की सूची उसमें सम्मिलित यात्रियों का नाम मृतक या घायलों की यदि उपलब्ध हो तो सूची से ली जाए और सूचित किया उनका विवरण।
- ग. संबंधियों को अपने साथ लाने ले जाने के लिए और विभिन्न अस्पतालों या शवगृहों तक जाने के लिए वाणिज्य निरीक्षकों या कल्याण निरीक्षकों को वाहन उपलब्ध कराने का काउंटर
- घ. चिकित्सा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए रेलवे डॉक्टर
- ङ. आवश्यक मामलों में पोस्टमार्टम क्लियरेंस जारी करने के लिए सरकारी डॉक्टर।
- च. कार्यालयीन मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए नगर निगम कर्मचारी/अधिकारी के लिए नगर निगम कर्मचारी/अधिकारी
- छ. शव सुपुर्दगी के लिए प्राधिकार जारी करने के लिए स्थानीय पुलिस।
- ज. अनुग्रह राशि के भुगतान और अनुकंपा दावा फार्म जारी करने के लिए दावा काउंटर।
- झ. सम्बंधियों द्वारा शवों का अंतिम संस्कार स्वयं करने का निर्णय लेने के मामले में अंतिम क्रिया निष्पादित करने के लिए सहायता केंद्र।
- ट. वापसी यात्रा पास जारी करने के लिए पास काउंटर।
- ठ. वापसी यात्रा सुविधा काउंटर की वापसी यात्रा के लिए व्यवस्था की जाएगी।

8. मृतक और घायलों के संबंधियों का ठहराव—

- i) संबंधियों के साथ तैनात किए गए वाणिज्य पर्यवेक्षक या कल्याण निरीक्षक उनके ठहरने और रहने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
- ii) यात्रियों के ठहरने के लिए होटलों/धर्मशालाओं में आवश्यकतानुसार ठहरने का स्थान भाड़े पर लेना।
- iii) उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाए। संबंधियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए ठेका दिया जाना चाहिए।

9. अंतिम संस्कार का निष्पादन—

- i) बहुत से मामलों में संबंधी शव को अपने पैतृक निवास स्थान पर वापस ले जाने के स्थान पर, दुर्घटना स्थल पर ही उसका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लेते हैं।
- ii) यह प्रायः इन पर निर्भर रहता है—
 - शवों का विकृत होना।
 - शवों का अपघटन/सड़न
 - पैतृक निवास स्थान काफी दूर होना।
 - शव की वापस ले जाने में तार्किक समस्याएं उत्पन्न होने पर
- iii) ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार निष्पादित करने में रेलवे को संबंधियों को अपेक्षित मदद करनी चाहिए।
- iv) रेलवे को देखना चाहिए कि—
 - जैसा मामला हो, उसके अनुसार नजदीकी की कब्रिस्तान, शमशान भूमि।
 - अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने हेतु दुकानदार
 - क्रिया संपन्न कराने के लिए मौलवी/पुजारी

- v) उपर्युक्त सूचनाएं संबंधियों को देना चाहिए और शव ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए।
- vi) उपर्युक्त ड्यूटियां कार्मिक विभाग द्वारा पूरी की जानी है।
- vii) किसी विशिष्ट संबंधी के लिए तैनात किए गए वाणिज्य पर्यवेक्षक या कल्याण निरीक्षक को उनकी भरपूर सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए।

10. मृतकों और घायलों के संबंधियों का प्रस्थान—

- i) उनकी वापसी के बारे में संबंधियों की मदद के लिए सीएसी पर काउंटर होने चाहिए।
- ii) सीएसी पर कार्मिक शाखा के कर्मचारियों को उनकी वापसी यात्रा के लिए मानार्थ पास जारी करने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए।
- iii) गाड़ियों में बर्थ आरक्षित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा आरक्षण मात्र दुर्घटना स्थल से आगे के लिए होना चाहिए।
- iv) उनके गंतव्य स्थान तक जाने वाली रेलगाड़ियों में आगामी 2 या 3 दिनों तक के लिए अतिरिक्त कोच जोड़े जाएं। इन अतिरिक्त कोचों को पारंपरिक स्थान से लॉकड स्थिति में लाना चाहिए।
- v) इच्छा व्यक्त करने के मामले में शवों को गाड़ी इत्यादि में रखकर वापस ले जाने के लिए एसएलआर के सामान वाले हिस्से में जगह आरक्षित रखा जाए।

अध्याय-15
मीडिया प्रबंधन योजना

1. उद्देश्य-

- i) दुर्घटना से संबंधित वास्तविक सूचना जनता को उपलब्ध कराने के लिए चौकी
- ii) यात्रियों के लिए उपयुक्त निश्चित सूचना देना।
- iii) मृतक और घायल यात्रियों के संबंधियों के लिए उपयुक्त निश्चित विनिर्दिष्ट सूचना देना।
- iv) सकारात्मक जनमत सृजित करना।
- v) प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मधुर संबंध स्थापित करें।

2. जनसंपर्क संगठन का कर्तव्य-

- i) जितनी सूचनाएं उपलब्ध हो, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी और उनकी टीम मंडल नियंत्रण कार्यालय से एकत्र करें और पहली सूचना दुर्घटना होने की सूचना मिलने के 60 मिनट के अंदर मीडिया को रिलीज करें।
- ii) सूचना में हेल्पलाइन पूछताछ बूथ का टेलीफोन नंबर शामिल होना चाहिए।
- iii) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी और उनके विभिन्न जनसंपर्क संगठन को महाप्रबंधक तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों को ले जाने वाली प्रथम विशेष रेलगाड़ी में दुर्घटना स्थान पर जाना चाहिए।
- iv) डिजिटल कैमरे के साथ पर्याप्त संख्या में फोटोग्राफर्स और वीडियो फोटोग्राफर भी दुर्घटना स्थल पर अपने साथ ले जाना चाहिए।
- v) दिन के दौरान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी दोनों को उपस्थित रहना चाहिए।
- vi) रात के दौरान शिफ्ट में उत्तरदायी जनसंपर्क पर्यवेक्षकों को, यदि आवश्यक हो तो मीडिया के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- vii) खंड 6 में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित समय पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी को संवाददाता सम्मेलन आयोजित करना चाहिए।
- viii) जनसंपर्क संगठन को विभिन्न मीडिया चैनलों को मीडिया रिपोर्टिंग को ट्रैक पर रखना चाहिए। अपेक्षित होने पर उपयुक्त सुधार/वर्गीकरण जारी किया जा सकता है।

3. वक्ता व्यक्ति-

- i) प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम करने या साक्षात्कार देने के लिए मात्र महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यालय आपातकालीन सेल और मंडल आपातकालीन सेल के आपातकालीन अधिकारी अधिकृत हैं।
- ii) उपर्युक्त के संबंध में महाप्रबंधक द्वारा प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम करने या साक्षात्कार देने के लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जा सकता है।
- iii) रेलवे का प्रयत्न होगा कि मीडिया को रिलीज की गई सूचना सही और सुस्पष्ट हो।
- iv) मीडिया को उपलब्ध कराई गयी सूचना की किसी तथ्य की वर्तनी/रूपांतरण में कोई तोड़-मरोड़ या बढ़ा-चढ़ाकर नहीं होनी चाहिए।
- v) साधन की प्रमाणिकता के बिना अस्पष्ट सूचना मीडिया को नहीं दी जाएगी।
- vi) कोई रेलकर्मी दुर्घटना के बारे में कभी किसी बिन्दु के बारे में अपना व्यक्तिगत विचार या दृष्टिकोण या कथन अभिव्यक्त नहीं करेगा।

4. **प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिलीज की जाने वाली सूचना—**
मीडिया को दी जाने वाली सूचना निम्नलिखित प्रकार की अलग-अलग विस्तृत रूप से दी जानी चाहिए।

क. दुर्घटना—

- i) दुर्घटना की प्रकृति— तारीख, समय, स्थान वास्तविक लोकेशन, गाड़ी सं. और कोच का नंबर इत्यादि सम्मिलित हो।
- ii) दुर्घटना होने के संभाव्य/वास्तविक कारण का विवरण।
- iii) दुर्घटना का प्रथम दृष्टया कारण मंडल रेल प्रबंधक के अनुमोदन से ही मीडिया को रिलीज किया जा सकता है।
- iv) रेलवे बोर्ड की अनुमति के बिना मीडिया को संदिग्ध होने पर भी तोड़-फोड़ की सूचना नहीं दी जाएगी।
- v) बचाव तथा राहत कार्य की प्रगति के बारे में आवधिक रिपोर्ट।
- vi) स्थिति बहाल होने की अपेक्षित तारीख और समय।

ख. घायल यात्री—

- i) अप्रभावित यात्रियों के लिए पेय पदार्थ, नाश्ता और प्रथमोपचार उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदम।
- ii) अप्रभावित यात्रियों के क्लियरेंस के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदम।
- iii) दुर्घटना में शामिल गाड़ी के अगले भाग के प्रस्थान का अपेक्षित समय।
- iv) गंतव्य स्थान पर इसके आगमन का संभावित समय।
- v) दुर्घटना में शामिल गाड़ी के पिछले भाग के प्रस्थान का अपेक्षित समय।
- vi) परिवर्तित रूट और गंतव्य स्थान पर उसके आगमन का संभावित समय।
- vii) कोच खाली कराने के मामले में की गई कोच की व्यवस्था, तब उसका विवरण।
- viii) बनाए गए सड़क पुल, सामान पहुंचने के लिए श्रमिकों की व्यवस्था।

ग. मृतक और घायल यात्री—

- i) रेलवे द्वारा तत्काल दिए गए चिकित्सकीय ध्यान हेतु उठाए गए कदम।
- ii) घायल यात्रियों में से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या।
- iii) उनके जख्मों का वर्गीकरण
 - गंभीर
 - साधारण
 - नगण्य
- iv) जिन अस्पतालों में घायलों का उपचार चल रहा है, उनके नाम।
- v) इनमें से प्रत्येक अस्पतालों में लगभग कितने-कितने मरीज भर्ती किए गए हैं।
- vi) घायल यात्रियों के नाम
- vii) इन अस्पतालों में उपलब्ध सेलफोन एसटीडी फोन जैसी-संचार सुविधाएं।
- viii) अनुग्रह राशि का भुगतान।
- ix) घायल के संबंधियों की यात्रा के लिए मुफ्त पास सहित दी गई सुविधाएं।
- x) मृतक और घायलों के संबंधियों को ले जाने के लिए चलाई गई विशेष गाड़ियां।
- xi) तलाश किए गए शवों की संख्या और पहचाने गए शवों की संख्या।

- xii) शवों के पहचान में सबसे ज्यादा समस्या की स्थिति या तो अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों की होती है या उनके सहयात्री का भी निधन हो गया है।
- xiii) ऐसी परिस्थितियों में उनके शवों की पहचान उनके गृह नगर से संबंधियों के आने के बाद ही हो सकती है।
- xiv) शवों के पहचान करने का यह संकेत और विलंब का कारण मीडिया को स्पष्ट करना चाहिए।

घ. हेल्पलाइन पूछताछ बूथ—

- i) हेल्पलाइन पूछताछ बूथ की स्थापना
- ii) हेल्पलाइन पूछताछ बूथ का विवरण इस प्रकार होना चाहिए।
- iii) जहां ये खोले गए हैं उस स्टेशन का नाम
- iv) टेलीफोन नंबर
- v) फैक्स नंबर
- vi) रेलनेट बेवसाइट पर उ.म.रे का इंटरनेट पता (www.ncr.railways.gov.in)

ड. गाड़ी सेवाएं।

- i) निम्नलिखित विवरण के साथ गाड़ी परिचालन का विवरण—
 - परिवर्तित मार्ग
 - विनियमन
 - रिशिड्यूलिंग
 - अंशकालिक टर्मिनेशन
 - निरस्तीकरण
- ii) संबंधियों को दुर्घटना स्थल पर ले जाने के लिए दो सवारी गाड़ियों की रनिंग।
- iii) ये रेलगाड़ियां दुर्घटना में शामिल गाड़ी के प्रारंभिक और गंतव्य स्टेशनों से आरंभ होगी और रूट में आने वाले संबंधियों को सवार होने के लिए ठहराव दुर्घटना में शामिल गाड़ी के अनुसार ही होंगे।
- iv) प्रारंभिक स्टेशनों से संबंधी विशेष गाड़ियों के प्रस्थान का अपेक्षित समय।
- v) जिन यात्रियों की यात्रा बाधित हुई हो, उनकी धन वापसी हेल्पलाइन पूछताछ बूथ पर ही की जाए।

5. मृतकों/घायलों के आंकड़ें—

- i) सभी दुर्घटनाओं में निरंतर बचाव और राहत कार्य के लंबा चलने पर रेलवे द्वारा दिए गए और मीडिया द्वारा दर्ज किए गए घायलों के आंकड़ों के बीच प्रायः अंतर होता है।
- ii) इस अंतर का कारण यह है कि रेलवे तलाश किए गए शवों की वास्तविक संख्या पर आधारित घायलों के आंकड़े देती है जबकि मीडिया का अनुमानित घायलों के आंकड़े दृष्टिगत और अंतिम रूप से मिलने पर आधारित होते हैं।
- iii) प्रेस को बयान देते समय यह मद स्पष्ट कर देना चाहिए कि समय के मद पर अधिक से अधिक शव तलाश लिए जाएं।
- iv) यद्यपि यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मृतकों के आंकड़ों में वृद्धि बचाव कार्य निरंतर अधिक समय तक चलने के कारण हुई है।
- v) मृतकों और घायलों के संख्या के बारे में निर्धारण भी यदि अपेक्षित हो तो ऐसा निर्धारण इस आधार पर ही किया जाए।

- कुल शामिल कोचों की संख्या के आधार पर।
 - तलाश किए गए कोचों की संख्या के आधार पर
 - उन कोचों की संख्या के आधार पर जिनकी तलाश अभी होनी है।
- vi) कोचों के निर्धारण के संदर्भ में तय भी करना चाहिए कि चकनाचूर हुए या ऊपर की ओर पड़े कोचों की तलाशी अभी नहीं की गई है।
- vii) उदाहरण के लिए मीडिया को सूचित करना चाहिए कि 03 घंटे में दो कोचों की तलाशी की गई है और बहुत शव मिले हैं अभी 08 और कोचों की तलाशी बाकी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

6. दुर्घटना स्थल पर संवाददाता सम्मेलन—

- i) दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी को ओसी साइट से वास्तविक सूचना एकत्र करके उसे दुर्घटना स्थल पर मीडिया कर्मियों और मंडल आपातकालीन सेल में मंडल आपातकालीन अधिकारी को भी रिलीज करनी चाहिए। इस प्रकार मीडिया को समस्त महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए एक ऑन लाइन संचालन चैनल।
- ii) दुर्घटना स्थल पर पहली प्रेस ब्रीफिंग, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पहुंचने के एक घंटा के अंदर होनी चाहिए। इसके पश्चातवर्ती ब्रीफिंग नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार होगी।
- iii) प्रेस ब्रीफिंग के समय मुख्य जनसंपर्क अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी को यूजीसी में उपलब्ध रहना चाहिए।
- iv) प्रेस ब्रीफिंग के निर्धारित समय पर इन्हें तय रखना चाहिए। दिए गए विभिन्न रूपांतरणों के बारे में कोई संदेह उत्पन्न न हो।
- v) दुर्घटना स्थल और मुख्यालय के आपातकालीन सेल और मंडल आपातकालीन सेल में नीचे दिए गए निर्धारित समय के अनुसार प्रेस ब्रीफिंग एक ही साथ होनी चाहिए ताकि सभी संबंधितों द्वारा वहीं रूपांतरण दिया जा सके।
- vi) मीडिया को सूचना आधा घंटा पहले दी जाएगी। उदाहरण के लिए मीडिया ब्रीफिंग 07:30 बजे होती है तो सूचना उसी दिन 07 बजे प्रसारित होगी।
- vii) प्रथम दो दिन प्रति दिन 06 को मीडिया ब्रीफिंग होगी। इनका शेड्यूल निम्नलिखित समयानुसार होनी चाहिए।
 - 07:30 बजे
 - 10:30 बजे
 - 13:30 बजे
 - 15:30 बजे
 - 19:30 बजे
 - 22:30 बजे
- viii) उसके बाद शेष दिनों में प्रतिदिन 03 मीडिया ब्रीफिंग होगी। इनका शेड्यूल निम्नलिखित समय पर होगा:-
 - 07:30 बजे
 - 13:30 बजे
 - 19:30 बजे

- ix) समस्त मीडिया रिलीज उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और दुर्घटना के बारे में विनिर्दिष्ट सूचना देने के लिए नया पृष्ठ खोला जाएगा। विभिन्न मीडिया को प्राथमिकता के आधार पर सूचना निम्नलिखित प्रकार रिलीज की जाएगी—
- टी.वी. चैनल
 - एजेंसियां— यूएनआई/प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वार्ता और भाषा
 - प्रिंट मीडिया
- x) दुर्घटना स्थल पर जनसंपर्क कर्मियों द्वारा मीडिया की सुविधा और यात्रा व्यय वाणिज्य प्रतिनिधियों की सहायता से की जाएगी। मीडिया को उन अस्पतालों में निर्देशित किया जाना चाहिए, जहां घायलों का इलाज चल रहा हो।
- xi) वाणिज्य विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्घटना स्थल पर जनसंपर्क कर्मियों के पहले पहुंचने पर दुर्घटना में घायल और मृतकों के साथ उसमें शामिल गाड़ी से यात्री करने वाले यात्रियों की सूची उनके पास उपलब्ध है।

अध्याय-16 आग और अन्य दुर्घटनाएं

किसी रनिंग गाड़ी में आग लगना, किसी खड़ी गाड़ी से अधिक विध्वंसकारी है। हवा बहने से अन्य कोचों में आग फैलने में मदद मिलती है। कभी-कभी रनिंग गाड़ी में लगी आग के कारण बहुत से यात्रियों के कूद जाने के परिणामस्वरूप घायलों/मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है।

रनिंग ट्रेन पर आग लगने के मामले में गाड़ी या दुर्घटना स्थल पर उपस्थित रेलवे स्टाफ को तत्काल गाड़ी को रोकने की कोशिश करके उसे रोक देना चाहिए और जीवन तथा संपत्ति बचाने की कार्रवाई में जुट जाना चाहिए।

क. गाड़ियों में आग लगने के मुख्य कारण निम्नलिखित साधन हैं—

- i) यात्री कम्पार्टमेंट में स्टोव, सिगड़ी, गैस सिलिंडर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और पटाखे इत्यादि ले जाना।
- ii) कागज, लकड़ी, पेट्रोल या ऐसी अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के निकट आग जलाना/प्रयोग करना।
- iii) जलती हुई माचिस की तीलियां, सिगरेट के टुकड़े लापरवाही से फेंकना।
- iv) बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होना।
- v) चालक को प्राधिकार टोकन दिए जाने के दौरान खुले में बिजली का इस्तेमाल, ज्वलनशील लोड की शंटिंग, ज्वलनशील वैगनों का रिसाव।
- vi) गैस/पेट्रोल टैंक के निकट खुले में आग का इस्तेमाल धूम्रपान।
उपर्युक्त किसी भूल को रोकने के लिए सभी रेलवे स्टाफ और यात्रियों को यथासंभव हर सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भड़कती आग को कम किया जा सके। आग जलाने में एक छोटे स्तर पर सामान्य पर्याप्त हवा मिलने से जलते सामानों के चारों ओर आग फैल जाती है।

ख. गाड़ी में आग लगने के मामले में की जाने वाली कार्रवाई—

- i) सर्वप्रथम और तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना।
- ii) तत्पश्चात् जहरीले धुआं या गैस या विस्फोटक पदार्थ के धुएँ की गंध आने पर नाक और मुंह पर भींगा हुआ कपड़ा रखें और यथासंभव उसके माध्यम से सामान्य तरीके से सांस लें।

1. किसी यात्री गाड़ी में आग लगने के मामले में—

- i) आग के मामले में अलार्म चैन खींचना और गाड़ी को तत्काल रोकना।
- ii) पानी या कंबल इत्यादि का इस्तेमाल करके आग को भयानक रूप लेने से पहले बुझाने की कोशिश करना और बुझाना।
- iii) ज्यादातर लोगों का वास्तविक रूप से जलने की अपेक्षा, धुएँ की घुंटन से मरना।
- iv) यात्रियों को उनके पीने के पानी से एक कपड़े को भिंगोकर नाक की नली को ढकने के लिए सूचित करना।
- v) यात्रियों को अन्य आखिरी कोचों में जाने के लिए सूचित करना जो आग से दूर हो और यदि संभव हो तो दूसरे कोचों में सीधे प्रवेश द्वार से ही जाएं।
- vi) इस बात पर बल दिया जाए कि यात्री सर्वप्रथम अपनी रक्षा करें और अपने सामान के बारे में चिंतित न हो, जिसे बाद में पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
- vii) सुनिश्चित करना कि यात्री फर्श पर नीचे लेटने न पाएं।

- viii) गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद यात्रियों को तत्काल कोच से नीचे आ जाना चाहिए।
- ix) घायल यात्रियों के आत्मविश्वास को उपयुक्त सलाह देकर बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

2. गाड़ी के किसी वाहन पर आग लगने के मामलों—

- i) गाड़ी को तत्काल रोक दें।
- ii) उत्तेजित न हों।
- iii) यात्रियों को जलते कोचों से उतार दें।
- iv) सम्पत्ति बहुमूल्य वस्तुओं और डाक की सुरक्षा करें।
- v) आग बुझाने वाले संसाधन जैसे— पानी/रेत से भरी बाल्टियां, पानी, अग्निशामक यंत्र इत्यादि की तलाश करें।
- vi) यदि है तो अग्निशामक का उपयोग और आग बुझाना।
- vii) कोचों से पानी का प्रयोग करके आग बुझाना।
- viii) उपलब्ध हो तो मिट्टी या रेत डालकर आग पर काबू करना।
- ix) आग के प्रकार जैसे— सूखी, तैलीय, गैसीय, बिजली की आग सुनिश्चित करके उचित प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना।
- x) कपलिंग को खोलकर अन्य वाहनों से जलते हुए वाहन को अलग करना।
- xi) लोको पायलट और गार्ड के द्वारा जी. आर. के 6.03 के प्रावधानों के अनुसार गाड़ी को दोनों ओर से प्रोटेक्शन करना।
- xii) नजदीकी स्टेशन/नियंत्रक/अग्निशामक केंद्र पर इसकी सूचना देना।
- xiii) आग बुझाने, वैगन के लेवल, सील और वाहन से जुड़ी चीजों को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।
- xiv) गाड़ी किसी टैंक या पानी की सुविधा वाले स्टेशन के निकट होने पर आग का पता लगाने के मामले में गार्ड और लोको पायलट को उसकी ओर बढ़ने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए लेकिन गाड़ी के पिछले भाग से जलते हुए वाहन को अलग करने तक ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए।
- xv) आग बुझाने में सहायता देने के लिए सभी संबंधितों को सूचित करें।
- xvi) विद्युतीय शॉर्टकट से आग लगने के मामले में स्विच बंद कर दें।

3. किसी विद्युत इंजन/ईएमयू पर आग लगने के मामले में—

- i) लोको पायलट को तत्काल सर्किट की स्विच ऑफ कर देनी चाहिए और पेंटोग्राफ को नीचे कर देना चाहिए तब गाड़ी को बिल्कुल ठहराव तक ले जाना चाहिए।
- ii) प्रभावित सर्किट से बिजली की आपूर्ति बंद करने के बाद लोको पायलट को आग बुझाने की आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
- iii) उपर्युक्त साधनों से आग न बुझ सकने पर लोको पायलट को प्रभावित सेक्शन की ओएचई से स्विच बंद करने के लिए व्यवस्था करने हेतु आपातकालीन टेलीफोन से टीपीसी को सूचित करना चाहिए।
- iv) उपलब्ध गार्ड और किसी अन्य स्टाफ को आग बुझाने में चालक को हर संभव सहायता देनी चाहिए।
- v) सामान्य अग्निशामक या किसी हौजपाइप से पानी का उपयोग किसी भी दशा में आग लगे जीवित तार या बिजली के उपकरण पर नहीं करना चाहिए।

- vi) फायर ब्रिगेड की सेवाएं अपेक्षित होने पर फायर ब्रिगेड को आग के आस-पास के सभी विधुत उपकरणों को बंद किए बिना संचालन शुरू करने के अनुमति नहीं देनी चाहिए।

4. किसी डीजल इंजन/डी.एम.यू. स्टॉक पर आग लगने के मामले में—

- i) लोको पायलट मोटरमैन सर्किट ब्रेकर की स्विच तुरंत बंद कर देनी चाहिए और इंजन बंद कर देना चाहिए। तब गाड़ी को तुरंत ठहराव तक ले जाना चाहिए।
ii) गार्ड को आग बुझाने में लोको पायलट को हर संभव सहायता देनी चाहिए।
iii) अनुमोदित प्रकार के अग्निशामक को प्रत्येक डीजल इंजन और डीएमयू के मोटर कोच पर अपने होम शेड से बाहर जाते समय अवश्य रखा जाना चाहिए। शेड के फोरमैन/मुख्य कार्य पर्यवेक्षक प्रभारी को अग्निशमकों का निरीक्षण करके सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भली-भाँति कार्य करने की स्थिति में हैं।

5 किसी व्यक्ति के शरीर में आग लगने पर—

- i) लपेटने वाली कोई बचाव सामग्री जो उपलब्ध हो सके उसे उठाकर व्यक्ति के पास जाना चाहिए।
ii) उसे उसके चारों ओर लपेट देना चाहिए।
iii) उसे सीधा लिटा दें और आग को बुझाएं।
iv) उसे फर्श पर लिटाकर घुमाया जा सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति आग बुझा सकता है।
v) वह किसी भी स्थिति में खुली हवा में दौड़ने न पाए।
vi) सहायता के लिए आवाज लगाएं।

6. पेट्रोल या किसी अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ एसिड या गैसों द्वारा आग लगना

- i) शामिल प्रभावित वैगन, कोच या क्षेत्र को अलग करना।
ii) वैगन के खुलने पर तत्काल उसमें प्रविष्ट न हों। इस प्रकार आप धुंए को रोकथाम कर सकते हैं, जो कि घातक हो सकता है।
iii) फोम के प्रकार का अग्निशामक और रेत का प्रयोग करें। पानी या सोडा एसिड प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग न करें।
iv) आग वाली जगह के निकट नंगे तारों से बिजली न ले जाएं।
v) एक किमी की परिधि के क्षेत्र के चारों ओर रहने वाले लोगों को चेतावनी दें।
vi) जैसा कि टैंक सामान्यतः सिरे से फट सकता है। टैंक के सिरे से दूर रहें।
vii) आग बुझ जाने के बाद ही ज्वाला को शांत करने के लिए अगल बगल से टैंकों को पानी से ठंडा करें।
viii) आग के कारण वेंटिंग संरक्षा उपकरण से कोई आवाज निकलने या रंग बदलने के मामले में उसे तत्काल निकाल दें।
ix) नजदीकी अग्निशमन केंद्र को सूचना देते हुए सूचित करें कि आग पेट्रोल या किसी अन्य शीघ्र ज्वलनशील तरल पदार्थ, एसिड या गैसे से लगी है।

7. विस्फोटक/शीघ्र ज्वलनशील/खतरनाक सामान से आग लगने के मामले में।

- i) आग को एलपीजी फीड के बाल्व को बंद करके या उसे अलग थलग करके या किसी अन्य उपयुक्त नियंत्रण से बुझाएं।

- ii) यदि कोई खतरा/जोखिम न हो तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं—
 क. बाल्व का बंद होना सुनिश्चित करने के बाद ठंडे सिलेंडरों को किसी सुरक्षित स्थान पर हटा देना।
 ख. किसी सुरक्षित स्थिति में पानी का छिड़काव करके गर्म सिलेंडरों को ठंडा करना। छिड़काव करने वाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति में होना कि वह यथासंभव विस्फोट से सुरक्षित रहे।
- iii) यदि ऐसा सिलेंडर जिसमें ज्वलनशील/विषैली गैसों भरी हों, से लाते ले जाते समय रिसाव बढ़ रहा हो तो इसे किसी खुले स्थान पर अलग थलग करना और अपेक्षानुसार प्रेषित को स्पष्ट रूप से सूचित करना।
- iv) फैंक्स/टेलीफोन द्वारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को सूचित करना।
- v) नजदीकी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचना देना।
- vi) संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचित करना।
- vii) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/उनके प्रतिनिधि का दौरा निलंबित करना जीवन बचाने के अलावा अवशेष (क्षतिग्रस्त) और मलवे को बिना छेड़े ही छोड़ देना।
- viii) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से यह सूचना प्राप्त होने के बाद कि वह आगे कोई जांच नहीं करना चाहते हैं, कार्य की बहाली आरंभ की जा सकती है।

आग के कारण, श्रेणी एवं बुझाने में प्रयुक्त साधन—

रसायन का नाम	आग की श्रेणी	आग बुझाने में प्रयुक्त किए गए संसाधन
तरल हाइड्रोकार्बन	ख	फोम, डीसीपी और पानी
हाइड्रोकार्बन/वाष्पशील एलपीजी	ग	डीसीपी और पानी
ठोस दाह्य सामग्री	क	पानी

आग बुझाने के लिए मथुरा रिफाइनरी पर उपलब्ध चल उपस्कर —

टैंडर नं	निर्मित	पानी का टैंक	फोम टैंक	फब्बारा (एलपीजी)	दबाव कि.ग्रा./सेमी ²
एफटी-1	अशोक ले-लैंड	1800	3600	4500	8.5
एफटी-2	वीओएलवीओ	4000	7000	8000	8.5
एफटी-3	वीओएलवीओ	1800	3600	4500	8.5
एफटी-4	वीओएलवीओ	1800	3600	4550	8.5

मथुरा रिफाइनरी के टेलीफोन नंबर —

आपदा नियंत्रण कक्ष मथुरा रिफाइनरी —

पदनाम	टेलीफोन नं. कार्यालय	कोड एवं निवास
जनरल मैनेजर(टैक्नालॉजी)	2480217, 2480009	2430105
जनरल मैनेजर (टी.एस.)	2480039, 9435120273	2430932, 2431176
जनरल मैनेजर(एफ)	2417201, 2480162	2416201, 2430697, 9999934713
जनरल मैनेजर (संरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण (एचएसई))	2417113, 2180135	2433283, 2416113 2430884, 9412720728
डिप्टी जनरल मैनेजर (फायर)	2480138, 2417781	2430501, 2416781 8650778855

ग. अग्निशमन –

1. सूखे रसायन पाउडर प्रकार का अग्निशामक (डीसीपी)

इस प्रकार के अग्निशामक पेट्रोलियम गैस, विद्युत अग्नि और टेक्सटाइल फाइबर की आग को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त हैं। सोडियम पर आधारित रसायन पाउडर का प्रयोग उस आग के लिए किया जाता है जो उसके अंदर जाकर रासायनिक प्रतिक्रिया करता है।

2. प्रयोग कैसे करें ?

- i) आग वाले स्थान पर ले जाएं और इसे सीधे उपर की ओर देखें।
- ii) संरक्षा क्लिप को हटाना
- iii) कैप में लगे नोब को घुमाना
- iv) कारट्रिज की सील वाली डिस्क टूट जाती है और मेन सेल को छिपाने के लिए कार्बन डाईऑक्साइड निकलने लगती है और पाउडर तेजी से बाहर निकलने लगता है।
- v) पाउडर की भाप को ज्वाला की सतह की ओर कर दें।
- vi) प्रभावशाली परिणाम के लिए आग की तली के निकट लगभग 15 से 25 मीटर की दूरी पर इसे खड़ा करना।
- vii) अगल बगल से लेटकर फिसलने की स्थिति में तेजी से घूमते नोजल के साथ आगे बढ़ना।
- viii) बाहर की ओर लगी आग को बुझाने के लिए हवा की ओर से प्रभावशाली प्रभाव के लिए उपर से परिचालित करके प्रयोग करना।

3. भवन खाली कराना—

भवन का अग्नि अलार्म के आवाज करने पर

- i) आपातकालीन भवन योजना प्रक्रिया का प्रयोग करके तत्काल खाली कराना।
- ii) नजदीकी निकास/सीढ़ियों के पास (आपके पीछे की ओर बंद दरवाजे) जाना।
- iii) लिफ्टों का प्रयोग न करें।
- iv) भवन के बाहर की ओर विनिर्दिष्ट भीड़ वाले क्षेत्र की ओर जाना।
- v) प्राधिकृत कर्मी द्वारा स्पष्ट किए बिना भवन में पुनः प्रवेश न करें।
- vi) विशेष आवश्यकतानुसार अलग अलग व्यक्ति को खाली करने में सहायता करें।

4. रेल परिसर में संदिग्ध वस्तुएं—

- i) संदूषित क्षेत्र क्लियर करके उससे अलग हो जाना। किसी वस्तु को न छुएं और न छेड़ें।
- ii) पुलिस/अग्निशमन सेवा/बम स्क्वार्ड को बुलाएं।
- iii) साबुन और पानी से अपना हाथ धो लें।
- iv) सामग्री की पहचान करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान करें।
- v) प्राधिकारी द्वारा निस्तारण करने तक परिसर न छोड़ें।

5. रेलवे परिसरों तथा गाड़ियों में बम की चेतावनी/विस्फोट—

एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख घटक विस्फोटक का पता लगाना एवं उसका निस्तारण करना है। इसके माध्यम से रेल सुरक्षा बल इसका पता लगाने एवं उसका निस्तारण करने में सक्षम हो सकेगा, बम का पता लगाना एवं उसका निस्तारण करने का कार्य उच्च कौशल एवं चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए बम खोजी एवं निस्तारण दस्ता के साथ ही कार्मिकों की भी आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक जोनल रेलवे द्वारा रेल सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों का चयन कर लिया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में निवारक उपाय के संबंध में सुरक्षा निदेशालय के गोपनीय पत्र सं. 2003/सु. (विशेष) 200/14 दिनांक 16.01.2008 द्वारा अलग से परिपत्रित किया गया है।

बम के बारे में सूचना/कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कार्य :

- काल करने वाले व्यक्ति से यथासंभव उपकरण का प्रकार, सेट किया गया समय, लोकेशन, कारण/कार्रवाई का उद्देश्य, प्रदर्शन का ढंग और काल करने वाले की पहचान करने के बारे में पुनः अधिक से अधिक सूचना एकत्र करें।
- आपदा प्रबंधन टीम (बम डिटेक्शन दस्ता) को सूचना देकर सजग करें।
- पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक विभाग को सतर्क करें।
- सभी संबंधित विभागों को सूचित करें।
- परिसर से सभी व्यक्तियों को निकालकर उसे खाली कराने के कदम उठाना।
- बम जैसी किसी वस्तु की सूचना मिलने पर नजदीकी उपलब्ध अधिकारी को सूचित करना।
- राजकीय रेलवे पुलिस, रेल सुरक्षा बल, बम खोजी दस्ते को सूचित करना।
- सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्ति घटना स्थल से दूर हैं और क्षेत्र के नजदीक अनावश्यक भीड़ को रोकना।
- ट्रेन सेवाएं नियमित/सुचारु बनाने के लिए आगामी कदम उठाने हेतु नियंत्रण को सूचित करना।
- सामान्य संचालन बहाल करने के लिए पुलिस विभाग से क्लियरेंस की प्रतीक्षा करना।
- यदि मथुरा रिफाइनरी बम आशंका निर्धारण समिति (बीटीएसी) के पास काल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए कॉलर आईडी की सुविधा उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें।

क्र. सं.	समिति सदस्य	पदनाम	टेलीफोन नं. (कार्यालय)	टेलीफोन नं. (आवास)
01	कार्यपालक निदेशक मथुरा रिफाइनरी	समन्वयक	0565-2430656 2480112	0565-2430091
02	मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) मथुरा रिफाइनरी	वैकल्पिक समन्वयक	0565-2480217 2480019	0565-2430105
03	महाप्रबंधक (उत्पा) मथुरा रिफाइनरी	समन्वयक	0565-2480415 9412277126	0565-2430433
04	महाप्रबंधक (मानव संसाधन), मथुरा रिफाइनरी	सदस्य	0565-2480202	0565-2430126
05	मुख्य प्रबंधक (ए एंड डब्ल्यू), मथुरा रिफाइनरी	सदस्य	0565-2480116	0565-2430133
06	उप आयुक्त सीआईएसएफ, मथुरा रिफाइनरी	सदस्य	0565-2480209	0565-2430628

07	मुख्य प्रबंधक (अग्नि और सुरक्षा) मथुरा रिफाइनरी	सदस्य	0565-2480128	0565-2430657
08	मुख्य रिफाइनरी, समन्वयक, मथुरा	सदस्य	0565-2480200	0565-2432818
09	जिलाधिकारी, मथुरा	सदस्य	0565-2471152	0565-2403200 9454417512
10	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा	सदस्य	0565-2450172	0565-2404600, 2409620, 9454400298
11	पुलिस नियंत्रण कक्ष, मथुरा		100 0565-2505989	0562- 2407982 9454457980
12	बम निरोधक दस्ता, मथुरा		0565-2430713 2407982	-
13	थानाध्यक्ष, थाना रिफाइनरी	सदस्य	9454403952	-
14	राजकीय जिला फायर अधिकारी फायर स्टेशन, मथुरा	सदस्य	0565-101	9454418357

6. विकिरण आपात-

क. विकिरण सामग्री संदूषण सम्मिलित व्यक्तिक जख्म

- गंभीर जख्म के लिए प्रशिक्षित रूप में तत्काल प्राथमिक उपचार देना।
- बम निरोधक दस्ते, दमकल विभाग को बुलाना।
- यदि संभव हो तो घायल को बिना नुकसान पहुंचाएं जख्मी व्यक्ति की निगरानी करना। संदूषित वस्त्रों को हटाना और कर्मचारी को संदूषण से अलग करना।

ख. कर्मचारी का विकिरण संदूषण-

- सभी संदूषित वस्त्रों को अलग करके बैग में भरना।
- दमकल केंद्र, बम निरोधक दस्ते, पुलिस को बुलाना।
- संदूषित त्वचा को मुलायम साबुन और कुनकुने पानी से साफ करना शेष संदूषण को निगरानी के लिए पोर्टेबल सर्वे मीटर का प्रयोग करना। यदि संदूषण मुक्त न हो तो पुनः धोना और दुबारा सर्वे करें।

7. संदिग्ध पत्र/पैकेज प्राप्त होने पर क्या करें।

- सावधानी से उठाएं।
- न हिलाएं और न लुढ़काएं।
- अलग करें और संकेतक के लिए देखें।
- न खोलें, न सूंघें या न चखें।
- समझें कि संदिग्ध है।
- पुलिस/दमकल सेवा/बम निरोधक दस्ते को बुलाना।

8. यदि पार्सल खुला हो और/या उसकी पहचान कर ली गई हो तो-

क. किसी बम के लिए

- परिसर को तत्काल खाली कराना।
- पुलिस/दमकल सेवा/बम निरोधक दस्ते को बुलाना

ख. रेडियोलॉजिकल के लिए

- समिति अनावरण- हिलाएं नहीं।
- क्षेत्र को खाली करना।
- वस्तु से स्वयं को कवच बनाकर रखें।
- पुलिस/दमकल सेवा/बम निरोधक दस्ते को बुलाएं।

ग. **जैविक या रासायनिक के लिए**

- i) अलग करें— हाथ न लगाएं।
- ii) पुलिस/दमकल सेवा/बम निरोधक दस्ते को बुलाएं।
- iii) साबुन और पानी से हाथ धोएं।

घ. **अन्य दुर्घटनाएं —**

- i) दुर्घटना का कारण उत्पन्न करने रेलवे फिटिंग का अनियंत्रित होना और यातायात को बाधित करने का कारण उत्पन्न वाले ट्रैक पर बाह्य कल पुर्जों को बदलना।
- ii) वांछित क्षेत्रों में जब भी और जहां भी जरूरत हो तो विशेष देखभाल लागू करके कड़ी सतर्कता रखनी चाहिए।
- iii) क्षेत्रों में यदि आवश्यक हो तो कुछ आदमियों को विशेष प्रशिक्षण देकर ड्यूटी पर भेजना चाहिए।

1. **भूकंप—**

- i) किसी भूकंप के दौरान प्रथम लक्षण का पता चलते ही समस्त कर्मियों को भवन खाली कर देना चाहिए और ढांचों, दीवारों और गिरने वाली वस्तुओं से दूर सुरक्षित स्थान पर खड़े होना चाहिए।
- ii) आपातकालीन शट डाउन की घोषणा करनी चाहिए।
- iii) आपातकालीन अनुक्रिया योजना को सुचारू करें।
- iv) विवरण/स्थिति बहाल हो जाने के बाद कर्मियों को क्षतिग्रस्त अनुमान, क्लीन अप, बहाली और पुर्नबहाली के लिए सभी सुविधाओं का निरीक्षण करना चाहिए।

2. **भू-स्खलन—**

- i) जब कभी भू-स्खलन की संभावना हो, भारी वर्षा होने के कारण महसूस हो तो गाड़ी की समस्त सेवाओं को नियंत्रित कर लेना चाहिए।
- ii) संचालन बहाली के लिए बचाव दल को तुरंत पहुंचना चाहिए।

3. **बाढ़ की स्थिति आसन्नता के बारे में मौसम की चेतावनी के पूर्वानुमान के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए —**

- i) पानी के बहाव की सूचना देने के लिए संवेदनशील स्थान पर ब्रिज वाचमैन की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ii) तट के आसपास के समस्त कर्मियों तथा चल उपकरणों को हटाना।
- iii) यदि समय हो तो गाड़ी को सुरक्षित रूप से भेजना सुनिश्चित करने के लिए रेत की बोरियों से बांध का निर्माण किया जा सकता है।
- iv) बाढ़ उतरने तक रेलगाड़ी सेवाओं को नियंत्रित रखना।
- v) स्टेशन पर गाड़ी को लोगों से खाली करना और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना।
- vi) दमकल, नौसैनिक, सेना, वायु सेना, स्थानीय नाविकों से संपर्क करना और चालक तथा नावों की व्यवस्था करना।

- vii) स्थानीय प्राधिकरण के समन्वय से उस स्टेशन का इंजीनियरिंग अधिकारी/पर्यवेक्षक या अन्य पर्यवेक्षकों को आसपास के स्कूलों, विवाह हाल समुदाय केंद्रों इत्यादि को अस्थाई बसेरा बनाने का प्रबंध करें।
 - viii) यदि आवश्यक हो तो अस्थाई रूप से प्रभावित कोचों को आवास के रूप में उपयोग में लाने का प्रबंध करें।
 - ix) स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों की मदद लें और पीने के पानी, भोजन, दवाई इत्यादि की व्यवस्था करें।
 - x) स्थानीय पुलिस के समन्वय से आरपीएफ और जीआरपी को सुरक्षा का प्रबंध करना होगा।
 - xi) मंडल नियंत्रण कार्यालय के संपर्क में रहें।
 - xii) लोगों को बाढ़ से असहाय हो जाने पर सिविल प्रशासन की सहायता से वायुयान आदि से खाने के पैकेट, कपड़े इत्यादि गिराएं।
 - xiii) एसजेएबी, स्थानीय डॉक्टरों से संपर्क करें और प्रभावितों को चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराएं।
 - xiv) बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आवास और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण आवश्यक कार्रवाई करें।
4. **चक्रवात/आंधी/तूफान— गाड़ी को खंड के बीच या स्टेशन पर किसी चक्रवाती तूफान में फंस जाने पर**
- i) गाड़ी को कटाव, पुलों और तटों से दूर रोक दें। गार्ड/लोको पायलट और गाड़ी पर अन्य रेलवे स्टाफ को सभी कोचों के सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोलना होगा।
 - ii) अनुमेय स्तर से हवा की गति बढ़ जाने पर स्टेशन मास्टर को गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए।
 - iii) तूफान/चक्रवात के बारे में जनता को चेतावनी देने के लिए बार-बार उद्घोषणा कराएं।
 - iv) चक्रवात और तूफान से प्रभावित लोगों को आवास/शरण और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण आवश्यक कार्रवाई करें।

अध्याय-17
प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल

किसी आपदा प्रबंधन प्रणाली का प्रशिक्षित मैनपावर एक आवश्यक संघटन है। प्रशिक्षित मैनपावर के बिना परिष्कृत उपकरण का प्रावधान भी व्यर्थ है। किसी आपदा के प्रबंधन जैसे- अज्ञात स्थिति का सामना करने के लिए सर्व संबंधित रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना एक अपरिहार्य निवेश है। आवश्यक जानकारी और ज्ञान देने के लिए सभी कर्मियों को उनकी ड्यूटी और उनके विभाग के बारे में आवधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

1. **प्रशिक्षण – प्रशिक्षण निम्नलिखित तीन स्तरों पर आयोजित किया जाना चाहिए:-**

(क) **व्यक्तिगत प्रशिक्षण-**

- i) दुर्घटना सहायता चिकित्सा यानों, दुर्घटना राहत गाड़ियों इत्यादि से जुड़े स्टाफ के ज्ञान को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षकों और स्टाफ को आपदा प्रबंधन में सामान्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ii) संबंधित विभागों द्वारा बाहर निकालने, बचाव, चिकित्सा सहायता, रोलिंग स्टाफ की बहाली तकनीक और सिविल डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जा सकता है।

(ख) **सेमीनार/कार्यशालाएं-** आपदा के लिए तैयारी और आपदा प्रबंधन योजना पर आवधिक संगोष्ठी आयोजित करना।

(ग) **संयुक्त अभ्यास-**

पूर्ण स्केल आपदा प्रबंधन अभ्यास निम्न विवरण के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए।

2. **पूर्ण स्केल रिहर्सल-** समस्त परिस्थितियों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी किसी सरकार/राज्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और उसमें दिए गए प्रबंधों की दक्षता मात्र पूर्ण आवधिक पूर्ण स्केल अभ्यास आयोजित करके ही निर्धारित की जा सकती है।

- i) पूर्ण स्केल अभ्यास का उद्देश्य होना चाहिए-
 - योजना के विस्तृत विवरण और सभी उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखने के साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली की पूर्व तैयारी का मानदंड।
 - अभ्यास के समस्त निष्पादन की माप के लिए परिचालनिक अनुक्रिया का समाकलन
 - दुर्घटना बहाली के बारे में माप निष्पादन।
- ii) किसी मंडल पर प्रथम अभ्यास मंडल आपदा प्रबंधन योजना के जारी होने के तीन महीने के अंदर आयोजित किया जाना चाहिए।
- iii) किसी मंडल पर दूसरा अभ्यास पहले अभ्यास के बाद प्रथम अभ्यास के दौरान पाई गई समस्त कमियों को दूर करते हुए तीन महीने बाद आयोजित किया जाना चाहिए।
- iv) उसके बाद अभ्यास नए मंडल रेल प्रबंधक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रत्येक दो वर्ष बाद एक बार आयोजित किया जाना।
- v) इसे दिन में और किसी ब्रांच लाईन सेक्शन में आयोजित किया जाना चाहिए।

- vi) यातायात को छः घंटे तक ब्लॉक किया जाएगा और दुर्घटना राहत चिकित्सा यान/दुर्घटना राहत गाड़ी को दुर्घटना स्थल पर पहुंचना होगा।
- vii) यूसीसी और सीएसी स्थापित किया जाए और प्रत्येक विभाग नियंत्रण कार्यालय तथा यूसीसी और सीएसी में भी अपने कर्मियों को तैनात करेगा।
- viii) संबंधित विभागों द्वारा यूसीसी और सीएसी में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
- ix) इन पूर्ण पैमाने वाले अभ्यासों के दौरान निम्नलिखित संकेतों को बारीकी से देखा जाए।
 एआरएमवी/एआरटी का निर्धारित समय में चलना।
 विशेष गाड़ियों की गति।
 स्टाफ का गठन।
 एआरटी एवं आरडी, एचआरईएस और अन्य बचाव उपकरणों का चलना।
 घटनाओं की लॉगिंग।
 फील्ड टेलीफोन का कार्य तथा संचार (नेटवर्क) जनरेटर सेट और प्रकाश उपकरणों का कार्य।
 प्रथम उपचार की पूर्व तैयारी और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पर्याप्त मैनुअल भेजने के लिए वाणिज्य विभाग को पूर्व तैयारी।
- x) अभ्यास पूरा हो जाने पर पाई गई कमियों, सुधारात्मक मानदंडों और उपकरण सुधारों के विवरण के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

चक्रवात और आंधी-तूफान के लिए लागू योजना

1. **मौसम चेतावनी संदेश**— मौसम विज्ञान, भारत सरकार किसी आंधी-तूफान/झंझावात या भारी वर्षा की संभावना होने पर चेतावनी संदेश जारी करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों को खतरनाक समझा जाता है—
 - i) खतरनाक बारिश— जब 24 घंटा के अंदर 5 सेमी और उससे अधिक वर्षा होने की संभावना है।
 - ii) खतरनाक वायु गति— जब 72 किमी/घंटा से अधिक वायु गति हो। (चक्रवात/मौसम चेतावनी केंद्र आगरा में स्थित है।)
2. **मौसम/चक्रवात चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई**—
 - 2.1 सीएचसी/उम सीएचसी (पी) को स्टेशनों के स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर को प्रभावित करने वाली चेतावनी संदेश रिपीट करना चाहिए, उन्हें मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी तथा नियंत्रण कार्यालय में कार्य करने वाले विभिन्न शाखाओं के नियंत्रकों को भी सूचित करना चाहिए। नियंत्रण स्टाफ को मौसम चेतावनी के बारे में अपने शाखा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।
 - 2.2 नियंत्रण कार्यालय में चक्रवात/मौसम चेतावनी केंद्र से प्राप्त चक्रवात मौसम चेतावनी को प्राप्त करने की तारीख और समय तथा उस पर की गई कार्रवाई को पूर्ण विवरण दर्शाते हुए एक रजिस्टर रखना होगा।
 - 2.3 स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर, चालक और गार्ड द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—
 - i) वरिष्ठ अधीनस्थों और स्टाफ को सूचित करना— संदेश प्राप्त होने पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को तत्काल रेलपथ/कार्य, कैरेज एंड वैगन, ओएचई, सिगनल एवं दूरसंचार विभागों के वरि.से.इंजी/सेक्शन इंजी. तथा गाड़ी/प्रकाश निरीक्षक इत्यादि जैसे अन्य वरिष्ठ अधीनस्थों और निरीक्षकों को भी सूचित करेगा। स्टेशन पर सहायक मंडल इंजीनियर या सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी नियुक्त रहने पर तत्काल उन्हें भी सूचित किया जाएगा।
 - ii) गाड़ियों का नियंत्रण— तेज हवा चलने के मामले में स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और गार्ड द्वारा बरती जाने वाली पूर्ण सावधानियां गाड़ी के गार्ड तथा चालक से संपर्क करने के बाद स्टेशन मास्टर को गाड़ी का संचालन सुरक्षित है, समझ लेने तक गाड़ी को अपने स्टेशन पर रोकना चाहिए। रन करती हुई गाड़ी चक्रवात में फंस सकती है। गाड़ी का लोको पायलट को उसे ले जाकर किसी सुविधाजनक स्थान पर ठहराना चाहिए और गाड़ी को तीक्ष्ण मोड़, उच्च तट और पुलों जैसे स्थानों पर नहीं रोकना चाहिए।
 - iii) वायु गति गाड़ी के संचालन के खतरनाक स्तर से कम होने के लोको पायलट के विचार से गाड़ी को पुनः चलाने के लिए गाड़ी के गार्ड को लोको पायलट से संपर्क करना चाहिए।

- iv) रेलवे स्टाफ और गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के सहयोग से गाड़ी के गार्ड तथा लोको पायलट को यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कोचों के दरवाजे और खिड़कियां यात्रियों द्वारा खोल दी गई हैं।
- 2.4 **एनीमोमीटर संकेत** – स्टेशन पर एनीमोमीटर लगे होने और निर्धारित विशेष अनुदेशों के अनुसार हवा की गति खतरे के स्तर से ऊपर संकेत करने के मामले में स्टेशन मास्टर को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए।
- स्टेशन मास्टर को सेक्शन नियंत्रकों और दोनों दिशाओं के स्टेशन मास्टरों को तत्काल गाड़ियों का संचालन नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करना होगा।
 - स्टेशन मास्टर को सीधे अपने स्टेशन से गाड़ियों को स्टार्ट या संचालित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और उनके स्टेशन के लिए समीपवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ियों के लिए लाईन क्लियर भी नहीं देना चाहिए।
 - उन्हें निर्धारित विशिष्ट अनुदेशों के अनुसार हवा की गति पुनः खतरे के स्तर से नीचे हो जाने के बाद सेक्शन नियंत्रक और नजदीकी स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों से संपर्क करके गाड़ियों के रनिंग को पुनः सामान्य करना चाहिए।
- 2.5 **इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई –**
- मानसून निगरानी अपनाए/अतिरिक्त सतर्कता के लिए मानसून पेट्रोलमैन/वाचमैन और गैंगमेट्स को सूचित करें। संदेहास्पद लोकेशनों और पुलों पर वाचमैन तैनात करें। 48 घंटे की चेतावनी के बाद ट्रॉली द्वारा मानसून पेट्रोलिंग सतत रखें।
 - संदेहास्पद लोकेशनों की निगरानी प्रत्येक नामित लोकेशन पर 24 घंटा स्थिर वाचमैन तैनात करना चाहिए।
 - तत्काल गैंगमेट्स को सूचित करना— चक्रवात खतरनाक वायु तीव्रता के बारे में दोनों दिशाओं के सेक्शनों के गैंगमैन तथा सेक्शन के गैंगमेट्स को सूचित करने के लिए दो गैंगमैनों को भेजना चाहिए।
 - रेलपथ नियमावली के पैरा 100 (3) में दिए गए निर्देशों के अनुसार मेट तथा गैंगमैन द्वारा गैंग पेट्रोलिंग की जानी चाहिए।
1. **भूकंप –**
- 1.1 रेल प्रणाली पर भूकंप का संघात –
- ट्रैक का क्षतिग्रस्त होना
 - ट्रैको का उलझना
 - भू-दरार
 - ट्रैको का धंस जाना
 - पुलों/गर्डरों/पायर्स
 - ट्रैक पर वृक्ष/निर्माण बाधा

1.2 सेवा भवन का क्षतिग्रस्त होना।

- i) नियंत्रण
- ii) सहायक स्टेशन मास्टर का कार्यालय, रिले कक्ष, केबिन और गेटलॉज
- iii) कार्यालय भवन
- iv) आवासीय भवन

1.3 सिगनल एवं दूरसंचार का क्षतिग्रस्त होना—

- i) सिगनल के खंभे
- ii) माइक्रोवेव टावर
- iii) टेलीफोन के खंभे और तार
- iv) केबिन

1.4 ओएचई का क्षतिग्रस्त होना—

- i) ओएचई के खंभे 2. पोर्टल्स 3. टीपीसी 4. टावर शेड

1.5 कैरेज एंड वैगन, सिक लाइन और लोको शेड का क्षतिग्रस्त होना—

- 1. पिट लाइन्स 2. सिक लाइन्स/शेड निर्माण
- 2. किसी सूत्र से भूकंप आने के बारे में मंडल कार्यालय में सूचना मिलते ही निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए—

2.1 परिचालन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—

- i) समस्त गाड़ियों को रोकना
- ii) प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक, पुलों, प्वाइंट्स, सिगनल तथा लाईट इंजन पर ओएचई/पुश ट्रॉली/मोटर ट्रॉली की जांच के लिए रेलपथ सिगनल एवं दूरसंचार पर्यवेक्षक को सूचित करना।
- iii) किसी असामान्य घटना के बारे में सिविल प्राधिकरण को सूचित करना।
- iv) संचालन राहत/बहाली सामग्री के लिए स्टॉक और पावर का प्रबंध करना।
- v) अप्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त परिचालन स्टाफ उदाहरणार्थ सहायक स्टेशन मास्टर, प्वाइंट्समैन, गार्डों तथा केबिनमैन का प्रबंध।

2.2 इंजीनियरिंग शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाही —

- i) सीनियर सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ/कार्य) पुल निरीक्षकों, गैंगमैन कीमैन तथा अन्य स्टाफ सहित समस्त रेलपथ, पर्यवेक्षकों को नजदीकी स्टेशन मास्टरों को रिपोर्ट करना चाहिए, जो रेलपथ स्टाफ और पर्यवेक्षकों की उपलब्धता के बारे में नियंत्रण कार्यालय को पुनः बताएगा।
- ii) ट्रैक और पुलों की जांच— ट्रैक ढांचों और पुलों की जांच के लिए प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन के दोनों साइडों पर गैंगमैन, कीमैन तथा रेलपथ निरीक्षक/पुल निरीक्षक की एक टीम भेजनी चाहिए।
- iii) क्षतिग्रस्त साइट की सुरक्षा— जांच दल को सेक्शन में किसी क्षतिग्रस्त ट्रैक निर्माण पुल की सुरक्षा के लिए उचित निर्देश देना चाहिए।

- iv) आदमियों और सामग्री की अपेक्षानुसार क्षति/टूटफूट/गड़बड़ियों की रिपोर्ट करना— लोकेशन के साथ क्षति प्रभार और अपेक्षित आदमी तथा सामग्री के बारे में पूरे सेक्शन की जांच के बाद एक रिपोर्ट सहायक स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो नियंत्रण कार्यालय को पुनः बताएगा।
 - v) आवश्यकतानुसार वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/कार्य को सेवा/आवासीय भवनों की जांच करनी चाहिए और नियमानुसार मरम्मत का प्रबंध करना चाहिए।
- 2.3 **सिगनल एवं दूरसंचार विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- i) भूकंप के कारण ओएचई और केबल संचार प्रभावित हो सकते हैं। संचार के वैकल्पिक साधन जैसे वीएचएफ, माइक्रोवेव, आरई केबल ऑप्टिक फाइबर का तत्काल प्रबंध करना चाहिए। नियंत्रण कार्यालय और स्टेशनों के बीच संचार को अच्छा महत्व दिया जाना चाहिए।
 - ii) ड्यूटी निर्धारण— मुख्य सिगनल निरीक्षक/सिगनल निरीक्षक तथा ईएसएम/एमएसएम को स्टेशनों पर उपस्थित रहना चाहिए। समस्त सिगनल एवं दूरसंचार स्थापनों की जांच करने के बाद क्षति और आदमी तथा सामग्री की अतिरिक्त आवश्यकता यदि कोई हो, के बारे में सिगनल निरीक्षक/नियंत्रण को विस्तृत विवरण देना चाहिए।
- 2.4 **विद्युत (कर्षण/वितरण) विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- भूकंप आने के बारे में सूचना मिलने पर प्रभावित सेक्शन की ओएचई आपूर्ति तुरंत बंद कर देना चाहिए। अप और डाउन दिशा में समस्त सेक्शनों की टावर वैगन के माध्यम से जांच करनी चाहिए। टावर वैगन को प्रतिबंधित गति से चलाना चाहिए ताकि किसी बाधा से पहले उसे रोका जा सके।
- i) प्रत्येक सेक्शन की जांच करने के बाद टीपीसी को फीडबैक देना चाहिए जो उप सीएचसी (पी) को स्थिति से अवगत कराएगा।
- 2.5 **विद्युत (पी) विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- बिजली सप्लाई, डीजी सेट फेल हो जाने के मामले में आवश्यकतानुसार नियंत्रण स्टेशनों जैसे महत्वपूर्ण स्थापनाओं का प्रबंध करना चाहिए।
- 2.6 **वाणिज्य शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- i) आपदा के वर्णन और रन करने वाली गाड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ यात्रियों की जानकारी के लिए नियमित उद्घोषणा कराएं।
 - ii) बड़े और प्रभावित स्टेशनों पर डॉट फोन/सेल फोन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ आपातकालीन पूछताछ काउंटर खोलना चाहिए।
 - iii) जहां गाड़ी नियंत्रित की जाए वहां स्टेशनों पर हताश यात्रियों के लिए पीने के पानी, भोजन इत्यादि जैसी सुविधाओं का प्रबंध करना।
 - iv) टिकटों की वापसी के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाएं।
- 2.7 **यांत्रिक शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- i) प्रणाली पर राहत कोच और सामान का स्टॉक तैयार रहना चाहिए और संचालन के लिए दुरुस्त हों।
- बिजलीकृत क्षेत्र के मामले ओएचई फेल होने पर डीजल पावर उपलब्ध होना चाहिए।

- 2.8 **कार्मिक शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- i) स्टेशन और कॉलोनियों में क्षति और टूट-फूट का आकलन करने के लिए मुख्य कल्याण निरीक्षक/कल्याण निरीक्षक और स्टाफ सहित राहत सेल का गठन किया जाए।
 - ii) राहत कार्य में तीव्रता लाने के लिए गाड़ी संघ, महिला समितियों, एनजीओ के साथ सहायता और राहत कार्य के लिए समन्वय बनाएं।
- 2.9 **रेलवे सुरक्षा बल विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई—**
- i) स्टेशनों और कॉलोनियों में राहत कार्य में लगे/कर्मियों/कर्मचारियों की मदद करें।
 - ii) रेलवे स्टेशनों, यार्डों और समस्त बड़े संस्थानों की सुरक्षा करें और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोकें।
 - iii) मानव जीवन बचाने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता पहुंचाएं।
 - iv) सिविल पुलिस तथा जिला प्रशासन के साथ नजदीकी समन्वय कायम करें।
3. **संदिग्ध तोड़फोड़ —**
1. संदिग्ध तोड़फोड़ पर गाड़ी झोल/रेकिंग निकटतम के कम विपथन और गंभीर स्थिति पैदा होने पर मामले में इंजन क्रू तथा अन्य रेलवे स्टाफ के साथ गार्ड को निम्न कार्य करना होगा—
 - i) गाड़ी की सुरक्षा
 - ii) नियंत्रण कार्यालय/समीपी स्टेशनों को दुर्घटना की रिपोर्ट करना
 - iii) घायलों को प्रथमोपचार देना
 - iv) जिम्मेदार व्यक्ति के साथ (व्यक्ति का नाम, पता दस्तावेज में रखना चाहिए) ट्रैक का सावधानीपूर्वक संयुक्त निरीक्षण और परीक्षण का परिणाम दर्ज करना तथा दस्तावेज पर उनका हस्ताक्षर/गाड़ी पर कोई अधिक कार्रवाई या निरीक्षक होने पर यह कर्तव्य उसे निभाना होगा।
 - v) ट्रैक पटरियों, फिश प्लेटों, बोल्ट्स तथा अन्य फिटिंग्स के भागों/हिस्सों की जांच/टेम्पर्ड दिखाई देने वाले भाग का संचालन को कोई व्यक्ति छेड़ न पाए। सिविल और पुलिस अधिकारियों के पहुंचने तक उन सबकी सख्त सुरक्षा करना।
 2. समीप के स्टेशन का स्टेशन मास्टर को संदिग्ध तोड़फोड़ और गाड़ी रेकिंग की साइट के बारे में स्थानीय सिविल पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल अधिकारियों का सूचित करना।
 3. **इंजीनियरी विभाग की पूर्व सावधानी—**
 - i) गैंगमैन को निर्देश देना कि साइट पर जाते समय वे अपने साथ कोई औजार न ले जाएं।
 - ii) सुनिश्चित करना कि साइट पर उपलब्ध औजार पेटियों को पुलिस द्वारा उन्हें चेक करने से पहले खोला न जाए।
ट्रैक, पटरी, फिश प्लेट्स, बोल्ट्स और अन्य फिटिंग्स को सिविल/रेलवे पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने और उनका फोटो लेने तक न छुएं और न हटाएं।

4. **रेल सुरक्षा बल स्टाफ का कर्तव्य—**
 - i) संदिग्ध तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर पर्याप्त आदमियों के साथ तत्काल घटना स्थल पर जाना।
 - ii) नजदीक रेल सुरक्षा बल चौकी से अतिरिक्त सहायता प्रबंध।
 - iii) सुनिश्चित करना कि दुर्घटना की रिपोर्ट स्थानीय जीआरपी/जिला पुलिस को दे गई है।
 - iv) पीड़ितों के सामान और रेल संपत्तियों को निगरानी
 - v) पुलिसकर्मियों को पहुंचकर प्रभार लेने तक रेलपथ, फिशप्लेट, बोल्ट और अन्य सामग्री की निगरानी
 - vi) संदिग्ध के लिए आस-पास देखें और किसी सुराग को नोट करें कि वह अपराध को तलाशने में मददगार हो सकता है।
 - vii) जीआरपी/सिविल पुलिस के साथ समन्वय
5. दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी है कि सिविल और पुलिस अधिकारियों को पहुंचकर अंदर/नीचे जा घुसे व्यक्तियों को बाहर निकालने तक संदिग्ध तोड़फोड़ होने पर इंजन और रोलिंग को डिस्टर्ब न किया जाए। पुलिस संपर्क किए बिना यातायात को सामान्य करने की अनुमति नहीं है।
6. दुर्घटना स्थल पर मौजूद वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी लिखित अनुमति के बाद रोलिंग स्टाफ को सुविधाजनक नजदीकी स्टेशन पर ले जाया जा सकता है।
7. दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त इंजन और वाहन का विस्तृत परीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/परिचालन द्वारा भी किया जाना चाहिए।
8. दुर्घटना स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का प्रबंध होना आवश्यक किया जाए।

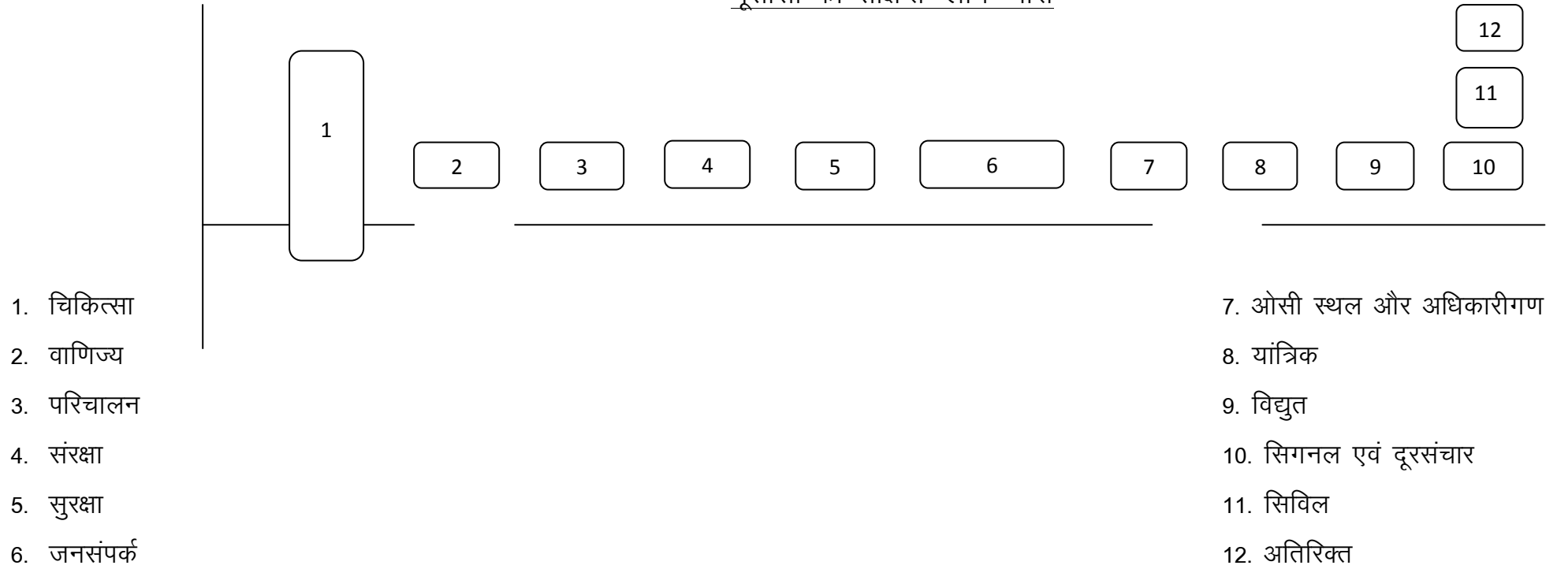
यूसीसी / सीएसी / एलसीसी का संक्षिप्त प्लान ब्यौरा

एलसीसी-1

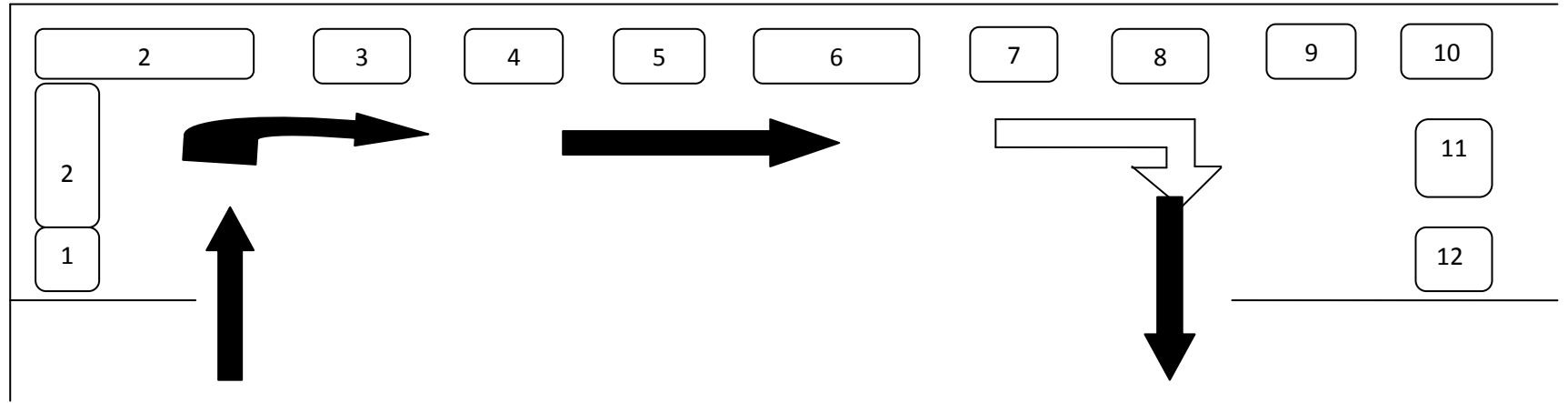
यूसीसी
सीएसी

एलसीसी-1

यूसीसी का संक्षिप्त प्लान ब्यौरा



सीएसी का संक्षिप्त प्लान ब्यौरा



- | | |
|---|--|
| 1. वाणिज्य- आरक्षण चार्ट | 7. नगरपालिका प्राधिकारी- जारी अधिकृत मृत प्रमाण-पत्र |
| 2. चिकित्सा- मृत और घायलों की सूची | 8. रेलवे सुरक्षा बल/स्थानीय पुलिस-शव की सुपूर्दगी के लिए जारी प्राधिकारी |
| 3. वाणिज्य- मार्गरक्षी (एस्कार्ट) और वाहन का प्रावधान | 9. वाणिज्य- अनुग्रह भुगतान, जारी दावे प्रपत्र |
| 4. चिकित्सा- मृत प्रमाण-पत्र | 10. वाणिज्य- अंतिम कार्य के निष्पादन के लिए सहायता |
| 5. सरकारी डाक्टर- जारी शव विच्छेदन रपट | 11. कार्मिक- जारी वापसी यात्रा पास |
| 6. सीएसी पर्यवेक्षक और अधिकारीगण | 12. परिचालन- वापसी यात्रा के लिए व्यवस्था |

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के दूरभाष नम्बर
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्रम सं.	नाम	पदनाम	फोन (STD 0522)	
			कार्यालय	आवास
1	श्री योगी आदित्यनाथ	माननीय मुख्यमंत्री	2239296 2233167, 2239234 (फैक्स), 2236181 (लोक भवन)	2236838 2239573(फैक्स)
2	श्री केशव प्रसाद मौर्या	उप मुख्यमंत्री	2238217	--
3	श्री डा.दिनेश शर्मा	उप मुख्यमंत्री	2238088,2213272	--
4	श्री एस.पी.गोयल	प्रमुख सचिव	2238219,2237135	--
5	श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सचिव	2238288,2215215	--
6	श्री रिग्जियान सैम्पिल	विशेष सचिव	2238158	--
7	श्री डा.आदर्श सिंह	विशेष सचिव	2238942,2215504	--
8	श्री नितीश कुमार	विशेष सचिव	2235935,2215556	--
9	श्री अमित सिंह	विशेष सचिव	2238216,2236339	--
10	श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल	विशेष सचिव	2237338,2215511	--
11	श्री अजय कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी	2235856	--
12	श्री जिन्नूरैन अहमद खां	संयुक्त सचिव	2215137	--
13	श्री अरुन कुमार दुबे	संयुक्त सचिव	2238184,2238237	--
14	श्री राम विशाल गुप्ता	उप सचिव	2215127,2238099	--
15	श्री हरि मोहन झा	उप सचिव	2238184,2238237	--
16	श्री ओम नारायण अहिरवार	उप सचिव	2215138	--
17	श्री गोकुल नन्द जोशी	उप सचिव (लेखा)	--	--
18	श्री सुनील कुमार चौधरी	अनु सचिव	2215129	--
19	श्री अरविन्द मोहन	अनु सचिव	2215137	--
20	श्री अजय कुमार ओझा	अनु सचिव	2215127,2238099	--

21	श्री डा.अशोक कुमार श्रीवास्तव	अनु सचिव	2215101	--
22	श्री आर.के.बजाज	विशेष कार्याधिकारी,मुख्यमंत्री (कम्प्यूटर सेल)	2239236,2215514	--
23	श्री बृजेश सिंह	अनुभाग अधिकारी(लेखा)-1	2215136	--
24	श्री बृजेश सिंह	अनुभाग अधिकारी(लेखा)-2	2215191	
25	श्री भास्कर चन्द्र काण्डपाल	अनुभाग अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय-1	2215092	
26	श्रीमति शुभ्रा	अनुभाग अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय-2	2215132	
27	श्री अशोक कुमार मुकर्जी	अनुभाग अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय-3	2215134	
28	श्री किरेंद्र पाल सिंह	अनुभाग अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय-4	2215133	
29	श्री प्रभाष कुमार	अनुभाग अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय-5	2215152	
30	श्री लाल साहब सिंह	अनुभाग अधिकारी सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ	2215130	
31	श्री शिव परसन	अनुभाग अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग-1	2215210	2341462
32	श्री सुनील कुमार मण्डल	अनुभाग अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग-2	2215135	
33	श्री शिव प्रकाश तिवारी	अनुभाग अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग-3	2215211	
34	श्री अरविन्द सिंह	अनुभाग अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग-4	2215209	

35	श्री मिथिलेश कुमार	अनुभाग अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग-5	2215145	
36	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी प्रोटोकाल	2237941,2215208	2389806
37	श्री सुरेन्द्र कुमार	अनुभाग अधिकारी नागरिक उड्डयन	2215007	
38	श्री विनोद कुमार	अनुभाग अधिकारी जन सूचना प्रकोष्ठ	2215148	

Email id of Chief Minister Office is :- cmup@nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर

एसटीडी कोड: लखनऊ - 0522

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं	पदनाम/नाम	कार्यालय	आवास	मोबाईल नं.	फैक्स
1	मुख्य सचिव	2221599 2238212	2235133	9455775547	2239283
2	प्रमुख सचिव (गृह)	2238291 2215061	2236991	9454405001	2237410
3	गृह सचिव	2238280 2215079	2236774	9454405027	2238409 2238407
4	गृह सचिव-II	2238248 2215124	2237148	9454405004	2238409, 2238407
5	डीजी (पुलिस)	2206104 2208596 (कंट्रोल नंबर)	2208085	9454400101	2206120 2206174
6	रिलीफ कमिशनर (डिजास्टर)	2238107 2213038	--	9415906050	2238084 2236305
7	एडीजी (रेलवे)	2287241 2287242	2239953	9454400108	2287241
8	आईजी (रेलवे), लखनऊ	2287083	2720173	9454400171	2287083
9	आईजी (रेलवे), इलाहाबाद एस.टी.डी.कोड 0532	2624439	2561106	9454400170	2624439
10	कैबिनेट सचिव	2238044	2236566	9455110000	2238225
11	सूचना सलाहाकार (सूचना एवं जनसंपर्क)	2238069	2236134	8447243863	2237002
12	प्रमुख सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन)	2629904	-	9868810003	2625449
13	प्रमुख सचिव (राजस्व एवं राहत)	2238135	--	-	2238084
14	प्रधान सचिव (प्लानिंग)	2238973	2208355	--	2235967

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर (आगरा)

एसटीडी कोड: एजीसी – 0562

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास
1	कमिश्नर	2226830, 09454417491	2226533
2	आईजी	2265736, 09454400178	2227255
3	डीआईजी	2463343, 9454400197	--
4	एसएसपी	2227256, 09454400246	2227255
5	एसपी (East)	2260601, 9454401010	2260049
6	एसपी(Tfc.)	2250106, 9454401008	--
7	एसपी(West)	2250109, 9454401009	2220436
8	एसपी (टाउन)	2527711, 09454401007	--
9	जिलाधिकारी	2260184, 09454417509	2466210, 2458400
10	एडीएम (टाउन)	2260192, 09454417659	2420369
11	एडीएम (प्रोटोकॉल)	2260554, 09454417657	--
12	सर्किल ऑफिसर (वीआईपी)	2225900	2217900, 9454401230
13	फायर	101, 2461121	-
14	डीआईजी (होमगार्ड)	9412254536	--
15	एजीएम (बस सेवा)	09412705801	-
16	ग्रामीण मैनेजर (बस सेवा)	09412705808	-
17	मुख्य फायर ऑफिसर	9454418338	--
18	आगरा पुलिस नियंत्रण कक्ष	9454402549	100

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर (मथुरा)

एसटीडी कोड: मथुरा – 0565

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास
01	जिलाधिकारी	9454417512 2471152 Fax: 2404613	2505225 2403200
02	अपर जिलाधिकारी (E)	2471128, 9454417721	2470002
03	अपर जिलाधिकारी (F & R)	2406076, 9454417583	2401134
04	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	2505172, 2471136 09454400298 फैक्स 2409620	2404600 2471368
05	एसपी (टाउन)	2471368 9454401101	2409620 2470964
06	मुख्य विकास अधिकारी	0565-2505913	9454417742 2470632
07	एस.पी.आर.ए.	9454401103 2471136	2470250
08	नगर मजिस्ट्रेट	2406208 फैक्स 2471215	9454417722 2403285
09	कोतवाली इंसपेक्टर मथुरा	2505979	9454403943
10	वृंदावन (पुलिस स्टेशन)	2442325	9454403953
11	रिफाइनरी (पुलिस स्टेशन)	09454403952	2417100
12	फरह (पुलिस स्टेशन)	09454403939	-
13	छाता (पुलिस स्टेशन)	05662-242233	9454403938
14	कोसीकलां (पुलिस स्टेशन)	05662-232022	9454403942
15	जिलाधिकारी, छाता,	9454417512	2404152 2403200 (R)
17	पुलिस कंट्रोल,	9454417435	0565-100 05662-100
18	एस.ओ.	9454403938 7535021626	-
19	एस.एस.ओ.	9415484167	-
20	सी.ओ.	9454401270	242405
21	इमरजेंसी एम्बुलेंस / छाता	0565-102 / 108 05662-102 / 108	--

आईओसी/बाद के टेलीफोन नंबर

एसटीडी कोड: बाद - 0565

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास
1	मुख्य महाप्रबंधक/टी	2480217, 2480019 9411852919	2430105
2	महाप्रबंधक (प्रोडक्शन)	2480348, 2480415 9412277126	2430433
3	कार्यकारी निदेशक	2480112	2430091
4	सी.जी.एम. (टी.एस.)	2480039, 2480136	2430932
5	जी.एम.(एच.एस.ई.)	2480135	2430884
6	डी.जी.एम.(पी.एन.)	2480133, 2418401	2430515
7	डिजास्टर कंट्रोल रूम	2480172, 2416700	-
8	फायर कंट्रोल रूम	2480138, 2417781	2430501, 2416781
9	फायर ऑफिसर	2417781, 2480138 8650778855	2430501
10	महाप्रबंधक/टी.एस.	2480039 9435120273	2430932 2431176
11	डीजीएम (आर.सी./मार्केटिंग)	7409006501 2480200, 2418841	-
12	इंस्टालेशन प्रबंधक/एच.सी.	8936919000	-
13	इंस्टालेशन प्रबंधक/बी.पी.सी.	9621105555	-

अन्य राज्य एवं शहरो के टेलीफोन नंबर
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास
01	जिलाधिकारी, भरतपुर	05644-223086 9828833330 9414649900	223316
02	आई.जी., भरतपुर	05644-222859	223339
03	एसपी, भरतपुर	05644-223116 9414010511	223366
04	सहा. जिलाधिकारी,कुम्हेर	05644-241224	09530-316102
05	जिलाधिकारी, अलवर	0144-2337565 9414065347	2337566
06	एसपी, अलवर	0144-2337453 9784842100	0144-2337454
07	डिप्टी कमिशनर/पलवल	01275-298051 298052 9466875511 (8930001135Rakesh,PA)	298901,298911
08	एसपी, पलवल	01275-298069 298070 8814000400	01275-246800(R)
09	डीएम, दौसा	01427-510777 9468585123	223003
10	एसपी, दौसा	01427-230001 9414005888	230002
11	एसडीएम, होडल	01275-235836 Fax-228616 9812622437	--
12	जी.एम. हरियाणा रोडवेज,पलवल	252203 252103(Depot) 9865620841 (9467121795)	--
13	तहसीलदार,पलवल	8607447447	--
14	तहसीलदार,होडल	9813233140	--
15	सिविल सर्जन,पलवल	242102, 7027840480	--
16	इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ,पलवल	9211109953	--

राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर

एसटीडी कोड : जयपुर- 0141

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं	पदनाम/नाम	कार्यालय	आवास	मोबाईल नं.	फैक्स
1	मुख्य सचिव	2385892 2227254	2561324	9829010323	2227114
2	सचिव (गृह)	2227112	2361170	--	2227778
3	डीजी (पुलिस)	2744435	2561688 2574849	9799996896	2740693
4	सचिव (डिजास्टर)	2227014	2566766	9928230000 9414048988	2227230
5	सचिव (एलएजी)	2227587	--	9414080525	--
6	सचिव (सीएम सचिवालय)	2227308	2290878	9829000058	2227306
7	एडीजी (रेलवे)	2601394	2750233	9413388266	2601394
8	निदेशक (सूचना एवं जनसंपर्क)	2227057	2355073	9414031155	2227057
9	सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन)	2227666	2296601	9413443334	2227666
10	निदेशक (जन स्वास्थ्य)	2229858	2411912	9414004448	2229858
11	अतिरिक्त सचिव	2227683	2350212	9414182062	-
12	राजस्थान रोडवेज, जयपुर	02974- 222192, 222323	0141- 2373044	9549456745	--

Email id of Chief Minister Office :- relief.raj @nic.inमध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर

एसटीडी कोड: एमपी - 0755

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं	पदनाम/नाम	कार्यालय	आवास	मोबाईल नं.	फैक्स
1	मुख्य सचिव	2441848 2551521	2441654	963008346	2551521
2	गृह सचिव	2441523	2567377	9753121503	2441684
3	डीजी (पुलिस)	2443500	2443600	7049100001	2443501

हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर

एसटीडी कोड: चंडीगढ़ – 0172

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं	पदनाम/नाम	कार्यालय	आवास	मोबाईल नं.	फैक्स
1	मुख्य सचिव	2740118	2748345	9915087567	2740317
2	गृह सचिव	..	2794918	9872858855	2741438
3	डीजी (पुलिस)	2740239 (चंडीगढ़) 2587529 (पंचकुला) 2583281 (पंचकुला) 2570070(कंट्रोल रूम) 2587529, 2583281	2777521, 2779777	9876795090	2587529
4	प्रधान सचिव (सीएम सचिवालय)	2740945	.	9988602786	2740774
5	वरिष्ठ सचिव (सीएम सचिवालय)	2740875	2747557 2708224	9855602221	2740526
6	एडीजी (रेलवे)	.	2741441	.	.
7	आईजी (रेलवे), अम्बाला (0171)	2642050	2642150	9729990000	2642050
8	निदेशक (सूचना एवं जनसंपर्क)	2740335	2714072	9855805065	2741487
9	सचिव (स्वास्थ्य)	2740960	2777505	9888518957	2748033
10	डिप्टी कमिशनर/पलवल	01275—298051 298052	298901 298911	9466875511 (8930001135) (Rakesh,PA)	.
11	एस.पी./पलवल	01275—298069 298070	296800	8814000400	.
12	एडीशनल डिप्टी कमिशनर/पलवल	01275—298056 298057	.	9871725222 PA-805300445	.
13	एस.डी.एम./होडल	01275—235836 (Fax) 228616	235700	9812622437	.
14	डी.एस.पी./होडल	01275—235864	235700	8930202023	.
15	एस.एच.ओ./होडल	01275—235623	.	8930202637	.
16	रुंधी,पलवल रोडवेज	01275—252103	.	.	.
17	सी.आई.डी.कंट्रोल	01275—246470	.	.	.
18	सिटी मजिस्ट्रेट, पलवल	01275—248052	.	9999868016	.

19	एस.डी.एम. / पलवल	01275—298160	.	9812622437 PA-9466869393	.
20	डी.एस.पी. / रुंधी, पलवल	01275—25800	.	.	.
21	ए.डी.सी. / रुंधी, पलवल	01275—298056, 01275—298057	.	98717255222	.
22	पुलिस कंट्रोल रूम / रुंधी, पलवल	1275—252100,246380	..	.	.
23	इमरजेंसी एम्बुलेंस / रुंधी, पलवल	1275—252102 18001800009	.	.	.
24	रेडक्रास / रुंधी, पलवल	1275—248902	.	.	.
25	पुलिस कंट्रोल	0565—100 05662—100	.	9454417435	.

थल सेना/वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष नंबर

एसटीडी कोड - 0562 /सेना एक्सचेंज

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
1	स्टेशन कमांडर (आर्मी), आगरा कैंट	2452100	-	3077
2	एअर फोर्स स्टेशन, आगरा	2400700 2400920-24 एक्सटेंशन नं. 2001		2400837
3	उप कमांडेंट, पीएसी/आगरा	2226660	2232252 9454401904	2226660

एसटीडी कोड - 0510 /सेना एक्सचेंज

झांसी :

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
1	जीओसी-आर्मी, झांसी एरिया	हेल्प लाईन- 2471203		-

इलाहाबाद :

एसटीडी कोड - 0532 /सेना एक्सचेंज

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
1	एओसी, एनसी सेंटर एयर कमांड	250021	2580022	AF Ex. 2233261
2	मेजर जनरल	आर्मी एक्सचेंज- 2623300 to 07		
3	इलाहाबाद सब एरिया हेडक्वार्टर	2622669	-	-

नई दिल्ली

एसटीडी कोड - 011 /सेना एक्सचेंज

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
1	निदेशक (ओपी एवं लॉजिस्टिक)	24605126	2568-6071	-
2	नेवल वार रूम, डाइरेक्टोरेट ऑफ नवल ऑपो.	2301-7616	-	-

धौलपुर

एसटीडी कोड - 05642 /सेना एक्सचेंज

क्र. सं	पदनाम	कार्यालय	आवास	फैक्स
1	एक्सईएन, एरिगेशन	220780	220676	-
2	एक्सईएन, बिजली	220850	220830	-
3	एक्सईएन, जल निगम	220728	220805	-
4	एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी.	220695	220895	

रेलवे बोर्ड के फोन नंबरों की सूची

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

रेलवे एसटीडी कोड - 030

एमटीएनएल एसटीडी कोड - 011

	कार्यालय		आवास		
नाम/पदनाम/ई-मेल आईडी	रेलवे	एमटीएनएल	रेलवे	एमटीएनएल	मोबाइल
सलाहकार (संरक्षा)	43302	23381344	-	23073197	9818798390
निदेशक (संरक्षा)- I dsafety@rb.railnet.gov.in	43667	23387009	-	-	9910487334
निदेशक (संरक्षा) dsafety2@rb.railnet.gov.in	43446	23389987	-	26102988	9810017905
निदेशक (संरक्षा)- III dsafety3@rb.railnet.gov.in	43239	23385836	22447	2648669 23363789	9910487542
उप निदेशक (संरक्षा)- II	44125	233044125	-	-	9958293584
उप निदेशक (संरक्षा)-आईएमपी ddsafetyi@rb.railnet.gov.in	43533	23303533	-	-	9971691956
सेक्शन ऑफिसर	43533	23303533	-	-	9717647374
सेक्शन ऑफिसर (संरक्षा)- III	43771	23303771	-	-	9717647376
मुख्य कंट्रोलर/संरक्षा	43399	23382638	-	-	9717645611

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय		आवास	
		रेलवे	एमटीएनएल	रेलवे	एमटीएनएल
1	निदेशक/कोचिंग-I	43578	2338-9764	53208	23368702
2	निदेशक/कोचिंग- II	43576	2338-5147	-	-
3	निदेशक/टीटी (पीओएल)	43659	2338-4641	-	45785714
4	निदेशक/टीटी (जी)	43521	2338-4744	22373	23745366
5	कार्यकारी निदेशक /कोचिंग	43892	2338-3624	45542	26870120
6	कार्यकारी निदेशक /संरक्षा	43302	2338-1344	23073197	9818798390
7	प्रबंधक निदेशक/ आईआरसीटीसी	-	23311261	-	9717640400
8	निदेशक (कैटरिंग)/ आईआरसीटीसी	-	23311257	-	9717640402
9	निदेशक (टी एंड एम)/आईआरसीटीसी	-	23311258	-	9717640401
10	जीजीएम/ आईआरसीटीसी	-	23318462	-	971764041

रेल संरक्षा आयुक्त के फोन नंबरों की सूची

रेलवे एसटीडी कोड (लखनऊ) – 032

एमटीएनएल एसटीडी कोड (लखनऊ) – 0522

रेलवे एसटीडी कोड (नई दिल्ली) – 030

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय		आवास		फैक्स नं.
		रेलवे	बीएसएनएल	रेलवे	बीएसएनएल	
1	रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्वी परिक्षेत्र, लखनऊ	31571(उ.रे.) 23291(उ.रे.)	2234538 2234515	25291(उ.रे.) 32141(उ.पू.)	9794842050, 2235232	2234515
2	रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी परिक्षेत्र, नई दिल्ली	54752	2688- 6589	52395	2611-1585	26886589
3	मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ	23290 (उ.रे.) 31140(उ.पू.)	2233108 2233087	2237702 25290(उ.रे.) 32140 (उ.पू.)	26886589, 9794842049	2233095

आपातकालीन सेल एवं सहायता केंद्रों का ई-मेल आईडी

क्र.सं.	कार्य स्टेशन का नाम	स्थिति	ई-मेल आईडी
1	सीएसी-1	साईट पर	cac1@ncr.railnet.gov.in
2	सीएसी-2	साईट पर	cac2@ncr.railnet.gov.in
3	मुख्यालय आपातकालीन सेल - 1.	उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय	echq1@ncr.railnet.gov.in
4	मुख्यालय आपातकालीन सेल - 2.	उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय	echq2@ncr.railnet.gov.in
5	मंडलीय आपातकालीन सेल - 1.	इलाहाबाद कंट्रोल	decald1@ncr.railnet.gov.in
6	मंडलीय आपातकालीन सेल - 2.	इलाहाबाद कंट्रोल	decald2@ncr.railnet.gov.in
7	मंडलीय आपातकालीन सेल - 1.	झांसी कंट्रोल	decjhs1@ncr.railnet.gov.in
8	मंडलीय आपातकालीन सेल - 2.	झांसी कंट्रोल	decjhs@ncr.railnet.gov.in
9	मंडलीय आपातकालीन सेल - 1.	आगरा कंट्रोल	decagc1@ncr.railnet.gov.in
10	मंडलीय आपातकालीन सेल - 2.	आगरा कंट्रोल	decagc2@ncr.railnet.gov.in
11	पूछताछ / सहायता बूथ	इलाहाबाद	hebald@ncr.railnet.gov.in
12	पूछताछ / सहायता बूथ	कानपुर	hebcnb@ncr.railnet.gov.in
13	पूछताछ / सहायता बूथ	झांसी	hebjs@ncr.railnet.gov.in
14	पूछताछ / सहायता बूथ	ग्वालियर	hebgwl@ncr.railnet.gov.in
15	पूछताछ / सहायता बूथ	आगरा छावनी	hebagc@ncr.railnet.gov.in
16	पूछताछ / सहायता बूथ	मथुरा	hebmtj@ncr.railnet.gov.in

आगरा मंडल के महत्वपूर्ण दूरभाष नंबरों की सूची

एसटीडी कोड: आगरा - 0562

मथुरा - 0565

(Names & Phone numbers are as on date 06.12.2017, that may change in future)

पदनाम	कार्यालय		आवास	
	रेलवे	बीएसएनएल	रेलवे	बीएसएनएल/मोबाइल नं.
मंडल रेल प्रबंधक	22000	2421200	22001	2421201/ 9760536000
अपर मंडल रेल प्रबंधक/इन्फ्रा.	22002	2420979	22003	2420969/ 9760536001
अपर मंडल रेल प्रबंधक/परि.	22008	2464525	---	9760536002
निजी सचिव/मं.रे.प्र.	22024	--	22015	9760536007
वरि.मंडल वित्त प्रबंधक	22040	2420906	22041	2421264/ 9760536100
मंडल वित्त प्रबंधक	22042	2421229	22079	9760536101
सहा.मंडल वित्त प्रबंधक	22044	2421477	--	9760536102
डिप्टी.एफ ए एण्ड. सीएओ/सी	22590	2421057	22591	9794835110
सीनियर एफए	22592	2421663	--	9794835155
सीनियर ऑडिट ऑफिसर	22080	2421284	22081	2420079 / 9760536150
वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी	22700	2420978	22701	2421279 / 9760536600
मंडल कार्मिक अधिकारी	22702	2421054	22703	2420364/9760536601
सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी-I	22706	-	-	9760536602
सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी-II	22704	-	-	9760536603
सीनि. ई डी पी एम	22030	2421397	-	9760536003
वरि.मंडल सामग्री प्रबंधक	22004	2421206	-	9760536770
मंडल सामग्री प्रबंधक	22007	-	-	9760536771
एस एस एम/डीजल	22006	2420144	-	7060804519
जन सम्पर्क अधिकारी	22106	2420171	-	2420357/9760536952
वरि. मं.इंजी/समन्वय	22300	2420933	22301	2420963/ 9760536200
वरि. मं.इंजी/प्रथम	22302	2420783	22303	2420856/ 9760536201
वरि. मं.इंजी/द्वितीय	22304	2421281	22305	2421118/ 9760536202
मं.इंजी/मुख्यालय	-	-	-	9760536237
मंडल इंजी/ट्रेक	22306	2421672	22307	9760536207
सहा. मं.इंजी/सामान्य	22308	-	-	9760536204
सहा. मं.इंजी/मुख्यालय	22310	2421032	22311	2420036/ 9760536203
सहा. मं.इंजी/धौलपुर	808220	05642-224456	808227	9001038212
सहा. मं.इंजी/लाईन	3735	2421283	22309	9760536208
सहा. मं.इंजी-1/मथुरा	44300	2504813	44301	2400463/ 9760536205
सहा. मं.इंजी-2/मथुरा	44302	2400463	44303	2502587/ 9760536210
इंजीनियरिंग कंट्रोल	22312/14	-	-	9760536209
उप मुख्य इंजी/निर्माण-I	22560	2420839	22561	2420380/9794835217
उप मुख्य इंजी/निर्माण-II	22572	2420387	22573	9794835296
उप मुख्य इंजी/ब्रिज	22370	2420179	22371	2251399/8400043366
वरि.मं.यां.इंजी/सी एंड डबलू	22400	2421037	22401	2421215/ 9760536400

वरि.मं.यां.इंजी/ओ एंड एफ	22406	2421056	22407	9760536401
मं.यां.इंजी/डेमु	22404	2421636	-	9760536404
सहा.मं.यां.इंजी/ओ एंड एफ	22402	-	-	9760536402
सहा.मं.यां.इंजी/सी एंड डबलू	22408	-	22409	9760536427
सहा.मं.यां.इंजी/बाद	802-220	-	-	9760536403
कंट्रोल (सी एंड डब्ल्यू)	22452, 22454	2421302	-	9760536415
पावर कंट्रोल	22412/14	-	-	9760536341
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	22500	2420879	22501	2421635/ 9760536500
उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	22504	2421651	22505	2420672/9760536501
वरि.मंडल चिकित्सा अधिकारी, आगरा	22515	-	-	9760536503
मंडल चिकित्सा अधिकारी	22502	-	22503	9760536507
सहा.मंडल चिकित्सा अधिकारी	22502	-	-	9760536508
सहा.मंडल चिकित्सा अधिकारी	22506	-	22507	9760536505
वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक	22600	2421130	22601	2421129/ 9760536900
वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक/जी. एण्ड जी.	22604	2421306	22605	2227770/9760536901
स्टेशन डायरेक्टर/आगरा	22919	-	-	9794837904
सहा.मंडल परिचालन प्रबंधक/ कोचिंग	22608	--	22609	2421251/9760536902
स्टेशन डायरेक्टर/मथुरा	-	-	-	9760536904
वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी	22602	2421025	22603	2421040/ 9760536004
मंडल संरक्षा अधिकारी	22610	2420402	22611	9760536036
वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक	22100	2420931	22101	2421211/ 9760536950
मंडल वाणिज्य प्रबंधक	22102	2421290	-	9760536951
सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक	22108	-	22109	9760536955
वाणिज्य कंट्रोल	22111/12	0562- 2421026	-	9760537860
वरि. मं.वि.इंजी/सामान्य	22150	2421012	22151	2421517/ 9760536300
मं.वि.इंजी/सामान्य	22152	-	22153	9760536305
विद्युत कंट्रोल	22162	2421052	-	9760536325
वरि. मं.वि.इंजी/टीआरडी	22200	2421131	22201	24211017/ 9760536304
मं.वि.इंजी/टीआरडी	22204	--	-	9760536301
सहायक मं.वि.इंजी/टीआरडी	22206	-	-	9760568210
टी.पी.सी. कंट्रोल	22210/12	-	-	7060302233
वरि. मं.वि.इंजी/परिचालन/ आगरा	22202	2420926	22203	2421126/9760536302
सहा.मं.वि.इंजी/परिचालन/ आगरा कैट	22252	-	22253	9760536303
मं.वि.इंजी/ परिचालन/नई दिल्ली	030- 222377	23740029	030-22330	9717640072, 011-23341131
टी.एल.सी कंट्रोल	22258,56	-	-	9760536340
वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त	22750	2420997	22751	2421018/ 9760536700
सहा.मंडल सुरक्षा आयुक्त/ आगरा कैट	22752		-	9760536701

सुरक्षा कंट्रोल	100, 22763	2420119	-	9760538508
वरि.मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ समन्वय	22800	2421038	22801	2421238/ 9760536800
वरि.मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ सिगनल	22802	2421231	22803	9760536801
मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ आगरा	22804	2421180	22805	9760536803
मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ कार्य	22895	-	-	9760536807
सहा.मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी/ नॉर्थ	22808	-	22809	9760536804
सहा.मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी/ साऊथ	22806	-	-	9760536805
मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ मथुरा	44800	2400338	22807	9760536802
सहा.मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ मथुरा	44804	2401209	44805	9760536806
उप मु.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ निर्माण	22882	2420013	22883	9794835858/2420015
मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ निर्माण-1	22887	2420045	-	9794835854
मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ निर्माण-2	-	-	-	9794866596
मं.सि.एवं दूरसंचार.इंजी./ निर्माण/मथुरा	44882	-	-	9794866464
एस.एण्ड टी. कंट्रोल	22812/14	2421165	-	9760536880
आईपीएफ/आगरा कैट	22756	2421122	3783	9760536705
आईपीएफ/आगरा फोर्ट	23776	-	3777	9760536706
आईपीएफ/मथुरा जं०	44754 44777	2502801	4755	9760536709
आईपीएफ/कोसीकलां	804-2227	05662- 2234305	-	9760536711
राजभाषा अधिकारी	22916	-	-	9760536009
यातायात निरीक्षक/मं.रे.प्र.	22022	-	-	9760568190
यातायात निरीक्षक/अ.मं.रे.प्र. /इन्फ्रा.	22017	-	-	9760536012
यातायात निरीक्षक/अ.मं.रे.प्र. /परि.	22026	-	-	9760536921
मुख्य क्रू नियंत्रक, आगरा कैट	22262, 22264, 22265	-	24272	9760536351
सीटीएलसी, आगरा कैट	22256, 22258	-	-	9760536340
मुख्य क्रू नियंत्रक, नई दिल्ली	22587	-	-	9717636356
लॉबी, नई दिल्ली	22561	-	-	9717636381
वरि.लोको निरीक्षक/रनिंग रूम/आगरा कैट	22273	-	-	9760536353

वरि. सेक्शन इंजी/सी एंड डब्ल्यू सामान्य/आगरा कैंट	22450	-	23755	9760536417
वरि. सेक्शन इंजी/सिक लाईन	22464	-	22459	9760536422
वरि. सेक्शन इंजी/सी एंड डब्ल्यू /आगरा फोर्ट	23750	-	-	9760536408
सेक्शन इंजी/सिक लाईन/मथुरा जंक्शन	44410	-	44415	9760536439
वरि. सेक्शन इंजी/आरओएच/बाद	802-2223	-	802-224	9760536429
यातायात निरीक्षक/मुख्यालय	22658	-	-	7060405833
यातायात निरीक्षक/आगरा कैंट	22655	-	-	9760536910
यातायात निरीक्षक/अलवर	-	-	-	9352037198
यातायात निरीक्षक/आगरा ब्रांच लाइन	23633	-	-	9001038927
यातायात निरीक्षक/नदबई	-	-	-	9760536913
यातायात निरीक्षक/फतेहपुर सीकरी	-	-	-	9760536914
यातायात निरीक्षक/ब्रांच लाईन/मथुरा जं०	-	-	-	9760536912
यातायात निरीक्षक/मेन लाईन/मथुरा जं०	44610	-	-	9760536911
यातायात निरीक्षक/मुख्यालय/संरक्षा	-	-	-	9760536030
संरक्षा सलाहकार (टीआरडी)	-	-	-	9760536031
संरक्षा सलाहकार (परिचालन)	-	-	-	9760536768
संरक्षा सलाहकार (सी एंड डब्ल्यू)	-	-	-	9760536033
संरक्षा सलाहकार (इंजिनियरिंग)	-	-	-	8433430056
रेलवे मजिस्ट्रेट/आगरा कैंट	22900	-	-	9412751741
रेलवे मजिस्ट्रेट/मथुरा जं०	24920	2410892 2410397	4921	2413252/9412777415

आगरा मंडल के दूरभाष नंबरों की सूची

(आगरा-पलवल खंड)

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

स्टेशन	पदनाम	रेलवे	कार्यालय बीएसएनएल/सीयूजी
आगरा कैंट	मुख्य नियंत्रक	22612	0562- 2420977/9760536931
“	उप मुख्य नियंत्रक/ समयपालन	22620	2421033,9760530014
“	मंडल वाणिज्य निरीक्षक/ मुख्यालय	22116	9760536956
“	मंडल वाणिज्य निरीक्षक/ आगरा फोर्ट	23610	9760536974
“	मंडल वाणिज्य निरीक्षक/ मथुरा जंक्शन	44100	9760536981
“	वरिष्ठ वाणिज्य निरीक्षक/ अछनेरा	--	9760536987
“	सी.से.इंजी/ ब्रेकडाउन साईडिंग	22428, 2 2429	9760536450
“	स्टेशन प्रबंधक	22624	2421035/ 9760536915
“	मुख्य यार्ड मास्टर	22628	9760536926
“	गार्ड/ डिटेल	22634	2421027,9760568651
“	यातायात निरीक्षक/ प्लानिंग	22658	9760568824
राजा की मंडी	स्टेशन प्रबंधक	22642, 22644	0562-2520822/9760536923
बिल्लोचपुरा	स्टेशन प्रबंधक	22647	05613-294328/9760568677
रूनकता	स्टेशन प्रबंधक	22660	0561-3291712/9760568705
कीथम	स्टेशन प्रबंधक	22661	0561-3291710/9760568816
फरह	स्टेशन प्रबंधक	22662	0565-2961281/9760568815
बाद	स्टेशन प्रबंधक	802-2202	0565- 2430331/9760568788
“	मुख्य यार्ड मास्टर	802-2203	9760536916
मथुरा जं.	स्टेशन प्रबंधक	44600, 44604	0565-2406463/9760536917
“	मुख्य यार्ड मास्टर	44608, 44613	9760568796
वृंदावन रोड	स्टेशन प्रबंधक	44617	0565- 2930960/9760536924
अझई	स्टेशन प्रबंधक	44618	05662- 241749/9760568802
छाता	स्टेशन प्रबंधक	44619	05662- 291030/9760568817
कोसीकलां	स्टेशन प्रबंधक	804-2200, 2202	05662- 232243/9760536920
होडल	स्टेशन प्रबंधक	804-2224	0127-5235553/ 09729536938
शोलाका	स्टेशन प्रबंधक	804-2225	0127-5208918/ 09729536939
रुंधी	स्टेशन प्रबंधक	804-2226	9729536940

आगरा मंडल के दूरभाष नंबरों की सूची
(टूंडला-बयाना सेक्शन)

स्टेशन	पदनाम	कार्यालय	
		रेलवे	बीएसएनएल / सीयूजी
एत्मादपुर	स्टेशन प्रबंधक	23645	9760536742
कुबेरपुर	स्टेशन प्रबंधक	23644	9760536740
छलेसर	स्टेशन प्रबंधक	23643	9760536741
जमुना बिज	स्टेशन प्रबंधक	23632, 23634	0562- 2281053, 9760536925
आगरा सिटी	स्टेशन प्रबंधक	22645	0562- 2620815,9760536928
आगरा फोर्ट	स्टेशन प्रबंधक	23624, 23626	0562- 2464052,9760536919
ईदगाह	स्टेशन प्रबंधक	23628, 23630	0562- 2420706,9760536918
पथौली	स्टेशन प्रबंधक	22691	9760536743
मिढाकुर	स्टेशन प्रबंधक	22647	0562- 2780131,9760536744
किरावली	स्टेशन प्रबंधक	22693	05613- 292192,9760536745
फतेहपुर सीकरी	स्टेशन प्रबंधक	22694	05613- 282243,9760536746
रूपबास	स्टेशन प्रबंधक	22695	05645-243643,09001036747
बंसी पहाड़पुर	स्टेशन प्रबंधक	22696	05645-260072,09001036748
बंदबरेठा	स्टेशन प्रबंधक	22697	05648-211319,09001036749
बयाना	स्टेशन प्रबंधक	017-46290 017-46292	05648-222310,09001017573

आगरा मंडल के दूरभाष नंबरों की सूची
(भाण्डई-ऊदी सेक्शन)

स्टेशन	पदनाम	कार्यालय	
		रेलवे	बीएसएनएल/सीयूजी
बाह	उपजिला अधिकारी	--	9454417666
"	अतिरिक्त जिला अधिकारी	--	9415906433
"	सीओ	--	9454401236
"	स्टेशन प्रबंधक	--	7060198887
"	पुलिस इंस्पेक्टर	--	9454404418 9454402765
"	एसडीओ	--	9412748105
"	अग्निशामक केन्द्र	--	9454418453
"	शम्भूनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	--	9368434749
शमसाबाद	उप जिला अधिकारी	--	9415906433
"	तहसीलदार	--	9454417675
"	क्षेत्राधिकारी	--	9454401234
"	स्टेशन प्रबंधक	--	7060198883
"	पुलिस इंस्पेक्टर	--	9454402761
"	विधायक, श्री छोटेलाल वर्मा	--	9917430999
"	विद्युत केन्द्र	--	9412719223
"	अग्निशमक केन्द्र	--	101, 0562-2461121
"	एम्बूलेंस	--	102
"	चेयरमैन	--	9997997020
"	सरकारी अस्पताल	--	05612-253037
"	गंगा नर्सिंग होम	--	05612-25253111
फतेहाबाद	उपजिला अधिकारी	--	9454417668
"	पुलिस इंस्पेक्टर	--	9454402733
"	सिविल अस्पताल	--	9412445151
"	डॉ कटारा अस्पताल	--	9758469117 9286665292
"	डॉ हरिओम शर्मा, अस्पताल	--	9720135930
ऊदी	स्टेशन प्रबंधक	--	9794831148

आगरा मंडल के दूरभाष नंबरों की सूची
(धौलपुर-तांतपुर नैरो गेज सेक्शन)

स्टेशन	पदनाम	कार्यालय	
		रेलवे	बीएसएनएल / सीयूजी
तांतपुर	उपजिला अधिकारी	--	9454416969
"	उपपुलिस अधीक्षक	--	9454401233
"	पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर	--	9454402727
"	स्टेशन प्रबंधक	--	8979756450
"	पुलिस कंट्रोल रूम	--	05613-100
"	अग्निशामक केन्द्र	--	05613-101
"	एम्बुलेन्स	--	05613-108
"	प्रधान	--	9012410454
"	जगनेर अस्पताल	--	05613-274005 7839777053
"	बारी अस्पताल	--	05647-272152
"	बसेरी अस्पताल	--	05646-276140
"	बसई अस्पताल	--	07535958399
बारी	स्टेशन प्रबंधक	--	9592746027
"	राजस्थान परिवहन निगम, डिपों इंचार्ज	--	9784028640 05647-274055
"	अग्निशामक केन्द्र	--	05647-101
"	एम्बुलेन्स	--	05647-108
"	सिविल थाना	--	05647-274438
"	नगरपालिका	--	9351632277
"	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	--	05647-272152 9314077388
"	आयुर्वेद अस्पताल	--	9414709649
"	डा. मंदीराम मीना सुरेश मंगल	--	9414710710
"	विमलेश नर्सिंग होम	--	9414710040
"	राम विलास गुर्जर	--	9914180633
"	डॉ सुरेन्द्र सिंह	--	9414710653
मोहारी	सिविल थाना	--	05647-274438
"	सिविल थाना, बसेड़ी	--	05646-276106
"	आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र, बाड़ी	--	05647-272152
"	डॉ सुरेन्द्र सिंह	--	9414710653
"	विमलेश नर्सिंग होम	--	9414710040
"	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसेड़ी	--	05646-276140
"	बस स्टेण्ड	--	05647-274055

धौलपुर	स्टेशन प्रबंधक	--	9001038943 05642-220014
"	आरपीएफ इन्चार्ज, धौलपुर	--	05642-224727 9001038729
"	जीआरपी, धौलपुर	-	05642-220883 9530422511
"	रेलवे अस्पताल, धौलपुर	--	0562-260262 9001038523
"	ब्रेक डाउन इंचार्ज, धौलपुर	--	9001038477 234, 235

**आगरा मंडल के दूरभाष नंबरों की सूची
(आगरा फोर्ट-बांदीकुई एवं मथुरा-अलवर खंड)**

स्टेशन	पदनाम	रेलवे	कार्यालय बीएसएनएल/सीयूजी
बिचपुरी	स्टेशन प्रबंधक	--	0562-2636550,9760536750
रायभा	स्टेशन प्रबंधक	--	9760536751
अछनेरा	स्टेशन प्रबंधक	41210	05613- 265042,9760536752
चिकसाना	स्टेशन प्रबंधक	41244	05644-200753,09001036753
इकरन	स्टेशन प्रबंधक	2681	05644-200612,09001036754
आर.आर.आई. भरतपुर	केबिनमैन एसएम	47292	05644-236264
भरतपुर	स्टेशन प्रबंधक	47290	05644-238274/9001017574
हेलक	स्टेशन प्रबंधक	2683	09001036755
पपरेरा	स्टेशन प्रबंधक	-	9667928302
नदबई	स्टेशन प्रबंधक	--	05643- 27682,09001036756
खेड़ली	स्टेशन प्रबंधक	-	01492-281000,09001036921
घोसराना	स्टेशन प्रबंधक	--	9001036757
मंडावर महुआ रोड	स्टेशन प्रबंधक	-	07461- 260212/09001036922
करनपुरा	स्टेशन प्रबंधक	-	01464-295461, 9460602941
बिवाई	स्टेशन प्रबंधक	2689	01420-215357,09001036759
बांदीकुई	स्टेशन प्रबंधक	43253	01420- 225102

मथुरा-अलवर सेक्शन

गोवर्धन	स्टेशन प्रबंधक	-	9760536945
वहज	स्टेशन प्रबंधक	-	7740921880

डीग	स्टेशन प्रबंधक	-	9001036941
बेढम	स्टेशन प्रबंधक	-	05641-280342,09001036942
ब्रिजनगर	स्टेशन प्रबंधक	-	05641-280364, 9001036943
गोविन्दगढ़	स्टेशन प्रबंधक	-	05192- 277011,09001036944
जाडोली का बास	स्टेशन प्रबंधक	-	09001036946
रामगढ़	स्टेशन प्रबंधक	-	01468- 232424,9001036947
ऊटवाड	स्टेशन प्रबंधक	-	01468-299561,9001036948
अलवर	स्टेशन प्रबंधक	-	0144-2343821

आगरा छावनी-धौलपुर जं. सेक्शन

भाण्डई	स्टेशन प्रबंधक	-	9794831053
जाजऊ	स्टेशन प्रबंधक	-	8979093372
मनिया	स्टेशन प्रबंधक	-	9887860657
धौलपुर जं.	स्टेशन प्रबंधक	-	9001038943

भाण्डई-ऊदी जं. सेक्शन

शमसाबाद	स्टेशन प्रबंधक	-	7060198883
फतेहाबाद	स्टेशन प्रबंधक	-	7060198885
बाह	स्टेशन प्रबंधक	-	7060198887
ऊदी	स्टेशन प्रबंधक	-	9794831148 9926180813

धौलपुर जं.-तांतपुर-सिरमुतरा नैरो गेज सेक्शन

बारी	स्टेशन प्रबंधक	-	9592746027
मोहारी	स्टेशन प्रबंधक	-	8890419300
सिरमुतरा	स्टेशन प्रबंधक	-	8890435100
तांतपुर	स्टेशन प्रबंधक	-	8979756450

बुलडोजर/क्रेन/जेसीबी की उपलब्धता के संबंध में सूचना
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं	स्टेशन का नाम	बुलडोजर/क्रेन के मालिक नाम एवं पता	टेलीफोन नं.	स्टेशन से दूरी
1	आगरा	यादव, क्रेन सर्विस, टीपी नगर, आगरा	9837004561, 0562-4009599	5 कि.मी.
2	"	शर्मा क्रेन सर्विस, टीपी नगर, आगरा	9837248527 9927469381	5 कि.मी.
3	"	जनता क्रेन सर्विस, रामबाग, आगरा	9412301023	10 कि.मी.
4	"	न्यू जनता क्रेन सर्विस, नाराईच, हाथरस रोड, आगरा	9837360263	11 कि.मी.
5	"	नगर आयुक्त, आगरा	0562-2520616	8 कि.मी.
6	"	श्री सियाराम यादव, आसाराम बापू आश्रम के नजदीक, आगरा-मथुरा रोड, सिकंदरा आगरा	9917160991 9758041562 9759610618	12 कि.मी.
7	यमुनाब्रिज	बाबू क्रेन सर्विस	9837994607 9927839003	5 कि.मी.
8	कोसीकलां	चौधरी क्रेन सर्विस, बाईपास, तिराहा, राष्ट्रीय राजपथ	9837849440	15 कि.मी.
9	जाडोली का बास	श्रीराम क्रेन सर्विस, भक्ताल की चौकी, दिल्ली रोड, अलवर	9982394295	17 कि.मी.
10	रामगढ़	मुक्ति क्रेन सर्विस, भक्ताल की चौकी, दिल्ली रोड, अलवर	9414018890 09352553875 09352553871	17 कि.मी.
11	भरतपुर	खालसा क्रेन सर्विस, अन्ना गेट	9828404374 9882157543	3 कि.मी.
12	भरतपुर	शिव क्रेन सर्विस, अशोका हॉस्पिटल के नजदीक	9413530812, 9414025801, 9413530812	3 ½ कि.मी.
13	हेलक	बच्चू सिंह, भागधरी सेवर	9882129635	15 कि.मी.
14	मंडावर महुआ रोड	श्री कालूराम मीना	9929758564	10 कि.मी.
15	बिवाई	श्री श्यामलाल जैमन, जैमन जेसीबी	9950056416	28 कि.मी.
16	फतेहपुर सीकरी	श्री चौधरी गुलाब सिंह, जेसीबी, जैगारा	9412457884	20 कि.मी.
17	रूपबास	एस.बी. क्रेन सर्विस	9413300274	2 कि.मी.
18	धौलपुर	श्री राजू	9602697989	2 कि.मी.
19	"	श्री प्रदीप	09414026622	3 कि.मी.
20	शमसाबाद	श्री शिव कुमार	9997997120	1 कि.मी.
21	होडल	श्रीयुत भोजराज	09219702251 09927783100	2 कि.मी.

टैक्सियों की उपलब्धता के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं	स्टेशन का नाम	मालिक नाम/फर्म	पता	टेलीफोन नं.	स्टेशन से दूरी
1	आगरा	श्री आर एल राठौर	शिवम टूर एण्ड ट्रेवल्स, दिल्ली गेट	9319106910 9456800332	4 कि.मी.
2	“	श्री मनोज सिंह	कौशिक टूर एंड ट्रेवेल, बालूगंज	9319382567	3 कि.मी.
3	“	श्री मंसूर खान	एमआर टूर एंड ट्रेवेल, बालूगंज	9837242307	3 कि.मी.
4	मथुरा	सोमा ट्रेवेल	होली गेट	0565-2504438	4 कि.मी.
5	“	पप्पू ट्रेवेल	साविर मार्केट, भरतपुर गेट	9411966168	4 कि.मी.
6	कोसीकलां	श्री ज्ञान सिंह	हाइवे रोड, कोसीकलां टैक्सी स्टेण्ड	9837217726	4 ½ कि.मी.
7	गोवर्धन	श्री वीरेंद्र सिंह	बोरपा,अडीग	9759606237	12 कि.मी.
8	ब्रिजनगर	श्री सुरेश गुर्जर	सिराथाली, टेक नगर	9950858740	5 कि.मी.
9	“	श्री जीतराम गुर्जर	बावली, टेक नगर	9001243660	5 कि.मी.
10	गोविंदगढ़	श्री शिवलाल	—	9928454537	1 ½ कि.मी.
11	“	श्री श्यामसुंदर	श्यामसुंदर टैक्सी सर्विस, गोविन्दगढ़	9828716557	½ कि.मी.
12	रामगढ़	आजाद, ट्रेवल्स	स्टेट बैंक के पीछे	9828716838	5 कि.मी.
13	रामगढ़	श्री बालाजी ट्रेवल्स	स्टेट बैंक के पीछे	01468-232107 9828512107	5 कि.मी.
14	“	श्री जगदंबा ट्रेवल्स	साहनी मार्केट	9828539701 9784258567	7 कि.मी.
15	हेलक	श्री राजेंद्र	हेलक स्टेशन	9950582824	-
16	खेड़ली	श्री हितेश गर्ग	गर्ग ट्रेवेल	9413304398	1 कि.मी.
17	करनपुरा	श्री धरम सिंह मीना	रामपुरा वाया रैनी, स्टेशन के सामने	9414812193	½ कि.मी.
18	बिवाई	श्री जयसिंह, गुर्जर	बिवाई	9799477223	1 कि.मी.
19	फतेहपुर सीकरी	योगेन्द्र सिंह	—	9756337746	1 कि.मी.
20	रूपबास	श्री अनंत कुमार	रेलवे गेट के नजदीक	9461645130	½ कि.मी.
21	छलेसर	बालाजी ट्रेवेल	रामबाग, आगरा	9412516844 9319073725	5 कि.मी.
22	बारी	एस. आर. ट्रेवल्स	—	9414375676	1 कि.मी.
23	“	लखन ट्रेवल्स	—	9784816677	1 कि.मी.

बसों की उपलब्धता के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कोड	मालिक का नाम	टेलीफोन नं. / मोबाइल नं.
1	आगरा	एजीसी	श्री दीपक श्रीवास्तव, श्री ट्रेवेल्स, बालूगंज	9412263797
2	"	"	श्री राहुल शोलंकी, चौधरी ट्रेवेल्स, बालूगंज	9412722269
3	"	"	श्री दीपक गुप्ता, श्री केला ट्रेवेल्स, बालूगंज	9412548777
4	"	"	श्री जीतू भाई, चाहर बस सर्विस, बालूगंज	9319117927
5	"	"	श्री हरिओम गुप्ता, अजय ट्रेवेल्स	0562-2264457, 9412266694 9219569835
6	"	"	श्री सोमेश शर्मा, शर्मा बस सर्विस, बालूगंज	9359937441
7	"	"	श्री वी एस चाहर, चाहर ट्रेवेल्स, बालूगंज	9412258525
8	"	"	आईएसबीटी, ट्रांसपोर्ट नगर	0562-2603536
9	"	"	ईदगाह बस डिपो	0562-2420324
10	"	"	ईगल टूर एंड ट्रेवेल्स, रज्जाक मार्केट साहिद नगर	9837089170
11	"	"	रीजनल मैनेजर, यूपीएसआरटीसी, आगरा रोड वेज	0562-2225557
12	"	"	सर्विस मैनेजर-II, यूपीएसआरटीसी, आगरा रोड वेज	9415115316 0562-2420315
13	रूनकता	आरएनकेए	चौ. सुखवीर सिंह, चौधरी बस सर्विस अरतोनी	9837272797
14	अछनेरा	एएच	श्री सुरेश चंद शर्मा, शर्मा बस सर्विस, अछनेरा	9761909795
15	मथुरा	"	गौतम ट्रेवेल्स, विकास बाजार	9897367728
16	"	"	जगदम्बा ट्रांसपोर्ट, मण्डी चौराहा	9412383825
17	गोविंदगढ़	जीवीएच	श्री हरवीर सिंह मीना	9413835058
18	रामगढ़	आरएएच	राजू बस सर्विस	9828719319
19	"	"	श्री राजीव कुकरेजा, बस सर्विस	9983593993
20	ऊटवाड	ओटीडी	श्री फूल सिंह, बस सर्विस	9610457285
21	इकरन	आईके	सिंह ट्रेवेल्स, हीरादास बस स्कवायर	9887367284
22	"	"	सोनू ट्रेवेल्स, नीमदा गेट, सर्कुलर रोड भरतपुर	05644-260471 05644-260492
23	हेलक	एचके	श्री करतार सिंह, जसवंत नगर, भरतपुर, वी.जी. ट्रेवल्स	9414341269
24	"	"	देशराज, भरतपुर	9413592095
25	नदबई	एनबीआई	श्री जगदीश शर्मा, भरतपुर	9785334354
26	खेड़ली	केएल	श्री हितेश गर्ग, गर्ग ट्रेवेल्स	9413304398

27	बांदीकुई	बीकेआई	श्री संतोष कुमार शर्मा	9214924303
28	करनपुरा	केपीओ	श्री दिनेश तिवारी, तिवारी ट्रेवल्स, अलवर	9414367321
29	“	“	श्री धरम सिंह मीना	9414812193
30	किरावली	केएलवी	श्री खजान सिंह, इंदौलिया बस सर्विस	9411403801
31	“	“	श्री हिम्मत सिंह चाहर, चाहर बस सर्विस, बुसैरी	9758528346
32	“	“	श्री गुड्डू शर्मा, राहूल बस सर्विस, नगला हाथी	9758469012
33	“	“	श्री चंद्रपाल सोलंकी, सोलंकी बस सर्विस, सहारा	9927291265
34	अछनेरा		श्री महेश चंद्र, अछनेरा	9410005222
35	रूपबास	आरबीएस	श्री दुर्गपाल सिंह, चौधरी ट्रेवल्स, भरतपुर	9460267574
36	“	“	श्री यशपाल, भरतपुर	9799057603
37	जमुना ब्रिज	जेएबी	बालाजी ट्रेवल्स, रामबाग, आगरा	9412516894 9319073725
			श्री ट्रेवल्स	9412263797 9719812278
			अडूकी ट्रेवल्स	9319428220
38	एत्मादपुर	ईटीयूई	सुनील कुमार पाराशर, पाराशर बस सर्विस, टुंडला	9410203882
39	धौलपुर	डीएचओ	एरिया मैनेजर रोड वेज	05642-220819
40	बाह	एचएबी	रोडवेज बस स्टेशन	05614-224410
	“	“	पचौरी बस सर्विस	8899261166 9412164633
41	अझई	एजेएच	संतोष कुमार अग्रवाल, मथुरा बस डिपो	9412829846
42	“	“	जौली ट्रेवल्स	8923881111 9358177012
43	रुंधी	आरडीई	राजस्थान रोडवेज, पलवल	02974-222192, 222323 0141-2373044 09549456745
44	“	“	उत्तर प्रदेश रोडवेज, पलवल	087568881100
45	“	“	पलवल, रोडवेज	01275-252103

सिविल प्रशासन एवं विस्फोट निरोधक दस्तों की सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं.	स्टेशन	एसटीडी कोड	पदनाम	टेलीफोन नं.		मोबाइल नं.
				कार्यालय	आवास	
1.	आगरा	0562	कमिश्नर	2226812	2226536	9454417491
2.	"	"	आईजी	2463211	-	9454400178
3.	"	"	डीआईजी	2463343 2261000	2463343	9454400197
4.	"	"	जिलाधिकारी	2260184 2266210 2260164	2258400 2464718	9454417509 9415906167
5.	"	"	एसएसपी	--	2227255 2227256	9454402246
6.	"	"	पुलिस लाइन, आगरा	2266218	-	9411650801
7.	"	"	एसआरपी / आगरा	2462923	2421170	9454400337
8.	"	"	एसपी / सिटी	-	-	9454401007
9.	"	"	वेतवाली, आगरा	-	-	9454402745
10.	आगरा सिटी	-	एस.ओ. हरीपर्वत	-	-	9454402735
11.	फराह	0565	जिलाधिकारी / मथुरा	2471152	2403200	9454417512
12.	"	"	पुलिस स्टेशन / रिफाइनरी थाना	0565- 2417100	-	9454403952
13.	मथुरा	0565	जिलाधिकारी	2471152	2403200 2505225	9454417512
14.	"	"	अपर जिलाधिकारी	2401128	2403916	-
15.	"	"	सी.ओ. रिफाइनरी	-	-	9454401269
16.	"	"	एसएसपी	2505172	-	9454400298
17.	"	"	सीओ (सदर)	-	-	9454401267
18.	"	"	सीटी मजिस्ट्रेट	2406208	-	9454417722
19.	"	"	एसडीएम, / सदर	-	-	9454417728
20.	"	"	सीओ (सीटी)	-	-	9454401265
21.	"	"	जिला अस्पताल	2501655	-	8273143297
22.	"	"	पुलिस कंट्रोल	100	2505989	9454457980
23.	कोसीकलां	0565	जिलाधिकारी, मथुरा	2404152 2471152	2403200 2505225	9454417512
24.	छाता	"	एसडीएम, छाता	-	-	9454417730
25.	"	"	सीओ, छाता	242405	-	9454401270
26.	"	"	पुलिस कंट्रोल रूम	-	-	101
27.	शोलाका	01275	जिलाधिकारी, फरीदाबाद	0129- 2227936	0129- 2226262	-
28.	"	"	पुलिस कंट्रोल, पलवल	100 252100	-	-
29.	गोवर्धन	0565	थाना इंचार्ज	2815412	-	9454403940
30.	"	"	जिला कंट्रोल रूम	-	-	-
31.	डीग	05641	एसडीएम	220018	-	9530316103

32.	“	“	डिप्टी एसपी	220015	-	8764862711
33.	“	“	डीग थाना	224001	-	9530410456
34.	बेढम	05641	एसडीएम/ डीग	220018	-	9530316103
35.	“	“	डिप्टी एसपी/ डीग	220015	-	8764862711
36.	“	“	डीग थाना	224001	-	9530410456
37.	ब्रिजनगर	05641	जिलाधिकारी, भरतपुर	05644-223086	05644-223316	9414025555 9828833330
38.	“	“	एसएसपी, भरतपुर	223116	223366	9414041529
39.	“	“	थाना नगर	242020	-	-
40.	“	“	एसडीएम, नगर	242053	-	-
41.	गोविंदगढ़	01492	जिलाधिकारी, अलवर	0144-2337565	0144-2337566	9468585123
42.	“	“	अपर जिलाधिकारी, अलवर	0144-2701725	0144-2344429	9530317182 9414118733
43.	“	“	एसएसपी, अलवर	0144-2337453	0144-2337454	9784842100 8764873846
44.	“	“	एसएसपी, ग्रामीण, अलवर	0144-2345404	-	8764873848
45.	“	“	एसएचओ, गोविंदगढ़	277042	-	9784842153
46.	जाडौली का बास	01468	जिलाधिकारी, अलवर	0144-2337565	0144-2337566	9468585123
47.	ऊटवाड	01468	जिलाधिकारी, अलवर	0144-2337565	0144-2337566	9414515477
48.	बिचपुरी	0562	पुलिस स्टेशन, जगदीशपुरा	2510020	-	9454402737
49.	अछनेरा	05613	एसओ/ अछनेरा	265111	-	9454402724
50.	नदबई	05644	आईजी, भरतपुर	222859	223339	9414021211
51.	“	05644	जिलाधिकारी, भरतपुर	223086	223316	9530166999
52.	“	05643	एसडीएम, नदबई	275411	-	9530316112 9413380444
53.	“	05643	तहसीलदार	-	-	9414558899
54.	“	05643	निरीक्षक, पुलिस स्टेशन, नदबई	276765	-	-
55.	“	05644	पुलिस स्टेशन, कुम्हेर	240424	-	9783828013
56.	“	“	तहसीलदार, कुम्हेर	240572	09530-316111	
57.	“	“	जीआरपी, भरतपुर	05644-238315	-	9414240656
58.	“	05644	जिला कंट्रोल, भरतपुर	223929 108	-	-
59.	मंडावर महुआ रोड	07461	जिलाधिकारी, दौसा	01427-510777/ 2236661	01427-221888	9530312177
60.	“	07461	डिप्टी एसपी, दौसा	223884	-	9530312353
61.	“	07461	पुलिस स्टेशन, मंडावर महुआ रोड	260260	-	9530430023
62.	करनपुरा	01464	एसपी, अलवर	0144-2337453	0144-2337454	9784842100
63.	“	01464	पुलिस स्टेशन, रैनी	242001	-	9530418797
64.	“	“	पुलिस स्टेशन, अछनेरा	-	-	9454402724

65.	फतेहपुर सीकरी	05613	पुलिस स्टेशन	-	-	9454402734
66.	"	"	सीओ, अछनेरा	-	-	9454401232
67.	रूपबास	05645	जिलाधिकारी, भरतपुर	05644- 223355	05644- 223316	9828833330
68.	"	"	एस.डी.एम	-	-	9530316129
69.	"	"	एसएसपी, भरतपुर	223116	223366	9414010511
70.	"	"	तहसीलदार	273206	-	9414367650
71.	"	"	पुलिस स्टेशन	273203	-	9530410932
72.	"	"	ईएन/जलकल	273218	-	9141585307
73.	"	"	ईएन/विद्युत	273446	-	9414041529
74.	बंशीपहाड़पुर	05645	जिलाधिकारी, भरतपुर	05644- 223355	05644- 223316	9828833330
75.	"	"	एसएसपी, भरतपुर	223116	223366	9414010511
76.	"	"	पुलिस स्टेशन, रूपबास	273203	-	9530410932
77.	जमुना ब्रिज	0562	एसओ, एत्माददौला	-	-	9454402740
78.	छलेसर	0562	एसओ, एत्माददौला	-	-	9454402740
79.	कुबेरपुर	05612	एसडीएम, एत्मादपुर	-	-	9454417667
80.	धौलपुर	05644	संभागीय आयुक्त, भरतपुर	234891 227977	234892	8769066555
81.	"	05642	जिला कलेक्टर	220254 220871	220202	9414082800
82.	"	"	अतिरिक्त जिला कलेक्टर	221355	221325	9414023006
83.	"	"	उप खंडाधिकारी	220834	220886	9660293110
84.	"	"	उप खंडाधिकारी, राजाखेड़ा	233649	-	9602191355
85.	"	05647	उप खंडाधिकारी, बाड़ी	273801	273781	9829345921
86.	"	05646	उप खंडाधिकारी, बसेढी	276741	-	9928093371
87.	"	05642	उप खंडाधिकारी, सैपऊ	266276	-	9649952276
88.	"	-	उप खंडाधिकारी, सिरमतुरा	-	-	9829345921
89.	"	05642	तहसीलदार, धौलपुर	220879	-	9828930418
90.	"	05642	तहसीलदार, राजाखेड़ा	233012	-	9414713176
91.	शमसाबाद	05612	नगरपालिका अध्यक्ष	-	-	9997997120
92.	"	"	थानाध्यक्ष	-	-	9454402761
93.	फतेहाबाद	-	नगरपालिका अध्यक्ष	-	-	9758827005
94.	"	"	एस.डी.एम.	-	-	9454417668
95.	"	"	तहसीलदार	"	"	9454417675
96.	"	"	थानाध्यक्ष	-	-	9454402733
97.	बाह	-	एस.डी.एम.	-	-	9454417666
98.	.	-	थानाध्यक्ष	-	-	9454402765
99.	बारी	05647	एस.डी.एम.	-	-	9829345921
100.	"	"	थानाध्यक्ष	274438	-	9530411690

101.	तांतपुर	05613	एस.डी.एम.	-	-	9454416969
102.	"	"	डिप्टी एस.पी.	-	-	9454401233
103.	"	"	थानाध्यक्ष	-	-	9454402727
104.	सिरमुतरा	05642	थानाध्यक्ष	-	-	9530451595
105.	"	"	एस.डी.एम.	-	-	9530315345
106.	"	"	तहसीलदार	-	-	9530315481
107.	होडल	01275	एस.डी.एम.	235836	235700	9812622437
108.	"	"	डी.एस.पी.	235864	235700	8930202023
109.	"	"	एस.एच.ओ.	235623	-	8930202632
110.	"	"	जी.आर.पी.	245543	--	--
111.	रुंधी	-	डी.सी.पलवल	-	-	9466875511
112.	"	-	ए.डी.सी.पलवल	-	-	9871725222
113.	"	-	एस.पी. / पलवल	-	-	8814000400
114.	"	-	एस.डी.एम.	-	-	9812622437
115.	"	01275	सी.आई.डी. कंट्रोल,	246470	-	-
116.	छाता	0565	जिलाधिकारी,मथुरा	2404152	2403200	9454417512
117.	"	"	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	2505172	2404600	9454400298
118.	"	"	पुलिस कंट्रोल,	100	-	9454417435
119.	"	-	एस.ओ.	-	-	9454403938 7535021626
120.	"	-	एस.एस.ओ.	-	-	9415484167
121.	"	05662	सी.ओ.	242405	-	9454401270
122.	बाद		एस.ओ. / रिफाइनरी	-	-	9454403952
123.	"	-	सी.ओ. / रिफाइनरी	-	-	9454401269
124.	"	-	थाना / रिफाइनरी	2417100	-	9454403952
125.	एत्मादपुर	0562	थानाध्यक्ष	-	-	9454402732

धौलपुर जिले में स्थापित शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम कार्यालयों के दूरभाष नंबरों की सूची
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

जिला परिषद एवं पंचायती राज:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद नाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री कलमराम मीणा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05642	220776	220876	9460252517
2	श्री रामशरण शर्मा	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05642	220815	220875	9414333116
3	श्रीमती दिव्या राठौर	विकास अधिकारी प.स. राजाखेडा	05642	233002	—	9530304133 9887946154
4	श्री रामबोल सिंह	विकास अधिकारी प. स. धौलपुर	05642	220795	2414046	9530304126 9414282952
5	श्री नेमीचंद अग्रवाल	विकास अधिकारी प. स. बाडी	05647	274397	—	9414709729 9530304128
6	श्री योगेश त्रिवेदी	विकास अधिकारी पं.स. बसेडी कार्यवाहक	05646	276109		9530304129 9929860468
7	श्री दिनेश कटारा	विकास अधिकारी पं.सं. सैपऊ				9414303691 9529525298
8	श्री हरभान सिंह	अधिशायी अभियंता, नरेगा				9414078035

महिला एवं बाल विकास विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री अमित गुप्ता	उप निदेशक पी.ओ. महिला अधिकारिता	05642	223349		9414210320

पुलिस प्रशासन:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री बीजू जॉर्ज जोसफ के.	महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज के.	05644	222859 231422 फै.	223339	9414021211
2	श्री राजेश सिंह	जिला पुलिस अधीक्षक	05642	220267 221872 फै.	220588	9414090366 9530411800
3	श्री प्रहलाद सिंह कृष्णिया	कमाण्डेंट आर ए सी	05642	240810	240721	9829229124
4		डिप्टी कमाण्डेंट आरएसी	05642	240810	240721	
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद खोथ	अति. पुलिस अधीक्षक धौलपुर	05642	221060	221139	9929077377 9530411700
6	श्री सतीश कुमार	उप पुलिस अधीक्षक धौलपुर	05642	223712	24004	9460454116
7	श्री रघुराज सिंह	उप पुलिस अधीक्षक मनिया	05642	244555	244801	9414147555 9982026973
8	श्री ताराचन्द	उप पुलिस अधीक्षक सरमथुरा	05646	214107		9414078222
9	श्री रामचन्द्र चौधरी	उप पुलिस अधीक्षक बाडी	05647	273510	24352	9414342039
10	श्री अर्जुन सिंह शेखावत	उप पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ग्रामीण (सैपऊ)	05642	266050		9413705082 8432022630
11	श्री चिरंजी लाल मीना	अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी, धौलपुर	05642	220706		9414340160
12	श्री कल्याण सहाय	उप पुलिस अधीक्षक, एससी/एसटी सेल	05642	220074	220097	7597422752
13		उप अधीक्षक आबकारी विभाग	05642	240653		
14	श्री चन्द्रप्रकाश पु.नि.	एसएचओ कोतवाली धौलपुर	05642	220626		9928301371 9530411212
15	श्री महेश चन्द मीना	एसएचओ निहालगंज धौलपुर	05642	221062		9783456179 9530411277

16	श्री परसराम पु.नि.	एसएचओ सदर धौलपुर	05642	240644		9414030040 8058200576 9530411330
17	श्री गिरधारी लाल ढाका	एसएचओ बाडी	05647	242438		9166347551 9530411690
18	श्री सीताराम मीना	एसएचओ राजाखेडा	05642	233007		9414344960 9166310948 9530411418
19	श्री जगदीश भारद्वाज	एसएचओ बसेडी	05646	266106		9887487287 9530411646
20	श्री देवीसहाय मीना	एसएचओ सैपऊ	05642	266128		9784000177 9530411559
21	श्री रतन सिंह	एसएचओ मनिया	05642	244008		9982793982 9530411367
22	श्री विजयसिंह मीना	एसएचओ कौलारी	05642	214430		9928385868 9530411525
23	श्री विजयसिंह	एसएचओ नादनपुर	05642	214430		9983026126 8764463224
24	श्री हेमन्द्र कुमार	एसएचओ दिहोली	05642	234217		9887817010 9530411460
25	श्री रामहेत	एसएचओ बसईडांग	05642	—		9672509795 9530411754
26	श्री रमेश तंवर	एसएचओ सरमथुरा	05646	203228		9414059044 9530411595
27	श्री नियाज मोहम्मद खान	एसएचओ महिला थाना	05642	220323		9462623262
28	श्री मोहन सिंह	इंचार्ज ट्रैफिक	05642			9460790646 9530411783
29	श्री हरी सिंह मीना	एसएचओ कंचनपुर	05647	244216		9983151467 9530411494
30	पुलिस कंट्रोल रूम	पुलिस कंट्रोल रूम	05642	220697 100		9530411842 9530411843
31	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	प्रभारी वायरलेस	05642	223001		9887852011 9530411840
32		पुलिस लाईन आरआई	05642	220638		9530411791
33	श्री राम अवतार	अपराध सहायक	05642	220267		9414335288
34	श्री करतार सिंह उ.नि.	रीडर कार्यालय	05642	220267		9414552499 9530411838
35	श्री रामसिंह मोर्य एएसआई	इंचार्ज डीएसबी	05642	220267		9314686260
36	श्री मोतीलाल मीणा	पी ए जिला पुलिस अधीक्षक	05642	220267		9414307496
37	श्री जगदीश प्रसाद मीणा	एसएचओ विद्युत अधीक्षक	05642	240261		9413390624
38	श्री दीपक शर्मा	कमांडेंट होमगार्ड धौलपुर	05642	222015		9649516078
39	श्री रामगोपाल पीसी	पी.सी. होमगार्ड धौलपुर	05642	222015		9461072195
40	श्री रामजी लाल चौधरी पु.नि.	प्रभारी सीआईडी जोन धौलपुर				9829203330
41	श्री ज्ञानसिंह उ.नि. जोन	सीआईडी जोन धौलपुर	..	..		9461073830
42	श्री मोहन सिंह हैड कानि.	इंचार्ज, सीआईडी	05642	220638		9414583582
43	श्री सीताराम मीना	मानव तस्करी विरोधी यूनिट	05642	220308		9414344960

इन्टेलीजेन्स ब्यूरो:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री गोविन्द गुप्ता	इंचार्ज, सेंट्रल इंटेलीजेन्स, धौलपुर	05642	220408		7928827690
2	श्री नीरज शर्मा	सेंट्रल इंटेलीजेन्स, धौलपुर				9460329912
3	श्री दामोदर सोलकी अ.चा. श्री सुरेश बाबू	इंचार्ज, स्टेट इंटेलीजेन्स, धौलपुर सेंट्रल इंटेलीजेन्स, धौलपुर	05642	223363		8764871534 8764871554

परिवहन विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री सत्यनारायण यादव	जिला परिवहन अधिकारी	05642	240022	221323	9414288150

चिकित्सा विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	डॉ. बी.एल. साहू	मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी, धौलपुर	05642	220733	220893	8386023460
2	डॉ. जनार्दन सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	05642	221180	221264	9414027388
3	एस.डी.शर्मा	अधिकांशी अभियंता, एनआरएचएम				9414279102
4	डॉ. राघवेन्द्र गुप्ता	हड्डी रोग विशेषज्ञ				7665841810

आयुर्वेद विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री कमलेश चंद शर्मा	कार्यवाहक जिला आयुर्वेद अधिकारी	05642	241019		9460741252

सार्वजनिक निर्माण विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1		अधीक्षण अभियंता वृत्त धौलपुर	05642	222579	224146	
2	श्री डी.आर. श्री वास्तव	अधि. अभि. सा.नि.वि. खण्ड धौलपुर	05642	220695	220895	9414712676
3	श्री गिरजाशंकर	अधि. अभि. विद्युत सा.नि.वि. जोन भरतपुर				9928080656
4	श्री आर.बी.मंगल	अधि. अभि. सा.नि.वि. खण्ड बाडी	05647	274684	274282	9414219764
5	श्री सुरेन्द्र सिंह	अधि. अभि. सा.नि.वि. खण्ड राजाखेडा	05642			9414282753
6	श्री के.सी. गुप्ता	अधि. अभि. गुणवत्ता नियंत्रक, धौलपुर				9414038807

सिंचाई विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री फूलसिंह मीणा	अधीक्षण अभियंता, भरतपुर	05642	222552		9414932303
2	श्री कंदार मीणा	अधीक्षण अभियंता, धौलपुर 1	05642	220880	224676	9413340811
3	श्री बिजेन्द्र सिंह मीणा	अधीक्षण अभियंता, धौलपुर 2				9414250222

जलदाय विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री आई.सी. शर्मा श्री आर.सी. गुप्ता	अधीक्षण अभियंता, धौलपुर अधिकांशी अभियंता	05642			7665106815 9414712645
2	श्री राज कुमार यादव	अधिकांशी अभियंता, धौलपुर	05642	220728	220805	7877383912
3	श्री राम प्रकाश मीना श्री तोताराम	अधिकांशी अभियंता, बाडी सहायक अभियंता, बाडी	05642	220715		9460292679 7728843298

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्ड धौलपुर:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री बी.एल.वर्मा	अधीक्षण अभियंता, धौलपुर	05642	220024 220010 फै.	220010	9414022087
2	श्री बी. एस. गुप्ता	अधिशायी अभियंता, शहर धौलपुर	05642	220850	220830	9413390689
3	श्री बी.एल. मीणा	अधिशायी अभियंता, ग्रामीण धौलपुर				9414022745

चम्बल भरतपुर धौलपुर प्रोजेक्ट (ग्रामीण), धौलपुर:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री आर. एस. डागुर	अधिशायी अभियंता चम्बल, धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना, धौलपुर	05642			9414344064

सर्वशिक्षा अभियान धौलपुर:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री कैलाशचन्द कटारिया	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक पदेन जिला समन्वयक डीपीईपी	05642	221156	220442	9928146289 9414962161
2	श्री प्रेम सिंह कुंतल	अतिरिक्त जिला समन्वयक	05642	221156	222866	9414485241

शिक्षा विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री मुकेश कुमार शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक	05642	220796	220385	9414583657
2	श्री गणेश धाकरे	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक	05642	221156	220442	9413310813
3	श्री मुलायम सिंह रजौरिया	जिला सतत एवं साक्षरता अधिकारी	05642			9414576949
4	श्री अनिल अग्रवाल	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नोडल ऑफिसर अलवर	0144	2701645		9414292310

वन विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1		सीसीएफ, भरतपुर	05644	236017		
2	श्री इन्द्र पाल सिंह पूनिया	उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी	05642	220769	220807	
3	श्री जय किशन जाट	उप वन संरक्षक चम्बल सन्चुरी स. माधोपुर	07444	2200194		9414016678
4	श्री दशरथ सिंह	एसीएफ, वन विभाग, घना				9460736524
5	श्री खूबी राम	रेन्जर, घना (वन विहार धौलपुर)	05642	220769		
6	श्री धर्मवीर सिंह	बोटिंग इन्चार्ज (फोरस्टर)				9460635541
7	श्री धर्मपाल यादव	एसीएफ, अलवर				9462886584

दूरसंचार विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री आर.के.स्वामी	महाप्रबंधक बीएसएनएल भरतपुर	05644	221000 231000 23444 फै.	232000	9414002353
2	श्री आदर्श सकसैना	एसडीओ शहर बीएसएनएल	05642	224522		9413339373
3		एसडीओ शहर बीएसएनएल (मोबाइल)				
4	श्री दीपक	जेटीओ बीएसएनएल बाडी				9413394483
5	श्री सर्वेश यादव	एसडीओ शहर बीएसएनएल (ब्रॉडबैंड)				9413394945

नगरपालिका:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री मोमाराम सैनी	आयुक्त नगर परिषद, धौलपुर अधिकासी अभियंता, न0 परिषद	05642	220888	220848	9461044356
2	श्री बनवारी लाल	अधि.अधि. नगर पालिका राजाखेडा	05642	233202		9782120809
3	श्री विजय प्रताप सिंह	अधि. अधिकारी न.पा. बाडी	05647	273532		9024487708
4	श्री विष्णु कुमार गुप्ता श्री उदय सिंह	टाऊन प्लानर, भरतपुर सहायक नगर नियोजक, भरतपुर	05644	228346		9214352946 9166540318

कृषि विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री राजेश शर्मा	उप निदेशक कृषि	05642	240826	241321	9461784227
2	श्री सोमदत्त शर्मा	कृषि अधिकारी	05642	240826		9460114942
3	श्री एन.आर. दाण्डी	सहायक निदेशक, धौलपुर				9414585212

आर.यू.आई.डी.पी.:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री प्रमोद पाठक	अधिकासी अभियंता, जयपुर	05642	220098		9414932662

पशु पालन एवं मत्स्य:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	डॉ. सुनील नाटा	संयुक्त निदेशक, पशुपालन	05642	220897	221365	9414878722 9785405876

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री मनोज कुमार	समाज कल्याण अधिकारी, धौलपुर	05642	240878		9530459540

सहकारिता समितियां:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री शहजाद खाँ	असि.राजि.कोपरेटिव	05642	220801		9785835786

उद्योग / रीको / आरएफसी:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री कमलेश मीणा	महा.प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	05642	220866	220766	9887928290
2	श्री अरुन गुप्ता	मैनेजर राज0 वित्त निगम	05642	220892		9414097476
3	श्री आर.एस. चौहान श्री बसन्तीलाल मीणा	आर.एम. रीको, धौलपुर आर.एम. भरतपुर	05644 05642	222881 240809		9413065049 9414040691

सैल्स टैक्स विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री शिवकुमार मीणा	सी.टी.ओ. धौलपुर	05642	220633		9414275416
2	श्री तरुण कुमार पाण्डे	सीटी.ओ. धौलपुर	05642	220633		9887295039
3	श्री सुधीर	जे.सी.टी.ओ. बाडी				9929662384

रोडवेज धौलपुर:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री पी.डी.शर्मा	मुख्य प्रबंधक रोडवेज	05642	241578	241824	9549653211

खान विभाग:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री जे.पी. जाखड़	खनिज अभियंता	05642	2226612	220862	9414039183

विविध जिला स्तरीय अधिकारीगण:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
3	श्री अवधेश शर्मा (अ.चा.)	मुख्य आयोजना अधिकारी	05642	221310		9414025791
4	श्री ओ.पी. सोडिया	अधीक्षक डाक विभाग, धौलपुर	05642	220154		9602798985
5	श्री बृजेश सामरिया श्री राजकुमार मीणा श्री रामचन्द्र	जन सम्पर्क अधिकारी, धौलपुर सहायक जनसंपर्क अधिकारी वरिष्ठ लिपिक	05642	220760 222409 221590 फै.		9414035123 9887363062 7726879655
6	श्री धर्मवीर चौधरी (अ.चा.) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता श्री सुनील शर्मा	श्रम अधिकारी, धौलपुर श्रम निरीक्षक, धौलपुर क.लि. श्रम कार्यालय, धौलपुर	05642 05642	222708 222313 224095		9785175781 9414375719 9461697306
7	श्री रियाजुद्दीन उस्मानी	जिला आबकारी अधिकारी	05642	220763		8769000786
8	श्री राजबहादुर सिंह	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, धौलपुर	05642	220421		9461254137
9	श्री सोहन लाल चौधरी श्री महावीर सिंह	अधीक्षक, पुरातत्व विभाग, भरतपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, धौलपुर	05644	228185		9414455543 9982704498
10	श्री कृष्ण कुमार खण्डेलवाल	सहायक आयुक्त देवस्थान, भरतपुर	05644	2284405	260070	8094955980
11	श्री भरत शर्मा	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भरतपुर	05644	222297		9414066972
12	श्री अमरपाल मीणा	सहा. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा.वि.	05642	220824		9414820276
13	श्री भगवान सिंह	अधीक्षक जिला कारागृह धौलपुर	05642	220662	221508	9414170109
14	श्री सत्यप्रकाश श्री अमृत लाल श्री कैलाश शर्मा श्री कमलेश चन्द शर्मा	कार्यवाहक खेल अधिकारी, भरतपुर-धौलपुर क.लि., कार्या. खेल अधिकारी, धौलपुर कोच (खो-खो) खेल विभाग धौलपुर कोच (आरचरी) खेल विभाग धौलपुर				9413063006 9602448752 9460070200 941443569
15	श्री श्याम मोहन सिंघल श्री बृजमोहन शर्मा	कार्य. मैनेजर सर्किट हाऊस सर्किट हाऊस	05642	220692	220692	9783625050 9461072310
16	श्री मनोज श्री गजराज	जिला समन्वयक टीएससी धौलपुर निर्मल भारत अभियान				8233126942 8058758525
17	श्री सुनील राना समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, सवाईमाधो	समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र (अति. चार्ज)	05642	220743		9414028288 9414027288
18	श्री धर्मवीर पचौरी	जिला रोजगार अधिकारी धौलपुर	05642	220804		9785175781
19	डॉ. डी.आर. शर्मा	कृषि विज्ञान अधिकारी	05642	240457		9461642432
20	श्री शहजाद खॉं	महाप्रबंधक, आईसीडीपी	05642			9413413361
21	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	मैनेजर एफसीआई	05642	220643		7412034060
22	श्री मनूलाल सामरिया	मैनेजर मिडवे	05642	240006		9782241294

23	श्री ओ.पी. बैरवा श्री आर.पी. सिंह	अधिकांसी अभियंता, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ए1 एसटीसी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर सहा. अभियंता आवासन मण्डल, जयपुर	05644	223672 228502	225150	9828551806 9983346377
24	श्री ओमप्रकाश	सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, मानपुरा	01437	2225717		8384931545
25	श्री वेदप्रकाश	मैनजर, राजस्थान वेयर हाउस धौलपुर	05642	220604		9413385766
26	श्री बी.सी. दुबे	चीफ पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर उप मंडल प्रबंधक, जयपुर सहा. मंडल, जयपुर	0141 0141 0141	2372020 2366151 2379212 2372505 2375105	237927 9	9414060441
27	श्री गौरव लूनीवाल	सहा. मंडल अभियंता धौलपुर, रेलवे				9001038212
28	श्री बी.के. सिंह	आईओडब्ल्यू ग्वालियर, रेलवे				9752448252
29	श्री आर.के. गुप्ता	अधिकांसी अभियंता, निर्माण, रेलवे ग्वालियर				9794866294
30	श्री नितिन गर्ग	उप मुख्य अभियंता, रेलवे ग्वालियर				9752448242
31	श्री ओपी पारिक	सीनियर टाउन प्लानर जोन, जयपुर				9829091019
32	श्री विनोद शर्मा	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर				9928366662
33	श्री वी.के. जैन श्री मनोज शर्मा	उप निदेशक पर्यटन भरतपुर कनिष्ठ लिपिक, पर्यटन भरतपुर	05644	222542 224004 फै.		9829398444 9887386186

एन.एच.ए.आई.:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	एस.टी.डी कोड	कार्यालय	निवास	मोबाइल नं.
1	श्री राकेश	परियोजना निदेशक एनएचएआईसी-116 गोविन्दपुरी विश्वविद्यालय मार्ग ग्वालियर	0751	2231485 2233116 फै. 272918		9752087154
2	श्री संजीव शर्मा श्री हेमेश सिंह	परियोजना निदेशक, एनएच-11बी, दौसा टेक्नीकल इंजीनियर				9649008999 9414375488
3	श्री हरीश वर्मा	मैनजर, एनएचएआई				9983925337

ऑक्सीजन/सिलेंडर/गैस कटर की उपलब्धता
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	गैस कटर/ऑक्सीजन/फर्म के मालिक का नाम	फर्म के मालिक का पता	टेलीफोन नं./मोबाइल नं.	स्टेशन से दूरी
1	आगरा	आगरा मेडिकल	गैस सेंटर, शहीद नगर	2261716 9927083074, 9837019587	8 कि.मी.
2	"	श्री बुंदू	कठघर, ईदगाह	9410007015	3 कि.मी.
3	रूनकता	इब्राहीम वेल्लिंग	रूनकता	9997360153	2½ कि.मी.
4	कोसीकलां	पप्पू खान	खान ट्रॉली वर्क्स	9760596590	100 मीटर
5	"	चौ. नेपाल सिंह	बांके बिहारी, कृषि यंत्र उद्योग	9359319574	200 मीटर
6	"	तुलसी वेल्लिंग	बरसाना रोड	9412726145	2 कि.मी.
7	डीग	श्री रामपाल शर्मा	—	9414973379	2 कि.मी.
8	ब्रिजनगर	श्री बन्टू	इतिहास इंडस्ट्रीज नगर	9610868438	2 कि.मी.
9	जाडोली का बास	डॉ. कासम सिंह, कासम एग्रीकल्चर वर्क्स	दिल्ली रोड	9982124919	10 कि.मी.
10	इकरन	कालरा एग्री सर्विस सेंटर	निमाइश रोड, भरतपुर	9414344238	12 कि.मी.
11	हेलक	खालसा क्रेन सर्विस	अन्ना गेट	9828404374 9882157543	12 कि.मी.
12	"	बलदेव इंडस्ट्री ट्रेडर्स	कुम्हेर गेट, भरतपुर	9414209751	17 कि.मी.
13	"	भारत रेडिएटर्स एंड गैस बेल्लिंग	नदबई	9887196096	250 मीटर
14	"	हंसराज शर्मा	मिढाकुर मेन स्कवायर	9410421421	½ कि.मी.
15	खेड़ली	बबूद्दीन वर्कशॉप	खेड़ली	9785099441	500 मीटर
16	मंडावर महुआ रोड	श्री गुलाब जैन, गुलाब साईकिल स्टोर	हॉस्पिटल रोड	9887149695	¼ कि.मी.
17	"	श्री राजेश जैन, जैन साईकिल स्टोर	—	9413617859	¼ कि.मी.
18	बिवाई	श्री मोहनलाल बैरवा	बिवाई	9610306462	1 कि.मी.
19	बांदीकुई	डॉ. राजेश धाकड़, मधुर अस्पताल	बांदीकुई	9983311204	16 कि.मी.
20	"	डॉ देवेंद्र मदन, मदन नर्सिंग होम	बांदीकुई	01420-222112	16 कि.मी.
21	"	श्री सीताराम तिवारी, बेल्लिंग	बांदीकुई	9414627111	16 कि.मी.
22	धौलपुर	श्री केदार ट्रॉली मेकर, करीम	धौलपुर	09460924722	2 कि.मी.
23	"	श्री आविद क्रेसर ट्रॉली मेकर	"	9887326225	3 कि.मी.
24	अझई	श्री सुराज सिंह	चौमुहा गैस एजेंसी	07895103130	2 कि.मी.

सामाजिक संस्थानों की सूची

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	स्वयंसेवी संस्थाएं नाम एवं पता	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.	स्टेशन से दूरी
1.	आगरा	श्री पी के अग्रवाल	9319155001	3 कि.मी.
2.	"	श्री अमर मित्तल	9319137829	8 कि.मी.
3.	"	श्री बांकलाल माहेश्वरी	9837088599	2 कि.मी.
4.	"	श्रीमती उषा बंसल	9319469866	3 कि.मी.
5.	"	श्री डी डी सिंघल (श्री गणेश जल सेवा)	9837095312	4 कि.मी.
6.	"	श्री अशोक जैन, आगरा विकास मंच	9837087502	4 कि.मी.
7.	"	श्रीमती नीलम बंसल (नारीलोक)	9837072967	3 कि.मी.
8.	"	श्री सुरेंद्र जैन, रोटरी क्लब	9319101000	8 कि.मी.
9.	"	श्री सुदेश जैन	9319107473	2 कि.मी.
10.	"	श्री कुलवंत मित्तल	9837135925	3 कि.मी.
11.	"	श्री दिनेश बंसल, अग्रवाल महासभा	9897136252	4 कि.मी.
12.	"	सरोज गौर, ब्राह्मण समाज	0562-2330622	4 कि.मी.
13.	"	श्री अनिल गोयल	9398534545	3 कि.मी.
14.	"	श्री सुरेश बंसल, एडवोकेट	9412442863	8 कि.मी.
15.	"	आशा खंडेलवाल	9358152202	2 कि.मी.
16.	राजा की मंडी	श्रीनाथ जी निःशुल्क जल सेवा, 51 केशव कुंज, प्रताप नगर	9837088599	3 कि.मी.
17.	"	श्री गणेश निःशुल्क जनसेवा ट्रस्ट, सागर मार्केट, डी-ब्लॉक, कमला नगर	9837095312 0562-2880770	8 कि.मी.
18.	"	माधव भवन, 173, वीर सावरकर नगर, जयपुर हाउस	0652-2810076, 0562-2810223	2 कि.मी.
19.	मथुरा	मैनेजर श्री कृष्णा जनसंस्थान	-	3 कि.मी.
20.	"	दिवाकर आचार्य, संत जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड	0565-2409273	4 कि.मी.
21.	"	रेडक्रॉस सोसायटी	9410077860	4 कि.मी.
22.	"	नेहरू युवा केंद्र	9410272566	1 ½ कि.मी.
23.	कोसीकलां	अग्रवाल मानव सेवा संस्थान	9412884840 7895080880	1½ कि.मी.
24.	"	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री विष्णु जी	9412827186	1 कि.मी.
25.	गोवर्धन	श्री पंकज मित्तल अग्रवाल सेवा संघ	9411065492	4 कि.मी.
26.	"	श्री एन जी दुबे, गिरी गोवर्धन सेवा समिति	9412626804	5 कि.मी.
27.	"	श्री हरिओम, एडवोकेट तीर्थ विकास ट्रस्ट विकास मंच	9412362555	5 कि.मी.
28.	डीग	श्री प्रमोद शर्मा, बजरंग दल	9887513340	3 कि.मी.
29.	रामगढ़	श्री हेतराम शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदर्श विद्या मंदिर	9828091538	500 मीटर
30.	ऊँटवाड	श्री दयानंद जी यादव, सरपंच, अखंड	9928109662	3 मीटर
31.	"	श्री कैलाश चंद गुर्जर, सरपंच, वजेडा	9414789281	2 मीटर
32.	करनपुरा	कालुराम सांथा, ग्राम- रामपुर	9950544425	50 मीटर

33.	फतेहपुर सीकरी	भारतीय सांस्कृतिक संगठन	9359349141	500 मीटर
34.	खेड़ली	श्री राज कुमार पांडा, चामुंडा मित्र मंडल, नगरपालिका के नजदीक	9414406768	400 मीटर
35.	“	श्री संजय गिजगाडिया, नवयुवक संस्था, मेन बाजार	9414064762	400 मीटर
36.	“	श्री सुनिल बहेरा, श्याम मित्र मंडल	9413064354	600 मीटर
37.	मंडावर महुआ रोड	युवा लायन्स क्लब भारत विकास परिषद श्री निरंजन लाल, वरिष्ठ नागरिक संघ	9414035417 9351613110 9351210271	500 मीटर
38.	अछनेरा	श्री कृष्णकांत, युवा ब्राह्मण सेवा समिति	9456461094	-
39.	धौलपुर	रोटरी क्लब, श्री गौरव गर्ग लाईस क्लब, श्री प्रखर	9414024240 9413842080	-
40.	रुंधी	तुलसीराम वर्मा समाजसेवी / वामनीखेडा	9416947110	-

होटलों/ढाबों के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	होटल/ढाबा का नाम	रूम की उपलब्धता	टेलीफोन नं./मोबाइल नं.	स्टेशन से दूरी
1.	आगरा एस.टी.डी. 0562	रंजीत होटल, स्टेशन रोड	24	2464446	200 मीटर
2.	"	ग्रांड होटल, स्टेशन रोड	-	2227511 2227512 2227513 2227514	1 कि.मी.
3.	"	पाल होटल, राजा की मंडी	10	2520180	2 कि.मी.
4.	"	टूरिस्ट बंगला उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, राजा की मंडी	35	28501201	2 कि.मी.
5.	"	होटल अम्बा इन, राजा की मंडी	22	2520779 2852940	2 कि.मी.
6.	"	होटल ईस्ट लाईट, राजा की मंडी	15	3290201	2 कि.मी.
7.	"	होटल गोवर्धन, दिल्ली गेट, राजा की मंडी	35	2854743	2 कि.मी.
8.	"	होटल महारानी रेजिडेंसी, बालूगंज	10	9997024216	4 कि.मी.
9.	"	उषा किरण पैलेस, प्रतापपुरा क्रॉसिंग, एमजी रोड	40	2264441, 2263679	3 कि.मी.
10.	रुनकता	भगवती ढाबा	-	9997495064	4 कि.मी.
11.	मथुरा	आतिथ्य पैलेस	-	0565- 2410098 0565- 2410099	1 कि.मी.
12.	"	मुकुंत पैलेस	-	0565- 2410316	1 कि.मी.
13.	"	ब्रजवासी रोआयल	-	0565- 2401224	1 कि.मी.
14.	कोसीकलां	रोयाल पैलेस होटल	16	9412280766	1 कि.मी.
15.	गोवर्धन	एकता चैरिटेबल ट्रस्ट	50	0565- 2815393	5 कि.मी.
16.	"	मोदी भवन	20	0565- 2815678	6 कि.मी.
17.	"	तीर्थ विकास ट्रस्ट	50	0565- 2815716	6 कि.मी.
18.	"	गंगा धाम	15	0565- 2812426	6 कि.मी.
19.	गोविंदगढ़	लक्की होटल	-	09982285354	500 मीटर
20.	"	लक्की होटल, बस स्टैंड, रामगढ़	-	09982285354	10 कि.मी.
21.	नदबई	चाची होटल	-	09413917755	½ कि.मी.
22.	"	शिव पवित्र होटल	-	09252940661	½ कि.मी.
23.	करनपुरा	श्री भगवान स्वीट भंडार, रैनी		09413911369	1 कि.मी.

24.	मिढाकुर	श्री धौदयाल दीक्षित, गायत्री होटल	2	9410833873	1 कि.मी.
25.	"	इंद्रप्रस्थ होटल	4	9412425463	1½ कि.मी.
26.	फतेहपुर सीकरी	अशोका होटल	6	9412720908	½ कि.मी.
27.	"	वृंदावन रेस्टोरेंट	4	9412516664	½ कि.मी.
28.	खेड़ली	राधे पवित्र, भोजनालय	-	9460426425	100 मीटर
29.	जमुना ब्रिज	ट्रिपल टी, होटल एंड रेस्टोरेंट, मंडी समिति दयाल नगर, आगरा	10	9997466794 9412259048	3 ½ कि.मी.
30	"	महावीर ढाबा, छलेसर स्टेशन के पास	-	9359149385	6 कि.मी.
31	धौलपुर	होटल जगन	-	9414206921 05642- 221001	3 कि.मी.
32	"	होटल चंदन विला	-	05642- 221074, 222919	5 कि.मी.
33	"	होटल जया पैलेस	-	09414026799	2 कि.मी.
34	बारी	लाखन पिट्टल	-	9602283462	4 कि.मी.
35	"	भारत पंजाबी ढाबा	-	9896273653 9255140973	2 कि.मी.
36	छलेसर	श्रीमान श्री ढाबा	-	9634138825	2 कि.मी.
37		श्री महावीर ढाबा एवं लॉज	2	9359149385	2 कि.मी.
38	एत्मादपुर	भूपसिंह हलवाई	-	9719672699	1 कि.मी.
39	कुबेरपुर	कृष्णा मिष्ठान भंडार	-	7078443074	1 कि.मी.

टेन्ट हाउस की उपलब्धता के बारे में जानकारी

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	फर्म का नाम	टेलीफोन नं. / मोबाइल नं.	स्टेशन से दूरी
1.	आगरा	श्री प्रदीप कुलश्रेष्ठ, आदर्श टेन्ट हाउस, शाहगंज	9837046126	5 कि.मी.
2.	"	मुकेश टेन्ट हाउस, दिल्ली गेट, राजा की मंडी	2522235	2 कि.मी.
3.	"	अन्नी टेन्ट हाउस, जयपुर हाउस	3263280 9012263635	4 कि.मी.
4.	"	कपिल टेन्ट हाउस, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक	9837066677 9837566677	2 कि.मी.
5.	"	प्रमोद टेन्ट हाउस, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक	9412372400, 09837701590, 09997358966	400 मीटर
6.	"	उमा टेन्ट हाउस, मानस नगर शाहगंज	9997753334	3 कि.मी.
7.	"	कैलाशनाथ एंड सन्स, नौलखा सदर	9837036156	8 कि.मी.
8.	"	गिरधारीलाल केदारनाथ, भगवती कम्पलेक्स, नगर निगम के नजदीक	3249202 9319224088	2 कि.मी.
9.	"	पुरषोत्तम टेन्ट हाउस, मदर गेट, बेलनगंज	9837055482	1 कि.मी.
10.	"	कुंजामल एंड सन्स, दरेसी नं. 01 मनकामेश्वर	9837050857	02 कि.मी.
11.	"	दिल्ली टेन्ट हाउस, स्टेशन रोड, राजा की मंडी	2854950	5 कि.मी.
12.	"	आगरा टेन्ट हाउस, मोतीलाल नेहरू रोड	9319101954	6 कि.मी.
13.	"	नेत्रम एंड सन्स, छीपीटोला स्कवायर	4001111	6 कि.मी.
14.	रूनकता	सिकरवार टेन्ट हाउस, बाईपास रोड	9837184305	1½ कि.मी.
15.	"	अभिषेक टेन्ट हाउस	9410008454	1½ कि.मी.
16.	मथुरा	नीलम टेन्ट हाउस, धौली प्याऊ	9411066248	500 मीटर
17.	"	बंसल टेन्ट हाउस, धौली प्याऊ	9897332752	500 मीटर
18.	"	सोना टेन्ट हाउस, धौली प्याऊ	9837418211	500 मीटर
20.	गोवर्धन	रिंकू टेन्ट हाउस, बड़ा बाजार	9760781691	4 कि.मी.
21.	"	डिसेन्ट टेन्ट हाउस, पुराना पोस्ट ऑफिस	9897047889	3½ कि.मी.
22.	"	आकाश टेन्ट हाउस	9917800900	4 कि.मी.
23.	"	कृष्णा टेन्ट हाउस, बरसाना रोड, छटीकरा	9756303267	2 कि.मी.
24.	डीग	ओम टेन्ट हाउस	09828261147	2 कि.मी.
25.	गोविंदगढ़	शिव टेन्ट हाउस	09783455199	2 कि.मी.
26.	जाडोली का बास	पॉल टेन्ट हाउस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़	09982820730	10 कि.मी.
27.	"	बंटी टेन्ट हाउस, गोविंदगढ़	09982911705 09875112193	10 कि.मी.
28.	रामगढ़	पॉल टेन्ट हाउस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़	09982820730	500 मीटर

29.	ऊँटवाड	दीवान टेन्ट हाउस, रामगढ़	09983028698	12 कि.मी.
30.	इकरन	श्री जगदीश, सैनी टेन्ट हाउस, सूरजपाल पोल, भरतपुर	9413242591	13 कि.मी.
31.	नदबई	रवि टेन्ट हाउस	09414448862	250 मीटर
32.	“	भारत टेन्ट हाउस	9829383938	2 कि.मी.
33.	मंडावर महुआ रोड	विजय भगलानी टेन्ट हाउस	09414931213	½ कि.मी.
34.	“	भगलानी टेन्ट हाउस	9929467164	½ कि.मी.
35.	करनपुरा	सुनिल टेन्ट हाउस श्री मुकेश कुमार, रायपुरा	09741885576	1 कि.मी.
36.	बिवाई	श्री मदन टेन्ट हाउस	9414383527	1 कि.मी.
37.	मिढाकुर	शर्मा टेन्ट हाउस	9719608857	½ कि.मी.
38.	किरावली	बालाजी टेन्ट हाउस	9411961526	½ कि.मी.
39.	“	संगम टेन्ट हाउस	9456460720	½ कि.मी.
40.	रूपबास	श्री कैलाशराम सुरेशचंद गोयल	09413012099	1 कि.मी.
41.	बंशीपहाड़पुर	श्री जितू खंडेलवाल	09982854202 09784736669	2 कि.मी.
42.	धौलपुर	दीपक टेन्ट हाउस	9314019666	1 कि.मी.
43.	“	सिंघल टेन्ट हाउस	9414026833	2 कि.मी.
44.	एत्मादपुर	दीपक टेन्ट लाइट एण्ड साउंड हाउस	7037751993	1 कि.मी.
45.	कुबेरपुर	यादव टेन्ट हाउस	8923985546	1 कि.मी.
46.	फतेहाबाद	भारद्वाज टेन्ट हाउस	9759077358	2 कि.मी.
47.	बाह	राजू टेन्ट हाउस	9719749533	3 कि.मी.

अग्निशमन केंद्रों के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	फर्म का नाम	टेलीफोन नं./मोबाइल नं	स्टेशन से दूरी कि.मी. में
1.	आगरा	श्री के के अग्रवाल (सीएफओ) उत्तर प्रदेश, फायर सर्विस, तहसील रोड, पुरानी पुलिस लाइन, ईदगाह सीएफओ, आगरा एसएसओ, संजय प्लेस एफएसओ, ताजगंज	2461121, 101 9454418338 9454418450 9454418456	3 कि.मी.
2.	"	इंडियन एअर फोर्स, फायर सर्विस खेरिया	2400920, 2400921 2400922, 2400923 2400700	3 कि.मी.
3.	"	श्री एम एस यादव, सुरक्षा अधिकारी, आर्मी बेस वर्कशॉप	2412257, 2412258	3 कि.मी.
4.	"	केंद्रीय आयुध डिपो (सीएसओ फायर अधिकारी)	2412971 2412972	3 कि.मी.
5	"	, फायर सर्विस, तहसील रोड, आगरा	2461121	-
6.	मथुरा	फायर ब्रिगेड सर्विस	9454418475 101, 2425898	3 कि.मी.
7.	"	फायर ब्रिगेड सर्विस, मथुरा रिफाइनरी	0565-2480138 2417333, 2417777	15 कि.मी.
8.	"	फायर ऑफिसर, मथुरा	9454418357 0565-2462323,101	-
9.	गोवर्धन	फायर ऑफिसर, मथुरा	0565-2462323,101	-
10.	"	फायर ब्रिगेड सर्विस, मथुरा रिफाइनरी, सीटीओ ऑफिस	0565-2417070 2417777, 2480149	28 कि.मी.
11	गोविंदगढ़	फायर ब्रिगेड सेंटर, अलवर	0144-2701264	46 कि.मी.
12	जाडौली का बास	फायर ब्रिगेड सेंटर, अलवर	0144-2701264	34 कि.मी.
13	रामगढ़	फायर ब्रिगेड सेंटर, अलवर	0144-2701264	26 कि.मी.
14	ऊँटवाड	फायर ब्रिगेड सेंटर, अलवर	0144-2701264	17 कि.मी.
15	बिचपुरी	उत्तर प्रदेश, फायर सर्विस, तहसील रोड, पुलिस लाइन, आगरा	2461121 101	3 कि.मी.
16	भरतपुर	फायर ब्रिगेड, भरतपुर	05644-236144, 101	3 कि.मी.
17	बिवाई	फायर ब्रिगेड सेंटर, बांदीकुई	101	7 कि.मी.
18	करनपुरा	फायर ब्रिगेड सेंटर, अलवर	0144-2701264	50 कि.मी.
19	फतेहपुर सीकरी	फायर ब्रिगेड सेंटर, कैनी गुर्जर स्कवायर, भरतपुर	2461121 101	37 कि.मी.
20	धौलपुर	फायर ब्रिगेड,	05642-101 220888	2 कि.मी.
21	शमसाबाद	फायर ब्रिगेड नगरपालिका	9454418448	1 कि.मी.
22	बाह	फायर ब्रिगेड	9454418448	2 कि.मी.
23	बारी	फायर ब्रिगेड श्री शरीफ खान	9309304132	1 कि.मी.
24	सरमथरा	फायर ब्रिगेड	05642-108	1 कि.मी.
25	होडल	फायर ब्रिगेड	01275-237101	8 कि.मी.
26	रुंधी	फायर ब्रिगेड	01275-252101	-
27	छाता	फायर ब्रिगेड	05662-101 0565-101	-
28	बाद	फायर कंट्रोल रूम	2417333, 2417777 2417781, 2480138	1 कि.मी.

ठेकेदारों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

(बोल्डर, मोरम, बालू एवं बालास्ट) आगरा

अधिकारी का नाम	पदनाम	टेलीफोन नं.		सहायता का प्रकार
		कार्यालय	आवास	
श्री प्रदीप कुमार मित्तल	एक्सईएन	0562-2227250		ट्रक - 02 जीप - 02
नारवर कंस्ट्रक्शन	कंट्रेक्टर	9412270465	-	मैटेरियल सप्लायर्स
श्री हरिभान सिंह	कंट्रेक्टर	9412534802	-	----“-----
श्री सुनिल जैन	कंट्रेक्टर	9412264540	-	----“-----
महेश माधरानी	कंट्रेक्टर	9719500150, 9412255643	-	----“-----

ब्लड बैंक की सूची

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कोड	ब्लड बैंक का नाम और पता	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.
1.	आगरा	0562	समर्पण ब्लड बैंक, दिल्ली गेट, राजा की मंडी	09412257875
2.	—	—	डॉ. कैप्टन एस सी गुप्ता, आगरा सिटी ब्लड बैंक, 71 एमजी रोड	2260843, 2262122, 9837081000 (हेल्प लाईन)
3.	—	—	डॉ. विनीता गुप्ता, लाईफ लाईन ब्लड बैंक, 1/156 दिल्ली गेट, राजा की मंडी	9897766466 9997031902
4.	—	—	डॉ. अशोक गोयल, जन सुविधा ब्लड बैंक, संजय प्लेस	9837085170
5.	—	—	डॉ. पुष्पा गोयल, गोयल ब्लड बैंक, कटरा मदारी खान मेडिकल कॉलेज के नजदीक	9412255332
6.	—	—	सरोजनी नायडू ब्लड बैंक, साई का तकिया, एमजी रोड	2260965
7.	—	—	जिला अस्पताल, ब्लड बैंक, साई का तकिया, एमजी रोड	2466099
8.	—	—	असोपा अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, ग्लाना रोड	2604606 2600004
9	मथुरा	एमटीजे	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल	0565-2501655
10	गोविंदगढ़	जीवीएच	जेनरल अस्पताल, अलवर	0144-2346033
11	रामगढ़	आरएएच	ब्लड बैंक, मोती डुंगरी, अलवर	0144-2348277
12	ऊँटवाड	ओटीडी	जेनरल अस्पताल, अलवर	0144-2346033
13	—	—	सेठ माखनलाल, ब्लड बैंक, मोती डुंगरी, अलवर	0144-2348277
14	इकरन	आईके	राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल (गर्वनमेंट) भरतपुर	05644-222451
15	हेलक	एचके	राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल (गर्वनमेंट) भरतपुर	05644-222451 05644-223633
16	नदबई	एनबीआई	राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल (गर्वनमेंट) भरतपुर	05644-222451 9982700105
17	—	—	दिगंबर अस्पताल, भरतपुर	05644-224112

नागरिक सुरक्षा से संबंधित सूचना**(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)**

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कोड	सिविल डिफेंस	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.
1.	आगरा	एजीसी	सिविल डिफेंस ऑफिस	9415907303
2.	"	"	श्री अशोक गौतम, सिविल डिफेंस इंचार्ज	0562-2260554
3.	मथुरा	एमटीजे	श्री राजीव अग्रवाल, मुख्य वार्डन	9837089331
4.	"	"	श्री दीपक चतुर्वेदी, स्टाफ अधिकारी	9837885498
5.	"	"	श्री हेमेंद्र कुमार मौर्या, उप पोस्ट वार्डन, रेलवे एरिया	9454417722
6.	ऊटवाड	ओटीडी	श्री दयानंद यादव	9928109362
7.	नदबई	एनबीआई	सिविल डिफेंस (ईएमआई) भरतपुर	05644-223595
8.	करनपुरा	वैपीओ	श्री शम्भू दयाल मीना	9799471562 7891035247
9.	घोसराना	जीओएस	चेयरमैन, नगरपालिका, खेड़ली	09413704541
10.	बिवाई	बीडब्ल्यू	पुलिस स्टेशन, बांदीकुई	01420-222053
11.	रुंधी	आर.डी.ई..	रेडकास/पलवल	01275-248902
13.	"	"	तुलसीराम वर्मा/वामनीखेडा	9416947110

एनसीसी/स्काउट एंड गाईड के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	कोड	संस्थान का नाम	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.
1.	आगरा	एजीसी	एनसीसी ग्रुप, मुख्यालय, माल रोड	2227305, 2226346(फैक्स)
2	"	"	उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर एनसीसी, आगरा कॉलेज, आगरा	2481946
3.	"	"	उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर आर बी एस कॉलेज	2226281
4.	"	"	उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी आगरा कॉलेज	2463948
5.	"	"	उत्तर प्रदेश एयर स्क्वार्डन एनसीसी सेंट जॉन्स कॉलेज	2226163
6.	"	"	भारत स्काउट एंड गाईड्स उत्तर प्रदेश, श्री राधावल्लभ कॉलेज, शाहगंज	2211107
7.	"	"	श्री दिनेश शर्मा, प्रभारी, एनसीसी वैदिक इंटर कॉलेज, सुल्तानपुरा	2227678, 9358247124
8.	मथुरा	एमटीजे	ए आर सैनी, भारत स्काउट एंड गाईड्स, उत्तर मध्य रेलवे, मथुरा जंक्शन	4613, 4608 (रेलवे), 9719253711
9.	"	"	श्री शेर अली जिला – सचिव, आगरा मंडल	9412676774/ (4926 रेलवे)
10	"	"	डॉ. सुरेंद्र शर्मा, बडा बिहारी दास जनरलगंज	9412577457
11	"	"	मेजर रामबाबू पाठक, जिला स्काउट कमिश्नर	9412625836
12	"	"	सीटीओ निशांत चौहान, के आर इंटर कॉलेज	9927056663
13	वृंदावन	वीआरबीडी	लेफ्टिनेंट एस पी सक्सेना, वृंदावन इंटर कॉलेज	9897058225
14	छाता	सीएचजे	मेजर रामबाबू पाठक, गांधी इंटर कॉलेज	9412625836
15	गोवर्धन	जीडीओ	राधा वल्लभ इंटर कॉलेज, गोवर्धन	9758330111
16	"	"	भगवान इंटर कॉलेज, गोवर्धन शिवा इंटर कॉलेज, गोवर्धन	9923608235 9412180442
17	डीग	डीईईजी	श्री बजरंग टी टी कॉलेज	05641-22008 09414257859 09460500061
18	—	—	श्री बांके बिहारी कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय	09414257859 09413159468
19	गोविंदगढ़	जीवीएच	राजकीय विद्यालय	01492-277049
20	जाडौली का बास	जेबीएस	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़	01468-232333

21	रामगढ	आरएएच	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामगढ	01468-232333
22	“	“	श्री रामअवतार सिंघल, स्काउट इंचार्ज	09784494141
23	“	“	श्री अश्विनी कुमार, एनसीसी इंचार्ज	09413736658
24	ऊँटवाड	ओटीडी	श्री रामअवतार सिंघल, स्काउट इंचार्ज	09784494141
25	खेड़ली	केएल	गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल	01492-280162
26	“	“	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुरा, मंडावर	9460071980
27	मिढ़ाकुर	एमआईक्यू	जूनियर उच्च विद्यालय	9639771458
28	“	“	जनता इंटर कॉलेज	9411206994
29	फतेहपुर सीकरी	एफटीएस	श्री अमरनाथ पराशर, बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज	09411206601
30	“	“	श्री महावीर शर्मा, अवध बिहारीलाल शिक्षा निकेतन, नगर	09410667033
31	बंशीपहाड़पुर	बीआईक्यू	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	09461074850
32	रुंधी	आर.डी.ई.	रेडक्रॉस	01275-248902

शवयान वाहन के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कोड	मालिक का नाम	टेलीफोन नं./ मोबाइल नं.
1.	आगरा	एजीसी	श्री क्षेत्र बजाज कमीटी, आगरा कॉलेज के नजदीक, एमजी रोड, कापर्स कैरिंग व्हेकिल-06 एम्बुलेंस-04 एक्सीडेंट व्हेकिल- 01 सहायता केंद्र, आगरा एस एन इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस-01, बोन हॉस्पिटल, प्रतापपुरा	2521150, 3257722 9319109553 9319809451 102 9837129915
2.	मथुरा	एमटीजे	अग्रवाल जन कल्याण समिति, विकास बाजार	0565-2500375
3.	कोसीकलां	केएसवी	श्री पुरनचंद, आर्य नगर	9997587377
4.	“	“	श्री सिसोदिया, आर्य नगर	9219887262
5.	ब्रिजनगर	बीआईएन आर	नगरपालिका	05641-242062
6	बिचपुरी	बीसीपी	श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी, आगरा कॉलेज के नजदीक, एमजी रोड, आगरा	2521150, 3257722 9319109553 9319809451
7	बिवाई	बीडब्ल्यू	राजकीय अस्पताल, बांदीकुई	01420-224305
8	“	“	मदन सिंह, बांदीकुई	01420-222112
9	“	“	मधुर अस्पताल, बांदीकुई	9983311204
10	“	“	कट्टा अस्पताल, बांदीकुई	01420-224138
11	तांतपुर	टीपीओ	पुलिस कंट्रोल रूम	05613-100
12	“	“	एंबुलेंस	05613-108
13	होडल	एच.डी.एल	एंबुलेंस सेवा	18001800009
14	छाता	सी.एच.जे.	एंबुलेंस सेवा	0565-102/108 05662-102/108
15	बाह	एचएबी	नेशनल एंबुलेंस सेवा	05614-102
16	तांतपुर	टीपीओ	एम्बुलेंस	05613-108

स्टेशन के पास के गांव के संबंध में सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कोड	स्टेशन के नजदीक गांव का नाम	स्टेशन से दूरी	प्रधान/सरपंच का टेलीफोन नं. /मोबाइल नं.
1	रुनकता	आरएनकेए	पनवारी नगला	1 कि.मी. ½ कि.मी.	उम्मेद सिंह, मो. 9917252581 श्रीमति उर्मिला, मो. 9319100840
2	कीथम	केएक्सएम	रेपुरा जाट सिंघना अरसेना	1 ½ कि.मी. 2 कि.मी. 2 कि.मी.	राजेंद्र सिंह, 9837192149 जितेंद्र पाल सिंह, मो. 8445237354 नरेन्द्र यादव, मो. 8410749663
3	फराह	एफएआर	फतेहा हथवाली महुअन	½ कि.मी. 2 कि.मी. 2 कि.मी.	श्री राजकुमार सिंह, मो. 9456099999 - वही.. मो. 8859691920 श्रीमति विमलेश, मो. 9719350484
4	गोवर्धन	जीडीओ	नीम गाँव, भगोसा, सकीतरा, पाड़ल	½ कि.मी. 2 कि.मी. 3 कि.मी. 3 कि.मी.	योगेन्द्र सिंह, मो. 9997807415 गिरधारी शर्मा, मो. 9927363350 मेघश्याम, मो. 9012193178 पूनम देवी, मो. 9627225141
5	डीग	डीईईजी	डडावाली, वहज बरई एकलेहरा प्रमदरा	2 ½ कि.मी. 3 कि.मी. 2 कि.मी. 3 कि.मी. 3 कि.मी.	पूजा सिंह, मो. 9785483099 पिंकी कुमारी, मो. 9680045872 लेखराज, मो. 7597164363 सुनीता, मो. 9571267428 हरबान सिंह, मो.9828013547
6	बेढम	बीईडी एम	ककड़ा, डबरा, अढ़ावली	2 कि.मी. 3 कि.मी. 3 कि.मी.	अब्दुल, मो. 9828190082 सीताराम, मो. 9460501441 देवी सिंह, मो. 9828011833
7	ब्रिजनगर	बीआईएनआर	कुम्हारेरी चिरावल माली पेढ़का	1 कि.मी. 1 कि.मी. 3 कि.मी.	बजरंग सिंह, मो. 9829636896 राम अवतार, मो. 9828528626 श्याम सिंह, मो. 7891390530
8	गोविंदगढ़	जीवीएच	मस्तपुर करसनकी फारी	½ कि.मी. ½ कि.मी. 1 कि.मी.	मुख्तार सिंह, मो. 8476874270 अशोक कु. मीना, मो. 9610078366 इस्माइल खान, मो. 9828746342
9	जाडौली का बास	जेबीएस	चिडवाई जाडौली जयसिंहपुरा सैंतली	1 कि.मी. 1 कि.मी. 1 कि.मी. 2 कि.मी.	रामस्वरूप फौजी, मो. 9672133861 रत्ती सरपंच, मो. 9882603271 जय सिंह, मो. 9462238383 रामलाल मीना, मो. 9413066283
10	रामगढ़	आरएएच	खेड़ी दौली ललाबनी	1 कि.मी. 2 कि.मी. 4 कि.मी.	धर्मवीर सैनी, मो. 8003435407 सुभाष, मो. 8740964577 पप्पू सरपंच, मो. 9982155208
11	ऊँटवाड	ओटीडी	बझेड़ा सोदका उटवाड	2 कि.मी. 1 ½ कि.मी. 3 कि.मी.	रोहितास यादव, मो. 9785495096 किशोर, मो. 9929212081 जे. खान, मो. 9413991786
12	बिचपुरी	बीसीपी	बिचपुरी सुनेरी	500 मीटर 1 ½ कि.मी.	केशव सिंह, मो. 9412415384 कीर्ता, मो. 983752280

13	रायभा	आरएआई	नगला लालदास	½ कि.मी.	सुमन देवी, मो. 9837562906
14	नदबई	एनबी आई	पिपरऊ खंगारी नाम रायसीस खेडी देवी सिंह	5 कि.मी. 5 कि.मी. 4 कि.मी. 2 कि.मी. 2.5 कि.मी.	नंद किशोर, मो. 9667511754 श्रीमति विमलेश, मो. 9667946405 मधु, मो. 9887058599 राकेश फौजदार, मो. 9414357972 जगदीश, मो. 94144711803
15	बिवाई	बीडब्ल्यू	बिवाई नागल	1 कि.मी. 2 कि.मी.	शकुंतला मीना, मो. 9983497454 गोपाल सिंह, 9414225961
16	खेडली	केएल	रेल खेडली समौची सौखर खेडली	½ कि.मी. 2 कि.मी. 2 कि.मी. 3 कि.मी.	बबीता जाटव, मो. 8058405622 कमल, मो. 8769699557 प्रहलाद मीना, मो. 8058473076 सत्यव्रत, मो. 9441363382
17	मंडावर महुआ रोड	एमयूआरडी	मंडावर हल्देना	2 कि.मी. 3 कि.मी.	कुसुम लता, मो. 81073211651 कालू सिंह, मो. 9929758564
18	करनपुरा	केपीओ	श्रामपुरा	2 मीटर	सुशीला देवी, मो. 9950196568
19	घोसराना	जीओएस	श्रोनीजाधाम	1 कि.मी.	रामधन खटीक, मो. 9982046485
20	पथौली	पीटीएलआई	पथौली वसुआ का नगला	½ कि.मी. 1 कि.मी.	शशिभूषण शर्मा 7500501111 (दोनों गांव के लिए)
21	मिढाकुर	एमआई क्यू	मिढाकुर, गढ़ी गुलजारी	300 मीटर 2 कि.मी.	श्रीमति मुक्को देवी 9359659000 गोलु प्रधान 9368671667
22	किरावली	केएलबी	टहुआपुरा	4 कि.मी.	जगदीश सिंह इंदौलिया, 9412652359
23	फतेहपुर सीकरी	एफटीएस	मंदिगुद नूरपुर लाल दरवाजा	3 कि.मी. 4 कि.मी. 2 कि.मी.	उत्तम चंद शर्मा, 9457186553 रविकांत शर्मा, 9012620162 मो. इस्लाम चैयरमैन, 9412166160
24	रूपबास	आरबीएस	सिरसौदा बरवार सिंगावली	1½ कि.मी. 3 कि.मी. 5 कि.मी.	श्रीमति मिथलेश, 8441866748 प्रेमचन्द, 9001699228 यशपाल सिंह, 9414654964
25	बंशीपहाड़पुर	बीआईक्यू	महेलपुर सिरोंद	1 कि.मी. 3 कि.मी.	श्रीमति शकुंतला देवी, 9982774236 रूपसिंह, 8741886445
26	बंदबरेठा	बीआर	बरेठा	2 कि.मी.	निरोती पटेल, 9414942169
27	छलेसर	सीएच	छलेसर	1 कि.मी.	संजय बघेल, 8533805549
28	कुबेरपुर	केबीपी	कुबेरपुर भागोपुर रहनकलां	1 कि.मी. 1 कि.मी. 1 ½ कि.मी.	अमर सिंह, 9756717370 बनवारी लाल 9027381426 प्रधान श्री ओमवीर सिंह 9897360170
29	एत्मादपुर	ईटीयूई	भिखमपुर गारापुर	2 कि.मी. 2 कि.मी.	विधायक श्री रामप्रताप चौहान 9927100213, 9412263999, 0562-662105 संजय त्यागी 9719410390 प्रधान श्री रामनिवास 8410729938
30	चिकसाना	सीएचके	दौलतपुरा	3.5 कि.मी.	पूनम, मो. 9783288060
31	शमसाबाद	एसएसडीटी	शमसाबाद	1 कि.मी.	शिव कुमार, मो. 9997997120
32	फतेहाबाद	एफएबी	फतेहाबाद	1 कि.मी.	सांसद चौधरी बाबूलाल- 9412750044 विधायक जितेन्द्र वर्मा-9759751001

33	बाह	एचएबी	बड़ा गाँव	1 कि.मी.	विधायक श्रीमति पक्षालिका सिंह-8887150894 कैलाश सिंह, मो. 8954181873
34	मोहारी	एमएचएफ	इब्राहमपुर	1 कि.मी.	श्रीमति ममता गुर्जर, मो. 9660098937
35	बारी	बीएआरआई	बारी	1 कि.मी.	इरफान अहमद, मो. 9460109786
36	तांतपुर	टीपीओ	तांतपुर	1 कि.मी.	राजकुमार परमार, मो. 9012410454
37	सिरमुतरा	एसआरएमटी	सिरमुतरा	1 कि.मी.	तहसीलदार, मो. 9530315481
38	वृंदावन रोड	वीआरबीडी	हरीबडा	1 कि.मी.	लोकेन्द्र, मो. 9917588800 9927528880
39	अझई	एजेएच	अकबरपुर	1 कि.मी.	ज्ञानी सिंह, मो. 9719995511 वेदपाल, मो. 9690971938
40	“	“	चौमुहा	2 कि.मी.	बिहारी लाल, मो. 9927611487
41	होडल	एच.डी.एल.	भुलवाना	3 कि.मी.	गोविन्दराम, मो. 9991560663
42	रुंधी	आर.डी.ई	वामनीखेडा	1 कि.मी.	महावीर शर्मा, मो. 9729929938
43	“	“	सैलोटी	3 कि.मी.	चन्द्र, मो. 9315404527
44	भाण्डई	बी.एच.ए.	भाण्डई	2 कि.मी.	नेपाल सिंह, मो. 9411083178
45	“	“	डदावली	3 कि.मी.	रामवीर सिंह, मो. 9359919534
46	जाजौ	जे.जे.	जाजऊ	3 कि.मी.	गुड्डी देवी , मो. 9536024777
47	“	“	सैंया	3 कि.मी.	नीतू सिंह, मो. 9536833333
48	मनिया	एम.आई.ए.	मनिया, डांडौली	3 कि.मी.	देवेन्द्र प्रताप सिंह, मो. 9413310855

फोटोग्राफरों/वीडियोग्राफरों से संबंधित सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	स्टूडियो का नाम	पता	टेलीफोन नं./मोबाइल नं.	
				कोड	नंबर
1.	आगरा	प्रियालाल एंड सन्स	प्रतापपुरा, आगरा	0562	2421415, 3292650 9358098758
2.	“	फाइन आर्ट स्टूडियो	आगरा कॉलेज के सामने		2857692 9837023864
3.	“	फाईन फोटो स्टूडियो स्पीड कलर लैब	राजा की मंडी संजय पैलेस		28533030 2520229 9837816303
4.	रूनकता	शैनी फोटो स्टूडियो	बाईपास रोड	05613	9837263361 9823927724
5.	“	अमन फोटो स्टूडियो	बाईपास रोड		9761445186
6.	“	सगुन फोटो स्टूडियो	बाईपास रोड		9412516785
7.	“	अजय फोटो स्टूडियो	हीरालाल की प्याउ के नजदीक		9259700240
8.	“	मल्होत्रा स्टूडियो	होली गेट		2503865
9.	“	स्पीड कलर लैब	विकास बाजार		2502127
10.	“	जय अम्बे स्टूडियो	धौली प्याउ		9837647627
11.	“	विनय स्टूडियो	धौली प्याउ		9719048867
12.	“	श्रीदत्त स्टूडियो	माहौली रोड		9412352929
13.	कोसीकलां	श्री जिंदल फोटो स्टूडियो	बस स्टैंड के नजदीक	05662	7895724001
14.	“	श्री ओ पी गुप्ता	बस स्टैंड के नजदीक		9897121908
15.	गोवर्धन	कृष्णकुंज स्टूडियो	गोवर्धन		8868854200
16.	“	निर्मल डिजिटल फोटो स्टूडियो	—		9719518809
17.	“	सोहन स्टूडियो	लक्ष्मी नारायण मंदिर के नजदीक, बीग बाजार, गोवर्धन		2815858 2815812 09997408586
18.	“	नरुका फोटो स्टूडियो	नगर		9829881251
19.	“	कौशिक फोटो स्टूडियो	नगर		9413537151
20.	“	रजाना फोटो स्टूडियो	नगर		8302825905
21.	गोविंदगढ़	संजय पराशर	खेड़ापट्टी की बगीची	01492	9829303763
22.	“	“	मेन मार्केट		9829394044
23.	जाडौली का बास	प्रकाश स्टूडियो	वेटनरी अस्पताल के नजदीक, रामगढ़	01468	9828205824 -

24	“	यादव स्टूडियो	मेन मार्केट, रामगढ़		9828277346
25	“	मित्तल स्टूडियो	बस स्टैंड के नजदीक, रामगढ़		9828174627
26	रामगढ़	प्रकाश स्टूडियो	वेटनरी अस्पताल के नजदीक	01468	9828205824 -
27	“	यादव स्टूडियो	मेन मार्केट, रामगढ़		9828277346
28	“	मित्तल स्टूडियो	बस स्टैंड के नजदीक		9828174627
29	ऊँटवाड	अंसल आहूजा	अलवर	0144	9829266046
30	इकरन	न्यू लाईट स्टूडियो	न्यू मार्केट स्टेशन रोड, भरतपुर	05644	238674
31	“	श्री जगदीश कुमार, राजपूत फोटो स्टूडियो	बजरिया स्टेशन रोड, भरतपुर		9414483602
32	नदबई	भारत फोटो स्टूडियो	वेयर हाउस रोड	05643	9784172339
33	“	श्री मुकेश शर्मा फोटो स्टूडियो	तहसील के नजदीक		- 9460739384
34	“	दिलीप फोटो स्टूडियो	हरियाणा मार्केट		09782561430 -
35	“	निखिल फोटो स्टूडियो	नगरपालिका के नजदीक		9252903770
36	“	अमर फोटो स्टूडियो	—		08947841512
37	“	डिम्पल फोटो स्टूडियो	तहसील के नजदीक		9413916161 8058834266
38	हेलक	शर्मा फोटो स्टूडियो	सेवर		8094799470
39	“	गणेश फोटो स्टूडियो	—		9887215580
40	खेड़ली	ज्योति स्टूडियो	पंचायत मंदिर के नजदीक	01492	9460611931
41	“	कपिल फोटो स्टूडियो	कठुमर रोड		9252142799
42	“	तिवारी फोटो स्टूडियो	कठुमर रोड		7597856503
43	मंडावर महुआ रोड	पालीवाल स्टूडियो	—	07461	9680527725
44	“	पायल फोटो स्टूडियो	—		9309093775
45	करनपुरा	पायल फोटो स्टूडियो	ग्राम — रैनी, अलवर	01464	242342 9309093775
46	बिवाई	कपिल फोटो स्टूडियो	—	01420	235048 9982423990
47	बांदीकुई	जे डी फोटो स्टूडियो	—	01420	225152 9414312434 9667179622
48	अछनेरा	शुभम फोटो स्टूडियो	—	—	9927846430

49	“	निकांत फोटो स्टूडियो	—	—	9760212232
50	मिढाकुर	सोलंकी फोटो स्टूडियो	-	0562	2780453
51	“	श्री केदार सिंह, नारवर फोटो स्टूडियो	प्रधान जी का मार्केट	—	09359876202
52	किरावली	आर के स्टूडियो	सुभाष बाजार	—	9410410003
53	किरावली	शर्मा स्टूडियो	सुभाष बाजार	—	9412893583
54	“	पदम फोटो स्टूडियो	सुभाष बाजार	—	9410663444
55	“	देवी फोटो स्टूडियो	सुभाष बाजार	—	9457485372
56	फतेहपुर सीकरी	खंडेलवाल फोटो स्टूडियो	सुभाष बाजार	-	9412561310
57	रूपबास	आर के स्टूडियो एंड विडियोग्राफी	—	—	09829858682
58	“	देव स्टूडियो एंड विडियोग्राफी	मेन बाजार	—	9413838096
59	कुबेरपुर	राम फोटो स्टूडियो	कुबेरपुर स्क्वायर	—	9457601268
60	—	राजू फोटो स्टूडियो	—	—	9410204612 9136489072
61	एत्मादपुर	मधु फोटो स्टूडियो	तहसील रोड	05612	9917372615

वाटर टैंकों से संबंधित सूचना

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कोड	टैंकर मालिक	टेलीफोन नं./मोबाइल नं.
1.	आगरा	एजीसी	श्री परम सिंह, कलाल खेरिया	9759198812
2.	"	"	श्री रामवीर सिंह, कलाल खेरिया	9719100209
3.	"	"	श्री हरेश कुमार, बमरोली अहीर	9761083812
4.	"	"	श्री संतोष कुमार गुप्ता,	9359677222
5	"	"	जल संस्थान, आगरा कैट	2601761,2621674
6	"	"	सचिव विकास प्राधिकरण , आगरा	2811009, 2811265,2813384
7	मथुरा	एमटीजे	मुकंद पैलेस, शौख अड्डा	0565-2410316
8	गोवर्धन	जीडीओ	श्री मुन्ना लाल शर्मा	9412626965
9	"	"	श्री कमल सिंह	9719673992
10	"	"	श्री हरी जातिपुरा	9897808173
11	डीग	डीईईजी	श्री बच्चू सिंह	9928794611
12	ब्रिजनगर	बीआई एनआर	अंकुर इंटरप्राइजेज, नगर	9414369987
13	गोविंदगढ़	जीवीएच	राजू गुप्ता	9772220167
14	जाडौली का बास	जेबीएस	प्रो. लखविंदर सिंह, विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स, दिल्ली रोड, रामगढ़	01468-232078
15	रामगढ़	आरएएच	प्रो. लखविंदर सिंह, विश्वकर्मा एग्रीकल्चर वर्क्स, दिल्ली रोड	01468-232078
16	ऊँटवाड	ओटीडी	प्रो. राजेंद्र यादव जी फौजी (सेवानिवृत्त), रामगढ़	9828011704
17	नदबई	एनबी आई	नगरपालिका, नदबई	05643-276696
18	"	"	उपाध्याय टेन्ट हाउस	9460109231
19	हेलक	एचएल	सुरेंद्र पाल रेलवे ठेकेदार	9887952965
20			श्री सुमेर सिंह, नगला खुटैला	9829782391
21	खेडली	केएल	श्री जगदीश सिंह, फौजी, समौसी फाटक	8058401068
22	"	"	श्री बृजमोहन, समौसी फाटक	9413910703
23	मंडावर महुआ रोड	एमयूआरडी	श्री कालू सिंह राजपूत, वाटर सप्लायर्स, पुराना बस स्टैंड श्री राम निवास एंड कंपनी, मेन मार्केट, मंडावर महुआ रोड	9929758564 9414076148

24	अछनेरा	एएच	श्री महेन्द्र सिंह, पूर्व चेयरमैन, कंट्रेक्टर वाटर सप्लाई, इटोली	9758737231
25	घोसराना	जीओए एस	श्री सवालराम, सरपंच	9950138452
26	करनपुरा	केपीओ	श्री विश्राम मीना, कंट्रेक्टर वाटर सप्लाई, इटोली	9602774825
27	फतेहपुर सीकरी	एफटी एस	श्री योगेंद्र सिंह यादव, जेई, वाटर वर्क्स, नगर परिषद	9410422934
28	रूपबास	आरबी एस	श्री राजेश कटरा, रूपबास	9413618032
29	धौलपुर	डीएचओ	श्री सर्वेश गोस्वामी	9414268931
30	एत्मादपुर	ई.टी.यू.ई	शोले वाटर सप्लायर	9719411072
31	शमशाबाद	एसएसडीटी	श्री कमल सिंह, वाटर सप्लायर	8859099147
32	बाह	एचएबी	श्री राजू वाटर सप्लायर	8273641978

न्यूज पेपर/एजेंसी/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूची
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

आगरा के समाचार पत्रों के पत्रकारों की सूची

क्रमांक	समाचार पत्र / मीडिया हाउस का नाम	रेल पत्रकार का नाम	रेल पत्रकार का फोन / मोबाइल नं. / ई मेल-
1.	अमर उजाला	श्री फईम खान	9675835430
2.	दैनिक जागरण	„ अनुज उपाध्याय	9319728866
3.	हिन्दुस्तान	„ राहुल गुप्ता	8474995634
4.	कॉम्पैक्ट	„ फईम खान	9675835430
5.	आईनेक्स्ट-	„ अवधेश भारद्वाज	941000289/avdheshbhardwaj.986@gmail.com
6.	डीएलए	„ अनुराग शर्मा	8958332240, 8958322403
7.	आज	„ आर.बी.सिंह	9412253502
8.	सी एक्सप्रेस	„ राकेश कनौजिया	9760097548
9.	द टाइम्स ऑफ इंडिया	„ अरविंद चौहान	9044470897
10.	निशा नरेश	„ दिनेश अग्रवाल	8449710306/ 0562-225011/2364178 nishanarash05@yahoo.com
11.	तस्वीरे भारत	„ पंकज अग्रवाल	05622250518/09837002252/tasveerebharat@yahoo.co.in, tasvirebharatnews@gmail.com
12.	स्वराज्य टाइम्स	„ अजय शर्मा	9359738844/swarajyatimes01@rediffmail.com
13.	वीर अर्जुन	„ ब्रह्म स्वरूप श्रीवास्तव	8923860359, 9837239355
14.	पत्रिका	„ सुधांशु त्रिवेदी	9410085112
15.	उजाला	„ राजकुमार केला	9760025413
16.	देश रत्न	„ भुवनेन्द्र वार्ष्णेय	9410664744
17.	अब्बासी शमा(पाक्षिक)	„ इकबाल खान	8535048130
18.	द वॉयस ऑफ लखनऊ	„ सुभाष गुप्ता	9997911400
19.	दाता संदेश	„ पी.सी.जैन	9259429554/datasandesh123@gmail.com
20.	यूनाइटेड भारत	„ दिनेश अग्रवाल	8449710306
21.	जन संदेश टाइम्स	„ राजेश शर्मा	9536964111/jansandeshagra@gmail.com
22.	राजदीप संदेश	„ राजेन्द्र गुप्ता	9411962661/rajdeepsandesh369@gmail.com
23.	प्रतियोगी भारत	„ छितोरिया शर्मा	9997357722/pratiyogibharat.2010@rediffmail.com
24.	जन प्रबालक	„ बीराजपूत.एस.	9412157416
25.	सैनिक	„ विमल कुमार शर्मा	9258881259
26.	स्वतंत्र भारत	„ बीमिश्रा.एन.	9412988327/swatantrabharat2@rediffmail.com
27.	सी एक्सप्रेस	„ जय प्रकाश	9058033727/jaiprakashbaghel976@gmail.com
28.	दीक्षित टाइम्स	„ आरदीक्षित.के.	9359429035/9412254767
29.	सच का उजाला	„ सतीश	8057917857
30.	दैनिक इंसफ	„ अब्दुल सत्तार	9917741309
31.	पंजाब केसरी	„ गौरव	9858406000/8868800045 gaurav.agarwalmedia@gmail.com

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया – आगराक्रमांक	समाचार चैनल / मीडिया हाउस का नाम	रेल पत्रकार का नाम	रेल पत्रकार का फोन / मोबाइल नं. / ई मेल-
1.	सी न्यूज	श्री राकेश कन्नौजिया	9760097548/rakeshkannojisea@gmail.com
2.	मून टीवी	„इरशद, सतेन्द्र कुमार	9639003009/satendraagra111@gmail.com
3.	डेन न्यूज	„ राहुल ठाकुर	9152255555
4.	एस-7	„ बृजभूषण	9412750060/brij.journalist2211@gmail.com
5.	सहारा न्यूज	„ वेद कान्त शर्मा	9412722005/vedkantsahara@gmail.com
6.	सहारा टीवी	„ संजीव सिंह	9839222561 Singh21sanju@gmail.com
7.	ताज न्यूज हैथवे	„ मो. साजिद	9756670786/sajididea@gmail.com
8.	प्राइम टीवी	„ विकास कुलश्रेष्ठ	9837279672/vikasmahamedha@gmail.com
9.	डीजी न्यूज	„ राकेश शुक्ला	7599115175
10.	समाचार प्लस	„ शिव चौहान	9358836641/9410664174
11.	एएनआई	„ निर्दोष कुमारशर्मा	9528272828
12.	एबीपी न्यूज	„ पंकज गुप्ता	9917754786/9837570700, pankajabpnews@gmail.com
13.	न्यूज नेशन	„ विनीत	8272051300
14.	आज तक	„ अरविन्द शर्मा	9412256788
15.	ईटीवी	„ रंजीत कुमार	9410009931/9412300039
16.	इंडिया टीवी	„ अंकुर कुमड़िया „ इमरान अहमद	9456276786syedimranahmed26@gmail.com
17.	इंडिया न्यूज	„ संजयसिंह	9456494800
18.	आईबीएन-7	„ विमल मिश्रा	9412778183
19.	ताज न्यूज / पी-7	„ मुस्तकिल	9058538748
20.	आई.एन.एस.	„ अजेन्द्र शर्मा	9412500288
21.	जी.टी.वी.	„ आरिफ	9412896786/9639170786
22.	एनडीटीवी	„ नसीम अहमद	9897063172
23.	लाइव इंडिया	„ हेमन्त उपाध्याय/ syed shakil	9412266478/8532854455 shakeelagranews@gmail.com
24.	न्यूज 24	„ चक्रेश जैन	9897596109
25.	वॉयस ऑफ इंडिया	„ ब्रजेश चौधरी	9219180901
26.	महुआ न्यूज	„ अशोक चावला	9456862590
27.	समाचार एक्सप्रेस	„ भूरी सिंह	9760626431
28.	जेन टीवी	„ सुनयन चतुर्वेदी	9319204728
39.	टीवी-100	„ मनीष रंजन	9258736105
30.	रफ़तार न्यूज	„ हिमांशुराज भटनागर	9358340139
31.	चैनल वन वेज	„ ऋषभ जादौन	9837149728
32.	टीवी-24	„ शाहिद रज़ा	9634152786

मथुरा के समाचार पत्रों के पत्रकारों की सूची

क्रम	पत्रकार का नाम	पद नाम	न्यूज एजेंसी/समाचार पत्र का नाम	मोबाइल नंबर
01	श्री अनंत स्वरूप देशभक्त	संवाददाता	यू0एन0आई0	9412279199
02	„ विजय कुमार आर्य 'विद्यार्थी'	„	पी0टी0आई0	9412277605
03	„ उमर कुरैशी	„	पायनियर	9412014949
04	„ कमलकान्त उपमन्यु	„	दौ पंजाब केसरी	9412150000
05	„ मधुसूदन शर्मा	„	दौ वीर अर्जुन	9412277755
06	„ निरंजन प्रसाद धुरन्दर	„	दौ स्वराज्य टाइम्स	9837137704
07	„ पवन नवरत्न	„	दौ राजपथ	9412661665
08	„ नवनीत सिकेरा	„	दौ जागरण	9756207376
10	„ चन्द्रशेखर	„	दौ अमर उजाला	8445124546
11	„ मोहन स्वरूप भाटियसा	„	दौ प्रावदा	9837888225
12	„ ओमवीर सारस्वत	„	दौ इन दिनों	9837116451
13	„ अशोक बंसल	„	दौ जनसत्ता	9837319969
14	„ सोमेन्द्र भारद्वाज	„	दौ सच क्या है	8923833000
15	„ राजकुमार तोमर	„	दौ पंजाब केसरी	9412470006
16	„ भगवान सिंह चौहान	„	सा0 प्रखरकान्ति चक्र	9456683889
17	„ दुर्गेश उपाध्याय	„	पुष्प सवेरा	928142765
18	„ आसिफ अली	„	हिन्दुस्तान	9837286288
19	„ महेश वाष्णीय	„	डीएलए	9927866674
20	„ धर्मेन्द्र चतुर्वेदी	„	सहारा समय	9412728177
21	„ राजीव अग्निहोत्री	„	सी एक्सप्रेस	9219098003
22	„ डॉ. अनिल चतुर्वेदी	„	द मिरर ऑफ डेमोक्रेसी	9412577195
23	„ परवेज अहमद	„	अकिंचन भारत	9319229711/ 9719214426
24	„ नितिन गौतम	„	एएनआई/एपीएन	9412277799/ 9084901111
25	„ मनोज श्रीवास्तव	„	ईटीवी	9410616941
26	„ एल.के.शर्मा	„	न्यूज-24	8791043395
27	„ वीरेन्द्र सिंह	„	ज़ी न्यूज	9058707208
28	„ विनोद शर्मा	„	नियो न्यूज	8532025858
29	„ रवि चौधरी	„	इंडिया न्यूज	9759312100
30	„ आरती	„	महाराजा न्यूज	8865835375
31	„ पवन गौतम	„	आईबीएन-7	9927036397
32	„ मदन गोपाल शर्मा	„	आजतक	9412777566
33	„ मुकुल गौतम	„	एनडीटीवी	9897339078
34	„ सुरेश सोनी	„	पी-7	9012274692 9410615654
35	„ दीपक खण्डेलवाल	„	बृज गरिमा	9897426521
36	„ नितिन गौतम	„	एबीपी न्यूज	9760535521
37	„ दीप शिखा सारस्वत	„	महाराजा न्यूज	8445617229
38	„ पवन आनन्द	„	के न्यूज	9412777666
39	„ के.एल.वर्मा	„	नवलोक टाइम्स	8868050410
40	„ एम.एस.शर्मा	„	इंडिया टीवी	9897045529

अन्य स्टेशनों के पत्रकारों की सूची

1	कोसीकलां	अंकित न्यूज एजेंसी श्री निर्मल गोयल	अमर उजाला	05662-232118 9012732218
2	„	दैनिक जागरण श्री देव शर्मा	माँ भगवती न्यूज एजेंसी, पुराना जीटी रोड	9058611151
3	„	पुष्प सवेरा नाना न्यूज एजेंसी	सब्जी मंडी थाना के नजदीक	9837113983
4	गोवर्धन	अमर उजाला मनीष शर्मा	बड़ा बाजार	9412662061 9927200411
5	„	दैनिक जागरण श्री हरिओम चौधरी श्री योगेश खंडेलवाल	„	7253988001 9412130086 9719223182
6	„	निओ न्यूज	„	9756075010
7	डीग	दैनिक जागरण श्री पूरन बंसल	„	9414711469
8	„	दैनिक भास्कर श्री अजय विधार्थी	„	9414893357 9414520376
9	ब्रिजनगर	राजस्थान पत्रिका एंड पंजाब केसरी श्री के सी पांडेय	नगर	9828344082
10	गोविंदगढ़	राजस्थान पत्रिका श्री के के जैन	मेन मार्केट	9460372073
11	„	दैनिक भास्कर श्री धर्मेन्द्र स्वामी	मेन मार्केट	9887724401
12	„	दैनिक भास्कर श्री अमित भारद्वाज	„	9829113572
13	„	समाचार पत्र श्री राकेश खंडेलवाल	पोस्ट ऑफिस के नजदीक	9982552965
14	„	श्री जे पी शर्मा	सीताराम जी मंदिर के नजदीक	9982489674
15	ऊँटवाड	राजस्थान पत्रिका	अलवर	0144-2700805
16	„	श्री प्रेम पाठक	अलवर	9829266047
17	„	श्री संजीव शर्मा	अलवर	9928875544
18	„	दैनिक भास्कर	अलवर	0144-2738460
19	„	श्री विजय मिश्रा	अलवर	9928362406.
20	नदबर्ई	राजस्थान पत्रिका श्री मनोज वोहरा	अमर स्टूडियो, तहसील के नजदीक	9829049261
21	„	दैनिक नव ज्योति श्री दलवीर चौधरी	नेहा दूरसंचार केंद्र	9929410935
22	„	दैनिक भास्कर श्री हरिराम फौजदार	गायत्री मंदिर के नजदीक	9460739316
23	„	आज तक प्रवीण शर्मा	भारत टेन्ट हाउस	9799550000

24	„	अमर उजाला श्री कैलाश खंडेलवाल	नदबई	9460320220
25	खेडली	राजस्थान पत्रिका श्री एस पी शर्मा	प्रतीक कार्यक्रम, कटुमर रोड	9414854669
26	„	दैनिक भास्कर श्री अजित गोयल	गोयल एजेंसी	9414793894
27	हेलक	दैनिक भास्कर मुकेश चतुर्वेदी	सूरज पाल चौराहा, भरतपुर	9672905504
28	„	राज पत्रिका	भरतपुर	05644-223344
29	मंडावर महुआ रोड	दैनिक भास्कर श्री विजय लंगेनोट	मंडावर	9414407616
30	करनपुरा	दैनिक भास्कर एजेंसी श्री सिबा जागीड	रैनी	01464-242101 9828306574
31	अछनेरा	अमर उजाला अवधेश उदैनिया	अछनेरा	9412542903
32	„	सी न्यूज चेन्नई से जारी	अछनेरा	9457000005
33	फतेहपुर सीकरी	स्वराज टाईम्स श्री राकेश अग्रवाल	मेन बाजार	9319638068
34	„	राजस्थान पत्रिका श्री शमीम सिद्की	हट पादव गली	9412590951
35	„	अमर उजाला श्री प्रमोद सिंधल	मेन बाजार	9412813654
36	„	डीएलए श्री एम एस वर्मा	4 हिस्सा नगर	9410667033
37	„	हिन्दुस्तान श्री राजेश शर्मा	कोटला गली	9927100247
38	„	आज श्री जे एस वर्मा	4 हिस्सा नगर	9258546972
39	„	डिश समाचार श्री सुरेश चौधरी	संतोष नगर	9760777798
40	रूपबास	दैनिक भास्कर	स्टेशन के नजदीक	9414654950
41	„	राजस्थान पत्रिका		9414655006
42	बिवाई	राज पत्रिका श्री प्रफुल्ल कुमार शर्मा	बांदीकुई	9828974398
43	„	दैनिक भास्कर श्री अनिल कुमार	बांदीकुई	9928498769 9587020011
44	धौलपुर	धौलपुर चित्रण	धौलपुर	09414206964
45	„	राजस्थान पत्रिका	„	9001896807 05642-223770

स्टेशन के पास उपलब्ध हॉस्पिटल/डॉक्टरों की सूची
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं.	स्टेशन	डॉक्टर/अस्पताल का नाम	टेलीफोन नं./मोबाइल नं.	स्टेशन से दूरी
1	आगरा	उत्तर मध्य रेलवे, अस्पताल	Railway- 22525 ,22500 P&T - 0562-2420030, 2421651, 2420879, 9760536519	200 मीटर
2	"	एस.एन.मेडिकल कालेज	0562-2460353, 2463139, 2466099 2264428, 2463318, 9412837117 Fax: 2260965	5 कि.मी.
3	"	जिला अस्पताल, छीपीटोला	0562-2466099, 2226085,2463139, 2463043, 9837249044	3 कि.मी.
4	"	आर्मी अस्पताल	0562-2452106 0562-2452142	1 कि.मी.
5	"	क्षेत्रीय बजाज कमेटी, महात्मा गाँधी मार्ग, एम.जी. रोड, आगरा	0562-2521150, 9412651864, 9319808451	3 कि.मी.
6	"	लेडी लायल अस्पताल	0562-2267987,2262538	4 कि.मी.
7	"	पुष्पांजली अस्पताल,,दिल्ली गेट,	0562-2265587,2269411, 3024004, 4024008, 4024001, 4024009, 9917025666,	5 कि.मी.
8	"	राम रघु अस्पताल, चर्च रोड, आगरा-282001	0562-4025100 4025100, 4051217, 9837327459, 9837094676 997434998	7 कि.मी.
9	"	एस आर अस्पताल, नामनेर	0562- 2260965,2264428, 4025200, 4025201, 4025202, 2201202	2 कि.मी.
10	"	उपाध्याय नर्सिंग होम,	0562-2230344,2230311	4 कि.मी.
11	"	जीजी अस्पताल, संजय पैलेस	0562-2853952, 2627566, 4000666, 2853961, 2520114, 9837025587	6 कि.मी.
12	"	रैनबो अस्पताल एम्बुलेंस सर्विसेज, राष्ट्रीय उच्चमार्ग-2, नजदीक गुरु का तल गुरुद्वारा सुरज विहार, आगरा एच.ओ., आगरा-282001	0562-2600531, 2600532, 2600533, 2600534	8 कि.मी.
13	"	ऑक्जिम सेवियर एम्बुलेंस सेवा, 5/79 मदिया कटरा, बी. एम. खान, आगरा-282002	9927068156, 9837745678, 9837047812	6 कि.मी.
14	"	शांतिमांगलिक अस्पताल, फतेहाबाद रोड	0562-2853951/52 , 2330036 2330038, 23304388, 23268375, 983712245	8 कि.मी.
15	"	हैरीटेज अस्पताल	0562- 2526999,4050600,202573 7	12 कि.मी.
16	"	जीवन ज्याति नर्सिंग होम, नामनेर, आगरा-282001	9368158394	2 कि.मी.

17	"	साक्या नर्सिंग एवं मैटरनिटि होम, 14/9, साकेत कॉलोनी रोड, शाहगंज, आगरा	0562-2212373	2 कि.मी.
18	"	यादव एंबुलेंस एवं टी. के. कंसलटेंट्स, 3, 4 महावीर मार्केट, दिल्ली गेट, आगरा.282003 (सरकार नर्सिंग होम के सामने)	0562-2521112 9837073070 9412273070	5 कि.मी.
19	"	वोहरा नर्सिंग होम, नं.-4, लक्ष्मण नगर इंडस्ट्रियल इस्टेट, खेरिया मेन रोड, आगरा	0562-2400500, 2303121, 9837210925	1 कि.मी.
20	"	लोटस हार्ट सेंटर, बी-513, कमला नगर, आगरा	0562-4057365, 9675026417	9 कि.मी.
21	न्यू जंक्शन पेनल	डा.वी.एस.कुलश्रेष्ठ	9359535440 9536705343, 0562- 2420624	1 कि.मी.
22	"	डा.वी.के.गुप्ता	9760307774, 0562- 2301818	1 कि.मी.
23	आगरा सिटी	चावला नर्सिंग होम	9917984304	1 कि.मी.
24	राजा की मंडी	कामायनी अस्पताल, सिकंदरा, आगरा	2602775, 2603658, 2603659, 9837039824	4 कि.मी.
25	"	मल्होत्रा नर्सिंग होम, आगरा-	0562-2260275, 2260276, 2260277	2 कि.मी.
26	"	भारत भार्गव, नर्सिंग होम, अटोनी, रूनकता	9927067363 9837046080	4 कि.मी.
27	यमुनाब्रिज	गंगा देवी नर्सिंग होम	9627568417	2 कि.मी.
28	"	डॉ एम वी अग्रवाल, शिवदेवी नर्सिंग होम	9412158748	1 कि.मी.
29	फरह	डॉ रामकृष्ण, दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य केंद्र	8005193651	1 कि.मी.
30	"	गेटवेल नर्सिंग होम, सिकंदरा	92194051170, 562- 2641276	15 कि.मी.
31	छलेसर	गोयल नर्सिंग होम, रामबाग, आगरा	9897245001 2281937	5 कि.मी.
32	"	वंदना नर्सिंग होम	9837045200, 0562- 2281919	5 कि.मी.
33	"	विद्या नर्सिंग होम	9837030668	5 कि.मी.
34	मथुरा	रेलवे हास्पिटल	9760536505 0565- 2406606	1 कि.मी.
35	"	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल	0565-2501655	2 कि.मी.
36	"	मैथोडिस्ट अस्पताल, जयसिंगपुरा	0565-2530043	5 कि.मी.
37	"	स्वर्ण जयंती रिफाइनरी टाउनशिप	0565-2431164 0565-2431165	5 कि.मी.
38	"	ब्रिज मेडिकल संस्थान	0565-2505954	3 कि.मी.
39	"	गोपी कृष्णा नर्सिंग होम	0565-2550450	3 कि.मी.
40	"	रघुनाथ नर्सिंग होम, धौली प्यारु	0565-2401624	1 कि.मी.
41	"	प्रकाश नर्सिंग होम, भूतेश्वर रोड	0565-2461834	2 कि.मी.
42	"	विपिन नर्सिंग होम, कृष्णा नगर	0565-2422938	3 कि.मी.
43	"	अशोक अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्क्वायर	0565-2505118, 2500177	1 कि.मी.
44	"	श्री बालाजी एंबुलेंस, महेश्वरी अस्पताल, दिल्ली रोड बाईपास, मथुरा-281001	09897513688, 09756112828, 09319008533	7 कि.मी.

45	"	रघुवंशी बालाजी एंबुलेंस सेवा, देवेन्द्र अस्पताल, मंडी चौराहा, एन.एच-2, मथुरा-281001	09837842563, 886583	6 कि.मी.
46	"	कैलाश शर्मा एंबुलेंस, बाईपास दिल्ली रोड, मथुरा	09690216716, 09568729731	7 कि.मी.
47	"	रंजीत जी एंबुलेंस, बर्मन नर्सिंग होम, सदर रोड, सदर बाजार, मथुरा-281001	09219743780, 0963427720	5 कि.मी.
48	"	सिसोदिया एंबुलेंस सर्विस, आर्य नगर, कोसीकलां, आर्य नगर, मथुरा-281403	09219887262, 09219743724	6 कि.मी.
49	कोसीकलां	लाइफ लाइन अस्पताल	05662-232304	1 ½ कि. मी.
50	"	मंगला नर्सिंग होम	05662-232955	1 ½ कि. मी.
51	"	गौर नर्सिंग होम	05662-232578	1 ½ कि. मी.
52	"	जी आर अस्पताल	05662-232489	1 ½ कि. मी.
53	"	बी पी एल नर्सिंग होम	05662-232394	2 ½ कि. मी.
54	"	चौहान नर्सिंग होम	05662-232589	3 कि.मी.
55	"	हरमिलाप नर्सिंग होम	05662-232167	500 मीटर
56	"	सी आर विलनीक	05662-233168	200 मीटर
57	गोवर्धन	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	9412538544	3 कि.मी.
58	डीग	राजकीय रेफरल अस्पताल	05641-220017	2 कि.मी.
59	"	स्वास्थ्य सर्विस केंद्र	05641-220110	2 कि.मी.
60	"	गाँधी क्लीनिक, लक्ष्मण मंदिर	05641-220222, 220333	2 कि.मी.
61	"	ममताशा क्लीनिक	05641-220637	2 कि.मी.
62	बेढम	राजकीय रेफरल अस्पताल, डीग	05641-220017	15 कि.मी.
63	"	गाँधी क्लीनिक, लक्ष्मण मंदिर, डीग	05641-220222, 220333	15 कि.मी.
64	ब्रिजनगर	उ.म.रे. डिस्पेन्सरी मथुरा	09760536505	70 कि.मी.
65	"	लक्ष्मण नर्सिंग होम	9413303954	3 कि.मी.
66	"	राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय	05641-243010	3 कि.मी.
67	"	रेलवे स्वास्थ्य केंद्र अलवर	9001199514	50 कि.मी.
68	गोविंदगढ़	राजकीय अस्पताल, अलवर	9001199514	46 कि.मी.
69	जाडौली का बास	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़	01468-232149	10 कि.मी.
70	"	सैनी स्वास्थ्य केयर, गुरुद्वारा के नजदीक, दिल्ली रोड रामगढ़	9828317987	10 कि.मी.
71	रामगढ़	डॉ. चैतराम सैनी, सैनी स्वास्थ्य केयर, गुरुद्वारा के नजदीक	9828317987	600 मीटर
72	"	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	01468-232149	600 मीटर
73	ऊँटवाड	डॉ प्रदीप गुप्ता, जनरल अस्पताल, अलवर डॉ. सुबोध अग्रवाल	0144-2346033 09414270299	17 कि.मी.
74	"	प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, ऊँटवाड	09414385753, 09950628696	3 कि.मी.
75	बिचपुरी	रेलवे अस्पताल, ईदगाह सरकारी डिस्पेन्सरी, बिचपुरी	Rly.No. 3605,3601	14 कि.मी. 01 कि.मी.
76	"	डॉ हाकिम सिंह, प्राइवेट क्लीनिक	9758123302	½ कि.मी.

77	"	एस एन अस्पताल, आगरा	2466099, 3267605	14 कि.मी.
78	अछनेरा	रेलवे अस्पताल, अछनेरा डॉ एस.डी. अग्रवाल, एमबीबीएस डॉ वी.एम. गोयल	9760536503, 412417 220249, 7520114545 9412342086	1 कि.मी. 1 कि.मी. 1 कि.मी.
79	नदबई	डॉ आर.पी. गुप्ता	09461037400	1 कि.मी.
80	"	डॉ पदम चंद जैन, जैन क्लिनिक	9414297412	1/2 कि.मी.
81	"	डॉ गिरवर सागर, सागर क्लिनिक	9414711683	200 मीटर
82	"	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदबई	05643-276032	1 कि.मी.
83	"	राजकीय राजबहादुर मेमोरियल अस्पताल, भरतपुर	05644-223633	40 कि.मी.
84	हेलक	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुम्हेर	05644-240562	9 कि.मी.
85	"	राजकीय राजबहादुर मेमोरियल अस्पताल, भरतपुर	05644-223633	16 कि.मी.
86	"	रोस्तगी नर्सिंग होम, रंजीत नगर, भरतपुर	05644-236167	16 कि.मी.
87	"	जिंदल नर्सिंग होम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भरतपुर	05644-236800/236550	16 कि.मी.
88	खेडली	गवर्नमेंट अस्पताल	09983809839	1/2 कि.मी.
89	"	डॉ नरेश गुप्ता, प्रभू क्लिनिक, स्टेशन के पीछे	09414854456	200 मीटर
90	"	डॉ ए एस धाकड़, जीवनदान अस्पताल, शोखर रोड	09414445833	700 मीटर
91	मंडावर महुआ रोड	गवर्नमेंट अस्पताल, डॉ रोमेश हरिपुरा डॉ प्रहलाद मीना डॉ अशोक मीना डॉ मनीषा मीना	9828129449 8502027789 9828855117 9928250444 9414316961	1 कि.मी.
92	"	डॉ हरिओम गुप्ता रोहित अस्पताल	9784117242 9414252056	1 कि.मी.
93	करनपुरा	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रंजी डॉ रामस्वरूप मीना डॉ कमलेश मीना रेलवे अस्पताल, बांदीकुई, डॉ आनंद तवर	01464-242066 9414335084 9461333744 9001199506, 01420- 222752	7 कि.मी.
94	अलवर	गवर्नमेंट अस्पताल डॉ पी आर मीना	9414407547	10 कि.मी.
95	"	सैनी एंबुलेंस सेवा, राजीव गांधी अस्पताल के पीछे, बालाजी घर चौराहा, कंपनी बाग, अलवर-301001	09001849362, 09461034716	2 कि.मी.
96	"	तरिणी एंबुलेंस सेवा, ईआई-2, नजदीक लोहिया का तिजारा, पुरानी दिल्ली रोड, अलवर	0144-2881131	4 कि.मी.
97	"	मतिन खान, संध्या अस्पताल, सुभाष नगर, अलवर-301001	09602112200, 09610075200	2 कि.मी.
98	"	हिमांशु एंबुलेंस, ठाकुर वाला खान, 60 फुटा रोड, अलवर-301001	09929718350, 09024554284	3 कि.मी.
99	"	यादव एंबुलेंस, बुरकला गाँव, रायगढ़, अलवर-301408	09680842538	7 कि.मी.
100	बिवाई	सेना अस्पताल एक्सचेंज राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिवाई, रेलवे अस्पताल बांदीकुई,	2452142 7891510133 01420-225752	9 कि.मी.

101	मिढाकुर	डॉ सुरेश मोनानी लक्ष्मी क्लिनिक, कॉ-ऑपरेटिव बैंक के नजदीक	9897024683	1 कि.मी.
102	किरावली	गरिमा अस्पताल, स्टेशन रोड डॉ बी गुप्ता डॉ गरिमा गुप्ता	9759574975 9759505078	1 कि.मी.
103	"	चौधरी चरण सिंह अस्पताल, डॉ एस पी सिंह (एमडी)	9412261700	1 कि.मी.
104	"	पोदार मेडिसीन केंद्र डॉ दीपक पोदार, स्टेशन रोड	9412158913	1 कि.मी.
105	फतेहपुर सीकरी	प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र डॉ एस सी यादव	9411962139	1 कि.मी.
106	"	डॉ विनोद गोयल, गोयल क्लीनिक	9319479171	1 कि.मी.
107	रूपबास	डॉ सोबरन सिंह, शक्ति क्लीनिक	9414655373	1 कि.मी.
108	बयाना	रेलवे अस्पताल, बयाना	46334, 46272	1 कि.मी.
109	जमुना ब्रिज	विधा नर्सिंग होम, फेस-II ट्रान्स यमुना कॉलोनी, डॉ विद्या गुप्ता	2281368	3 कि.मी.
110	"	धवन अस्पताल, सदर चुंगी, आगरा	9719528430	4 कि.मी.
111	कुबेरपुर	प्रिया अस्पताल	9719410050	11 कि.मी.
112	"	श्रीकृष्ण अस्पताल	9897097725 9358399170	11 कि.मी.
113	एत्मादपुर	प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, एत्मादपुर	9412308968 9410830218	5 कि.मी.
114	"	गोयल नर्सिंग होम	9412425762	3 कि.मी.
115	"	श्री नर्सिंग होम	9897090266	4 कि.मी.
116	"	शर्मा नर्सिंग होम	9927636070	4 कि.मी.
117	धौलपुर	जिला अस्पताल	05642-220733, 221180 05642-221018	4 कि.मी.
118	"	रिमी अस्पताल, संतार रोड, तोप तिराहा, धौलपुर-328002	09414206905, 09636442440	3 कि.मी.
119	भरतपुर	सोलंकी एंबुलेंस सेवा, गिरराज कॉलोनी, नजदीक रेलवे स्टेशन, भरतपुर-321001	08058112141, 08952008163	3 कि.मी.
120	"	सरकारी अस्पताल, भरतपुर-321001	09828837818, 09649407373	3 कि.मी.
121	"	लाइफ गार्ड एंबुलेंस सेवा, रंजीत नगर, रेलवे स्टेशन, मंडी, भरतपुर-321001	09649955444	2 कि.मी.
122	"	प्रीति एंबुलेंस सेवा, ऑपोजिट न्यू अस्पताल, सरकुलर रोड, भरतपुर-321001	05644-228708, 09413620989	2 कि.मी.
123	शमसाबाद	समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	05612-253037	4 कि.मी.
124	"	गंगा नर्सिंग होम	05612-253111	5 कि.मी.
125	फतेहाबाद	राजकीय अस्पताल	9412445151	3 कि.मी.
126	"	शकुन्तला दंवी अस्पताल	9758021222	5 कि.मी.
127	"	कटारा अस्पताल	9758469117	4 कि.मी.
128	बारी	सी. एम. ओ. श्री एस. डी. मंगल	9314077388, 05647-272152	2 कि.मी.
129	"	सिविल अस्पताल	05647-272152	5 कि.मी.
130	तांतपुर	राजकीय चिकित्सालय	05613-274005, 7839777053	15 कि.मी.
131	भूतेश्वर	अशोक अस्पताल	0565-2505118	
132	"	बृज नर्सिंग होम	0565-2409043	2½ कि.मी.
133	"	बिपिन नर्सिंग होम	0565-2420738	2 कि.मी.

134	"	डा. देवेन्द्र अस्पताल ट्रॉमा सेन्टर	9837079747	1½ कि.मी.
135	"	प्रशान्त अस्पताल ट्रॉमा सेन्टर	9759186661 9219876881	2 कि.मी.
136	"	स्वर्ण जयंति हॉस्पिटल	0565-2431164 0565-2431165	2 कि.मी.
137	वृंदावन रोड	माहेश्वरी हॉस्पिटल	0565-324605	5 कि.मी.
138	"	निफादे हॉस्पिटल	9837160435	6 कि.मी.
139	अझई	चौमुहा स्वास्थ्य केन्द्र	9412180723	6 कि.मी.
140	होडल	राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र	01275-235571 8288014141	5 कि.मी.
141	"	लाइफ केयर अस्पताल	8818060439 8607882255	7 कि.मी.
142	"	डॉ. किशन सिंह अस्पताल	01275-400500, 9416053331 9468000682	8 कि.मी.
143	"	डॉ. दिनेश बंसल मेडीकल सेंटर	01275-235499 9812044784	8 कि.मी.
144	"	डॉ. एस.एस. सिंघल, सिंघल नर्सिंग होम	9729459461 01275-235592	6 कि.मी.
145	"	डॉ. कुलभूषण, गोयल नर्सिंग होम	01275-235690 9315332903	6 कि.मी.
146	रुंधी	सी.एम.ओ./पलवल	9818456660	8 कि.मी.
147	"	इमरजेंसी एम्बुलेंस/पलवल	18001800009	8 कि.मी.
148	पलवल	राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र,	01275-242102 9818456660	2 कि.मी.
149	छाता	राम हॉस्पिटल	9058568590 9012576782	1 कि.मी.
150	"	के.डी. हॉस्पिटल, अकबरपुर	7088105741	8 कि.मी.
151	"	सिसोदिया क्लीनिक चौमुहा	9897249691	12 कि.मी.
152	"	मंगल हॉस्पिटल, कोसीकलां	05662-232955	12 कि.मी.
153	"	चौहान नर्सिंग होम, कोसीकलां	05662-232589	12 कि.मी.
154	"	लाइफ लाइन हास्पिटल, कोसीकलां	05662-234304	12 कि.मी.
155	"	गौड नर्सिंग होम, कोसीकलां	05662-232578	12 कि.मी.
156	"	मिलाप नर्सिंग होम, कोसीकलां	05662-232167	12 कि.मी.
157	बाद	रेलवे हॉस्पिटल	217, 9760536509	1 कि.मी.
158	"	स्वर्ण जयंति हॉस्पिटल टाऊनशिप/मथुरा	0565- 3209177, 2431164, 2431165	2 कि.मी.
159	"	रिफाइनरी हॉस्पिटल टाऊनशिप/मथुरा	0565-2416444	2 कि.मी.
160	"	नरौला हॉस्पिटल टाऊनशिप/मथुरा	9258232438	2 कि.मी.
161	"	अग्रवाल लाइफ लाइन हॉस्पिटल, मथुरा	0565-2430857	3 कि.मी.
162	बाह	शम्भूनाथ सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	9720771393 9868434749	4 कि.मी.
163	"	रेलवे अस्पताल, इटावा	9794837541	50 कि.मी.
164	"	खुशी, नर्सिंग होम	9927257006 7500621045	4 कि.मी.
165	"	एस.आर. नर्सिंग होम	8650978471 8433025798	3 कि.मी.
166	"	गुरु गोरखनाथ, हॉस्पिटल,	9719022914 9358196625	4 कि.मी.
167	"	रामकिशन, नर्सिंग होम	81171123457	3 कि.मी.

168	शमसाबाद	शासकीय अस्पताल	05612-253037	
169	"	गंगा नर्सिंग होम	05612-253111	
170	फतेहाबाद	डॉ. जी.एस. कटारा अस्पताल	9758469117 9286665292	
171	"	डॉ हरिओम शर्मा	9720135930	
172	मोहारी	राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	05646-276140	
173	बारी	डॉ शिवदयाल मंगल सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्र	05647-272152 09314077388	
174	"	डॉ श्रीकांत शर्मा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय,	9414709649	
175	"	डॉ सुरेश मंगल	9414710710	
176	"	बिमलेश नर्सिंग होम	9414710040	
177	"	रामविलास गुर्जर	9914180633	
178	"	डॉ सुरेन्द्र सिंह	9414710655	
179	धौलपुर	रेलवे अस्पताल	04642-260262 9001038523	
180	तांतपुर	डॉ. नरेन्द्र सिंह	07088381196	
181	"	जगनेर अस्पताल	05613-274005 07839777053	

आगरा मंडल पर टावर वैगनों की उपलब्धता की सूची

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	स्टेशन	टावर वैगन का प्रकार	पर्यवेक्षक का नाम एवं टेलीफोन नं./सीयूजी नं	अधिकतम गति सीमा
1.	आगरा कैट	8 व्हीलर – II नं. 3487	श्री संजय यादव, सी.से.इंजी. (टीआडी) रेलवे टेलीफोन नं. 2216 (कार्यालय), कंट्रोल नं. 9760535655	110 कि.मी./घंटा
2.	ईदगाह	4 व्हीलर – III नं. 0001	श्री वी.के.श्रीवास्तव, सी.से.इंजी. (टीआडी) रेलवे टेलीफोन नं. 3716 (कार्यालय), मोबाइल नं. 9760535795	60 कि.मी./घंटा
3.	फतेहपुर सीकरी	4 व्हीलर – II नं. 92879	श्री सी.एस.मीना, सी.से.इंजी. (टीआडी), सीयूजी नं. 9794838355	60 कि.मी./घंटा
4.	मथुरा जंक्शन	8 व्हीलर – II नं. 05883	श्री विनय कुमार, सी.से.इंजी. (टीआडी), रेलवे टेलीफोन नं- 4264, 4210 (कार्यालय), 4211 (आवास), सीयूजी नं. 9760535735	110 कि.मी./घंटा
5.	कोसीकलां	4 व्हीलर – III नं. PTL-108	श्री एस के सहाय, सी.से.इंजी. (टीआडी), रेलवे टेलीफोन नं- 804-207 (कार्यालय) 804-208 (आवास), सीयूजी नं. 9760535725	60 कि.मी./घंटा
6.	धौलपुर	4 व्हीलर – III नं. PTL-110	श्री एस.के. मीना सी.से.इंजी. (टीआडी), सीयूजी नं. 9001038346	60 कि.मी./घंटा
7.	रामगढ़	4 व्हीलर – III नं. PTL-037	श्री के.एस. मीना सी.से.इंजी. (टीआडी), सीयूजी नं. 9760535755	60 कि.मी./घंटा

आगरा मंडल में टावर वैगनों/रेल सह सड़क वाहनों/वाहनों की सूची
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	सेक्शन इंजीनियर	सीयूजी नं.
1	सी.से.इंजी. (पी.वे), आगरा एरिया/आगरा कैंट	9760536214
2	एसएसई, . /पी.वे. /साउथ/आगरा कैंट	9760536215
3	सी.से.इंजी. (पी.वे), कोसीकलां	9760536240
4	एस.एस.ई. /पी.वे. /पलवल	09729536245
5	सी.से.इंजी. (सिंग), आगरा कैंट	9760536820
6	एसएसई/ सिगनल, साउथ/ आगरा कैंट	9760536809
7	सी.से.इंजी. (सिंग), मथुरा	9760536819
8	सी.से.इंजी. (सिंग), कोसीकलां	9760530140
9	सी.से.इंजी. (टेली), आगरा कैंट	9760536867
10	सी.से.इंजी. (टेली), मथुरा	9760535735
11	सी.से.इंजी. (टीआरडी)/आगरा कैंट	9760535655
12	सी.से.इंजी. (टीआरडी), ईदगाह	9760535795
13	सी.से.इंजी. (टीआरडी), मथुरा	9760535735
14	सी.से.इंजी. (टीआरडी), फतेहपुर सीकरी	9794838355
15	एसएसई, टीआरडी, धौलपुर	9001038346
16	एसएसई, टीआरडी, कोसीकलां	9760535725
17	सी.से.इंजी. (टीआरडी),रामगढ़	9760535755

इंजी. कंट्रोल आगरा सीयूजी नं0 9760536209

एस.एण्ड टी. कंट्रोल आगरा सीयूजी नं0 9760536880

टीपीसी कंट्रोल आगरा सीयूजी नं0 7060302233, 7060302234

आगरा मंडल में रेलवे/प्राइवेट खान-पान सेवा की उपलब्धता की सूचना
(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	लाइसेंसी का नाम (श्री/श्रीमती)	टेलीफोन नं./मोबाइल नं.
1	आगरा किला	राजेन्द्र कुमार,रविन्द्र पाल मंगला	9634736737
2	आगरा किला	अमर फूड प्रोडक्ट	9634736737
3	आगरा फोर्ट	हेमन्त कुमार शुक्ला	8057352154
4	आगरा किला आर.आर.	मैसर्स मदन पेठा स्टोर	9758183147
5	आगरा किला फूड प्लाजा	मैसर्स सत्कार कैटर्स	7551949070
6	आगरा किला	हरीकिशन	9412256103
7	आगरा किला	भगवानदास	9357970464
8	आगरा किला	शारदादेवी पत्नि श्री राजकुमार	9837783423
9	आगरा किला	शारदादेवी पत्नि श्री ओ.पी.गोयल	9927331880
10	आगरा किला	उदयसिंह	9412375260
11	आगरा छावनी	मैसर्स अमर फूड प्रोडक्ट	7055633187
12	आगरा छावनी	मैसर्स हेमन्त कुमार शुक्ला	9719793688
13	आगरा छावनी	मैसर्स चौहान कैटर्स	7055007711
14	आगरा छावनी	मैसर्स चतुर्वेदी एंड सन्स	9719793688
15	आगरा छावनी	मैसर्स आर.के. एसो.	8449729755
16	आगरा छावनी	मैसर्स मदन पेठा स्टोर	7055007711
17	आगरा छावनी	मैसर्स आर.के.शर्मा	9839182206
18	आगरा छावनी	मैसर्स निरपेन्द्र कुमार	9839182206
19	मथुरा जं०	मैसर्स प्रधुम्न कुमार	7983009819
20	मथुरा जं० सेलकिचिन	मैसर्स एच.डी.एण्ड संस	9450221075
21	मथुरा जं०	मैसर्स श्री मार्केटिंग सर्विस	9084346253
22	मथुरा जं०	मैसर्स तिरुपति कैटर्स	9917624362
23	मथुरा जं०	मैसर्स चौहान कैटर्स	9412629060
24	मथुरा जं०	मैसर्स सुनील कैटर्स	9368077808
25	मथुरा जं० फूड प्लाजा	मैसर्स रूफ कैटर्स	9068029093

26	मथुरा जं०	मैसर्स बून एन जैन	9415815553
27	भूतेश्वर	नसरुद्दीन	9784869323
28	भूतेश्वर	अशोक कुमार	9410039486
29	कोसीकलॉ	धारूसिंह	7830361207
30	कोसीकलॉ	भोलेशंकर	9568395872
31	बाद	श्राजकुमार	8791281644
32	डीग	तरादेवी	9694175886
33	अछनेरा	मुकेश कुमार	9520169328
34	अछनेरा	हेमलता यादव	9557395981

वाणिज्य निरीक्षक/खानपान,मुख्यालय — 9793915343
 आगरा छावनी — 9760536961
 आगरा किला — 9760536974
 मथुरा जं० — 9760537862

उत्तर मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण सीयूजी / टेलीफोन नंबर

मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे

एसटीडी कोड : (रेलवे-035) (बीएसएनएल- 0532)

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

क्र. सं.	पदनाम	रेलवे		बीएसएनएल		मोबाइल	फैक्स	
		कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास		रेलवे	बीएसएनएल
1	महाप्रबंधक	23001	23002	2230200	2616543	9794835000	23010	2230772
2	सचिव / महाप्रबंधक	23011	23012	2230091	2623725	9794835006	-	-
3	एसडीजीएम	23003	23004	2230173	2545936	9794835002	-	-
4	उप महाप्रबंधक	23005	23098	2230071	2230374	9794835005	-	-
5	सीएमडी	23301	23302	2230855	-	9794835500	23311	2230858
6	मुख्य कार्मिक अधिकारी	23471	23472	2230773	2435144	9794835600	25471	-
7	सीटीई	23103	23104	2230287	2435124	9794835206	-	-
8	मुख्य परिचालन प्रबंधक	23401	23402	2230237	2422994	9794835900	25401	2230237
9	मुख्य वाणिज्य प्रबंधक	23451	23452	2230792	2230079	9794835950	23875	-
10	प्रमुख मुख्य इंजीनियर	23101	23102	2230265	2232929	9794835200	23100	2435030
11	मुख्य विद्युत इंजी / ओपी	23201	23202	2230217	2230381	9794835300	23211	2230217
12	मुख्य यांत्रिक इंजीनियर	23341	23342	2230219	2230143	9794835400	-	2435003
13	मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर	23701	23702	2230114	2435161	9794835800	23799	2230248
14	मुख्य जनसंपर्क अधिकारी	23461	23462 23456	2560036	-	9794835953	23467	2561184
15	मुख्य संरक्षा अधिकारी	23407	23408	2230442	2230087	9794835902	23429	2230442

उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय-इलाहाबाद के आपदा प्रबंधन कक्ष के टेलीफोन नंबर

एसटीडी कोड : (रेलवे-035) (बीएसएनएल- 0532)

क्र. सं.	पदनाम	रेलवे	भारत संचार निगम लिमिटेड
		कार्यालय	कार्यालय
1	मुख्य आपातकालीन अधिकारी	223690	-
2	दूसरे रेलवे / भारत संचार निगम लिमिटेड	223691, 223692, 223693, 223694, 223695, 223696, 223697, 223698, 223699	-
3.	सैटेलाइट फोन	-	764461524.

इलाहाबाद मंडल

एसटीडी कोड : (रेलवे-035) (बीएसएनएल- 0532)

क्र. सं.	पदनाम	रेलवे		बीएसएनएल		मोबाइल	फैक्स	
		कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास		रेलवे	बीएसएनएल
1	मंडल रेल प्रबंधक	22001	22002	2408051 2407958	2600227 2407185	9794837000	22575	2407702
2	अपर मंडल रेल प्रबंधक	22003	22004	2601106	2407722	9794837001	-	-
3	वरिष्ठ मंडल इंजी / समन्वय	22101	22102	2600213	2424101	9794837200	-	-
4	वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक	22401	22402	2407605	2405273	9794837900	-	-
5	वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी	22403	22404	2404123	2561014	9794837021	-	-
6.	मुख्य नियंत्रक	-	-	-	-	9794837233	-	-
7	मुख्य नियंत्रक (समय पालन)	-	-	-	-	9794866873	-	-
8	मुख्य नियंत्रक / कानपुर	-	-	-	-	9794841129	-	-
9	मुख्य नियंत्रक / टुण्डला	-	-	-	-	9794837240	-	-

झांसी मंडल

एसटीडी कोड : (रेलवे-037) (बीएसएनएल- 0510)

क्र. सं.	पदनाम	रेलवे		बीएसएनएल		मोबाइल	फैक्स	
		कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास		रेलवे	बीएसएनएल
1	मंडल रेल प्रबंधक	55000	55001	2440324	2444671	9794838000	-	2449213
2	अपर मंडल रेल प्रबंधक	55002	55003	2449417	2440910	9794838001	-	-
3	वरिष्ठ मंडल इंजी / समन्वय	55300	55301	2440693	2330904	9794838200	-	-
4	वरि. मं. परि. प्रबं	55600	55601	2440520	2440883	9794838900	-	-
5	वरि. मं. संरक्षा अधिकारी	55604	55605	2440739	2473837	9794838901	-	-
6	मुख्य नियंत्रक	55626	-	2444163	-	9794831178	-	-
7	मुख्य नियंत्रक (समय पालन)	55620	-	2331138	-	9794831196	-	-
8	वाणिज्य नियंत्रक	-	-	-	-	9794831196	-	-
9	मुख्य नियंत्रक (समय पालन) जयपुर	-	-	-	-	9001199916	-	-

Telephone nos. provided at Disaster Management cell of NCR/HQ/Allahabad & divisions.

रेलवे / बीएसएनएल एसटीडी कोड	मुख्यालय / मंडल	आपदा प्रबंधन सेल / मुख्य कंट्रोलर		बीएसएनएल / डब्ल्यूएलएल	सीयूजी मोबाइल	इनमारसैट नं (00-873)
035/0532	मुख्यालय, इलाहाबाद	आपदा प्रबंधन सेल	मुख्य आपातकालीन अधिकारी	2230151	9794835916	764461524 (वॉस) 764461525 (फैक्स) 764461526 (डाटा) 76441527 (वॉस)
-	-	-	इंजीनियरिंग	22140/41 2901160	-	-
-	-	-	चिकित्सा	6455463	-	-
-	-	-	फैक्स	2230486	-	-
-	-	मुख्य कंट्रोलर	गुड्स	2230164	9794835937	-
-	-		वेचिंग	2230269 2230270 2615445	9794835938	-
-	-	इलाहाबाद स्टेशन	-	-	9794837268	764457889 (वॉस) 764457890 (फैक्स) 764457891 (डाटा) 764457892 (वॉस)
035/0532	इलाहाबाद मंडल	मुख्य कंट्रोलर	.	2407191	9794837233	-
-	-	इलाहाबाद (टेस्ट रूम)	-	-	-	763095682 (वॉस) 763095683 (फैक्स) 763095684 (डाटा) 763095685 (वॉस)
-	-	इलाहाबाद (एआरटी)	-	-	-	764128515 (वॉस) 764128516 (फैक्स) 764128517 (डाटा) 764128518 (वॉस)
-	-	कानपुर (एआरटी)	-	-	9794837728	764128519 (वॉस) 764128520 (फैक्स) 764128521 (डाटा) 764128522 (वॉस)
-	-	इटावा (एसएसई / टेली कार्यालय)	-	-	-	764461520 (वॉस) 764461521 (फैक्स) 764461522 (डाटा) 764461523 (वॉस)
035/0532	इलाहाबाद मंडल	टुंडला (एआरटी)	-	-	-	763096551 (वॉस) 763096552 (फैक्स) 763096553 (डाटा) 763096554 (वॉस)
-	-	अलीगढ़ (रिपीटर स्टेशन)	-	-	-	764461528 (वॉस) 764461529 (फैक्स) 76441530 (डाटा) 764461531 (वॉस)
-	-	मुख्य कंट्रोलर / कानपुर	-	-	9794841129	-
-	-	मुख्य कंट्रोलर / टुण्डला	-	-	9794837240	-
037/0517	झांसी मंडल	मुख्य कंट्रोलर	-	-	9794831178	-
-	-	झांसी (टेस्ट रूम)	-	-	-	762834328 (वॉस) 762834329 (फैक्स) 762834330 (डाटा)

-	-	झांसी (एआरटी)	-	-	9794838447	764128392 (व्यॉस) 764128393 (फैक्स) 764128394 (डाटा) 764128395 (व्यॉस)
-	-	झांसी (एआरटी)	-	-	979483844 7	764128388 (व्यॉस) 764128389 (फैक्स) 764128390 (डाटा) 764128391 (व्यॉस)
-	-	ग्वालियर (एआरटी)	-	-	-	764128396 (व्यॉस) 764128397 (फैक्स) 764128398 (डाटा) 764128399 (व्यॉस)
-	-	बांदा	-	-	-	764128410 (व्यॉस) 764128411 (फैक्स) 764128412 (डाटा) 764128413 (व्यॉस)
036/0562	आगरा मंडल	मुख्य कंट्रोलर	-	2420977	9760536931	-
-	-	आगरा (एआरटी)	-	-	-	764128414 (व्यॉस) 764128415 (फैक्स) 764128416 (डाटा) 764128417 (व्यॉस)
-	-	आगरा (कंट्रोल ऑफिस)	-	-	Dy (P) 9760530014 Dy (G) 9760536949	764128418 (व्यॉस) 764128419 (फैक्स) 764128420 (डाटा) 764128421 (व्यॉस)
-	-	एआरटी, धौलपुर नैरो गेज	-	-	-	8890437200 808-232

आगरा मंडल एवं अन्य मंडलों पर एआरटी/एआरएमवी/एआरएमई का लोकेशन

Location of ARMV Scale-I :

1. Scale –I ARMVs on Agra Division are located as follow:-
 - (i) आगरा कैंट स्पोर्ट (एआरएमवी+लुकाश)
2. **Location of ARMV Scale –I in adjoining Zones/Divisions-**

(i)	टूंडला	इलाहाबाद मंडल, उत्तर मध्य रेलवे
(ii)	कानपुर	इलाहाबाद मंडल, उत्तर मध्य रेलवे
(iii)	झांसी	झांसी मंडल, उत्तर मध्य रेलवे
(iv)	दिल्ली	दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे
(v)	रेवाड़ी	जयपुर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे
(vi)	गंगापुर सीटी	कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे

Location of ART

1) Agra Cantt. (A Class) with 140 tone crane

2) **Location ARTs with 140 T Crane On Adjoining Divisions:**

- | | | |
|-------|--------------|------------------------------------|
| (i) | झांसी | ('ए' क्लास, 140 टन क्रेन) |
| (ii) | कानपुर | ('ए' क्लास, 140 टन क्रेन, बुलडोजर) |
| (iii) | दिल्ली | दिल्ली मंडल, उत्तर रेलवे |
| (iv) | जयपुर | जयपुर मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे |
| (v) | कोटा | कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे |
| (vi) | गंगापुर सीटी | कोटा मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे |

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (ब्रेकडाउन/आगरा कैंट): सीयूजी नं. 9760536450
रेलवे नंबर. 2428, 2429

स्पोर्ट इंचार्ज सीयूजी नं. 9760536420

सीनियर सेक्शन इंजीनियर (ब्रेकडाउन/झांसी): सीयूजी नं. 9794838447

NDRF Head Quarter

(NDRF, 11 th BN Varanasi Established by SSB)

(Names & Phone numbers are as on date 06.11.2017, that may change in future)

Name	Designation	Address	Office	Fax	e-mail Id
Shri Devendra Kumar (IPS)	Dy.Comdt./OPS & Training Officer	Gautam Budh Bhawan, Maqbool Alam Road, Varanasi-02	05422-501101	05422-501101	Up-11ndrf@gov.in Ndrf11up@gmail.com
Shri Sanjay Kumar (IPS)	Director General	Directorate General, NDRF, Antyodaya Bhawan, B-2 Wing, 9th floor, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	011-24369278 011-24369280	011-24363261	dg.ndrf@nic.in
Shri Ravi Joseph Lokku (IPS)	Inspector General	-- Do --	011-24363268	011-24363261	ig.ndrf@nic.in
--	Financial Advisor	-- Do --	011-26160366	011-24363261	vgv11@rediffmail.com
Shri. J. K. S. Rawat	Deputy Inspector General (ADM)	-- Do --	011-24363267	011-24363261	dig.ndrf@nic.in
Shri Sudhir Kumar Singh	Deputy Inspector General (Proc & Comn)/ (Central Sector)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24611518	011-24611519	dig.es.ndrf@nic.in
Shri Randeep Kumar Rana	Deputy Inspector General (Ops) / (East /North East Sector)	Directorate General, NDRF, Antyodaya Bhawan, B-2 Wing, 9th floor, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	011-24363266	011-24363261	dig.ns.ndrf@nic.in
Shri K K Singh	Deputy Inspector General (Trg/South Sector)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24654994	011-24611519	dig.ss.ndrf@nic.in
Shri Keshav Kumar	Second in Command (Staff Officer of DG)	Directorate General, NDRF, B-Block, 9th Floor, Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	011-24363265	011-24363261	dc.adm.ndrf@nic.in keshavkumar128@rediffmail.com
Shri Rajesh Negi	Second in Command (Trg.)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24656932	011-24611519	dig.trgops.ndrf@gov.in
Shri Ashish Sharma	Second in Command (Prov)	--Do--	011-24656932	-	dc.proc.ndrf@nic.in

Shri Muneesh Kumar	Deputy Commandant (PROC)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24611518	011-24363261	dcproccell-ndrf@gov.in
Shri Rakesh Ranjan	Deputy Commandant (OPS)	Directorate General, NDRF, Antyodaya Bhawan, B-2 Wing, 9th floor , CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	011-24363263	011-24363261	rakeshr76@rediffmail.com
Shri Ritesh Dwivedi	Deputy Commandant (R&D)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24629279	011-24363261	dcrd-ndrf@gov.in
Shri Anil Shekhawat	AC(Training)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24611518	011-24363261	-
Shri M Natarajan	AC(JAO)	--Do--	011-24362164	011-24363261	ac.hq.ndrf@nic.in
Shri Krishan Kumar	AC (IT/PRO)	--Do--	011-24363263	011-24363261	krishan.0405@gov.in
Shri Bhawani Singh	AC(ADM)	--Do--	011-24363263	011-24363261	dc.adm.ndrf@nic.in
Shri P K Sharma	AC (NCDC/PROC)	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24629279	011-24363261	-
Control Room	--	Directorate General, NDRF, Antyodaya Bhawan, B-2 Wing, 9th floor , CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003	011-24363260	011-24363261	hq.ndrf@nic.in
Exchange	--	A-Wing, Second Floor Lok Nayak Bhawan Khan Market New Delhi-110003	011-24611518	011-24363261	-

NDRF BNS

Shri C.P Saxena, Comdt 1st BSF NDRF Bn, Guwahati Mob-09435545951 C/R -0361-2840284 C/R-0361-2843555 Fax- 0361-2840284	Shri Sukhdev Raj, Comdt 2nd BSF NDRF Bn, Kolkata Mob- 09434742836 C/R - 033025264302 C/R - 033-25264394 Fax - 033-25263077
Shri Arun Kum ar, Comdt 3rd Bn, NDRF,Mundali Mob – 09437964571 – 09437964574 C/R -0671-2879710 C/R -09937187222 C/R-0671-2879710	Shri P.S.B Nair , Comdt 4th Bn, NDRF, Arakkonam Mob – 09442105069 Off - 04177-246269 Tel - 04177- 246594 04177-246633 Fax - 04177-246644
Shri Alok Avasthy ,Comdt 5th Bn NDRF, Pune Mob- 09423506765 C/R -02114-231245 C/R -02114-231265 Fax -)2114-231509	Shri R.C. Meena, Comdt 6th Bn, NDRF, Gandhinagar Mob- 09428826445 C/R-079-23201551 Fax-079-23202540
Shri R.k. Verma 7th Bn, NDRF, Bhatinda Mob- 09417802032 C/R -0164-2246030 C/R-0164-2246570 Fax - 0164-2246570	Shri j.P. Yadav 8th Bn NDRF, Greater Noida Mob-09968610011 Off - 0120-2351101/02 Telefax-0120-2351105

8वां बटालियन एनडीआरएफ, ग्रेटर नोएडा के टेलीफोन नंबर

क्र.सं.	नाम	रैंक	मोबाइल नंबर	लैंडलाइन नंबर
1	श्री जे पी यादव	कमांडेंट	09968610011	0120-2351101, 2351102 Fax- 2351105
2	श्री पी.के.श्रीवास्तव	कमांडेंट	09968610014	0120-2766618
3	..	क्वाटर मास्टर	09990389314	--
4	श्री आर.के. सिंह	..	0941011610	--
5	कंट्रोल रूम	..	--	0120-2766618
6	ई-मेल / आईडी (कमांडेंट)	Jpyadav1960@yahoo.com		

डीजी एनडीआरएफ, मुख्यालय, नई दिल्ली

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कंट्रोल रूम का फ़ैक्स नंबर/ई-मेल	मोबाइल नंबर
1	श्री राजीव, आईपीएस, डीजी, एनडीआरएफ	011-26712851, 26161442, 23386566(R) dg_ndrf@nic.in	9818916161
2	श्री मुकुल गोयल, आईपीएस, आईजी, एनडीआरएफ	011-26160252, 26113014(R) 26105912-Fax dg_ndrf@nic.in	9871115726
3	श्री आर के श्रीवास्तव, डीसी/ओपीएस, एनडीआरएफ	011-26107953, 26105912-Fax dg_ndrf@nic.in	9718137271
4	इंस्पे. श्री ओमप्रकाश कंट्रोल रूम इंचार्ज, एनडीआरएफ, मुख्यालय	011-26107953, 26105912-Fax dg_ndrf@nic.in/	08010072169

आगरा मंडल के खंड के अनुसार समपार फाटकों की सूची
(As on date 30.10.2017, received from Engineering Department, Agra)

आगरा कैंट –पलवल खण्ड :

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/इंजी.	गेट की स्थिति	रोड
1	498	1346/18-20	RKM	AGC-RKM	याता.	डाउन साइड	एनएच-2
2	499	1346/28-30	RKM	AGC-RKM	याता.	अप साइड	एनएच-2
3	501	1348/34-36	BFP	BFP Yd.	याता.	अप साइड	एनएच-2
4	506	1356/17-19	RNKA	BFP-RNKA	इंजी	अप साइड	एनएच-2
5	507	1358/5-9	RNKA	RNKA Yd.	याता.	डाउन साइड	एनएच-2
6	508	1359/13-15	RNKA	RNKA-KXM	इंजी	अप साइड	एनएच-2
7	510	1361/13-15	KXM	RNKA-KXM	इंजी	अप साइड	एनएच-2
8	511	1361/29-31	KXM	RNKA-KXM	इंजी	अप साइड	एनएच-2
9	512	1364/26-65/2	KXM	RNKA-KXM	इंजी	डाउन साइड	एनएच-2
10	513	1367/3-5	KXM	KXM Yd	याता.	अप साइड	एनएच-2
11	514	1368/5-7	KXM	KXM-FAR	इंजी	अप साइड	एनएच-2
12	515	1370/-19-21	KXM	KXM-FAR	इंजी	अप साइड	एनएच-2
13	517	1374/15-17	FAR	KSM-FAR	इंजी	अप साइड	एनएच-2
14	518	1375/25-27	FAR	KXM-FAR	इंजी	अप साइड	एनएच-2
15	520	1379/9-11	FAR	FAR-BAD	इंजी	अप साइड	एनएच-2
16	521	1380/19-21	FAR	FAR-BAD	इंजी	अप साइड	एनएच-2
17	522	1382/19-21	FAR	FAR-BAD	इंजी	अप साइड	एनएच-2
18	523	1383/25-27	BAD	FAR-BAD	इंजी	अप साइड	एनएच-2
19	524	1385/1-3	BAD	FAR-BAD	इंजी	अप साइड	एनएच-2
20	525	1389/3-5	BAD	BAD Yd.	इंजी	अप साइड	एनएच-2
21	526	1390/28-30	BAD	BAD-MTJ	इंजी	अप साइड	एनएच-2
22	531	1404/6-8	VRBD	MTJ-VRBD	इंजी	अप साइड	एनएच-2
23	533	1410/6-8	VRBD	VRBD-AJH	इंजी	अप साइड	एनएच-2
24	534	1411/2-4	VRBD	VRBD-AJH	इंजी	अप साइड	एनएच-2
25	535	1413/12-14	AJH	VRBD-AJH	इंजी	अप साइड	एनएच-2
26	536	1414/32-34	AJH	VRBD-AJH	इंजी	अप साइड	एनएच-2
27	537	1416/16-18	AJH	VRBD-AJH	इंजी	अप साइड	एनएच-2
28	538	1418/8-10	AJH	AJH Yd.	याता.	अप साइड	एनएच-2
29	539	1421/14-16	AJH	AJH-CHJ	इंजी	अप साइड	एनएच-2
30	540	1422/16-18	AJH	AJH-CHJ	इंजी	अप साइड	एनएच-2
31	541	1425/22-24	AJH	AJH-CHJ	इंजी	अप साइड	एनएच-2
32	543	1428/16-18	CHJ	CHJ Yd.	याता.	अप साइड	एनएच-2
33	544	1429/4-6	CHJ	CHJ-KSV	इंजी	अप साइड	एनएच-2
34	545	1432/4-6	CHJ	CHJ-KSV	इंजी	अप साइड	एनएच-2
35	546	1433/20-22	KSV	CHJ-KSV	इंजी	अप साइड	एनएच-2
36	547	1435/20-22	KSV	CHJ-KSV	इंजी	अप साइड	एनएच-2
37	550	1444/14-16	KSV	KSV-HDL	इंजी	अप साइड	एनएच-2
38	551	1447/0-2	HDL	KSV-HDL	इंजी	अप साइड	एनएच-2

39	552	1450/8-10	HDL	KSV-HDL	याता.	अप साइड	एनएच-2
40	554	1452/14-16	HDL	HDL-SHLK	इंजी	अप साइड	एनएच-2
41	555	1454/20-22	HDL	HDL-SHLK	इंजी	डाउन साइड	एनएच-2
42	556	1456/6-8	HDL	HDL-SHLK	इंजी	अप साइड	एनएच-2
43	556 A	1457/14-16	SHLK	HDL-SHLK	इंजी	अप साइड	एनएच-2
44	557	1459/28-30	SHLK	HDL-SHLK	याता.	अप साइड	एनएच-2
45	558	1461/24-26	SHLK	SHLK-RDE	इंजी	अप साइड	एनएच-2
46	559	1463/8-10	SHLK	SHLK-RDE	इंजी	अप साइड	एनएच-2
47	560	1467/12-14	RDE	SHLK-RDE	इंजी	अप साइड	एनएच-2
48	561	1470/12-14	RDE	SHLK-RDE	इंजी	अप साइड	एनएच-2
49	562	1473/23-25	RDE	RDE-PWL	इंजी	अप साइड	एनएच-2
50	563	1475/20-22	RDE	RDE-PWL	इंजी	अप साइड	एनएच-2
51	564	1478/7-9	PWL	RDE-PWL	इंजी	अप साइड	एनएच-2

आगरा – धौलपुर सेक्शन:

क्र.सं.	सेक्शन	ब्लॉक सेक्शन	गेट सं०	लोकेशन	नियंत्रित स्टेशन	इंटरलॉकड
1	DHO-AGC	HET-DHO	461	1289/30	DHO	YES
2	DHO-AGC	DHO-MIA	462	1291/24-26	DHO	YES
3	DHO-AGC	DHO-MIA	464	1293/22-24	DHO	YES
4	DHO-AGC	DHO-MIA	466	1296/26-28	DHO	NO
5	DHO-AGC	DHO-MIA	467	1297/28-30	MIA	NO
6	DHO-AGC	DHO-MIA	468	1299/18-20	MIA	NO
7	DHO-AGC	DHO-MIA	469	1300/10-12	MIA	YES
8	DHO-AGC	DHO-MIA	470	1302/6-8	MIA	NO
9	DHO-AGC	MIA-JJ	471	1303/22-24	MIA	YES
10	DHO-AGC	MIA-JJ	473	1306/10-12	MIA	YES
11	DHO-AGC	MIA-JJ	474	1309/26-28	MIA	YES
12	DHO-AGC	MIA-JJ	475	1311/16-18	JJ	NO
13	DHO-AGC	JJ-BHA	476	1318/0-2	JJ	YES
14	DHO-AGC	JJ-BHA	478	1321/26-28	JJ	NO
15	DHO-AGC	JJ-BHA	479	1322/20-22	JJ	YES
16	DHO-AGC	JJ-BHA	480	1323/34-36	JJ	NO
17	DHO-AGC	JJ-BHA	482	1325/18-20	BHA	NO
18	DHO-AGC	JJ-BHA	483	1326/18-20	BHA	NO
19	DHO-AGC	JJ-BHA	484	1327/20-22	BHA	NO
20	DHO-AGC	JJ-BHA	485	1328	BHA	NO
21	DHO-AGC	JJ-BHA	486	1330/4-6	BHA	NO
22	DHO-AGC	JJ-BHA	487	1332/20-22	BHA	YES
23	DHO-AGC	BHA-AGC	488	1333/10-12	BHA	YES
24	DHO-AGC	BHA-AGC	489	1334/6-8	BHA	YES
25	DHO-AGC	BHA-AGC	490	1335/26-30	BHA	YES
26	DHO-AGC	BHA-AGC	492	1338/8-10	AGC	YES
27	DHO-AGC	BHA-AGC	493	1340/2-4	AGC	YES
28	DHO-AGC	BHA-AGC	494	1341/11-13	AGC	YES

आगरा कैंट – टूंडला खण्ड :

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/इंजी.	गेट की स्थिति	रोड
1	496	81/AC-10-11	AGC/ IDH	AGC-IDH	इंजी.	अप साइड	सिटी रोड
2	3 AB	1260 / 18-20	KBP	KBP-CHLR	इंजी.	डाउन साइड	सिटी रोड
3	4 AB	1262 / 21-23	CHLR	KBP-CHLR	परि..	डाउन साइड	सिटी रोड

आगरा फोर्ट / आगरा कैंट – बयाना खण्ड :

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/इंजी.	गेट की स्थिति	रोड
1	75 A	AGC-BKI/23-25	JNPC	AGC-PTLI	परि.	अप साइड	सिटी रोड
2	3	3/7-8	BXN	BXN-BR	इंजी	अप साइड	ग्रामीण सड़क
3	4	4/4-5	BXN	BXN-BR	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
4	5	4/7-8	BR	BXN-BR	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
5	6	4/14-15	BR	BXN-BR	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
6	7	5/10-11	BR	BXN-BR	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
7	9	8/7-8	BR	BXN-BR	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
8	12	10/13-14	BR	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
9	13	12/10-11	BR	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
10	14	13/11-12	BR	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
11	15	14/10-11	BR	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
12	16	15/5-6	BIQ	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
13	17	16/1-2	BIQ	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
14	18	16/14-15	BIQ	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
15	19	18/10	BIQ	BR-BIQ	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
16	22	22/10-11	BIQ	BIQ-RBS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
17	23	25/9-10	BIQ	BIQ-RBS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
18	24	26/3-4	BIQ	BIQ-RBS	इंजी	अप साइड	ग्रामीण सड़क
19	25	28/5-6	BIQ	BIQ-RBS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
20	26	29/9-10	RBS	BIQ-RBS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
21	27	30/7-8	RBS	BIQ-RBS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
22	29	34/18-19	RBS	RBS-FTS	याता.	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
23	31	36/15-16	RBS	RBS-FTS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
24	32	39/5-6	RBS	RBS-FTS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
25	33	40/4-5	FTS	RBS-FTS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
26	35	42/13-14	FTS	RBS-FTS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
27	36	44/4-5	FTS	RBS-FTS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
28	39	47/1-2	FTS	RBS-FTS	इंजी	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
29	40	47/4-5	FTS	RBS-FTS	याता.	डाउन साइड	ग्रामीण सड़क
30	42	49/5-6	FTS	FTS-KLB	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
31	44	50/7-8	FTS	FTS-KLB	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
32	45	50/10-11	FTS	FTS-KLB	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
33	54	60/1-2	KLB	FTS-KLB	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
34	55	60/23-61/1	T/NA	KLB Yd.	याता.	डाउन साइड	एनएच-11
35	56	62/2-3	KLB	KLB-MIQ	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11

36	58	64/1-2	KLB	KLB-MIQ	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
37	59	65/1-2	KLB	KLB-MIQ	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
38	60	66/16-67/1	MIQ	KLB-MIQ	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
39	62	69/7-8	MIQ	MIQ-PTLI	याता.	डाउन साइड	एनएच-11
40	64	70/14-15	MIQ	MIQ-PTLI	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
41	65	71/4-5	MIQ	MIQ-PTLI	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
42	68	73/7-8	PTLI	MIQ-PTLI	इंजी	डाउन साइड	एनएच-11
43	69	73/14-15	PTLI	MIQ-PTLI	याता.	डाउन साइड	एनएच-11
44	70	75/4-5	PTLI	PTLI-IDH	याता.	डाउन साइड	एनएच-11
45	74	78/11-12	IDH	PTLI-IDH	इंजी.	डाउन साइड	एनएच-11
46	77	81/4-5	IDH	PTLI-IDH	याता.	अप साइड	सिटी रोड

आगरा फोर्ट-बांदीकूई खण्ड :

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/ इंजी.	गेट की स्थिति	रोड
1	6A	4/7-8	IDH	IDH-BCP	इंजी	अप	एनएच-11
2	7	6/2-3	BCP	IDH-BCP	इंजी	डाउन	एनएच-11
3	8A	8/1-2	BCP	IDH-BCP	इंजी	डाउन	एनएच-11
4	9	8/6-7	BCP	IDH-BCP	इंजी	डाउन	एनएच-11
5	10	10/3-4	BCP	IDH-BCP	याता.	अप	सिटी रोड
6	11	11/5-6	BCP	BCP-RAI	याता.	अप	सिटी रोड
7	12	13/7-8	BCP	BCP-RAI	इंजी	डाउन	सिटी रोड
8	13	15/8-9	RAI	BCP-RAI	इंजी	डाउन	सिटी रोड
9	14	18/0-1	RAI	BCP-RAI	इंजी	डाउन	सिटी रोड
10	15	20/6-7	RAI	RAI-AH	इंजी	अप	सिटी रोड
11	16	21/6-7	RAI	RAI-AH	इंजी	डाउन	सिटी रोड
12	18	25/4-5	AH	RAI-AH	याता.	डाउन	सिटी रोड
13	19	26/4-5	AH	AH-CIK	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
14	20A	27/5-6	AH	AH-CIK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
15	21	29/5-6	AH	AH-CIK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
16	22	23/6-7	AH	AH-CIK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
17	23	31/7-8	CIK	AH-CIK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
18	24	32/5-6	CIK	AH-CIK	इंजी	-	ग्रामीण सड़क
19	25	35/1-2	CIK	AH-CIK	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
20	26	36/3-4	CIK	CIK-IK	याता.	डाउन	ग्रामीण सड़क
21	27	37/4-5	CIK	CIK-IK	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
22	28	37/8-9	CIK	CIK-IK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
23	31	41/1-2	IK	CIK-IK	याता.	डाउन	ग्रामीण सड़क
24	32	42/8-9	IK	IK-BTE	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
25	33	44/2-3	IK	CIK-IK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
26	37	49/0-1	BTE	IK-BTE	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
27	38	50/7-8	BTE	IK-BTE	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
28	39	51/3-4	BTE	IK-BTE	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
29	41	57/0-1	BTE	BTE-HK	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
30	42	57/7-8	BTE	BTE-HK	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
31	43	58/8-9	BTE	BTE-HK	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क

32	47	62/2-3	HK	BTE-HK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
33	48	62-7-8	HK	BTE-HK	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
34	49	64/3-4	HK	BTE-HK	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
35	50	65/5-6	HK	HK-NBI	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
36	52	69/7-8	HK	HK-NBI	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
37	53	71/6-7	NBI	HK-NBI	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
38	54	72/9-10	NBI	HK-NBI	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
39	55	75/8-9	NBI	HK-NBI	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
40	56	79/3-4	NBI	HK-NBI	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
41	57	82/3-4	NBI	NBI-KL	याता.	अप	एनएच-11
42	60	87/6-7	NBI	NBI-KL	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
43	62	89/9-90/0	KL	NBI-KL	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
44	67	96/6-7	KL	NBI-KL	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
45	68	98/3-4	KL	NBI-KL	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
46	69	99/4-5	KL	KL-GOS	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
47	70	100/0-1	KL	KL-GOS	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
48	74	106/5-6	GOS	KL-GOS	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
49	78	113/9-114/0	GOS	GOS-MURD	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
50	79	114/6-7	GOS	GOS-MURD	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
51	80	115/8-9	MURD	GOS-MURD	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
52	81	116/3-4	MURD	GOS-MURD	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
53	82	118/0-1	MURD	GOS-MURD	याता.	डाउन	एनएच-11
54	83	119/9-120/0	MURD	MURD-KPO	इंजी	डाउन	ग्रामीण सड़क
55	85	123/3-4	KPO	MURD-KPO	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
56	88	127/0-1	KPO	KPO-BW	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
57	90	128/6-7	KPO	KPO-BW	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
58	91	129/7-8	KPO	KPO-BW	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
59	93	132/1-2	BW	KPO-BW	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
60	94	133/0-1	BW	KPO-BW	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
61	95	134/0-1	-----	KPO-BW	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
62	96	135/6-7	BW	BW-BKI	याता.	अप	ग्रामीण सड़क
63	97	137/7-8	BW	BW-BKI	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
64	98	138/4-5	BW	BW-BKI	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क
65	101	145/6-7	BKI	BW-BKI	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क

मथुरा-अलवर खंड:

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/ इंजी.	गेट की स्थिति	रोड
1	2	1402/15-16	-----	BTSR-GDO	इंजी.	-----	मथुरा-अलवर रोड
2	3	1405/0-1	-----	BTSR-GDO	इंजी.	-----	मथुरा-अलवर रोड
3	5	1407/13-14	-----	BTSR-GDO	इंजी.	-----	मथुरा-अलवर रोड
4	7	1409/3-4	MTJ	BTSR-GDO	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
5	9	1409/16-17	-----	BTSR-GDO	इंजी.	----	मथुरा-अलवर रोड
6	10	1411/5-6	GDO	BTSR-GDO	इंजी.	अप	मथुरा-अलवर रोड
7	14	1415/3-4	GDO	BTSR-GDO	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड

8	17	1418/9-10	-----	BTSR-GDO	इंजी.	----	मथुरा-अलवर रोड
9	22	1423/7-8	GDO	GDO-DEEG	याता.	अप	मथुरा-अलवर रोड
10	25	1425/7-8	GDO	GDO-DEEG	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
11	31	1430/1-2	GDO	GDO-DEEG	इंजी.	अप	मथुरा-अलवर रोड
12	32	1430/9-10	-----	GDO-DEEG	इंजी.	----	मथुरा-अलवर रोड
13	40	1438/7-8	DEEG	DEEG-BEDM	याता.	अप	मथुरा-अलवर रोड
14	42	1441/7-8	DEEG	DEEG-BEDM	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
15	49	1449/10-11	BEDM	DEEG-BEDM	याता.	अप	मथुरा-अलवर रोड
16	50	1450/12-13	BEDM	BEDM-BINR	याता.	अप	मथुरा-अलवर रोड
17	51B	1452/9-10	BEDM	BEDM-BINR	इंजी.	अप	मथुरा-अलवर रोड
18	54	1457/4-5	BINR	BEDM-BINR	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
19	55	1458/3-4	BINR	BEDM-BINR	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
20	58	1460/7-8	BINR	BEDM-BINR	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
21	59	1461/1-2	BINR	BEDM-BINR	याता.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
22	60	1462/10-11	BINR	BINR-GVH	याता.	---	मथुरा-अलवर रोड
23	69	1473/12-13	GVH	BINR-GVH	याता.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
24	70	1475/6-7	GVH	GVH-JBS	याता.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
25	73	1477/6-7	GVH	GVH-JBS	इंजी.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
26	83	1485/9-10	JBS	GVH-JBS	याता.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
27	92	1491/1-2	RAH	JBS-RAH	इंजी	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
28	94	1493/3-4	RAH	JBS-RAH	याता.	अप	मथुरा-अलवर रोड
29	95	1495/1-2	RAH	RAH-OTD	याता.	अप	मथुरा-अलवर रोड
30	98	1496/8-9	RAH	RAH-OTD	इंजी	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
31	99	1496/14-15	RAH	RAH-OTD	इंजी	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
32	102	1501/11-12	OTD	RAH-OTD	इंजी	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
33	103	1504/5-6	OTD	RAH-OTD	याता.	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
34	108	1510/8-9	OTD	OTD-AWR	इंजी	डाउन	मथुरा-अलवर रोड
35	113-SPL	1515/8-9	AWR	OTD-AWR	इंजी	डाउन	मथुरा-अलवर रोड

मथुरा-अछनेरा खंड:

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/ इंजी.	गेट की स्थिति	रोड
1	358	351/10-11	MTJ	MTJ-BSA	-	अप	ग्रामीण सड़क
2	362	361/4-5	BSA	MTJ-BSA	CLOSED		ग्रामीण सड़क
3	364	364/8-9	-----	BSA-PRK	इंजी	----	ग्रामीण सड़क
4	370	368/3-4	-----	BSA-PRK	इंजी	----	ग्रामीण सड़क
5	371	368/15-16	PRK	BSA-PRK	इंजी	----	ग्रामीण सड़क
6	373	372/2-3	PRK	PRK-AH	याता.	डाउन	ग्रामीण सड़क
7	374	376/7-8	-----	PRK-AH	इंजी	----	ग्रामीण सड़क
8	377	380/5-6	-----	PRK-AH	इंजी	----	ग्रामीण सड़क
9	380	383/13-14	AH	PRK-AH	इंजी	अप	ग्रामीण सड़क

मथुरा-वृंदावन खंड:

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/इंजी	गेट की स्थिति
1.	357	0/6-7	MTJ	MTJ-BDB	याता.	सिटी रोड
2.	BDB-1	0/8-9	T/S*	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
3.	BDB-2	1 /4-5	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
4.	BDB-3	2/3-4	T/S*	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
5.	BDB-4	2/10-11	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
6.	BDB-6	3 /4-5	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
7.	BDB-7	3 /10-11	T/S*	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
8.	BDB-8	4 /4-5	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
9.	BDB-9	7 /3-4	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
10.	BDB-10	7/12-13	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
11.	BDB-11	10/2-3	----	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड
12.	BDB-12	10/13-14	T/S*	MTJ-BDB	इंजी	सिटी रोड

भांडई-ऊदी सेक्शन:

क्र.सं	गेट संख्या	कि.मी. पर स्थापित	टेलीफोन से कनेक्ट	स्टेशनों के बीच	याता/इंजी	गेट की स्थिति
1	2	1340.263	--	भांडई-शमसाबाद	इंजी	खुला
2	4	1344.146	--	भांडई-शमसाबाद	इंजी	खुला
3	5	1346.110	--	भांडई-शमसाबाद	इंजी	खुला
4	9	1354.140	--	शमसाबाद-फतेहाबाद	इंजी	खुला
5	11	1356.934	--	शमसाबाद-फतेहाबाद	इंजी	खुला
6	12	1361.604	--	शमसाबाद-फतेहाबाद	इंजी	खुला
7	13	1362.745	--	शमसाबाद-फतेहाबाद	इंजी	खुला
8	14	1364.556	--	शमसाबाद-फतेहाबाद	इंजी	खुला
9	17	1373.315	--	फतेहाबाद-बाह	इंजी	खुला
10	18	1377.400	--	फतेहाबाद-बाह	इंजी	खुला
11	19	1380.202	--	फतेहाबाद-बाह	इंजी	खुला
12	29	1404.810	--	फतेहाबाद-बाह	इंजी	खुला
13	31	1406.630	--	फतेहाबाद-बाह	इंजी	खुला
14	32	1421.930	--	बाह-ऊदी	इंजी	खुला
15	35	1436.060	--	बाह-ऊदी	इंजी	खुला
16	36	1437.470	--	बाह-ऊदी	इंजी	खुला
17	38	1439.930	--	बाह-ऊदी	इंजी	खुला
18	39	1441.370	--	बाह-ऊदी	इंजी	खुला
19	40	1443.260	--	बाह-ऊदी	इंजी	खुला

धौलपुर – तांतपुर – सिरमुतरा (नैरोगेज) सेक्शन :

क्र.सं.	सेक्शन	ब्लॉक सेक्शन	गेट सं०	लोकेशन	स्टेशन	इंटरलॉकड
1	DHO-BARI	DHO-BARI	1A	1291/3-4	DHO	UM
2	DHO-BARI	DHO-BARI	2	1292/2-3	DHO	NO
3	DHO-BARI	DHO-BARI	3	1292/6-7	DHO	NO
4	DHO-BARI	DHO-BARI	4	1293/2-3	DHO	UM
5	DHO-BARI	DHO-BARI	5	1294/9-10	DHO	UM
6	DHO-BARI	DHO-BARI	6	1295/5-6	DHO	UM
7	DHO-BARI	DHO-BARI	6A	1296/5-6	DHO	UM
8	DHO-BARI	DHO-BARI	7	1297/3-7	DHO	UM
9	DHO-BARI	DHO-BARI	8	1299/2-3	DHO	UM
10	DHO-BARI	DHO-BARI	9	1299/7-8	DHO	UM
11	DHO-BARI	DHO-BARI	10	1301/2-3	DHO	UM
12	DHO-BARI	DHO-BARI	11	1302/1-2	DHO	UM
13	DHO-BARI	DHO-BARI	12	1305/4-5	DHO	UM
14	DHO-BARI	DHO-BARI	13	1306/8-9	DHO	UM
15	DHO-BARI	DHO-BARI	14	1307/8-9	DHO	UM
16	DHO-BARI	DHO-BARI	15	1308/6-7	DHO	UM
17	DHO-BARI	DHO-BARI	16	1310/7-8	DHO	UM
18	DHO-BARI	DHO-BARI	17	1311/7-8	DHO	UM
19	DHO-BARI	DHO-BARI	18	1313/5-6	DHO	UM
20	DHO-BARI	DHO-BARI	19	1314/9-10	DHO	UM
21	DHO-BARI	DHO-BARI	20	1316/7-8	DHO	UM
22	DHO-BARI	DHO-BARI	21	1320/8-9	DHO	UM
23	DHO-BARI	DHO-BARI	22	1321/6-7	DHO	UM
24	BARI-SRMT	BARI-MHF	23	1322/3-4	DHO	NO
25	BARI-SRMT	BARI-MHF	24	1322/7-8	DHO	UM
26	BARI-SRMT	BARI-MHF	25	1326/5-6	DHO	UM
27	BARI-SRMT	BARI-MHF	26	1327/8-9	DHO	UM
28	BARI-SRMT	BARI-MHF	27	1329/4-5	DHO	UM
29	BARI-SRMT	MHF-SRMT	28	1331/3-4	DHO	UM
30	BARI-SRMT	MHF-SRMT	29	1333/9-1334/0	DHO	UM
31	BARI-SRMT	MHF-SRMT	30	1336/6-7	DHO	UM
32	BARI-SRMT	MHF-SRMT	31	1337/3-4	DHO	UM
33	BARI-SRMT	MHF-SRMT	32	1338/1-2	DHO	UM
34	BARI-SRMT	MHF-SRMT	33	1341/7-8	DHO	UM
35	BARI-SRMT	MHF-SRMT	34	1345/8-9	DHO	UM
36	BARI-SRMT	MHF-SRMT	35	1346/5-6	DHO	UM
37	BARI-SRMT	MHF-SRMT	36	1347/3-4	DHO	UM
38	BARI-SRMT	MHF-SRMT	37	1349/8-9	DHO	UM
39	BARI-SRMT	MHF-SRMT	38	1350/7-8	DHO	UM
40	BARI-SRMT	MHF-SRMT	39	1353/3-4	DHO	UM
41	BARI-SRMT	MHF-SRMT	40	1355/1-2	DHO	UM
42	BARI-SRMT	MHF-SRMT	41	1355/7-8	DHO	UM
43	BARI-SRMT	MHF-SRMT	42	1357/3-4	DHO	UM

44	BARI-SRMT	MHF-SRMT	43	1358/4-5	DHO	UM
45	BARI-SRMT	MHF-SRMT	44	1360/3-4	DHO	UM
46	MHF-TPO	MHF-TPO	45	1331/5-6	DHO	UM
47	MHF-TPO	MHF-TPO	46	1332/7-8	DHO	UM
48	MHF-TPO	MHF-TPO	47	1333/8-9	DHO	UM
49	MHF-TPO	MHF-TPO	48	1336/2-3	DHO	UM
50	MHF-TPO	MHF-TPO	49	1336/8-9	DHO	UM
51	MHF-TPO	MHF-TPO	50	1339/0-1	DHO	UM
52	MHF-TPO	MHF-TPO	51	1340/5-6	DHO	UM
53	MHF-TPO	MHF-TPO	52	1342/0-1	DHO	UM
54	MHF-TPO	MHF-TPO	53	1345/2-3	DHO	UM
55	MHF-TPO	MHF-TPO	54	1346/9-1347/0	DHO	UM
56	MHF-TPO	MHF-TPO	55	1348/3-4	DHO	UM
57	MHF-TPO	MHF-TPO	56	1348/6-7	DHO	UM

- टी/एस - गाड़ी पर ऑन ड्यूटी स्टाफ के द्वारा गेट बंद किया जाता है।